खण्ड 524 अंक-04
शुक्रवार, 10 अग्रहायण, शक संवत् 1945
(दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठाहरवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2023)

(खण्ड 524 में 04 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-108
मा0 सदस्यों को उनके जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई ...	108-111
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	111-118
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन के ग्राम सिकरी से जालौन कोंच रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के ग्राम गोठरा से नयाबांस (दौलताबाद) एवं ब्लाक अछनेरा के ग्राम अभेदोपुरा से नगला यादराम (बघेलों का नगला) तक दोनों मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद कानपुर नगर में कतिपय महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के निकट सर्विस लेन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा वनकटा में गाटा सं0-381 से भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	120
प्रदेश में एलोपैथिक फार्मासिस्टों की भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
कानपुर नगर निगम द्वारा माल रोड पर बनाई गई स्मार्ट रोड, पैदल पार पुल की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	120-121
जिला अस्पताल शामली में निर्मित बर्न यूनिट भवन में मरीजों के उपचार हेतु सभी उपकरणों व चिकित्सक की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद प्रतापगढ़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सदर बाजार में श्री नायब उल्ला के घर के पीछे से लेकर श्रीमती शान्ति चौबे के घर के पीछे होते हुए लगभग 200 मी0 पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
विधान सभा क्षेत्र सरोजनीगनर, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ-कानपुर मार्ग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनीनगर, लखनऊ (किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के अधीन संचालित) को संयुक्त कर ट्रामा सेण्टर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
सरकार द्वारा प्रदेशवासियों से किये गये वादे के मुताबिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करौंदी, तहसील-नौगावां सादात में नालियों एवं मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद कन्नौज के छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरुसहायगंज में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	123-124
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में रेलवे क्रासिंग सिधौली, धनेटा व भिटौरा पर उपरिगामी पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	124
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत कोन्सर-रतनापुर मार्ग से बंजरिया होते हुये अम्बाबा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	124
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर साईडीह गांव के पास पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के अचलगंज मवइया माफी में विद्युत पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम सुमौर में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली नगर पंचायत में एन0एच0आई0 द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125-126
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में टेढ़ी नदी (कुटिला नदी) के अस्तित्व को बचाने के लिये सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओल में कतिपय विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में कतिपय ग्रामों में महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के अन्तर्गत हथौड़ा से त्योना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में आछीडीह-सरया अवशेष तटबन्ध और रेगुलेटर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में नगर पालिका बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण एवं डिपो बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में नालों की सफाई एवं पक्काकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	129-130
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में ग्राम बुढाखेड़ा से गांगनौली शुगर मिल होते हुए सधान सेर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	130
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में दियोरिया कलाँ में उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद बहराइच के सदर विधान सभा क्षेत्र में कटी चौराहे से तजखोदायी सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमापुर के सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में अलीगढ़-गोण्डा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में ग्राम कैरातीपुरवा में बहराईपुरवा बार्डर से ओझापुरवा होते हुए रामस्वरूप के बंगला होते हुए बेलागढ़ी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के ग्राम पंचायत फेलसण्डा में बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र जेवर में कतिपय ग्रामों के लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के परसा तिवारी, घारीघाट, अल्लीपुर के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	134
जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सण्डवा चण्डिका में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत छाता-शेरगढ़-नौहझील मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत माण्डा में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136-137

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत ग्राम सराय निर्भय में मॉडल स्कूल के निर्माण में हो रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत आनन्दनगर में खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में पुनर्विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम खेड़की से बैकुंठपुर वाली बरसाती नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	138-139
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत धनुपुर के ग्राम सभा खुर्रमशाहपुर (पोखरा) से प्रधानमंत्री सड़क तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत जैनापुर चौराहा, भग्गल चौधरी के आवास से सिकन्दरपुर नलकूप तक सड़क निर्माण कराये के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139-140
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम धनपारा के निकट टेढ़ी नाले पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद झांसी की बेतवा मुख्य नहर की हमीरपुर शाखा पर चितुआं गाँव के पास बने पुराने एवं सकरे पुल के स्थान पर नया चौड़ा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत कतिपय कार्मिकों को ए0सी0पी0 एवं डी0पी0सी0 का लाभ समयबद्ध ढंग से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलरामपुर के मदरसा अहले सुन्नत-नुरुल उलूम अतीकिया महारागंज में फर्जी नियुक्ति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर बहेड़ी ब्रह्मनान गांव में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम-औसेरीखेड़ा, मजरे-आशापुर में पाण्डु नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	143
नगर पालिका परिषद्, रायबरेली के अन्तर्गत तुलसीनगर प्रगतिपुरम् नहरिया फेस-2 श्रीमती मीरा शुक्ला एवं नन्हे के आवास तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143-144
जनपद कानपुर नगर में कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अराजी में पक्के मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144
मे0 ओफिडियन बायोनिक्स प्रा0 लि0 कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	144-145
प्रदेश में वृद्धा पेंशन एवं विकलांग पेंशन वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	145-146
जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत नगर पंचायत सरीला में कार्यरत अधिशाषी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	146
जनपद प्रतापगढ़ में चकबन्दी अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप पुनः चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	146-147
उ0प्र0 के महाविद्यालयों में संचालित बी0एड0 विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	147
उ0प्र0 में बिजली विभाग द्वारा की जा रही टेण्डर प्रक्रिया की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147-148

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद के विकास खण्ड सरकोनी में पम्प कैनाल के मरम्मत कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सोनबरसा में 100 बेड के अस्पताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148-149
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	149
जनपद बांदा की सदर तहसील में भू-माफिया एवं सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भूमि क्रय-विक्रय में की गयी अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	149-150
जनपद वाराणसी के नवीन मण्डी क्षेत्र में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	150-151
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत टड़ियांव कोपागंज में 100 बेड के अस्पताल में डाक्टर एवं स्टाफ नर्स की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151
जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेवा (डुमरियागंज) के अधीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	152
जनपद चित्रकूट के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भैसौंधा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा में अवैध बालू खनन की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152-153
कैंसर के बीमार व्यक्तियों के इलाज के सम्बन्ध में आसानी से पुनः धनराशि मिलने हेतु नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	153
जनपद बस्ती में न्यायालय के आदेश का पालन न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	153-154

विषय	पृष्ठ-संख्या
हमीरपुर-राठ से मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हो रही नहरों की सफाई मानक के अनुरूप नहीं होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154-155
जनपद कानपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मोतीनगर व ओमपुरवा में पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	155
जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में जहांगीरपुर बिजली घर के पास एक विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155-156
प्रदेश के कतिपय जनपदों में होने वाली पिपरमिण्ट की खेती की कीमत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	156
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत अहरौरी ब्लाक में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	157
जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज के अन्तर्गत हो रही माइनरों की सिल्ट सफाई मानक अनुरूप न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	157
जनपद बिजनौर के चांदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धनौरा मार्ग से रामपुर नजराना तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	157-158
यू0पी0 को-आपरेटिव फेडरेशन में कार्यरत नरेन्द्र सिंह उप महाप्रबन्धक की अनियमित नियुक्ति एवं कदाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	158-159
जनपद हरदोई के थाना बघौली के अन्तर्गत ग्राम मढिया तथा पिपोना में पैतृक व भू-लेख अभिलेखों में दर्ज जमीन पर प्रधानमंत्री आवास न बनने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	159
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत दुधली-भनेडा मार्ग से शिव मंदिर होते हुए नसीरपुर तक बने मार्ग को पुनः निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	160

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत मौसमपुर व सैजनी में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	160
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत हरिहरपुर तिराहे से रौतावां सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद बरेली के तहसील सदर के ग्राम नवादा में स्थित जमीन पर मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161-162
जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गल्ला खेड़ी नहर से सतवई मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	162-163
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्टा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद अयोध्या के विद्युत विभाग में अवैध रूप से तैनात कर्मचारियों की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163-164
जनपद मेरठ में प्रकाश हेतु लगी हाईमास्ट लाइट को नगर निगम द्वारा ठीक न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	164
ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की तैनाती राजस्व ग्राम से हटाकर प्रत्येक गांव में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	164
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा में कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	165
जनपद कुशीनगर के रामकोला चीनी मिल में दोषी पाये गये प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	165
जनपद सहारनपुर के ग्राम मेघछप्पर के निकट स्थित बड़ी नहर के पुल को डबल लेन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	166
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के ग्राम सभा दुबेपुर में दिगम्बर नाथ स्वामी परिसर के तालाब को पट्टा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	166-167

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167-168
जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168
नगर पालिका परिषद् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से हरिशंकरपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	168-169
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	169
जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील बिलारी में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169-170
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170-171
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत फैली महामारी हेतु अनुसंधान केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	171
श्रीमती गुड़िया देवी से राजस्व कर्मियों द्वारा की गयी धोखाधड़ी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	171-172
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड रानी की सराय में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	172
जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	172
मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173
ग्राह्य प्रश्नों के उत्तर की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173-174
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड से रेलवे लाइन के मध्य दैनिक मजदूरों के आवास तोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद वाराणसी में श्री हरेन्द्र कुमार को गलत तरीके से मिल रहे जी0पी0एफ0 के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174-175
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र खतौली के अन्तर्गत की गयी टेण्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	175
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	175-176
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में कतिपय ग्रामों में विद्युत कटौती करके अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
जनपद सहारनपुर में इनर रिंग रोड बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176-177
69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को सदन में उठाने का प्रयास ...	177
मा0 मुख्य मंत्री की ओर से सभी सदस्यों के लिए कैण्टीन में भोज की व्यवस्था	177-178
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	178
स्थायी समितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	178-180
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	181
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-I व खण्ड-II, वर्ष 2022-2023 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-2023 (सदन के पटल पर रखे गये)	181
उत्तर प्रदेश की अट्ठारहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 2023 (दिनांक 07-08-2023 से दिनांक 11-08-2023 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	181
याचिकाओं का उपस्थापन	182
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	182

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	183
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	183
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	183
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	183
श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	183
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	183-184
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत))	184
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	184
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	184
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	184
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	184
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	185
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	185
श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	185
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	185

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	185
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	185
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	186
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	186
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	186
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	186
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	186
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	187
श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	187
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	187
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	187
श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	187
श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	188
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	188
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	188

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	188
श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	188
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	188-189
श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	189
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	189
डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	189
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	189
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	189
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	190
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	190
श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	190
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	190
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	190
श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	191
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	191

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	191
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	191
श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	191
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	191-192
श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	192
श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	192
श्री हरीश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	192
श्री मो0 हसन 'रूमी' सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	192
श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	192-193
इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	193
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	193
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	193
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	193
श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	193-194
श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	194

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	194
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	194
श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	194
श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	194
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	195
श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	195
श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	195
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	196
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196
श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	196
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	196
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196

विषय	पृष्ठ-संख्या
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
डॉ0 संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	197
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	197-198
श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्रीमती गुड़िया कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	198
श्री सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्री मो0 ताहिर खाँ, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ पश्चिम से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	199
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	199
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	199
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	199

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	199
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	200
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	201
श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	201
श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	201
श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	202
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	202
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	202

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	202
श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	202
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	202-203
श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)...	203
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (जारी)	203-212
विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	212-214
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण	214-215
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (क्रमागत)	215-216
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा... ...	216-281
उत्तराखण्ड स्थित चारधाम-ऑलवेदर रोड परियोजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फँसे श्रमिकों को विभिन्न एजेन्सियों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीम के सदस्यों के प्रति आभार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	281-282
अनुदान संख्या-02 लगायत-03, 05 लगायत-11, 13 लगायत-18, 22, 24, 26, 30 लगायत-31, 33 लगायत-34, 36 लगायत-38, 40, 42, लगायत-44, 46 लगायत-47, 49, 51 लगायत-52, 57 लगायत-58, 60 लगायत-61, 63, 65, 67 लगायत-69, 71 लगायत-73, 75, लगायत-76, 78 लगायत-79, 81 लगायत-86, 89 तथा 91 लगायत-93 (स्वीकृत) ...	282-288
उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित एवं पारित)	288-295
जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	295

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	295
जनपद गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)...	295-296
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमासिन ड्रेन का पुनरुद्धार कराये जाने विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	296
जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) की स्थापना कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	296
जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोही एवं कोरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)...	296
जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभि द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)... ...	297
जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेराजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	297
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान सीमा से लगे करीब 60-70 गांवों के किसानों के लिये सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माइनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	297

विषय	पृष्ठ-संख्या
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड सिकरन्दरपुर करन, तहसील सदर, उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	298
जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम कूकनगर ग्रन्ट में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार वर्मा द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	298
प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	298-299
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी में मण्डौली माइनर एवं जहानपुर गूल का विस्तार एवं चौड़ीकरण राजस्थान सीमा तक कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	299
जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)... ...	299
जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत तहसील बीघापुर (पाटन) में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल के संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (व्यपगत)	299
नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर जारी चर्चा (जारी)... ...	300
जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	300
बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	300-301

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)...	301
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	301
जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)...	301
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी) ...	302
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	302
जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	302
जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	302-303
जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	303

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	303
प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदाकर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हे भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)...	303-304
जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी) ...	304
विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी) ...	304
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथालॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	304-305
जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी) ...	305
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	305
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के असकरनपुर, मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	305

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	306
विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम अन्दावा की मड़ैया को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	306
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुए सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी) ...	306
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0, मोरना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 कराये जाने एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी) ...	307
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण विषयक श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)...	307
जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी) ...	307
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (जारी)	308
नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ...	308
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी) ...	308

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना के तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	308-309
विधान सभा क्षेत्र बिलारी मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी) ...	309
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	309
जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री रामरतन कुशवाहा सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)...	309
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	309-317
जनपद मुरादाबाद में ग्राम शीलपुर में पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य	317-318
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में 132 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	318-320
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के विकास कार्यों के शिलापटों में भेद-भाव के आधार पर जनप्रतिनिधियों के नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य...	321-322
आर्य कन्या इण्टर कालेज, जनपद-झांसी की भूमि को कूटरचित तरीके से हड़पने तथा उक्त विद्यालय के चारो तरफ दुकानों का निर्माण कर धन उगाही के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य ...	322-324

विषय	पृष्ठ-संख्या
क्षेत्रीय विकास निधि के कार्यों में जनपद के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को लम्बित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	324-327
विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के पालिका क्षेत्र में कच्चे नाले का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 मंजू शिवाच द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	327-328
विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर (लखनऊ) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरसण्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय हेतु भूमि हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	328-329
सदन के सुचारु रूप से संचालन हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं अन्य के प्रति आभार	329-330
सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	330
राष्ट्रगान	331
नत्थियाँ	332-354

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठाहरवीं विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

सोमवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2023

उपस्थित सदस्य-350

1.	अंकित भारती, श्री	गाजीपुर
2.	अंकुर तिवारी, श्री	सन्तकबीरनगर
3.	अखिलेश यादव, श्री	मैनपुरी
4.	अजय, श्री	गोण्डा
5.	अजय कुमार, डॉ0	बागपत
6.	अजय सिंह, श्री	बस्ती
7.	अजीत पाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
8.	अजीत सिंह पाल, श्री	कानपुर देहात
9.	अताउर रहमान, श्री	बरेली
10.	अतुल गर्ग, श्री	गाजियाबाद
11.	अतुल प्रधान, श्री	मेरठ
12.	अनिल प्रधान, श्री	चित्रकूट
13.	अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री	संतकबीरनगर
14.	अनिल कुमार मौर्य, डॉ0	सोनभद्र
15.	अनिल कुमार सिंह, श्री	उन्नाव
16.	अनिल राजभर, श्री	वाराणसी
17.	अनुपमा जायसवाल, श्रीमती	बहराइच
18.	अनुराग सिंह, श्री	मिर्जापुर
19.	अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती	हाथरस
20.	अभय सिंह, श्री	अयोध्या
21.	अभिजीत सिंह ''साँगा'', श्री	कानपुर नगर
22.	अमन गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
23.	अमरेश कुमार, श्री	लखनऊ
24.	अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
25.	अमित सिंह चौहान, डा0	अयोध्या
26.	अमिताभ बाजपेई, श्री	कानपुर नगर
27.	अरमान खान, श्री	लखनऊ
28.	अरुण कुमार, डॉ0	बरेली
29.	अर्चना पाण्डेय, श्रीमती	कन्नौज
30.	अलका सिंह, श्रीमती	हरदोई
31.	अवधेश प्रसाद, श्री	अयोध्या
32.	अवधेश सिंह, डॉ0	वाराणसी
33.	अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री	चित्रकूट
34.	अशोक कुमार, श्री	रायबरेली
35.	असीम अरुण, श्री	कन्नौज
36.	असीम कुमार, श्री	कुशीनगर
37.	आकाश सक्सैना (हनी) श्री	रामपुर
38.	आदित्यनाथ योगी, श्री	गोरखपुर
39.	आनन्द कुमार यादव, श्री	बहराइच
40.	आर0 के0 पटेल, डॉ0	जौनपुर
41.	आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती	प्रतापगढ़
42.	आलमबदी, श्री	आजमगढ़
43.	आशा मौर्य, श्रीमती	सीतापुर
44.	आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री	हरदोई
45.	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
46.	आशुतोष शुक्ल, श्री	उन्नाव
47.	आशु मलिक, श्री	सहारनपुर
48.	इकबाल महमूद, श्री	सम्भल
49.	इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
50.	उमर अली खान, श्री	सहारनपुर
51.	ऊषा मौर्या, श्रीमती	फतेहपुर
52.	ऋषि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
53.	एम0पी0 आर्य, डॉ0	बरेली
54.	ओमकुमार, श्री	बिजनौर

55. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
56. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
57. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
58. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
59. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
60. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
61. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
62. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
63. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. कैलाश, श्री चंदौली
66. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
67. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
68. गणेश चन्द्र, श्री संतकबीरनगर
69. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
70. गुलाब देबी, श्रीमती सम्भल
71. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
72. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
73. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
74. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
75. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
76. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
77. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
78. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
79. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
80. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
81. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
82. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
83. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
85. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
86. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
87. जाहीद, श्री भदोही
88. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
89. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
90. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
91. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
92. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
93. जैकिशन साहू, श्री गाजीपुर
94. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
95. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
96. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
97. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
98. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
99. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
100. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
101. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
102. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
103. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
104. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री देवरिया
105. दुधराम, श्री बस्ती
106. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
107. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
108. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
109. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
110. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
111. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
112. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
113. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
114. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
115. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
116. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
117. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
118. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
119. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
120. नाहिद हसन, श्री शामली
121. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
122. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर

123. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
124. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
125. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
126. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
127. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरपुर
128. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
129. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
130. पंचानन्द पाठक (पी0एन0पाठक), श्री कुशीनगर
131. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
132. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
133. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
134. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
135. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
136. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
137. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
138. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
139. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
140. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
141. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
142. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
143. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
144. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
145. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
146. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
147. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
148. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चंदौली
149. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
150. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
151. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
152. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
153. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
154. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
155. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
156. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
157. बाबूराम, श्री पीलीभीत
158. बाबूलाल, श्री आगरा
159. बावन सिंह, श्री गोण्डा
160. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
161. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
162. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
163. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
164. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
165. बेदी, श्री गाजीपुर
166. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
167. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
168. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
169. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
170. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
171. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
172. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
173. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
174. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
175. मनीष रावत, श्री सीतापुर
176. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
177. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
178. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
179. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
180. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
181. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
182. महबूब अली, श्री अमरोहा
183. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
184. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
185. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
186. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
187. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
188. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
189. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
190. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
191. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद

192. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
193. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
194. मेघश्याम, श्री मथुरा
195. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
196. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
197. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
198. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
199. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
200. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
201. योगेश धामा, श्री बागपत
202. योगेश वर्मा, श्री खीरी
203. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
204. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
206. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
207. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
208. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
209. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
210. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
211. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
212. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
213. रवि शर्मा, श्री झांसी
214. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
215. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
216. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
217. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
218. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेटी
219. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
220. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
221. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
222. रागिनी,डॉ0 जौनपुर
223. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
224. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
225. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
226. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
227. राजमणि, श्री प्रयागराज
228. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
229. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदांयू
230. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
231. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
232. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
233. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
234. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
235. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
236. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
237. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
238. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
239. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
240. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
241. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
242. रामकेश निषाद, श्री बांदा
243. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
244. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
245. रामदुलार, श्री सोनभद्र
246. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
247. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
248. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
249. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
250. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
251. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
252. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
253. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
254. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
255. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
256. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
257. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद

258. रेखा वर्मा, श्रीमती — औरैया
259. लकी यादव, श्री — जौनपुर
260. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
261. लक्ष्मी राज सिंह, श्री — बुलन्दशहर
262. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
263. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — खीरी
264. विजमा यादव, श्रीमती — प्रयागराज
265. विजयपाल (आढ़ती), श्री — हापुड
266. विनय कुमार द्विवेदी, श्री — गोण्डा
267. विनय प्रकाश गोंड, श्री — कुशीनगर
268. विनय वर्मा, श्री — सिद्धार्थनगर
269. विनोद सरोज, श्री — प्रतापगढ़
270. विनोद कुमार बिन्द, डॉ — मिर्जापुर
271. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
272. विनोद शंकर अवस्थी, श्री — खीरी
273. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
274. विपिन कुमार डेविड, श्री — एटा
275. विपिन सिंह, श्री — गोरखपुर
276. विपुल दुबे, श्री — भदोही
277. विमलेश पासवान, डॉ0 — गोरखपुर
278. विवेक कुमार वर्मा, श्री — पीलीभीत
279. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री — कुशीनगर
280. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
281. वीर विक्रम सिंह, श्री — शाहजहांपुर
282. वीरेन्द्र चौधरी, श्री — महराजगंज
283. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 — गाजीपुर
284. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री — एटा
285. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री — अयोध्या
286. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री — देवरिया
287. शशांक त्रिवेदी, श्री — सीतापुर
288. शशांक वर्मा, श्री — खीरी
289. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
290. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
291. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
292. श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
293. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 — बरेली
294. श्यामधनी राही, श्री — सिद्धार्थनगर
295. श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
296. श्रीकान्त कटियार, श्री — उन्नाव
297. श्रीकान्त शर्मा, श्री — मथुरा
298. श्रीराम चौहान, श्री — गोरखपुर
299. संग्राम यादव, डॉ0 — आजमगढ़
300. संजय कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
301. संजीव अग्रवाल, श्री — बरेली
302. संजीव कुमार गोंड, श्री — सोनभद्र
303. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
304. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
305. संदीप सिंह, श्री — प्रयागराज
306. सचिन यादव, श्री — फिरोजाबाद
307. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
308. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
309. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
310. सभाकुंवर, श्री — देवरिया
311. समरपाल सिंह, श्री — अमरोहा
312. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 — गोरखपुर
313. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
314. सरोज कुरील, श्रीमती — कानपुर नगर
315. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
316. सर्वेश सिंह, श्री — फिरोजाबाद
317. सलोना कुशवाहा, श्रीमती — शाहजहांपुर
318. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
319. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — प्रयागराज
320. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
321. सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
322. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
323. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
324. सुनील पटेल, डॉ0 — वाराणसी
325. सुभाष त्रिपाठी, श्री — बहराइच
326. सुरभी, डॉ0 — फर्रुखाबाद
327. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री — कुशीनगर

328. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री	देवरिया
329. सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर
330. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी
331. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
332. सुरेश राही, श्री	सीतापुर
333. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
334. सुशांत सिंह, कुँवर	बिजनौर
335. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
336. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री	गाजीपुर
337. सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
338. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ
339. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
340. सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी
341. स्वामी ओउमवेश, श्री	बिजनौर
342. हंसु राम, श्री	बलिया
343. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
344. हरिओम, श्री	कासगंज
345. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
346. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
347. हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़
348. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
349. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
350. हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
351. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :-लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), आयुष, खाद्य प्रसाधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालू'), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी), कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रसाद राठौर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने तथा नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री अभय सिंह तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की क्या योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत 2 वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं ? क्या सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या के सापेक्ष रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होने के दृष्टिगत बेरोजगारों की नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

जी हां।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर-उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग-शासनादेश संख्या-434/36-5-2020-8 (29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

मिशन रोजगार-शासनादेश संख्या-1222/छत्तीस-5-2020, दिनांक 03-12-2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व

स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से ''मिशन रोजगार'' अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस-17,76,25,426 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (माह अक्टूबर, 2023) में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-34,99,580 एवं सृजित मानव दिवस-13,53,900 है।

सेवामित्र-कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जन सामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल sewamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति (दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक)-

(क) कुशल कामगार-37,865

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या-806

(ग) सेवामित्र की संख्या-3,956

रोजगार मेलों का आयोजन-निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत है :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
01	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	3,742	5,74,587
02	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक	2,707	2,93,178
	योग :	**6,449**	**8,67,765**

कॅरियर काउन्सिलिंग-प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है। आयोजित कॅरियर

काउन्सिलिंग कार्यक्रमों एवं उनमें सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या निम्नवत् है-

क्र0-सं0	वर्ष	कॅरियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या	कॅरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागी की संख्या
01	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	12,073	13,29,402
02	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक	5,599	4,68,320
	योग :	**17,672**	

मॉडल कॅरियर सेन्टर-भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों-लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मीरजापुर, लखीमपुर-खीरी, आगरा, सीतापुर, बिजनौर, बस्ती, गोण्डा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बरेली, हरदोई एवं बहराइच में मॉडल कॅरियर सेन्टर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन केन्द्रों द्वारा वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदेश के 15 अन्य जनपदों में मॉडल कॅरियर सेन्टर खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश के 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों द्वारा सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे प्रश्न पर समय दिया जिसमें मैंने मा0 मंत्री जी से पूछा था कि क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की क्या योजना है ? मान्यवर, इन्होंने उत्तर बहुत लम्बा दिया, इन्होंने पूरा आउट सोर्सिंग ऑफ मैन पावर, उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार, मिशन रोजगार, सेवा मित्र, सेवा मित्र व्यवस्था की प्रगति, रोजगार मेलों का आयोजन, करियर काउंसलिंग, मॉडल करियर सेण्टर, शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र आदि बताया। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि क्या सरकार बताएगी कि विगत दो वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों को सरकारी नौकरियाँ दी गईं ? उसके उत्तर में आया है कि विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तत्प्रयोजन हेतु गठित चयन भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि सरकारी नौकरी कितनी दी गईं ? मैंने यह स्पष्ट पूछा था लेकिन इसका उत्तर गोलमोल आया है। ये तो मजदूरी को भी रोजगार बता रहे हैं, नौकरी बता रहे हैं। मनरेगा में जो आदमी काम कर रहा है, ये उसको भी नौकरी बता रहे हैं।

आज अगर आप किसी कलेक्ट्रेट में जाएँ तो वहाँ पर सरकारी नौकरी की खाली सीटें पड़ी हैं। जबकि आज स्थिति यह है कि एक-एक ग्राम विकास अधिकारी 10-10 गाँवों का चार्ज लिए हैं, एक-एक लेखपाल 10-10 गाँवों के भू-अभिलेख लिख रहा है। जिन विभागों में जगह खाली है, बैंकों में जाओ वहाँ जगह खाली हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में जहाँ हम पढ़ते थे तो उस समय उस कॉलेज में 124 टीचर थे, आज गाँधी इण्टर कॉलेज, जालौन में केवल 42 टीचर हैं। जब इतने टीचर रिटायर हो गए तो फिर उनकी खाली जगह क्यों नहीं भरी गई ? आप देखिए कि अगर आज टाटा के ट्रक बिक जाएँ तो ये उसको भी रोजगार में जोड़ देते हैं। ई-रिक्शा बिक जाए तो ये उसको भी रोजगार में जोड़ देते हैं। थ्री-व्हीलर बिक जाए तो उसे भी रोजगार में जोड़ देते हैं। ये हर काम को उसमें जोड़ देते हैं। अच्छा आप यह बताइए कि विद्युत विभाग इतना बड़ा विभाग है, लेकिन वहाँ पर भी आज लगभग सारे कर्मचारी संविदा पर हैं। अभी इन्होंने एक नौकरी निकाली है, लेटेस्ट एक नौकरी आई है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं उनमें क्लर्क और चपरासियों की जगह आईं, लोग बड़े खुश हुए, प्रबन्धक लोगों ने सोचा कि चलो अब हम लोग भर्ती कर लेंगे। लेकिन उसमें यह आया कि ये नौकरियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर है और किसी ठेकेदार के द्वारा इसमें लोगों की नौकरियाँ लगेंगी। अध्यक्ष जी, आप बताइए कि मात्र 10 हजार रुपये में किसी व्यक्ति का जीवन-यापन कैसे होगा ? मा0 मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि रोजगार मेले लगे। इस सम्बन्ध में मैंने अपने यहाँ का एक सवाल भी लगाया था, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट जालौन में उसका उत्तर आया है कि वर्ष 2017-18 में सात मेले लगे 366 लोग आए, 2018-19 में छः मेले लगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चतुर्वेदी जी, यह उत्तर तो इन्होंने दिया है, आप उसके उपर अनुपूरक पूछ लीजिए, क्योंकि आप तो इन्हीं का उत्तर पढ़ रहे हैं। यह उत्तर जो मा0 मंत्री जी ने दिया है, यह सभी मा0 सदस्यों के पास उपलब्ध है। यह उत्तर सभी की डिवाइसेस पर उपलब्ध है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मेरे कहने का मतलब है कि क्या अब मजदूरी भी रोजगार होगी ? हमने जो स्पष्ट उत्तर मांगा था, हमको वही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

बात यह है कि आप चार मिनट में भी अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं कर पाए।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

अध्यक्ष जी, कम से कम जब हम यहाँ पर आए तो यह सोचकर आए कि हम सरकार से उत्तर मांगेंगे और आप हमें उत्तर दिलवाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मैंने तो सरकारी नौकरी का विवरण मांगा था लेकिन सरकार ने दिया ही नहीं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे दो अनुपूरक प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न के साथ तीन मा0 सदस्यों के प्रश्न संयुक्त हैं। चूँकि मैं इसमें तीनों को बुलाऊँगा और आप तीनों को नोटकर एक साथ जवाब दें।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मेरा अनुपूरक है कि सरकार यह बताए कि 2022 के सरकार के गठन के बाद अभी तक विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा कुल कितने स्थायी पदों हेतु नौकरियाँ निकाली गईं उसके सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र दिये गए दूसरा उत्तर प्रदेश में विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा निकाली गई नौकरियों के सापेक्ष कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, उनकी संख्या कितनी है क्या बचे हुए अभ्यर्थियों/बेरोजगारों को अपने संकल्प के सापेक्ष एक वर्ष के अन्दर स्थायी नौकरियाँ देने की सरकार घोषणा करेगी। यह मेरे दो अनुपूरक हैं।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे रोजगार से सम्बन्धित प्रश्न पूछने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कई पन्ने का जवाब

मा0 मंत्री जी ने दिया और अभी जब कुछ अनुपूरक प्रश्न हम लोग करने लगते हैं फिर वही पन्ना मा0 मंत्री लोग दोबारा वही चीज पढ़ते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि यह जो परम्परा है वह उचित नहीं है। जैसा कि बाबा कबीर दास जी ने लिखा है कि ''निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए'' हम आपकी निन्दा करने के लिए नहीं हैं। हम आपको सही चीजों से, जो आम जनमानस की आवाज है उससे अवगत कराने के लिए हैं कि आम जनमानस में क्या चर्चा जा रही है, क्या आपके कामकाज हैं। वह जो बोल रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं बहुत सी चीजें हैं हमसे पूर्व मा0 सदस्य श्री विनोद चतुर्वेदी जी ने पूछ लिया लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं जैसे कि बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर ने दलित, कुचले, शोषित वंचित समाज को 22 परसेन्ट आरक्षण देने का काम किया था। बाद में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर समाजवादियों के कहने पर आदरणीय बी0पी0 सिंह जी ने 27 प्रतिशत पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था। नौकरियां लगातार आप ठेके पर देते चले जा रहे हैं और जो ठेके पर नौकरियां आप मैन पॉवर सप्लाई कम्पनी के माध्यम से आप सबको रोजगार देते हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में कितने मैन पॉवर सप्लाई कम्पनी के माध्यम से रोजगार दिया गया है, इसमें दलितों, पिछड़ों का कितना योगदान है कितनी उनको नौकरियां दी गई हैं हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं।

श्री संग्राम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया। पिछले सत्र में भी हम सब मा0 मंत्री जी से जानना चाह रहे थे कि आप कितना रोजगार सृजन कर पा रहे हैं, कितने बेरोजगारों को नौकरी दे पा रहे हैं सरकारी और गैर-सरकारी दोनों में। मंत्री जी बराबर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं कि हमने आउट सोर्सिंग के द्वारा दी, हमने रोजगार मेले लगा दिए और ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो गई हो। मान्यवर, आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपकी राजधानी में सुबह-सुबह अखबार पलटिए तो पढ़ने में नहीं अच्छा नहीं लगता कि हमारी बहन और बेटियाँ इस कड़ाके की ठंड में मंत्रियों के यहां, नेताओं के यहां धरना दे रही हैं। लगातार उनकी भर्तियों को गोल-मोल तरीके से न्यायालयों का सहारा ले कर या विभाग की रुचि न होने के कारण उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, नारी वंदन हो रहा है और दूसरी तरफ नारियाँ चिल्ला रहीं हैं। जिनके पेट में बच्चे पल रहे हैं उनके साथ भी उत्तर प्रदेश की जालिम पुलिस ने बर्बर अत्याचार किए आज ईको गार्डन में, आप समीक्षा करा लें। यह कहते हैं कि हमने आउट सोर्सिंग से भर्ती की हैं, जब आउट सोर्सिंग वाले कर्मचारी को आप कर्मचारी का दर्जा ही नहीं

देते हो, जो पहले 100 नम्बर था उसे आपने 112 बनाया है, आज हमारी वो बहनें दीपावली नहीं मना पाईं। यदि उनकी पीड़ा सरकार सुन लेती तो उसका क्या नुकसान हो जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी को आप मानते हैं, एक जन के कहने से अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा से उन्होंने गुजार दिया था। क्या आज उन लाखों नारियों का क्रन्दन आपको दिखाई नहीं देता। संसदीय कार्य मंत्री जी मुस्करा रहे हैं कि यह तो भाषण दे रहा है। भाषण न दूं तो क्या करूं आप ही से सीखा था। अध्यक्ष जी से सीखा था कि पहले भूमिका बनाओ तो भूमिका में यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम मेरी पी0एच0डी0 है, एक महिला के कहने मात्र से अग्नि परीक्षा से गुजार दिये, यही हमें सिखाया गया। आज लाखों बहनें, बेटियाँ सड़कों पर धरना दे रहीं हैं, आंदोलन कर रही हैं और आप उनको पुलिस से पिटवा रहे हैं। क्या कारण है कि सफाईकर्मियों की भर्ती आप पंचायती राज विभाग में नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा विभाग मान्यवर, पंचायती राज है। आज पंचायती राज में सबकी नियुक्ति हो रही है। जनरल लोग भी हैं, ओ0बी0सी0 हैं, एस0सी0 हैं, एस0टी0 है, आज उसको आप मृतक संवर्ग की तरफ भेज रहे हैं। क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश की इस बहुमत की सरकार को ? एक लेखपाल के जिम्मे आप 20-20 गाँव दे रहे हैं, जोन बना रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि जहां इतनी बड़ी बेरोजगारी है और एक साहब बोलेंगे कि पहले भ्रष्टाचार था, अरे तो सी0बी0आई0 जाँच करायी गयी, परिणाम क्या आया ? आज भी है। तो यह सरकार रोजगार देने के प्रति गम्भीर नहीं है। पुलिस की भर्ती चार साल से नहीं हो पायी है।

श्री अध्यक्ष-

सब आप ही बता देंगे ? यह आप अपनी मर्जी से तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री संग्राम सिंह-

मान्यवर, कहना चाहूंगा कि 4 साल से शिक्षक भर्ती भी नहीं निकल पायी है। दूसरी तरफ उनहत्तर हजार में आपने जो आरक्षण का महाघोटाला किया है, आज उनकी हालत क्या है ? कम से कम संदीप सिंह जी और सब लोग बैठकर निर्णय तो ले लेते। उन बहन-बेटियों को कड़ाके की ठण्ड में घर भेज देते। तो आप बेरोजगारों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार को ऐसे बोलते हैं कि जैसे उस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। एम्स किसने बनाया, लोहिया किसने बनाया ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप इस विषय पर कहिए चूंकि जवाब भी आना है, 10-12 मिनट इसी में व्यय हो गये हैं। मैं 15 मिनट से ज्यादा एक प्रश्न को किसी भी हालत में नहीं दे सकता हूँ।

5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते लेकिन यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसीलिए मैंनें 15 मिनट दिये हैं।

श्री संग्राम सिंह-

मान्यवर, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इस सरकार ने विगत 2 सालों में कितनी वैकेंसीज निकाली और उन वैकेन्सीज में कितने लोगों को आपने सरकारी और स्थायी नौकरी दी ? आप क्यों नहीं समीक्षा करते हैं कि आज 4-6-8 महीने से आप उन आउटसोर्सिंग के लोगों को समय से वेतन नहीं दे रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी।

श्री संग्राम सिंह-

मान्यवर, और मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें बाबा साहब के द्वारा दिये संवैधानिक अधिकार ....

श्री अध्यक्ष-

चलिए इनका माइक बंद कर दीजिए, उनका चालू कर दीजिए।

श्री संग्राम सिंह-

जो दलितों और पिछड़ों का है, क्या उसमें आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी, आरक्षण देगी ?

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस गम्भीरता के साथ अनुपूरक के माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है तो उत्तर को भी उतनी ही गम्भीरता से सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

आप जो पूछा गया है, उसको बताइये।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, आपने आउटसोर्सिंग के औचित्य पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया है, अगली बार अगर उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो उसका भी उत्तर हम देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि भगवान श्रीराम के कर्मों से कुछ साथी सीख रहे हैं, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ, नहीं तो उनके कैसे-कैसे प्रश्न खड़े किये जाते हैं, वह भी हम लोगों ने देखा है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, जो पूछा गया है, उसका उत्तर दीजिए।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार से इन लोगों की बात हमने सुनी है, विस्तार से उत्तर भी देंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, जो स्पेसिफिक प्रश्न है, उसका स्पेसिफिक उत्तर दीजिए। एक प्रश्न के लिए सारा समय निर्धारित नहीं हो सकता है।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर रोजगार मेला इतना अप्रासंगिक है तो आपकी सरकारों ने यह रोजगार मेला क्यों लगाया ? क्या यह बेरोजगारों को गुमराह करने के लिए नहीं था ?

(कुछ सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्लीज, आप लोग उत्तर सुनिए।

श्री अनिल राजभर-

जो रोजगार मेलों के माध्यम से सरकार रोजगार दे रही है तो वह आपको स्वीकार नहीं है, तो आपने अपनी सरकार में रोजगार मेला क्यों लगवाया ? उसके पीछे क्या कारण था ? अभी आप लगातार कह रहे हैं कि पिछड़ों को कितना दिया, दलितों को कितना दिया, जनजाति को कितना रोजगार से जोड़ा। कल से मैं इस तरह का विलाप सदन में सुन रहा हूँ। अभी जब शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना जो सरकार ने की है, उसके पीछे का मकसद और उद्देश्य यही है कि हमारे जो अनुसूचित जाति के बेरोजगार साथी हैं, हमारे जो जनजाति के बेरोजगार साथी हैं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के बेरोजगार साथी हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए यह व्यवस्था सरकार लेकर आयी है, हम जिसे शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र कहते हैं। माननीय चतुर्वेदी जी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं व विद्वान सदस्य भी हैं। इसलिए जो हमने उत्तर भेजा है, उसके पीछे कारण हैं। जब भी सदन आता है तो आप सब लोग इस प्रश्न को खड़ा करते हैं इसलिए जो उत्तर मैं विस्तार से भेज रहा हूँ, उसको जरा ठीक से देखने की आवश्यकता है, उसका अध्ययन करने की भी आवश्यकता है।

अब आपने जो कहा है हम उस पर आना चाहते हैं। आप रोजगार मेलों को नजर अन्दाज कर रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को हमने रोजगार से जोड़ा है, आप उसको नहीं मान रहे हैं। उसको छोड़ दीजिये हमने आउटसोर्सिंग की बात कही, आप उसके औचित्य पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जब अगली बार आप प्रश्न लगायेंगे तब हम उसका बड़े विस्तार से उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने कामगार और श्रमिक बेरोजगारों के सर्वांगीण विकास के लिए सेवायोजन एवं रोजगार के सृजन के लिए आयोग का गठन किया है, उसके औचित्य पर भी आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। दूसरा हम मिशन रोजगार चला रहे हैं, तो वह बात आपको सुननी नहीं है। तीसरा जो हमारे कुशल कामगार हैं, जो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वे यह चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं, सरकार वहीं हमको रोजगार की व्यवस्था कराये। ऐसे कुशल कामगारों के लिए हमने स्थानीय स्तर पर सेवामित्र पोर्टल डेवलप किया है और पोर्टल के माध्यम से उनको जोड़कर उन्हें रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं। उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हमारे जो योग्य बेरोजगार नौजवान हैं आज दुनिया के अन्दर उनकी किस तरह से डिमाण्ड बढ़ रही है, कितनी माँग बढ़ रही है, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक रास्ता बनाया है कि प्रदेश में जो हमारा बेरोजगार नौजवान है अगर वह यहां रोजगार से जुड़ना चाहता है, तो सरकार यहां रोजगार से जोड़ने के लिए तैयार है और अगर दुनिया के दूसरे कोने में भी वह रोजगार करने जाना चाहता है, तो हम उसके लिए भी रास्ता खोज रहे हैं और दुनिया में उनको रोजगार से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। मान्यवर, हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग आपको सुनना नहीं है। मान्यवर, भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का मैं बहुत स्वागत और अभिनन्दन करना चाहता हूं। मॉडल कैरियर सेन्टर आज प्रदेश के 20 जनपदों में भारत की सरकार ने खोला है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसका अनुसरण करते हुए उस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, मेरा आपसे और जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि डिबेट नहीं हो रही है। एक प्रश्न के लिये मैं 20 मिनट का समय किसी को भी नहीं दे सकता। यह सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। यहां 20 प्रश्न होते हैं।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज श्रम विभाग के कई सवाल लगे हुए हैं और उनका उद्देश्य केवल यही है कि बेरोजगारों को किसी प्रकार से रोजगार मिले आप की भावना अच्छी है, तीनों सदस्यों ने जो प्रश्न किया है। मान्यवर, कोई भी सरकार हो, सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। आपकी भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। हमारे माननीय संग्राम सिंह जी ने खास तौर से महिलाओं के ऊपर इशारा किया है। हम एक ही आंकड़ा देना चाहते थे। मैं सोचता था कि जब डॉ0 रागिनी जी का सवाल आयेगा तो उनके सवाल के जवाब में हम बतायेंगे क्योंकि वह बहुत पढ़ती लिखती हैं, पढ़ते तो और भी लोग हैं, लेकिन वह ज्यादा पढ़ती हैं। मान्यवर, 20,000 महिलाओं को आज केवल पुलिस में रेगुलर सरकारी नौकरी दी गई है। मान्यवर, सरकार की मंशा बेरोजगारों को रोजगार देने की है मना करने की नहीं है। आपने उसकी बहुत बड़ी भूमिका बतायी कि महिलाएं सवेरे से ठंड में सिकुड़ती हैं। अरे अब उनके लिये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आ गया है। जो महिला शुरू से कैरियर बनाने के लिये आयेगी वह राजनीति में ज्यादा सफल होगी, ऐसे लोग राजनीति में ज्यादा सफल होते हैं, जिनका शुरू से डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने का लक्ष्य होता है। अगर राजनीतिक लक्ष्य बना लेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। आप लोग उनके दरवाजे पूरी तरीके से बन्द कर देना चाहते हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

लागू कब होगा ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

लागू होने की तिथि बता दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लागू होने की एक प्रक्रिया है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप लोग सुन लीजिए। मान्यवर, हमारी सरकार ने एक योजना बी0सी0 सखी चलाई। बी0सी0 सखी योजना में हम आज 58 हजार बी0सी0 सखी को रोजगार दे रहे हैं, जिसमें हर एक महीने में एक किमी0 के अन्तराल में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा के लिए ये जो हमारा मिशन है, खास तौर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप चालू हुए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यस से उनको तमाम तरीके की सुविधाएँ दी जा रही हैं। हम नाबार्ड के माध्यम से उनको कम ब्याज पर लोन

भी दिला रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है, उनको खास तौर से प्रोत्साहित करवा रहे हैं। 58 हजार बी0सी0 सखी को रखना है, जिसमें से लगभग 50 हजार का चयन हो चुका है। 6 महीने तक उनको घर बैठे 4 हजार रुपये मानदेय देंगे और अगर उनका बिजनेस बेहतर होगा यानी ट्रांजेक्शन बेहतर होगा, वह अपनी मशीन के माध्यम से जमा करेंगी और निकालेंगी तो उनको कमीशन मिलेगा और 6 महीने तक उनको 4 हजार रुपये महीने का मानदेय देंगे। मान्यवर, ये शो करता है कि हमारी नीयत और मंशा क्या है। हमारी नीयत और मंशा उन लोगों को रोजगार युक्त बनाने की है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत से अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं और हर महिला को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, ग्रामीण क्षेत्र में उसमें लगभग 6 लाख महिलायें हैं और शहरी क्षेत्र में 4 लाख महिलायें आज की तारीख में हैं, उनको किसी न किसी रूप में 3 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक मानदेय के रूप में पारिश्रमिक मिलता है, हर तरह से सरकार कोशिश कर रही है। रोजगार मेले की फिक्र आपने कई बार किया, हम भी कर सकते हैं। मान्यवर, हमने 6449 रोजगार मेले 31 अक्टूबर, 2023 तक लगाये और उसके माध्यम से 8 लाख 67 हजार 7 सौ 65 लोगों को अभी तक रोजगार दिया गया। जबसे योगी सरकार आई है 5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए, यह रेलिवेंट बोल रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सरकार की मंशा केवल यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका भी नाम इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज में दर्ज रहता है। इसलिये मेरा यह कहना है कि सरकार की नीयत और मंशा को समझें और हर तरीके से सरकार चाहती है कि उनको आत्मनिर्भर बनायें। हर तरह से उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

एक क्वेश्चन पर 25 मिनट हो गये हैं। अब पूरी बात आ गई है, पूरा जवाब आ गया है। सरकारी नौकरियों का भी आ गया, मेलों का भी आ गया, महिलाओं का भी आ गया, सब आ गया है।

डॉ0 संग्राम यादव-

यह सरकार रोजगार के प्रति गम्भीर नहीं है, इसके विरोध में हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के डॉ0 संग्राम यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों को सेवायोजित किये जाने एवं बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक

***2-श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है ? क्या सरकार शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के पोर्टल deawyojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है। सेवायोजन पोर्टल पर 19 अक्टूबर, 2023 तक पंजीकृत जॉब सीकर्स की संख्या-35,39,918 एवं पंजीकृत सत्यापित नियोजकों की संख्या-13,509 है। सेवायोजन विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से शासकीय विभागों एवं अधीनस्थ संस्थाओं हेतु जेम (Gem) के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा एवं निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। चयन होने के उपरान्त भी पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक

प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है जहां नियोजकों द्वारा अपने रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
01	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	3,742	5,74,587
02	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2023 तक	2,566	2,74,086
	योग :	**6,328**	**8,48,673**

सेवायोजन विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-2, श्री महेन्द्र नाथ यादव हाथ उठायें, अगर पूछना चाहते हैं या वॉकआउट कर रहे हैं। पूरी पार्टी वाकआउट कर रही है तो बताइये। ये भी वॉकआउट कर गये। चलिए, श्री महेन्द्र नाथ यादव भी वॉकआउट कर गये।

प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

***3-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

तीसरा प्रश्न श्री स्वामी ओउ्मवेश जी आपका है, आप वॉकआउट कर रहे हैं ? आपकी पार्टी के लोग ही आपके साथ नहीं हैं। श्री स्वामी ओउ्मवेश जी आप पूछिये। कल स्वामी ओउ्मवेश जी ने तारीफ की है, तो आज मौका मिलना चाहिए।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे ऐसे प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, जो माननीय सदन के समस्त सदस्यों के दिलों को छूता है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा फिर एक निवेदन है कि मैं 25 मिनट एक क्वेश्चन पर नहीं दूंगा। आप स्पेसिफिक पूछिये और मंत्री जी से निवेदन है कि प्रश्न का उत्तर दें। आप भूमिका एक-आध मिनट में बनायेंगे, 20 मिनट भूमिका नहीं बनायेंगे।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

ठीक है मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने पर विचार करेगी। मा0 परिवहन मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि 60 वर्ष की आयु से अधिक महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का मामला विचाराधीन है। क्या 60 वर्ष से कम आयु की महिलायें-महिलायें नहीं हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो शेष बहनें हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है क्या वह महिलायें नहीं हैं, यह उनका अपमान नहीं है। माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली होती है। अगर माता जयवंताबाई न होती तो महाराणा प्रताप का निर्माण न होता। अगर जीजाबाई न होतीं तो शिवाजी का निर्माण न होता।

श्री अध्यक्ष-

उस समय बस नहीं थी, आज बस है उसके ऊपर पूछिये।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, भूमिका तो बनानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

बसों में महिलाओं को सुविधा दी जायेगी कि नहीं दी जायेगी, यह पूछिये।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, अगर आपकी माता आपका निर्माण न करतीं तो अध्यक्ष का निर्माण न होता। माता कौशल्या न होतीं तो राम का निर्माण न होता। देवकी और यशोदा न होतीं तो कृष्ण का निर्माण न होता।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अनुपूरक पूछिये।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, वेद कहता है मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन कितने आश्चर्य की बात है, मनुष्य को मनुष्य बनने की बात कहता है, आदमी उसको कहते हैं। जो रात को मोटर चोरी करते हैं, उसको मनुष्य नहीं कहते हैं, जो रिश्वत खाते हैं उनको आदमी कहते हैं, मनुष्य नहीं कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र है, 'मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद।' माता-पिता और आचार्य तीन गुरु हैं, जो संसार को बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी जी अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे अगला प्रश्न लेना पड़ेगा।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या परिवहन मंत्री जी सम्पूर्ण मातृ शक्ति का सम्मान करते हुये सभी आयु की महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कराने की घोषणा करेंगे। मेरे महबूब नेता अखिलेश यादव ने करोड़ों महिलाओं का सम्मान किया है, पूजा की है।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी जी आप बहुत तेजी से बदलते हो कल बोल रहे थे, मेरे नेता योगी जी और आज बोल रहे हो मेरे नेता अखिलेश यादव जी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, एक मंत्र आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वाश करते हैं। मेरे महबूब नेता अखिलेश यादव ने वूमेन पावर चला करके नारी की पूजा करने का काम किया है। यह मेरे प्रश्न हैं इनका उत्तर दे दीजिये।

श्री दयाशंकर सिंह-

मान्यवर, वर्ष 2022 के विधान सभा के चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संकल्प-पत्र में कहा था कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा

करायेंगे । अनुपूरक बजट में इसके लिए वित्त से हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, बहुत जल्द ही 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा प्रारम्भ करायेंगे।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, 60 वर्ष से कम आयु की महिलायें महिला नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

महिला हैं, लेकिन उनको छूट नहीं है।

प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिये जाने विषयक

***4-श्री अनिल प्रधान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद ई-श्रम पोर्टल पर प्रदेश में लगभग 8 करोड़ 30 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि इन मजदूरों को पंजीकरण कराए 2 वर्ष हो गये हैं, किन्तु उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रदेश में कोई भी योजना संचालित नहीं की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि श्रम पोर्टल में पंजीकृत उक्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

उ0प्र0 शासनादेश संख्या-24/2021/100सी0एस0/36-3-2021-71 (सा0)/ 2021 के द्वारा कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दृष्टिगत ''भरण-पोषण भत्ता'' योजना संचालित की गई जिसके अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को रुपये 01 हजार, पाँच सौ एवं पाँच सौ की तीन किस्तों का वितरण कामगारों को आधार बेस्ड भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया गया।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ ई-श्रम पोर्टल माड्यूल आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत दिनांक 26-08-2021 से 31-03-2022 तक भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को उक्त अवधि में दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में 02 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में रुपया 01 लाख की आर्थिक मदद दिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार लाभान्वित होंगे।

उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा दो योजनाएं-1-मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा योजना, 2-मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना प्रस्तावित की गयी है। उक्त योजना को अधिसूचित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ ई-श्रम पोर्टल माड्यूल आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत दिनांक 26-08-2021 से 31-03-2022 तक भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को उक्त अवधि के दौरान दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में 02 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में रुपया 01 लाख की आर्थिक मदद दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार लाभान्वित होंगे।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से धन्यवाद एवं आभार, उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपका आशीर्वाद एवं संरक्षण मुझे मिलेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय श्रम मंत्री जी जिन्होंने समाजवादी विचारधारा से जुड़कर समाजसेवा/राजनीतिक क्षेत्र में शुरुआत की, उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो श्रमिक वर्ग है उसके उत्थान के लिए क्या विकल्प एवं प्रयास आपके द्वारा किये जा रहे हैं ? कहने को तो भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उनके शिक्षा, मातृत्व, शिशु बालिका मदद, कन्या पुत्री विवाह व मृत्यु दिव्यांगता जैसी तमाम योजनाएं संचालित हैं, किन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्रकूट एवं पूरे जिले में सारी योजनाएं भ्रष्टचारी अधिकारियों की भेंट चढ़ गई हैं। मेरे द्वारा बार-बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी विगत लगभग दो वर्षों में श्रमिकों को कोई हित लाभ नहीं दिया जा रहा है। चित्रकूट जिला जो आकांक्षी जनपद है, उसमें एक वर्ष बीत जाने के बाद भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई, एक अधिकारी हैं वह मानिकपुर में तैनात हैं वह भी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को पहुंचाने की बजाय सभी आवेदन निरस्त करने में रुचि रखते हैं और वह 15 दिन मुख्यालय कानपुर में रहते हैं एवं 15 दिन केवल जिले में रहते हैं, इसके बावजूद जनपद के बहुत सारे पंजीकृत श्रमिक श्रम विभाग के चक्कर काटते रहते हैं। जिससे न केवल उनका कार्य छूटता है अपितु धन का भी नुकसान उठाना पड़ता है।

आप जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, मेरे द्वारा पूर्व एल0ई0ओ0 (श्रम प्रवर्तन अधिकारी) 2022-23 में कई बार शिकायत शासन स्तर पर की गई, तीन बार जाँच में दोषी पाये गये, जाँच में यह पाया गया कि इनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है, उसके बाद भी

केवल उन्हें जिले से हटा दिया गया, आज-कल वह कमिश्नर कार्यालय, कानपुर में तैनात हैं, परन्तु उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। चित्रकूट में तैनात सहायक श्रमायुक्त (ए0एल0सी0) द्वारा जुलाई, 2023 में लगभग 700 स्वीकृत पत्रावलियों को बिना भुगतान किये पुनः जाँच के लिए भेज दिया गया और कहा गया कि सही से जाँच नहीं की गई है। वर्तमान एल0ई0ओ0 द्वारा लगभग 5000 पत्रावलियां पेंडिंग पायी गयीं जिस पर मेरे द्वारा जिलाधिकारी, चित्रकूट से शिकायत करने पर सी0डी0ओ0, चित्रकूट द्वारा की गई, जाँच में ए0एल0सी0 एवं एल0ई0ओ0 को भारी दोषी पाया गया और जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को ए0एल0सी0 एवं एल0ई0ओ0 के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव, श्रम विभाग को पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में 5000 फाइलों में लगभग 150 को स्वीकृत किया गया, बाकी सारी फाइलों को निरस्त कर दिया गया और कारण बताया गया कि कागज नहीं लगे हैं या स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं इत्यादि।

मान्यवर, पहला अनुपूरक है कि क्या 2022 से लेकर अब तक जो भी पत्रावलियां जनपद चित्रकूट में ए0एल0सी0 और एल0ई0ओ0 द्वारा अस्वीकृत की गई हैं उनकी जाँच एक आई0ए0एस0 अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करके करायेंगे ? और जिन अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी, चित्रकूट एवं शासन ने पत्र लिखा है क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ? मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 60 जिलों में सहायक श्रमायुक्त (ए0एल0सी0) के पद हैं, 15 जिलों जैसे महोबा, हमीरपुर, जालौन, सन्तकबीरनगर, चन्दौली, औरैया, कन्नौज, हाथरस, पीलीभीत, मैनपुर, एटा, अमरोहा, कौशाम्बी, महराजगंज, बलिया आदि में श्रमिकों के हितलाभ के लिए ए0एल0सी0 के पद नहीं हैं। इन जिलों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या इन जिलों में भी ए0एल0सी0 का पद सृजित कर ए0एल0सी0 की नियुक्ति की जायेगी ? श्रम विभाग में अपर/उप श्रमायुक्त के मात्र 20 कार्यालय हैं, जबकि 30 कार्यालयों की आवश्यकता है, जो बड़े जिले हैं जैसे लखनऊ, नोएडा, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद हैं, इन क्षेत्रों में उप श्रमायुक्त कार्यालय नहीं हैं क्या उन जगहों पर भी अपर श्रमायुक्त कार्यालय बनाने पर सरकार विचार करेगी।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, जो अनुपूरक मा0 सदस्य ने किया है, वह मूल प्रश्न से एकदम अलग है।

श्री अध्यक्ष-

जानकारी हो तो जवाब दें।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, आपने जो शिकायतें कही हैं उन्हें आप लिख करके हमें दें, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे। दूसरा जो आपने अधिकारियों की कमी के बारे में बात कही है उसे हम व्यवस्थित तरीके से देख रहे हैं। हमारे लिए सारे जनपद बराबर महत्वपूर्ण हैं। जहां कार्यालय नहीं हैं वहां कार्यालय बनाने की प्रक्रिया हम चला रहे हैं, वहां जल्दी कार्यालय खुलेंगे। जहां अधिकारी नहीं हैं वहां ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है वहां भी अतिरिक्त प्रभार देकर काम कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अनिल जी, चित्रकूट के विषय में आप लिख करके दे दें, मा0 मंत्री जी आपको जानकारी दे देंगे। मा0 मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनके लिखने पर आप चित्रकूट से सम्बन्धित जानकारी मा0 सदस्य को उपलब्ध करा दें।

प्रदेश में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि रोके जाने विषयक

***5-श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री अखिलेश-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तु में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हाँ।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा की जाती है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। 22 आवश्यक वस्तुयें निम्नवत् हैं :-

चावल, गेहूँ, आटा, चना दाल, तूर दाल/अरहर दाल, उड़द दाल, मूँग दाल, मसूर दाल, मूँगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति का तेल, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, पॉम तेल, आलू, प्याज, टमाटर, चीनी गुड़, दूध, खुली चायपत्ती, नमक।

मूल्य में वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम व स्वभाविक कारणों से होती है। कृत्रिम कारणों से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाती है। मूल्यों में वृद्धि कृत्रिम कारणों से हुई है या जमाखोरी से हो रही है, तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट आदि आरोपित करती है।

स्वभाविक कारण यथा एम0एस0पी0 में वृद्धि, त्योहारों में माँग एवं आपूर्ति में अन्तर मौसमी कारण जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल प्रभावित होने पर घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे माँग के अनुरूप आपूर्ति घट जाती है, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05-11-2021 से महंगाई को नियंत्रित किये जाने हेतु डीजल तथा पेट्रोल पर वैट घटाया गया है। पेट्रोल पर पूर्व प्रचलित 26.80 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 19.36 प्रतिशत वैट लागू है। इसी प्रकार डीजल पर पूर्व प्रचलित 17.48 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 17.08 प्रतिशत वैट लागू है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के अनुसार ही सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कम्पनी के माध्यम से मूल्य निर्धारण किया गया। अतः उक्त विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु अद्यतन भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0-2423 (अ), दिनांक 02-06-2023 के माध्यम से तूर व उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट लागू की गयी थी, वृद्धि के दृष्टिगत अधिसूचना संख्या-का0आ0-4221 (अ), दिनांक 25-09-2023 द्वारा आंशिक संशोधन के साथ दिनांक 31-12-2023 तक की अवधि के लिये प्रभावी किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार शासन द्वारा प्रदेश के स्टाकिस्ट, मिलर, इम्पोर्टर, डीलरों से भारत सरकार के पोर्टल पर दाल स्टॉक की घोषणा साप्ताहिक रूप से करायी जा रही है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

अधिसूचना संख्या-का0आ0 2566(अ), दिनांक 12-06-2023 के माध्यम से गेहूँ पर स्टॉक लिमिट लागू की गयी थी, जिसे मूल्य वृद्धि के दृष्टिगत अधिसूचना संख्या-का0आ0 4074(अ), दिनांक 14-09-2023 द्वारा आंशिक संशोधन के साथ दिनांक 31-03-2024 तक की अवधि के लिये प्रभावी किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के ट्रेडर्स/होलसेलर, रिटेलर, बिगचेन रिटेलर, प्रोसेसर से भारत सरकार के पोर्टल पर गेहूं स्टॉक की घोषणा साप्ताहिक रूप से करायी जा रही है।

चीनी के मूल्य वृद्धि के दृष्टिगत भारत सरकार के पत्र संख्या 5-4/(2020) एस0सी0, दिनांक 21-09-2023 के क्रम में चीनी के व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन व स्टॉक की घोषणा करायी जा रही है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण प्रदेश भर में 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या-688/29-7-2023 दिनांक 31-10-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दो निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया हैं। प्रथम चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को माह नवम्बर-दिसम्बर,2023 में पहला निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जा रहा है। द्वितीय चरण में माह जनवरी, 2024 से माह मार्च, 2024 में दूसरा निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा रु0 2312 करोड़ का व्यय-भार वहन किया जा रहा है। उक्त योजना का शुभारम्भ दिनांक 10-11-2023 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बेतहाशा महंगाई हो रही है और मूल्य वृद्धि के कारण से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के कारण से लोग आत्महत्याएं करने को मजबूर हो रहे हैं और बहुत से परिवार महंगाई के कारण टूट गए है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में महंगाई का विषय इतना गम्भीर है लेकिन जो उत्तर आया है, इसमें प्रदेश सरकार कह रही है कि यह हमारी वजह से नहीं है, यह सारा अधिकार केन्द्र सरकार को है, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण केन्द्र सरकार को है। जब केन्द्र सरकार कोई अच्छा काम करती है तो प्रदेश सरकार यह कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, अब जब महंगाई की बात आती है तो कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई मतलब नहीं है। इसको मैं पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि मूल्य वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम स्वभाविक कारणों से होती है, वृद्धि के नियंत्रण में केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार बाजार भाव का नियमित रूप से समीक्षा करती है। इसमें राज्य सरकार समीक्षा करती है, यह कहीं नहीं लिखा है कि नहीं करती है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

बात यह है कि इस प्रदेश सरकार के अन्दर इतनी गम्भीर बात है कि महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है और बहुत से परिवार टूट रहे हैं, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि महंगाई पर अंकुश लगे। मान्यवर, जी0एस0टी0 लगा दिया गया है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर के उपर टैक्स लगा दिया गया हो और जी0एस0टी0 के लगाने के कारण से महंगाई बढ़ने की बात हो रही है। अब जवाब आया है कि यह 22 चीजें ऐसी हैं जो गरीब के उपयोग की हैं, क्या इसमें पनीर नहीं है,

दही नहीं होगा, लौकी और तुरई जो लोग सब्जी खाते हैं क्या वह नहीं होगी, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो दैनिक उपयोग की हैं और उन उपयोग की वस्तुओं में जी0एस0टी0 लगाने के कारण से जो वृद्धि हुई है, उससे महंगाई बढ़ी है और जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक बार माल भाड़ा बढ़ता है और डीजल के दाम बढ़ते हैं और माल भाड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद माल भाड़ा कम नहीं होता है। ये जो सब्जियां आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पूछ लीजिए आपको 3 मिनट हो गये हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अब इसमें जो महंगाई बढ़ने का कारण है, वह एम0एस0पी0 में वृद्धि और त्योहारों में मांग। मान्यवर, त्योहारों के अलावा भी मूल्य वृद्धि होती है और यह कोई उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका प्रश्न क्या है ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, हमारा प्रश्न यह है कि क्या सरकार जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उसमें जो जी0एस0टी0 लगाया गया है, आटा, दाल, चावल में इसमें जी0एस0टी0 खत्म करने का काम करेगी ? मान्यवर, दूसरा सवाल यह है कि जो कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, इस प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में जमाखोरी हो रही है। जब जमाखोरी हो रही है, तो कितने जमाखोरों को पकड़ने का काम सरकार ने किया है और उसमें क्या मुकदमें लगाने का काम किया है। महंगाई को रोकने के लिए केन्द्र सरकार पर आप कह रहे हैं, आप अपना बताईये कि प्रदेश सरकार की क्या जिम्मेदारी है ? और कैसे मूल्य वृद्धि कम होने की बात होगी, कैसे महंगाई पर अंकुश लगाने का काम होगा और जब तक मान्यवर, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी कम नहीं होगी, यह जो आत्महत्याएं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका कोई प्रश्न है या नहीं ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, प्रश्न यह है कि लोग मरते हैं भूख से, लेकिन उसकी रिपोर्ट आती है कि इसकी मौत हार्ट फेल से हो गयी। जब आदमी कई दिन भूखा रहता है तो उसके कई अंग फेल हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उत्तर सुन लीजिए और बैठ जाइये।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, जैसा जवाब से स्पष्ट है कि 22 चीजें ऐसी है जो दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं, इन 22 चीजों में जो भाव है वर्तमान में आपने जो बात कही है, मैं उनके जवाब में अन्य प्रदेशों के बारे में भी बता दे रहा हूँ। चावल उत्तर प्रदेश में रु0 39/-, राजस्थान में रु0 45/-, हिमांचल में रु0 42/- व पश्चिम बंगाल में रु0 48/- प्रति किलो है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, अन्य प्रदेशों में क्या रेट है, हमने यह नहीं पूछा है ?

श्री अध्यक्ष-

जवाब आने के बाद बोलिएगा।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मेहरोत्रा जी, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। गेहूँ उत्तर प्रदेश में रु0 29/-, राजस्थान में रु0 33/- व दिल्ली में रु0 30/- प्रति किलो है। चना दाल उत्तर प्रदेश में रु0 85/-, दिल्ली में रु0 88/-, हिमांचल में रु0 88/- व पश्चिम बंगाल में रु0 90/- प्रति किलो है। अरहर दाल उत्तर प्रदेश में रु0 168/-, राजस्थान में रु0 180/-, दिल्ली में रु0 170/-, हिमांचल में रु0 175/- व पश्चिम बंगाल में रु0 189/- प्रति किलो है। मूँग दाल उत्तर प्रदेश में रु0 119/- व हिमांचल में रु0 127/-, प्रति किलो है। सरसों का तेल उत्तर प्रदेश में रु0 141/-, दिल्ली में रु0 146/- व हिमांचल में रु0 166/- प्रति किलो है। वनस्पति उत्तर प्रदेश में रु0 115/-, दिल्ली में रु0 126/-, हिमांचल में रु0 139/- व पश्चिम बंगाल में रु0 120/- प्रति किलो है। इसी तरह सूरजमुखी का तेल उत्तर प्रदेश में रु0 130/-, राजस्थान में रु0 132/-, दिल्ली में रु0 139/- व पश्चिम बंगाल में रु0 122/- प्रति किलो है। मान्यवर, प्याज उत्तर प्रदेश में रु0 53/-, राजस्थान में रु0 55/-, दिल्ली में रु0 60/-, हिमांचल में रु0 67/- व पश्चिम बंगाल में रु0 70/- प्रति किलो है। टमाटर उत्तर प्रदेश में रु0 53/-, राजस्थान में रु0 55/-, हिमांचल में रु0 60/- व पश्चिम बंगाल में रु0 60/- प्रति किलो है।

मान्यवर, अभी आपने जो डीजल का जिक्र किया था। मैं इस पर एक दिन पहले भी बता चुका हूँ। डीजल उत्तर प्रदेश में रु0 89.76/-, राजस्थान में रु0 93.72/-, आंध्र प्रदेश में रु0 99.51/- व झारखण्ड में रु0 94.65/- प्रति लीटर है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, सभी 25 का मत गिनाइए।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, डीजल पर टैक्स सबसे कम हमारे यहाँ है। मान्यवर, आप बात कर रहे थे पेट्रोल की, तो मैं पेट्रोल पर भी बता दे रहा हूँ कि आपकी सरकार में पेट्रोल पर वैट 26 प्रतिशत था, हमारी सरकार ने उसको कम करके 19.36 प्रतिशत किया है।

मान्यवर, एक पोर्टल है, जिस पर प्रत्येक जिले से केन्द्र में भाव की रिपोर्ट जाती है। वहाँ केन्द्र जिस चीज की कमी समझता है, तो केन्द्र राज्य सरकारों को उसे कंट्रोल करने के लिए निर्देश देते हैं। 02 जून को यहाँ एक आदेश कंट्रोल करने के लिए आया था, जिस पर गेहूँ और दाल की लिमिट लगायी गयी है। मान्यवर, हमारे यहाँ वर्तमान में जो स्टॉक लिमिट है, वह गेहूँ पर होल सेल लिमिट दो हजार मीट्रिक टन, रिटेलर की 10 मीट्रिक टन है। इसी तरह अरहर और उड़द की दाल पर केन्द्र सरकार के निर्देश है। उन पर 02 जून को पाबंदी लगी। होल सेल में 50 मीट्रिक टन, रिटेलर पर 5 मीट्रिक टन मान्यवर, केन्द्र सरकार जब कमी महसूस करती है, तो राज्यों को निर्देश देती है। हम लोग स्टॉक को चेक कराते हैं। जहाँ कहीं भी स्टॉक में किसी प्रकार की कोई होल्डिंग करने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हैं। इस तरह की अभी तक कोई बात उत्तर प्रदेश में नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या- 6, डॉ0 रागिनी।

(श्री रविदास मेहरोत्रा के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

अब आप बैठ जाइए। पाँच मिनट आपने पूछा और पाँच मिनट मंत्री जी ने जवाब दिया। डॉ0 रागिनी आपका उत्तर तो पहले आ गया है। आपके प्रश्न का उत्तर मा0 खन्ना जी ने पहले ही दे दिया।

(डॉ0 रागिनी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किये हैं वे फर्जी हैं, ये आँकड़े कहाँ से लाये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जो आंकड़े उन्होंने पेश किये हैं वे सही हैं। अगर आप उसको फर्जी बता रहे हो, तो जो सही आंकड़े है वह ला करके मुझे दीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आपको अनुमति नहीं है, आप बैठ जाईये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मंत्री जी ने जो विभिन्न राज्यों के आँकड़े दिये हैं वहाँ पर मान लिया कि दाम ज्यादा हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहाँ उससे कम दाम भी है।

श्री अध्यक्ष-

मेहरोत्रा जी, आपकी सीनियरिटी को देखते हुए कोई कड़ा निर्देश देना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब आप बैठ जाईये, न्युसेंस मत करिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, दूसरी बात यह उत्तर नहीं हुआ है कि वहाँ मँहगा है तो इसलिए हम मंहगा कर देंगे। हमारा कहना यह है कि मँहगाई को कम किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। उसके लिए सरकार चिंतित है और देख रही है।

प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए रोजगार की योजना बनाये जाने विषयक

***6-डा0 रागिनी-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए रोजगार की कोई योजना लागू हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग के अधीन प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों के आयोजन किये जाते है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (महिला अभ्यर्थियों सहित) द्वारा प्रतिभाग किया जाता है एवं उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कुल 44,947 महिलाओं को रोजगार हेतु चयनित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, यह प्रश्न प्रदेश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन इस सरकार के लिए इसके कोई मायने नहीं हैं। सरकार महिलाओं को ले करके बहुत ही असंवेदनशील है और मुझे लगता है कि महिलाओं को प्राथमिकता भी नहीं देना चाहती। इस डबल इंजन की सरकार में महिलायें कदम-कदम पर अपने आपको असहाय महसूस कर रही हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आज चाहे वह ग्रामीण अंचल या शहरी क्षेत्र की महिलायें हों वह अपने आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और वह कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सम्मानजनक रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन यह सरकार अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं कर रही है कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी से था कि सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु क्या-क्या योजनायें बनायी गयी हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी महिलायें हैं, जिनका उत्थान हुआ है ? प्रदेश की सारी महिलाओं को यह जवाब सुनकर आक्रोश भी आयेगा, साथ ही साथ खुद पर हँसी भी आयेगी कि उन्होंने किन्हें चुन करके यहाँ पर भेजा है ? क्योंकि जवाब यह है अध्यक्ष जी, मैं जवाब पर आ रही हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जवाब पर नहीं, सवाल पर आईये।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष जी, जो जवाब है उसी से सवाल जुड़ा हुआ है और जवाब यह है कि महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है। विगत 2017 से लेकर 2023 तक की अगर हम बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 44,947 महिलायें हैं जिन्हें चयनित किया गया है। मंत्री जी जो आप आंकड़े दे रहे हैं, उसके हिसाब से प्रत्येक वर्ष सिर्फ 6000 महिलायें हैं जिन्हें चयनित किया गया है। यह बड़ा ही निराशापूर्ण और शर्मनाक स्थिति सरकार के लिए है, अगर यह उत्तर आता है। मैं आपके उत्तरों की तरह गोलमोल न घुमाते हुए आपसे यह उम्मीद करती हूँ कि स्पष्ट तरीके से जो मैं प्रश्न कर रही हूँ उसका उत्तर आये। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि 22 करोड़ की आबादी में आधी जनसंख्या हमारी है, इसके बावजूद भी इन आंकड़ों के साथ उत्तर आ रहे हैं। मैं आपसे यह जवाब चाहती हूँ कि जिन 44,947 महिलाओं को आपके द्वारा रोजगार दिया गया क्या आज भी इन 07 वर्षों में वह इस समय उस रोजगार पर हैं, और अगर हैं तो उनमें से कितनी सरकारी तथा कितनी निजी संस्थानों में कार्यरत हैं ? उनमें से कितनी महिलायें हैं जो

पिछड़े वर्ग से हैं, दलित वर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलायें हैं जो उस पर कार्यरत हैं ?

दूसरा सवाल यह है कि नारी वन्दन विधेयक की बात यह डबल इंजन की सरकार करती है। आज महिलाओं को प्राथमिकता न देने की वजह से हमारा देश, प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज यह डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात होती है तो बातों को गोल-मोल घुमाया जाता है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से यह पूछना चाहूंगी कि क्या यह सरकार महिलाओं को निजी एवं सरकारी संस्थानों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में विचार करेगी ? यदि करेगी, तो कब तक ?

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, महिला सशक्तीकरण के उदाहरण को आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चरितार्थ कर रही है। जो आपने 44,000 के बारे में कहा है, यह 44,000 तो जो सेवायोजन विभाग रोजगार मेले करता है, उसके माध्यम से जो बहनें सेवायोजित की गयी हैं, उनका आंकड़ा है। आपने महिलाओं के उत्थान की बात कही है। एक तो हम सरकारी सेवा में रोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, दूसरा स्वरोजगार में उनकी मदद करके हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनका उत्थान कर सकते हैं और भी दूसरे रास्ते हैं, जैसे आज की तारीख में हम मिशन शक्ति योजना चला रहे हैं। योगी जी की सरकार ने मिशन शक्ति योजना चलायी है और इसने आज देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उस योजना का अनुसरण आज देश के अन्दर हो रहा है। आपने सरकारी नौकरियों की बात कही है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ गृह विभाग में 22,000 से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया गया है। हमारा जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, उसके माध्यम से 2022 से पहले 3,867 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। 2022 से लेकर अब तक 9,681 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। 2017 से लेकर अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में 48,776 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। आज राजनीति से ऊपर उठकर सभी माताओं-बहनों को मोदी जी की सरकार का अभिनन्दन करना चाहिए। इस देश के अन्दर इतने दिन तक लॉलीपॉप दिया जा रहा था। आज आपके आरक्षण की बात को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरा आपने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण में महिलाओं को कहां का स्थान प्राप्त है तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था योगी जी की सरकार ने की है। यह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए इस सरकार ने व्यवस्था की है।

इसका लाभ किसको मिलेगा ? अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने कहा कि हम मुफ्त यात्रा करायेंगे। दूसरा मा0 सदस्या से मैं कहना चाहूंगा कि आप दलित परिवार से हैं और आपके पिताजी हम लोगों के मित्र भी रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि यदि हमारी कोई दलित बहन रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उद्योगपति बनना चाहती है तो सरकार उसकी मदद के लिए भी योजना लेकर आयी है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कितने बड़े पैमाने पर हमारी 8 लाख 37,104 बहनों को हम आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से हमनें 185049 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जो पूछा गया है उसका जवाब दे दीजिये तो आगे बढ़ें।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको स्वावलम्बी बनाने के लिये हमारी सरकार ने 37 जनपदों में 3196 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करके 60,092 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिये। मा0 सदस्य ने दो सुनिश्चित प्रश्न पूछे थे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, मा0 रागिनी जी ही प्रश्न पूछ लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वह प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 रागिनी जी, आपने जो प्रश्न पूछा था, आपको उसका उत्तर मिल गया ?

डा0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे जैसी उम्मीद थी उसी के अनुसार उत्तर आया है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने कहा कि मैं पढ़कर आती हूँ। मा0 मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने समूह सखियों के बारे में तथा सरकार किस तरह काम कर रही है, इसके बारे में बताया। नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अन्तर्गत यह सारी चीजें हो रही हैं यह कांग्रेस सरकार के समय में लागू किया गया। इसमें 75 परसेंट बजट केन्द्र सरकार की तरफ से आता है और रेस्ट ऑफ बजट प्रदेश सरकार की

तरफ से आता है। आपने इसकी बात की और मेरे जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी स्पष्ट नहीं आये। मैं आपसे सिर्फ इसी पर बात करना चाहूँगी कि मिशन के अन्तर्गत यह जो योजना है उसमें जी0ओ0 के अकॉर्डिंग जनपद लेवल पर इसके अन्तर्गत जो अधिकारी काम करते हैं, उनका प्रतिवर्ष 7 परसेंट का इन्क्रीमेंट होना चाहिये। बाकी प्रदेशों जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में यह लागू भी कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ उस विभाग के अधिकारियों के पास न तो कोई लाइफ इन्श्योरेंस है।

श्री अध्यक्ष-

आप अधिकारियों की बात मत करिये, महिलाओं के रोजगार की बात करिये। उस विभाग के सारे अधिकारियों की बात मत करिये।

डा0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके जो अधिकारी हैं वह महिलाओं के लिये काम कर रहे हैं। अगर उन अधिकारियों में से किसी अधिकारी की रोड पर मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको देखने वाला कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सारे विभाग के कर्मचारियों की चिन्ता मत करिये।

डा0 रागिनी-

मान्यवर, अगर सरकार सही में महिलाओं के लिये संवेदनशील है तो इन अधिकारियों को जी0ओ0 के अनुसार उनकी सैलरी में इन्क्रीमेंट मिलना चाहिये । इसके साथ ही साथ अगर आप कहते हैं कि आपने जो डाटा दिया वह सिर्फ और सिर्फ जो आप मेला लगा रहे है उसका डाटा दिया तो उसमें भी आपका जो जवाब है वह किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं हैं और बड़ा ही निराशाजनक है। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा था कि यू0पी0 बी0सी0 सखी योजना हमने लागू की। यह योजना वर्ष 2020 से लागू हुयी है और 22 मई, 2020 को 218.49 करोड़ रुपये भी इस योजना के लिये निर्गत किये गये हैं। आजीविका मिशन वाली योजना पहले से चल रही थी, लेकिन मैंने केवल बी0सी0 सखी योजना कहा। जहाँ तक योगी सरकार का सवाल है, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, जन्म से लेकर शादी तक हर चीज का इंतजाम योगी सरकार ने किया है।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री लालजी वर्मा एवं कई अन्य सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

मा0 वर्मा जी, पहले जवाब आ जाने दीजिये। आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया मा0 मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, तीन लाख रुपये तक जिन परिवारों की आमदनी है उन परिवारों को पैदाइश से लेकर शादी तक का इंतजाम सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं कि परवाह नहीं करते। यह उस परवाह का ही नतीजा है और जो आपने कहा है हम उसको जरुर दिखवायेंगे।

(इस मध्य नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करती रहीं, लेकिन उनका माइक बंद था।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न संख्या-07 लेते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, अगर इतनी प्रबल इच्छाशक्ति है तो सरकार सदन में यह प्रस्ताव कर दे और केन्द्र सरकार यह बता दे कि यह अधिनियम कब लागू होगा।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय मोना जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मेरी बात सुनिये, अगर कोई भी प्रस्ताव आता है। जैसे इस पर बहुत सारे लोग चर्चा करते कि कब लागू होगा। अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पर बिल पास करके यह एक्ट बना दिया कि लागू होगा तो डू यू थिंक कि नेक्स्ट डे से लागू हो जायेगा ? आप कौन सी विद्वता और कौन से आधार पर इस बात को कह सकती हैं कि जब तक उसका सेंसस नहीं होगा, जब तक उसका परिसीमन नहीं होगा तब तक लागू हो जायेगा ? बाकी मा0 सदस्य ऐसी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन आप भी ऐसी बात करेंगी तो आपसे यह उम्मीद नहीं है।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर अवरोध)

भारत सरकार के द्वारा जो एक्ट लागू किया गया है उस पर हम यहां विधान सभा में चर्चा नहीं कर सकते हैं। महिलाओं में भी यह तय होना चाहिये कि मा0 सदस्या मोना जी सबको लीड करेंगी, मोना जी अब आप कृपया करके बैठ जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, हम सभी का यह सवाल है, महिलाओं के लिये इतना तो करा दें, क्योंकि यह इनके घर में भी है और हमारे घर में भी है।

श्री अध्यक्ष-

यदि महिलायें हम सभी के घर में न होती तो हम सब नहीं होते।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, इनसे डरने की जरूरत नहीं है अगर घर वाली भी यहां आ जायेगी तो उससे सदन और सशक्त होगा, कमजोर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सब हम पुरुष अच्छे से जानते हैं।

प्रदेश में कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक एवं मासिक मजदूरी दर की जानकारी तथा उनके कल्याण हेतु कार्य योजना बनाये जाने की जानकारी

***7-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक एवं मासिक मजदूरी दर वर्तमान में कितनी है ? क्या सरकार उक्त दरों को बाजार में प्रचलित दरों के समान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या कार्य योजना बनाई गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में नियोजित अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के श्रमिकों को मूल मजदूरी के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देय है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता प्रत्येक वर्ष में दो बार अप्रैल एवं अक्टूबर में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आगणित कर श्रेणीवार मूल मजदूरी में जोड़कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि शिमला ब्यूरो द्वारा बाजार की महंगाई के आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर श्रमिकों का महंगाई भत्ता आगणित होता है। वस्तुतः श्रमिकों को जो भी मजदूरी मिलती है उसमें मूल मजदूरी के साथ-साथ बाजार

की महंगाई के सापेक्ष देय भत्ता जोड़ा जाता है। वर्तमान में दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं :-

(धनराशि रुपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	मासिक मजदूरी की दर	दैनिक मजदूरी दरें
1	अकुशल	5750.00	4525.00	10275.00	395.00
2	अर्द्धकुशल	6325.00	4978.00	11303.00	435.00
3	कुशल	7085.00	5576.00	12661.00	487.00

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अकुशल हस्त कर्मकारों की राज्यवार मजदूरी की दरें तय की जाती हैं, तद्नुसार मनरेगा के समान कृषि एवं आनुषंगिक नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों हेतु उत्तर प्रदेश में दैनिक न्यूनतम मजदूरी रुपया 230/- व मासिक मजदूरी रुपये 5980/- नियत की गयी है, जिसकी अधिसूचना शासन के पत्र संख्या-02/2023/905/36-3-2023-01(अधि0)/2005, दिनांक 26 मई, 2023 द्वारा निर्गत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रम विभाग द्वारा पूर्व से ही प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनायें संचालित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर सवाल करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा प्रश्न विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दरों की स्थिति जानने वाला था। मा0 मंत्री जी के उपलब्ध जवाब से न केवल सरकारी न्यूनतम मजदूरी की दरों में योजना के अनुसार असमानता सिद्ध होती है बल्कि बाजार में प्रचलित दर से अन्तर की गम्भीरता का भी पता चलता है। न्यूनतम मजदूरी दरों में इस अन्तर से सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत प्रतिनिधि परेशान हैं, क्योंकि उन्हें मनरेगा और ग्राम निधि में अलग-अलग मजदूरी दरों से अव्यवहारिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सरकारी और प्रचलित मजदूरी दरों में यह अन्तर, असमानता गांव के मुकाबले कस्बे, नगर

पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में और भी बढ़ जाती हैं। जिसकी तरफ सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों को तय करते समय लगता है कि अभी तक तबज्जो ही नहीं दी गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार मजदूरी दरों की इस असमानता जनित समस्या से पहले से परिचित तथा इसे दूर करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत है यदि हाँ तो क्या मा0 मंत्री जी मजदूरी दरों की इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गये कुछ प्रयासों से सदन को अवगत करायेंगे ? क्या सरकार ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की उपरोक्तानुसार परेशानी के मद्देनजर मनरेगा की मजदूरी दरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के परिप्रेक्ष्य में 1 अक्टूबर, 2023 से निर्धारित की गयी दरों के बराबर करायेगी ?

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मजदूरी की दर है उसके दो हिस्से है। एक तो वेज बोर्ड तय करता है और जो महंगाई भत्ता है उसका निर्धारण भारत सरकार के श्रम विभाग के एक विंग के द्वारा किया जाता है। आपने बाजार के हिसाब से पूछा है तो यह जो श्रम ब्यूरो शिमला है, यह श्रम विभाग भारत सरकार का एक विंग है जो कि बाजार का पूरा अध्यन करता है और महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है और उसी के आधार पर मजदूरी तय होती है। इसलिए आपने जो पूछा था उसकी डिटेल हमने बता दी है। उत्तर प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता तय नहीं करती है वह भारत सरकार तय करती है और उसी के हिसाब से पूरे देश में लागू किया जाता है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने पूछा है कि क्या सरकार ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की उपरोक्तानुसार परेशानी के मद्देनजर मनरेगा की मजदूरी दरों को न्यून्तम मजदूरी अधिनियम 1948 के परिप्रेक्ष्य में 1 अक्टूबर, 2023 से निर्धारित की गयी दरों के बराबर करायेगी, इसका भी जवाब आ जाय।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, मनरेगा की भी मजदूरी का दर भारत सरकार से ही तय होता है और उसको हम लोग लागू करते हैं, पूरे देश में भारत सरकार की तरफ से ही दरें लागू होती हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा प्रमुख अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पात्रों को आच्छादित करने एवं अपात्रों के राशन कार्ड को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में

***8-श्री पंकज पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 28-08-2023 तक कितने लोगों ने स्वयं को अपात्र बताते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा प्रमुख अन्त्योदय योजना के

अन्तर्गत जारी राशन कार्ड को निरस्त कराया है ? क्या सरकार अपात्र व्यक्तियों को उक्त राशन कार्ड जारी करने वाले दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुये पात्रों को उक्त योजना के राशन कार्ड जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने से दिनांक 28-08-2023 तक अन्त्योदय योजना के कुल 5,971 कार्डधारकों तथा पात्र गृहस्थी योजना के कुल 4,84,335 कार्डधारकों द्वारा अपात्र बताते हुए अपने राशन कार्ड समर्पित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियत्रंण का विनियमन) आदेश-2016 के प्रस्तर-4 (18) व (19) में अनुपयुक्त राशन कार्डों का उन्मूलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाने की व्यवस्था है। तत्क्रम में राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। राशन कार्ड निर्गत किये जाते समय उक्त कार्डधारक राशन कार्ड हेतु पात्र थे, किन्तु आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने के कारण वे अपात्रता की श्रेणी में आ गये थे। उक्त समर्पित राशन कार्डों के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए, नवीन राशन कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री पंकज पटेल का नाम पुकारे जाने पर सदस्य श्री पंकज पटेल उपस्थित नहीं थे)

राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालक के पद पर 10 वर्षों से अधिक सेवा प्रदान करने वाले संविदाकर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में

***9-श्री राम सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालक के पद पर संविदा कर्मी नियुक्त हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तथा उक्त में से कितने परिचालकों ने निरन्तर दस वित्तीय वर्षों से निगम को सेवा प्रदान की है ? क्या सरकार निरन्तर 10 वित्तीय वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले संविदा परिचालकों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

माह सितम्बर, 2023 में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कुल 17838 संविदा परिचालक कार्यरत हैं। 10 वित्तीय वर्षों से निगम को कुल 7359 संविदा परिचालक निरन्तर सेवा प्रदान कर रहे हैं। विनियमितीकरण की कार्यवाही 10 वर्षों से अधिक की अवधि से कार्यरत कार्मिकों के आधार पर नहीं अपितु कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-9/2016/2/1/97/का-2/2016, दिनांक 12-09-2016 द्वारा प्रख्यापित

विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जा रही है। इस नियमावली के अनुसार दिनांक 31-12-2001 तक या इससे पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्तियों के विनियमितीकरण पर अन्यथा अपेक्षित अर्हताएं रखने पर विचार करने की व्यवस्था है। उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा भी उक्तानुसार ही पात्र व्यक्तियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन की अनुमति हेतु संदर्भित किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री राम सिंह-

मान्यवर, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 31-12-2001 के पूर्व के कितने संविदा परिचालकों को नियमित करने की कार्यवाही चल रही है। दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उपरोक्त कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु शासन से अनुमति की बात की है। न तो इसमें संख्या बताई गयी है और न ही कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है। तीसरा मेरा प्रश्न है कि संविदा परिचालकों के मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी या नहीं ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां। माह सितम्बर, 2023 में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कुल 17838 संविदा परिचालक कार्यरत हैं। 10 वित्तीय वर्षों से निगम को कुल 7359 संविदा परिचालक निरन्तर सेवा प्रदान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह उत्तर तो उनके पास चला गया है। जो इन्होंने अनुपूरक पूछा है, उसका उत्तर दें।

श्री दयाशंकर सिंह-

मान्यवर, मात्र 17 परिचालक और 219 चालक शेष बचे हुए हैं। उनकी विनियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

वैरी गुड।

प्रदेश में दशमोत्तर, इण्टरमीडिएट एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अल्प आय वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दशमोत्तर, इण्टरमीडिएट एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अल्प आय वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यातायात (यात्रा) की सुविधा दिये जाने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में आय के आधार पर किराये के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों से आय आधारित विभेद नहीं किया जाता है।

छात्रों हेतु उ0प्र0 परिवहन निगम में विद्यार्थी पास योजना प्रभावी है, जिसमें विद्यार्थियों से 25 सिंगल ट्रिप का किराया चार्ज कर 60 यात्रा तक का (अधिकतम सीमा 60 किमी0 तक) विद्यार्थी मासिक पास निर्गत किया जाता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभारी हूं। मैंने माननीय परिवहन मंत्री जी से पूछा था कि गरीब बच्चों को एस0सी/एस0टी0/ओ0बी0सी0 या सामान्य के बच्चों को जो दशमोत्तर या उससे उच्च व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने जाते हैं। जो गरीब बच्चें हैं। चूंकि आप जानते हैं कि 25 करोड़ की आबादी में 75 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनकी आमदनी 10 हजार से नीचे है। चाहे वे मनरेगा मजदूर के परिवार के लोग हों, रसोइया जिसे आप 2000 रुपये देते हैं, उसके परिवार के लोग हों, आंगनबाड़ी, आशाबहु, सहायिका रोजगार सेवक शिक्षा में हो इन सारे लोगों की आमदनी 10 हजार से नीचे है। परिवार चलाने के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाना भी है। समाज कल्याण मंत्री जी से हमने कल पूछा था कि दलितों को पढ़ाने के लिये व्यावसायिक शिक्षा में बिना शुल्क के अनुमति देंगे तो उन्होंने कहा कि अभी व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, अगर किसी तरह से उनका प्रवेश भी हो जा रहा है तो उनके जाने की व्यवस्था जो है वह बड़ी मुश्किल है। वे जा नहीं सकते। और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि पैसा लगता है। मैं इतना चाह रहा था कि गरीबों के बच्चे, जिनको पढ़ने के लिये बड़ी मुश्किल से प्रवेश हो पा रहा है, क्या परिवहन मंत्री जी ऐसे परिवार के बच्चों को निःशुल्क यात्रा करने पर विचार करेंगे, देंगे ? उसके साथ-साथ एक और प्रश्न है कि नौजवान बेरोजगार विभिन्न जगहों पर प्रतियोगी परीक्षा देने के लिये चाहे पेट, सी टेट, सुपर टेट है इसके लिये वे जाते हैं तो परिवहन निगम में उनको आई0डी0 कार्ड के स्थान पर या प्रवेश-पत्र के स्थान पर परिवहन निगम में उनको मुफ्त यात्रा करने पर विचार करेंगे, देंगे ? मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं, एक प्रश्न थोड़ा हटकर है।

श्री अध्यक्ष-

हटकर कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। आयुष्मान भारत की एक जन आरोग्य योजना है। मैं इसमें यह जानना चाहता हूँ क्योंकि यह व्यवस्था है कि जिस परिवार में 6 लोग

कार्ड धारक होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। एक तरफ सरकार की व्यवस्था है कि हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन की और जिस परिवार में 6 व्यक्ति से कम हैं उनको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलता है। मान्यवर, इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे परिवार जहां 2 लोग हैं या 3 लोग हैं केवल मियां, बीबी हैं उनको भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलना चाहिये। मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ।

श्री दयाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने गरीब छात्रों को निःशुल्क यात्रा के लिये कहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 68 प्रतिशत की छूट सभी छात्रों को प्रदान करती है। अगर कोई छात्र पास बनवाता है तो हम मात्र 32 प्रतिशत रुपये ही लेते हैं। 68 प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं। वह कोई भी छात्र हो हम गरीबी और अमीरी नहीं देखते हैं। छात्र, छात्रायें हैं उसको हम 68 प्रतिशत छूट देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बढ़िया।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं रसद सामग्री को कोटेदार तक पहुँचाये जाने हेतु नामित ट्रान्सपोर्टरों द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में

***11-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य एवं रसद सामग्री को कोटेदार तक पहुँचाये जाने हेतु विभाग द्वारा नामित ट्रान्सपोर्टर्स के द्वारा कोटेदार को प्रत्येक बोरे में 5 किग्रा0 कम अनाज दिये जाने की शिकायतों पर दिनांक 29-08-2023 तक कितने ट्रान्सपोर्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही की गई, कितनों को ब्लैक लिस्ट तथा कितनों पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई तथा कितनों का ठेका निरस्त किया गया है ? क्या सरकार ट्रान्सपोर्टरों द्वार चोरी किये जा रहे खाद्यान पर अंकुश लगाये जाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में खाद्य तथा रसद सामग्री को कोटेदार तक पहुंचाये जाने हेतु विभाग द्वारा नामित ट्रान्सपोर्टर्स के द्वारा कोटेदार को प्रत्येक बोरों में 05 किग्रा0 कम अनाज दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29-08-2023 तक कोई शिकायत किसी सम्भाग में प्राप्त नहीं हुयी है, जिसके कारण विभाग में नामित ट्रान्सपोर्टर्स के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1/2021/मु0स0-34/29-6-2021-85सा0/2017, दिनांक 09-03-2021 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था/योजना लागू की गयी है।

उक्त योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्टरों द्वारा खाद्यान्न का उठान निर्धारित रूट चार्ट के माध्यम से जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से किया जाता है एवं ट्रान्सपोर्टरों द्वारा कोटेदारों को तौल कर खाद्यान्न की प्राप्ति कराये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना का नियमित अनुश्रवण किये जाने हेतु जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना भी की गयी है एवं शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें इस प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अपने प्रश्न संख्या-11 की ओर जिसमें हमने यह जानकारी मांगी थी कि प्रदेश में खाद्य एवं रसद सामग्री को कोटेदार तक पहुंचाये जाने हेतु विभाग द्वारा नामित ट्रान्सपोर्टर के द्वारा कोटेदार को प्रत्येक बोरे में 5 किग्रा0 कम अनाज दिये जाने की शिकायतों पर दिनांक 29-08-2023 तक कितने ट्रान्सपोर्टर के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। कितनों को ब्लैक लिस्ट तथा कितनों पर एफ0आई0आर दर्ज हुई और कितनों पर कार्यवाही की गयी और कितनों का ठेका निरस्त किया गया।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर तो आ गया। अब आप अनुपूरक करें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, प्रदेश के गरीब लोगों को अनाज पहुंचाये जाने का। उत्तर आया है कि दिनांक 29-08-2023 तक न कोई शिकायत किसी सम्भाग से प्राप्त हुई और जिसके कारण विभाग में नामित ट्रांसपोर्टर्स के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। यह उत्तर सरकार का है और विभागीय है। कृपया 29-08-2023 डेट पर ध्यान दे दें। ठीक इसी प्रकरण पर 5 किलो कम देने पर उप जिलाधिकारी सलोन, जनपद अमेठी, एफ0आई0आर0 संख्या-0277 दिनांक 17-07-2023 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 धारा-3, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, धारा-7 पर एफ0आई0आर0 हुई। उप जिलाधिकारी वादी मुकदमा है, जिन्होंने कहा कि 150 कुंटल पकड़ा गया। जिसमें प्रत्येक बोरे में 5 किलो कम पाया गया। एफ0आई0आर0 हम

पीठ के सामने रखेंगे। दूसरा कार्यालय सम्भागी खाद्य नियंत्रक लखनऊ सम्भाग, लखनऊ दिनांक 07-08-2023 पत्रांक संख्या-113 एस0-4-2023 जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को लिखा कि ये कम्पनी जिसको ट्रान्सपोर्टिंग का ठेका दिया गया था। इसने 5 किलो कम अनाज पहुंचाया। इसे ब्लैक लिस्टेड किया जाता है और कभी भविष्य में इसको ठेका नहीं दिया जायेगा। अब सवाल यह है कि सरकार के कौन से शासन के अधिकारी थे जिन्होंने माननीय मंत्री जी को यह उत्तर दिया कि 29-08-2023 तक न कोई मुकदमा लिखा गया और न कोई विभागीय कार्यवाही की गयी न कोई ब्लैक लिस्ट किया गया। यह दोनों आदेश शासन के हैं, एफ0आई0आर0 और शासन ने जो ब्लैक लिस्टेड किया। सवाल यह है कि इस विधान सभा में यदि इस तरह के झूठे उत्तर आयेंगे तो कौन जिम्मेदार है ? यह हाउस है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा है।

श्री अध्यक्ष-

आप कह रहे हैं कि झूठे हैं। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

यह विधान सभा है, न्याय का मन्दिर है। इस पर इतना गैर जिम्मेदाराना उत्तर दे दिया जाये कि न कोई मुकदमा लिखा गया और न कोई विभागीय कार्यवाही की गयी न कोई ब्लैक लिस्ट किया गया। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं यह सवाल केवल हमारा नहीं है सवाल 403 विधायकों का इस सदन का है। इस सदन की गरिमा के खिलाफ यह उत्तर दिया गया। इसे पीठ पर लेकर संज्ञान में लें और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने माननीय मंत्री जी को गलत उत्तर दिया। उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाये। एक मिसाल बने कि कभी दोबारा इस तरह का उत्तर माननीय मंत्री जी को लिखकर न दें। इससे जहां माननीय मंत्री जी की छवि खराब होती है वहीं कहीं न कहीं इस सदन को गुमराह करने का काम किया जाता है। मैंने यही निवेदन किया था कि जिन ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा 5 किलो अनाज कम दिया जा रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोटेदार कहता है कि हम कम बाटेंगे। सरकार कहती है कि हमारी मंशा है कि गरीब तक अनाज पहुंचे। जब हर 50 किलो में 5 किलो कम रहेगा तो गरीब आदमी के पास अनाज पूरा नहीं पहुंच सकता। इस झूठे उत्तर का आप निश्चित रूप से संज्ञान लें और कार्रवाई करायें। इन पेपर्स को मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, दिनांक 17-07-2023 को प्राक्कलन समिति में आपके द्वारा शिकायत की गयी थी यह ऑन रिकार्ड है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा प्राक्कलन समिति में कोई शिकायत नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य मनोज कुमार पाण्डेय क्या आप प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं मैंने याचिका समिति में दिया था।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, अब जो वर्तमान में हमारा नियम है वो यह है कि जब राशन ट्रक में लदकर चलता है। आपने पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो मैं उत्तर दे रहा हूं। एफ0सी0आई0 से हमारा एरिया मैनेजर रिसीव करता है, जो ट्रक ठेकेदार का होता है, उसमें जी0पी0एस0 लगा होता है उसको रूट दिया जाता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह सिर्फ नियम बता रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

जब आपने पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो क्या मैं नियम नहीं बताऊँगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य मनोज कुमार पाण्डेय जी आप पहले मंत्री जी का उत्तर सुनिए।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, ट्रक में जी0पी0एस0 लगा होता है और रूट एलॉट होता है, ऑनलाइन होता है और ठेकेदार जब राशन को कोटेदार को रिसीव कराता है, तो उसका रिकार्ड ऑनलाइन होता है यह हमारी व्यवस्था है इसमें कहीं भी गड़बड़ होने की सम्भावना नहीं होती है। एक पर्टिकुलर घटना बताई थी और इस तरह की तीन शिकायतें हुईं एक शाहजहाँपुर में और एक शिकायत रायबरेली में हुई थी। एक शिकायत जो मनोज कुमार पाण्डेय जी ने कहा वह शिकायत हुई और उसमें दिनांक 17-07-2023 को ट्रक एफ0सी0आई0 के गोदाम से चला जो रूट उसको दिया गया उस रूट की बजाय वह दूसरे रूट पर जाकर एक व्यक्ति के घर में खड़ा हुआ और जैसे ही शिकायत हुई तत्काल छापा डाला गया और मकान मालिक के खिलाफ तथा कम्पनी के खिलाफ और ड्राइवर के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई और उनपर एक्शन हुआ और

कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया गया और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है केस चल रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए केवल आप उत्तर पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उत्तर पढ़ा है मा0 मंत्री जी जो उत्तर में लिखा है वह यह लिखा है कि प्रत्येक बोरों में पांच किलोग्राम कम वजन पर दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29-08-2023 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण विभाग में नामित ट्रांसपोर्टरों के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करी गयी और आपने अनुपूरक में यह बात बताई है कि तीन इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उत्तर में और आपके अनुपूरक में जो मुझे लिखित उत्तर दिया गया है विभागीय अधिकारियों के द्वारा मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का उत्तर जिन्होंने गलत दिया निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आदेश कर दिया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, ठीक है।

***12-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

[04-मंगलवार के तारांकित प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में परिवहन सेक्टर में लागू ई-मोबिलिटी योजना के विषय में जानकारी

***13-श्रीमती पिंकी सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवहन सेक्टर में ई-मोबिलिटी योजना लागू है ? यदि हां, तो लागू ई-मोबिलिटी योजना के मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या सरकार परिवहन सेक्टर में लागू ई-मोबिलिटी योजना में सुधार हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-41/2022/2596/77-6-2022-1(एम)/2022, दिनांक 14-10-2022 द्वारा ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं

गतिशीलता नीति-2022'' का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत ही प्रदेश में परिवहन सेक्टर में ई-मोबिलिटी योजना प्रभावी है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के 'चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोत्साहन' से सम्बन्धित प्रस्तर-3.1 (2), 3.1 (3), 'इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन' से सम्बन्धित प्रस्तर-4.1 (2), 4.1(3), 4.1 (5), 4.3 (वित्तीय प्रोत्साहन), 4.4 (कार्यान्वयन की रूप रेखा), 4.5 (मूलभूत नियम एवं शर्तें) एवं प्रस्तर-6 (पारिस्थितिकीय तंत्र का समर्थन) में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण एवं इनके प्रयोग को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु परिवहन विभाग से सम्बन्धित मुख्य प्राविधान हैं।

जी नहीं।

क्योंकि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022'' प्रख्यापित की गयी है। अतः परिवहन सेक्टर में लागू ई-मोबिलिटी योजना में सुधार हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित करने पर विचार किये जाने का अवसर परिवहन विभाग को अप्राप्त है।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने विषयक

***14-श्री सचिन यादव-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में मनरेगा रोजगार के अन्तर्गत सृजित रोजगार को हटाकर बेरोजगारी की दर क्या है ? क्या सरकार विगत 05 वर्षों में वर्षवार बेरोजगारी दर के आंकड़े (मनरेगा रोजगार को हटाकर) सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में स्नातक अथवा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों की बेरोजगारी दर क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने तथा बेरोजगारी दर कम करने की क्या कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

बेरोजगारी दर के आंकलन का कार्य सेवायोजन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के पोर्टल e-sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर-उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग शानादेश संख्या-434/36–5-2020-8 (29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

मिशन रोजगार-शासनादेश संख्या-1222/छत्तीस-5-2020, दिनांक 03-12-2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से ''मिशन रोजगार'' अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस 17,76,25,426 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (माह अक्टूबर, 2023 तक) में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-23,99,580 एवं सृजित मानव दिवस-13,53,900 है।

सेवामित्र-कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जन-सामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल e.sewawamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति (दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक)-

(क) कुशल कामगार-37,865

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या-806

(ग) सेवामित्र की संख्या-3,956

रोजगार मेलों का आयोजन-निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
01	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	3,742	5,74,587
02	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2023 तक	2,707	2,93,178
योग :		**6,449**	**8,67,765**

करियर काउन्सिलिंग-प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं रोजगारपरक् प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है। आयोजित करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों एवं उनमें सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	करियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या	करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या
1	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	12,073	13,29,402
2	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2023 तक	5,599	4,68,320
	योग	**17,672**	**17,97,722**

मॉडल करियर सेन्टर-भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों-लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मीरजापुर, लखीमपुर-खीरी, आगरा, सीतापुर, बिजनौर, बस्ती, गोण्डा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बरेली, हरदोई, एवं बहराइच में मॉडल करियर सेन्टर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन केन्द्रों द्वारा वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदेश के 15 अन्य जनपदों में मॉडल करियर सेन्टर खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश के 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों द्वारा सामान्य-ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

इंजीनियर सचिन यादव अगर आप सीधा प्रश्न पूछ लेंगे तो उत्तर आ जायेगा।

श्री सचिन यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बेरोजगारी पर था। मैंने सरकार से जवाब मांगा था कि विदआउट मनरेगा वर्कर्स बेरोजगारी दर कितनी है। आपने संक्षेप में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा है तो माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है उस पर मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पाऊँगा और सीधे अनुपूरक पर जाऊँगा। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में आंकड़े दिये हैं और कहा है कि हम विदआउट मनरेगा वर्कर्स अनइम्प्लायमेण्ट रेट पता ही नहीं करते हैं। मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सदन को यह आश्वासन देंगे, क्योंकि आपकी जो योजनाएं हैं वह अनइम्प्लायमेण्ट रेट के ऊपर चल रही हैं। शिक्षित नौजवानों में कितना अनइम्प्लायमेण्ट रेट है वह भी आपको नहीं पता है और विदआउट मनरेगा वर्कर्स कितना अनइम्प्लायमेण्ट रेट है वह भी आपको नहीं पता है। आपकी योजनाओं का प्रॉपर डेटा आपके पास अवलेबल नहीं है, जिससे आपकी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं, तो मेरा अनुपूरक बस यही है कि क्या आप सदन को यह आश्वासन देंगे कि इन सभी योजनाओं की जाँच कराकर पिछले डेढ़ साल में इन सभी योजनाओं में जिलेवाइज कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने लोग अभी तक नौकरी कर रहे हैं उनका डेटा सदन में रखेंगे। मैं अभी तक की बात इसलिये कर रहा हूँ, क्योंकि यह नौकरी के आंकड़े दिखा देते हैं और एक महीने बाद उनको निकाल दिया जाता है जैसे रोजगार मेले इत्यादि में होता है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न डायरेक्ट है कि क्या आप यह आश्वासन देंगे कि आप अपना एक स्पेसिफिक ब्यूरो बनायेंगे

जिसमें एजुकेटेड नौजवानों में कितना अनइम्प्लायमेण्ट है और मनरेगा वर्कर्स को हटाकर कितना अनइम्प्लायमेण्ट है वह सदन में रखेंगे। हमें इन दो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधा हेतु वातानुकूलित बसों के संचालन के सम्बन्ध में

***15-श्री अशरफ अली खान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक्सप्रेस-वे एवं नेशनल हाई-वे श्रेणी के सभी मार्गों पर वातानुकूलित बसों को संचालित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

एक्सप्रेस-वे एवं नेशनल हाई-वे श्रेणी के प्रदेश के सभी मार्गों पर वातानुकूलित बसों को संचालित कराये जाने की वर्तमान में कोई अनिवार्य योजना नहीं है।

यात्रियों की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रदेश के एक्सप्रेस-वे एवं नेशनल हाई-वे की श्रेणी के मार्गों पर परिवहन निगम के बस बेड़े में सम्मलित वातानुकूलित श्रेणी की बसों का भी संचालन कराया जाता है।

प्रदेश में वर्ष 2017 से अगस्त, 2023 तक होमगार्ड विभाग में अभ्यर्थियों को स्थाई नौकरी प्रदान किये जाने विषयक

***16-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या होमगाड्र्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से अगस्त, 2023 तक होमगाड्र्स भर्ती में कितने अभ्यर्थियों को स्थाई नौकरी मिली है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में होमगाड्र्स के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगाड्र्स एवं कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति)-

होमगाड्र्स स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी पद है, जिस पर राज्य कर्मचारियों के नियम व शर्तें लागू नहीं होती हैं। अतः होमगाड्र्स स्वयंसेवक के पद पर स्थायी नौकरी का प्राविधान नहीं है।

होमगाड्र्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 39,452 होमगाड्र्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

नोट :-† नत्थी (क) तारांकित प्रश्न सं0-14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित बस स्टैंडों को अत्याधुनिक बनाये जाने की कार्य योजना की जानकारी

***17-श्री तुफानी सरोज-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे राजकीय सड़क परिवहन निगम के बसों के आवागमन हेतु स्थापित बस स्टैण्डों को अत्याधुनिक बस स्टैण्ड बनाये जाने की कोई योजना सरकार में प्रचलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 50 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

***18-श्री अतुल प्रधान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुनः सर्वे कराकर राशन कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में

***19-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्ड से वंचित लोगों का पुनः सर्वे कराकर राशन कार्ड बनवाने की सरकार कोई नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर-4 (18) एवं (19) में राशन कार्ड से वंचित लोगों का सर्वे कराने तथा अनुपयुक्त राशन कार्डों का उन्मूलन कराए जाने की व्यवस्था प्राविधानित है।

उक्त प्राविधानों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। सत्यापन में उपयुक्त/पात्र पाये जाने पर ही नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं। अतः इस सम्बन्ध में पृथक से नीति बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जनपद में श्रम कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में

***20-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजागार देने हेतु हर जिले मे बेरोजगारों के श्रम कार्ड बनाये गये हैं ? क्या सरकार श्रम कार्डधारकों को रोजगार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

रोजगार मेलों का आयोजन-निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	दि0 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	3,742	5,74,587
2	दि0 01 अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 तक	2,707	2,93,178
	योग :	**6,449**	**8,67,765**

आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर-उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

सेवामित्र-कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जन-सामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल sewamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति (दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक)-

(क) कुशल कामगार- 37,865

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या- 806

(ग) सेवामित्र की संख्या- 3,956

कॅरियर काउन्सिलिंग-प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं रोजगारपरक् प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है। आयोजित करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों एवं उनमें सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या	करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या
1	दि0 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	12,073	13,29,402
2	दि0 01 अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 तक	5,599	4,68,320
	योग :	**17,672**	**17,97,722**

मॉडल कॅरियर सेन्टर-भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों-लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मीरजापुर, लखीमपुर-खीरी, आगरा, सीतापुर, बिजनौर, बस्ती, गोण्डा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बरेली, हरदोई एवं बहराइच में मॉडल करियर सेन्टर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन केन्द्रों द्वारा वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदेश के 15 अन्य जनपदों में मॉडल करियर सेन्टर खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश के 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों द्वारा सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

मिशन रोजगार-शासनादेश संख्या-1222/छत्तीस-5-2020, दिनांक 03-12-2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से ''मिशन रोजगार'' अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस-17,76,25,426 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (माह अक्टूबर, 2023) में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-34,99,580 एवं सृजित मानव दिवस-13,53,900 है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

परिमण्डल आजमगढ़ में भ्रष्टाचार की जाँच सम्बन्धी आई0जी0आर0एस0 शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिमण्डल आजमगढ़ में भ्रष्टाचार की टेक्निकल जाँच विषयक पत्र दिनांक 14-06-23 आई0जी0आर0एस0 सं0-18157230128050, दिनांक 13-07-2023 को प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में अपात्रों द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ लिये जाने के सम्बन्ध में

2-श्री अशरफ अली खान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी अन्त्योदय राशनकार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड का लाभ बहुत अधिक संख्या में अपात्र लोगों द्वारा लिया जा रहा है ? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जाँच/सत्यापन कराकर पात्र लोगों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, शामली के पत्र दिनांक 06-11-2023 के अनुसार थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद में पात्र परिवारों को राशनकार्ड जारी किये गये हैं। समय-समय पर कार्डधारकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने के दृष्टिगत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों का समय-समय पर सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के उपरान्त कस्बा जलालाबाद में माह जनवरी, 2023 में 102 तथा माह जुलाई, 2023 में 43 अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं।

सत्यापन के उपरान्त अपात्रों के कार्ड निरस्त कर पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को संचालित किये जने के सम्बन्ध में

3-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल नैनी, प्रयागराज वर्तमान में बन्द

है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त अस्पताल को जनहित में संचालित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं, जनपद प्रयागराज में विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल नैनी, प्रयागराज वर्तमान समय में क्रियाशील है ।

उपरोक्तानुसार।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से आच्छादित औद्योगिक इकाइयों/प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले बीमित कामगारों एवं उनके पात्र आश्रितजनों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए की गयी है। प्रयागराज में वर्तमान में 1,34,577 बीमांकित कामगार उपलब्ध हैं, जिसके लिए नैनी, प्रयागराज में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय स्थापित है। 100 शैय्या का यह अस्पताल प्रयागराज एवं आस-पास के जनपदों के रिफर किये गये बीमांकित मरीजों एवं उनके आश्रितजनों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराता है। इसे जनहित में खोले जाने का विषय नीतिगत है, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

परिवहन निगम के कार्मिकों को दिनाँक 01-07-2021 से 01-01-2023 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

4-श्री अभय सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विगत 05 वर्षों से लाभ की स्थिति में है ? यदि हाँ, तो निगम कार्मिकों को दिनांक 01-07-2021 से मिलने वाले 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते को दिनांक 01-01-2023 से दिये जाने का क्या कारण है, जबकि निगम निदेशक मण्डल द्वारा शासनादेश के अनुरूप दिनांक 01-07-2021 से ही 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुन्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? क्या सरकार दिनांक 01-07-2021 से दिनांक 01-01-2023 की अवधि का 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

परिवहन निगम विगत 05 वर्षों में 03 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ एवं 02 वित्तीय वर्षों में शुद्ध हानि की स्थिति में है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रु0 करोड़ में)

वर्ष	कुल आय	कुल व्यय	शुद्ध लाभ/हानि
2018-19	4601.38	4561.53	39.85
2019-20	4727.75	4585.05	142.70
2020-21	3922.70	3950.52	-27.82
2021-22	4557.38	4536.17	21.21
2022-23	5026.21	5119.63	-93.42

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (Empowered Committee) द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों को महंगाई भत्ता हेतु देय तिथि निर्धारित करते हुए की गयी संस्तुति अनुसार निगम में महंगाई भत्ता प्रभावी करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाता है।

अधिकृत समिति (Empowered Committee) की बैठक दिनांक 15-03-2023 की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्या-02/2023/ 200/30-2-2023-2 (19)/2007 टीसी, दिनांक 06-04-2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान में दिनांक 01-01-2023 से मूल वेतन का 28 प्रतिशत (11 प्रतिशत वृद्धि) की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश एवं जनपद बिजनौर में दिनांक 10-01-2022 से 31-03-2023 तक आवेदन के सापेक्ष जारी नवीन राशन कार्ड की संख्या एवं लम्बित राशन कार्डों की जानकारी

5-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवीन राशन कार्ड जारी करने में खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही देरी सरकार के संज्ञान में है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 01-01-2022 से 31-03-2023 तक प्रदेश सहित जनपद बिजनौर में राशन कार्ड आवेदन के सापेक्ष दिनांक 30-08-2023 तक कितने नवीन राशन कार्ड जारी हुए तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राशन कार्ड निर्गमन, निरस्तीकरण एवं संशोधन इत्यादि के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया/व्यवस्था के स्थान पर नवीनतम ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया शासनादेश संख्या-3/2021/1651/29-6-2021-109सा/2013, दिनांक-25-09-2021 द्वारा निर्गत है।

उक्त व्यवस्था का अनुपालन करते हुए नियमानुसार राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। तत्क्रम में प्रदेश में समय-समय पर राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये जाने पर रिक्ति के सापेक्ष ही पात्र परिवारों का चयन कर राशन कार्ड जारी किये जाते हैं।

प्रदेश में दिनांक 01-01-2022 से दिनांक 31-03-2023 तक कुल 15,11,490 राशन कार्ड के आवेदन लम्बित थे। उक्त के सापेक्ष दिनांक 30-08-2023 तक 9,95,182 राशन कार्ड जारी किये गये हैं व 1,93,621 आवेदन निरस्त किये गये हैं, तथा 3,22,687 आवेदन लम्बित हैं।

जिलाधिकारी, बिजनौर की आख्या दिनांक 16-11-2023 के अनुसार जनपद बिजनौर में दिनांक 01-01-2022 से दिनांक 31-03-2023 के सापेक्ष दिनांक 30-08-2023 तक 12,148 नवीन राशन कार्ड जारी किये गये हैं तथा 8,840 आवेदन लम्बित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के तहसील मुख्यालय से लखनऊ व दिल्ली के लिये बस सेवा प्रारम्भ करने विषयक

6-श्री मोहन वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के तहसील मुख्यालय से राजधानी लखनऊ व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए वातानुकूलित बस सेवा प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर के जिला मुख्यालय पडरौना के बस स्टेशन से तहसील हाटा के मुख्यालय होते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए वातानुकूलित बसें प्रतिदिन संचालित होती हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए दिनांक 23-11-2023 से प्रतिदिन 01 वातानुकूलित बस का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। हाटा परिवहन निगम का फेयर स्टापेज है, जहां पर उक्त वातानुकूलित बसें रुक कर यात्रियों को उतारती व चढ़ाती हैं।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों द्वारा लाभ लिये जाने के सम्बन्ध में

7-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कतिपय अपात्रों द्वारा लाभ लेने और पात्रों के वंचित होने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में विशेष सत्यापन कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े आपात्रों के स्थान पर पात्रों को समायोजित करना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2023 के मध्य कुल 385 अपात्र पाये गये हैं। तत्क्रम में पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय राशन कार्डधारकों का राशन कार्ड विलोपित करते हुये उनके स्थान पर कुल 231 पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

शासन के पत्र संख्या-2209/29-6-2023-ई-1911/2020, दिनांक 26-10-2023 के क्रम में जनपद मुरादाबाद में प्रचलित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों के सत्यापन के निर्देश निर्गत हैं। सत्यापन के उपरान्त अपात्रों के कार्ड निरस्त कर पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किये जाने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भर्तियों में हो रहे शोषण के दृष्टिगत स्थाई भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में

8-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्विस प्रोवाइडर (कान्ट्रेक्ट बेस) में प्रायः भर्तियों में हो रहे शोषण को देखते हुए इसे समाप्त कर उक्त पदों पर स्थाई भर्ती की योजना तथा पूर्व से तीन वर्षों से कार्य कर चुके कार्मिकों को नियमित करने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल

पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

जनपद बागपत में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निरस्त व जारी राशन कार्डों व छपरौली विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत आवेदनों के सापेक्ष लम्बित राशन कार्डों को जारी कराने के सम्बन्ध में

9-डॉ0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद बागपत में कितने अपात्र राशन कार्ड निरस्त किये गए एवं कितने नये राशन कार्ड जारी किए गए ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या उन लम्बित आवेदन-पत्रों पर राशन कार्ड जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बागपत में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपात्र राशन कार्डधारकों का सत्यापन करते हुए 1083 कार्ड निरस्त किये गये तथा कुल 7039 नये पात्र लाभार्थियों का चयन कर राशन कार्ड जारी किये गये।

जनपद बागपत की छपरौली विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय योजना के कोई आवेदन लम्बित नहीं हैं। वर्तमान में पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत कुल 956 राशन कार्ड के आवेदन लम्बित हैं। लम्बित आवेदनों के सत्यापनोपरान्त पात्रता की स्थिति में रिक्ति के सापेक्ष लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत बिन्दकी बस स्टॉप का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

10-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत बिन्दकी बस स्टाप का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बस स्टेशन के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-8/2023/452/तीस-1-2022, दिनांक 17-03-2023 द्वारा शासकीय अंशपूंजी से रु0 282.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य की टेक्निकल बिड दिनांक 23-10-2023 को प्राप्त की गयी है।

निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य 06 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों के भांति सरकारी सुविधायें तथा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में

11-श्री अनिल प्रधान-

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों की भांति सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने तथा वेतन वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

होमगाड्र्स स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी पद है, जिस पर राज्य कर्मचारियों के नियम व शर्तें लागू नहीं होती हैं। अतः होमगाड्र्स जवानों को पुलिस जवानों की भांति सरकारी सुविधाओं का लाभ तथा वेतन वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय में स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात कर्मचारियों का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री राम सिंह पटेल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ के ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय में स्थानान्तरण

नीति के विपरीत तैनात कर्मचारियों को चिन्हित कर अन्य जनपद में स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

स्थानान्तरण नीति-2023-24 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सम्भागीय शाखा के कार्मिकों का 20 प्रतिशत स्थानान्तरण करते हुए ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय, प्रतापगढ़ में स्थानान्तरण नीति के विपरीत सबसे अधिक समय से तैनात 01 कार्मिक श्री ताराचन्द्र, वरिष्ठ सहायक का स्थानांतरण जनपद फतेहपुर किया गया है। वर्तमान में स्थानान्तरण सत्र समाप्त है तथा जनपद प्रतापगढ़ के ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय में स्थानान्तरण नीति के विपरीत कोई कार्मिक तैनात नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

13-श्री अशरफ अली खान-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में संचालित उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा टिकट में रियायत करने के सम्बन्ध में

14-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा टिकट में रियायत (छूट) का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा टिकट में रियायत (छूट) देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

सम्बन्धित विभाग द्वारा व्यय भार के प्रतिपूर्ति किये जाने के आधार पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रियायती दर पर यात्रा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में व्यय भार के प्रतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा टिकट में रियायत (छूट) दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद से थानाभवन रूट में डग्गामार वाहनों के संचालन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री अशरफ अली खान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद से थानाभवन रूट पर ऑटो, टेम्पो आदि डग्गामार वाहन संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर अवैध रूप से वाहन संचालन को रोकने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद शामली के समस्त मार्गों पर संचालित अवैध वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 के संगत प्राविधानानुसार नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। साथ ही, पुलिस/यातायात विभाग का सहयोग लेकर अनधिकृत वाहनों को रोकने हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है। जनपद शामली में अनधिकृत वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए माह अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक 139 वाहनों का चालान एवं 74 वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया है।

फलस्वरूप जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद से थानाभवन मार्ग पर ऑटो, टेम्पो आदि डग्गामार वाहन संचालित नहीं किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

विकास हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि की जानकारी के सम्बन्ध में

16-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ रुपए की धनराशि विधान सभा क्षेत्रवार कब से तथा कितनी विधान सभा क्षेत्रों को विकास हेतु दिया जा रहा है ? क्या सरकार बताएगी की उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रों का चयन किस आधार पर किया जाता है ? क्या सरकार सभी विधान सभा क्षेत्रों में उक्त योजना को लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत रु0 5.00 करोड़ की धनराशि विधान सभा क्षेत्रवार दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधान सभा क्षेत्रवार रु0 5.00 करोड़ की लागत के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त में विधान सभा क्षेत्रों के चयन की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना पूरे प्रदेश में लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में निर्मित बस अड्डे से बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

17-श्री सर्वेश सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में बस अड्डा बनकर तैयार है ? यदि हां, तो सरकार उक्त बस अड्डे से बसों का संचालन कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

इटावा-आगरा मार्ग पर समस्त बसें सिरसागंज बस अड्डे होकर ही संचालित होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस भरवाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में

18-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस भरवाने हेतु अनुदान दिए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-688/29-7-2023, दिनांक 31-10-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दो निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को माह नवम्बर-दिसम्बर, 2023 में पहला निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जा रहा है। द्वितीय चरण में माह जनवरी, 2024 से माह मार्च, 2024 में दूसरा निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा रु0 2312 करोड़ का

व्यय-भार वहन किया जा रहा है। उक्त योजना का शुभारम्भ दिनांक 10-11-2023 को किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में जिला कारागार निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

19-श्री अशरफ अली खान-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में कारागार निर्माण हेतु भूमि चिन्हित/अधिग्रहीत की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर कारागार निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराकर जिला कारागार का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हाँ।

जनपद शामली में कारागार के निर्माण हेतु 79.81 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है।

जनपद शामली में कारागार के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के क्रय हेतु शासनादेश दिनांक 27-09-2023 द्वारा रु0 50.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अवशेष लगभग रुपया 46.20 करोड़ धनराशि की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त धनराशि से भूमि क्रय किये जाने के उपरान्त कारागार के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शामली में दिनांक 01-09-2023 तक लम्बित राशन कार्ड आवेदनों में जारी किये गये राशन कार्ड की जानकारी

20-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनसंख्या के सापेक्ष निर्धारित कार्ड/यूनिट के अतिरिक्त शेष पात्र गरीब परिवारों को उक्त अधिनियम का लाभ उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में दिनांक 01-09-2023 तक लम्बित आवेदन-पत्रों में से कितने आवेदन-पत्रों पर राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनसंख्या के सापेक्ष प्रदेश में अन्त्योदय श्रेणी के आच्छादन हेतु 4094500 राशन कार्ड/परिवार तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी हेतु ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र की 64.43 प्रतिशत जनसंख्या को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त सीमा के अन्तर्गत ही पात्रता के अनुसार लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र कैराना में दिनांक 01-09-2023 तक लम्बित 3307 आवेदनों में से कुल 1143 परिवारों को पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राशन कार्ड/यूनिट का आच्छादन किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के सहायक सम्भागीय अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि कार्यों में अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक सम्भागीय अधिकारी शामली कार्यालय के अन्तर्गत जनता के विभिन्न कार्यों यथा-मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन, स्थाई लाइसेंस आदि कार्यों में अवैध वसूली तथा डग्गामार वाहनों का अवैध संचालन व ओवरलोडिंग वाहनों के अवैध संचालन से वसूली आदि कार्यों में कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी लिप्त हैं ? क्या सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए उपरोक्त कार्यालय की सतर्कता जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश में जनमानस की सुविधा के लिये परिवहन सम्बन्धी कार्यों के लिये पारदर्शी/ऑनलाइन व्यवस्था प्रचलित है।

परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 04-11-2020 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य डीलर प्वाइंट से किया जा रहा है। इस हेतु परिवहन विभाग के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।

लाइसेन्स आवेदन प्रकिया पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसके अन्तर्गत लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। स्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन पूर्णतः

ऑनलाइन है। टेस्ट देने के लिए कार्यालय तथा जिन जनपदों में टेस्टिंग ट्रैक बने हुए हैं, वहां पर जाना पड़ता है। लाइसेसिंग अधिकारी वाहन चलवाकर टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में पास होने पर स्थायी लाइसेन्स का स्थानीय स्तर पर अप्रूवल दे देते हैं, फिर लखनऊ स्थित मुख्यालय में केन्द्रीकृत रूप से प्रिन्ट होकर डाक से आवेदक के पते पर डिलीवर होता है।

शामली के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमित प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। माह अप्रैल से अक्टूबर तक 728 ओवरलोड वाहनों के चालान, 258 वाहनों को बन्द तथा रु0 271.17 लाख प्रशमन शुल्क जमा कराया गया।

शामली जनपद के परिवहन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी यथावश्यक जाँच करायी जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फर नगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में रोडवेज बस अड्डा के निर्माण के सम्बन्ध में

22-श्री चन्दन चौहान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के कस्बा मीरापुर में रोडवेज बस अड्डा न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार मीरापुर कस्बे में बस अड्डा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

मीरापुर से मेरठ गैर अधिसूचित मार्ग है, जिस पर निजी बसों का बहुतायत में संचालन हो रहा है एवं मुजफ्फरनगर से बिजनौर वाया मीरापुर अधिसूचित मार्ग है, जिसमें परिवहन निगम की मुजफ्फरनगर-बिजनौर-लखनऊ जाने वाली बसें भी जानसठ-मीरापुर बाईपास से होकर ही संचालित होती हैं।

वर्तमान में मीरापुर में बस अड्डा निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में

23-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उपभोक्ता मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में लम्बित वादों की बड़ी संख्या से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु फोरमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, वादों के निस्तारण हेतु समय-सीमा निर्धारण तथा फोरमों का मासिक अथवा वार्षिक वाद निपटारा लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

जी हाँ।

प्रदेश के 75 जिलों में कुल 79 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में माह अक्टूबर, 2023 तक लम्बित वादों की संख्या-97668 है। उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार जिला आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाती है, उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग की प्रक्रिया) विनियम-2020 के अनुक्रम में राज्य उपभोक्ता आयोग के पत्र संख्या-5640/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 45/21, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 द्वारा उ0प्र0 के समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों को अधिक से अधिक मामलों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अप्रैल, 2023 तक उ0प्र0 बेरोजगार भत्ता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में

24-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रैल, 2023 तक उत्तर प्रदेश बेरोजगार भत्ता योजना के तहत पंजीकृत युवकों के सापेक्ष कितने युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आम-जनों को ट्रैक्टर-ट्रालियों पर आवागमन पर रोक लगाये जाने के कारण की जानकारी

25-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आम-जनों को टैक्टर-ट्रालियो पर आवागमन पर रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री दयाशंकर सिंह-

शासनादेश संख्या-3127/तीस-3-2022, दिनांक 20-10-2022 एवं तत्क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-1683 इन्फ/2022-106 इन्फ/2022, दिनांक 31-10-2022 द्वारा प्रदेश में ट्रैक्टर-ट्रालियों पर सवारियां ढोने पर रोक लगायी गयी है, परन्तु किसानों द्वारा कृषि कार्य में संलग्न मजदूरों को ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लाने, ले जाने अथवा कृषि उपज को खेत से घर अथवा मण्डी तक ले जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-2 के उपनियम (ख) में ''कृषि ट्रैक्टर'' तथा उपनियम (ग) में ''कृषि ट्रेलर'' को निम्नवत् परिभाषित किया गया है :-

नियम-2(ख)-''कृषि ट्रैक्टर'' (Agricultural tractor) का अर्थ है यांत्रिक शक्ति से चालित चार पहिया वाहन जो खेतों में बहुत से कार्य करने के लिए उपयुक्त यन्त्रों का उपयोग करने की दृष्टि से बनाया गया हो और/अथवा कृषि पदार्थों का परिवहन करने के लिए एक ट्रेलर से युक्त हो। कृषि ट्रैक्टर एक अपरिवहनीय वाहन है।

नियम-2(ग)-''कृषि ट्रेलर'' (Agricultural trailor) से अभिप्रेत है, सामान्यतः एक धुरी पर बनाया गया खुला ट्रेलर जो एक कृषि ट्रैक्टर के साथ दो हुकों द्वारा जोड़ दिया जाता है और प्रमुखतः कृषि पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का उपरोक्त संगत उद्धरण संलग्न है।[†]

जनपद जौनपुर से वाराणसी वाया मड़ियाहूं तक बस का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

26-श्री जगदीश नारायण-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर से गाजीपुर, जौनपुर से मड़ियाहूं इटाये होते हुये वाराणसी तक बस का संचालन सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, क्यों ?

उपरोक्तानुसार।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-332-333 पर।

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

जौनपुर-केराकत-चन्दवक-सैदपुर-देवकली होते हुए गाजीपुर तक निगम बस सेवा का संचालन दिनांक 17-11-2023 से प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जौनपुर से मड़ियाहूं इटाये होते हुए वाराणसी तक सेवा का संचालन दिनांक 22-11-2023 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित फैमिली बाजार में कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में

27-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा प्रदेश में संचालित डिपो व फैमिली बाजारों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया होने से सरकार परिचित है ? क्या सरकार राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित डिपो एवं फैमिली बाजारों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी हां।

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा 28 डिपोज संचालित किये जा रहे हैं तथा फैमिली बाजारों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

जी नहीं।

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्मिकों के भुगतान का दायित्व निगम का है।

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में आर्थिक संसाधनों का अभाव है। निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के पश्चात् एवं निगम में धन की उपलब्धता के आधार पर कार्मिकों के भुगतान के सम्बन्ध में यथासमय निगम द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राइवेट बस संचालकों द्वारा बसों के अनधिकृत संचालन के सम्बन्ध में

28-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट बस संचालकों द्वारा बसों में निर्धारित सीट से अधिक यात्रियों को बैठाकर एवं ओवर स्पीड गति में वाहनों को चलवाया

जा रहा है जिससे आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं ? क्या सरकार मानक तय करके उस पर रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-112 के अन्तर्गत गति सीमा नियत की गयी है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0-1522 (अ), दिनांक 06 अप्रैल, 2018 में मोटरयानों के वर्ग के सम्बन्ध में अधिकतम गति सीमा नियत की गयी है ।

उपर्युक्त गति सीमा का उल्लंघन करने वाले बस चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही नियमित रूप से की जाती है। Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/स्पीड कैमरा के माध्यम से लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर चालान किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 31-03-2023 तक अनधिकृत संचालन के विरुद्ध की गयी प्रवर्तन कार्यवाही का विवरण :-

कुल चालान वाहनों का योग	कुल बन्द वाहनों का योग	प्राप्त प्रशमन शुल्क (रु0 लाख में)
47696	20429	4981.12

वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 01-04-2023 से दिनांक 31-10-2023 तक अनधिकृत संचालन के विरुद्ध की गयी प्रवर्तन कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

कुल चालान वाहनों का योग	कुल बन्द वाहनों का योग	प्राप्त प्रशमन शुल्क (रु0 लाख में)
51640	18228	5868.86

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में सेवायोजन कार्यालय के पंजीकृत बेरोजागारों को वर्ष 2017 से 26-08-2023 तक सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरियाँ उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

29-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में सेवायोजन कार्यालय के पंजीकृत वर्ष 2017 से 26-08-2023 तक कितने बेरोजगारों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियों का लाभ हुआ है ? कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति

करके उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जनपद जालौन में वित्तीय वर्ष 2017 से 31 अगस्त, 2023 तक आयोजित रोजगार मेलों के द्वारा निजी क्षेत्र में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2017-18	7	366
2	2018-19	6	611
3	2019-20	11	1913
4	2020-21	18	776
5	2021-22	6	2304
6	2022-23	17	2332
7	2023-31 अगस्त, 2023	4	641
	योग :	**69**	**8,943**

विभिन्न विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में मदारीपुर से झांसी वाया नियामतपुर-चूर्खी-उरई तक रोडवेज बसों के संचालन के सम्बन्ध में

30-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के कस्बा मदारीपुर से नियामतपुर-चूर्खी-उरई होते हुये झांसी तक रोडवेज बसों का संचालन सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

दिनांक 22-11-2023 से झांसी डिपो की झांसी-उरई-चुर्खी-नियामतपुर-मदारीपुर-कुठौंद-औरैया के लिये बसों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्रम विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, रोजगार मेले का आयोजन एवं श्रम विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

31-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगार मेलों का आयोजन करने एवं श्रम विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर किसी निश्चित समय अवधि तक नियुक्ति करने की कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर शिक्षण संस्थाओं सहित यथा आवश्यक चयनित स्थानों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है जहां नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक	3,742	5,74,587
2	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 तक	2,707	2,93,178
	योग :	**6,449**	**8,67,765**

विभिन्न विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में जन-सूचना अधिकारियों पर लगाए दण्ड को वापस लिये जाने के प्रावधान की जानकारी के सम्बन्ध में

32-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली के किस धारा के तहत जन सूचना अधिकारियों पर लगाये गए दण्ड को वापस लिये जाने का प्रावधान है ? क्या सरकार वर्ष 2006 से दिनांक 09-02-2023 तक लगाए गए दण्ड व दण्ड माफी का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 में उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 प्रचलित है, जो कि उ0प्र0 शासन, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के अधिसूचना-संख्या 544/43-2-2015-सू0आ0नि0-2015 (1)-2015 लखनऊ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा जारी किया गया है। उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की धारा-12 (1) के अनुसार आयोग के किसी आदेश से क्षुब्ध किसी पक्ष के आवेदन पर, आयोग द्वारा निम्न में से किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर अपने आदेश को वापस लिया जा सकेगा :

(एक) आयोग द्वारा प्रश्नगत आदेश, आवेदक का कोई दोष न होते हुए भी, आवेदक को बिना सुने पारित किया गया है, अथवा

(दो) आयोग द्वारा प्रकरण की सुनवाई व निस्तारण नियत तिथि से भिन्न तिथि में कर दिया गया तथा आवेदक का कोई दोष न होते हुए भी वह उक्त सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका।

सूचना का अधिकार अधिनियम में सुधार किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

33-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम में सुधार किये जाने विषयक राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0 का पत्र संख्या-पी0आई0ओ0 798-जी0एस0 जो कि सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के अन्तर्गत श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी व अन्य के

माँग-पत्र दिनांक 14-11-2022 से सम्बन्धित पत्र दिनांक 25-11-2022 को प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।†

जनपद कुशीनगर में तैनात खनन अधिकारी के संरक्षण में अवैध खनन कार्य कराये जाने का प्रकरण

34-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खनन विभाग में तैनात खनन अधिकारी के संरक्षण में जनपद से सटे नदियों से खुलेआम अवैध खनन कार्य कराया जा रहा है क्या सरकार के संज्ञान में है ? क्या सरकार उक्त की जाँच कर दोषियों के विरुद्व कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खनन अधिकारी के संरक्षण में अवैध खनन का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में तैनात कार्यरत विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा अवैध धन उगाही किये जाने का प्रकरण

35-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में वर्तमान में कार्यरत विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग कर अवैध धन उगाही से जनपद के छोटे दुकानदार एवं बड़े कारोबारी की जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कुशीनगर में वर्तमान में कार्यरत विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग कर अवैध धन उगाही की कोई शिकायत जनपद के छोटे दुकानदार या बड़े कारोबारी के माध्यम से विभाग को प्राप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नोट :- † देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-334-336 पर।

प्रदेश में अवैध बालू खनन में चिन्हित दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के विवरण की जानकारी

36-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध बालू खनन में चिन्हित दोषियों के विरुद्ध विगत तीन वर्षों में की गई दण्डात्मक कार्रवाई के आंकड़े सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। प्रदेश में विगत 03 वर्षों में अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	राजस्व क्षतिपूर्ति (रु0 लाखा में)	एफ0आई0आर0 की सं0	परिवाद की सं0
1	2020-21	21641	77.55	536	3874
2	2021-22	25989	124.89	357	1863
3	2022-23	44547	157.82	470	1463
4	2023-24 (माह सितम्बर, 2023 तक)	22905	95.42	192	394

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में ग्रामीण परिवहन बस नीति के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में

37-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली से झिंझाना होकर बिडोली तक संचालित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की बसों के मार्ग में झिंझाना गाडीवाला से काठे का पुल होकर मंसुरा, चौतरा, फतेहपुर, बलहेड़ा, डोकपुरा, रोटन होकर केरटू करनाल मार्ग तक ग्रामीण परिवहन बस नीति के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामीण मार्ग को सरकार सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

शामली से झिंझाना, बिडोली करनाल तक अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार 03 स्वीकृत परमिटों के आधार पर बसें संचालित हैं।

झिंझाना, गाडीवाला, काठे का पुल, मंसूरा, चौतरा, फतेहपुर, बलहेड़ा, डोकपुरा, रोटन, केरटू होकर करनाल तक मार्ग अन्तर्राज्यीय श्रेणी का मार्ग है। यह मार्ग हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के मध्य निष्पादित परिवहन करार में सम्मिलित न होने के कारण अन्तर्राज्यीय बस सेवा संचालित किया जाना सम्भव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों को सेवित करने वाली योजना में अन्तर्राज्यीय मार्ग सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कुशल दैनिकों को प्रशिक्षण देने की जानकारी के सम्बन्ध में

38-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुशल दैनिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो 2021-22 व 2022-23 के कितने कुशल दैनिक श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

श्रम विभाग में कुशल दैनिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

लागू नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के कारागारों में अण्डर ट्रायल कैदियों के मुकदमों के त्वरित गति से निस्तारण करने के सम्बन्ध में

39-श्री तुफानी सरोज-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में कितने अण्डर ट्रायल कैदी हैं, जिन्हें जेल में रहते हुए एक दो और पांच वर्ष से अधिक हो गये है ? क्या सरकार अण्डर ट्रायल कैदियों के मुकदमों को त्वरित गति से निस्तारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हाँ।

दिनांक 22-11-2023 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की कारागारों में अण्डर ट्रायल कैदियों की संख्या निम्नवत् है :-

- एक वर्ष से अधिक समय से निरुद्ध अण्डर ट्रायल कैदी संख्या-40204
- दो वर्ष से अधिक समय से निरुद्ध अण्डर ट्रायल कैदी संख्या-12435
- पाँच वर्ष से अधिक समय से निरुद्ध अण्डर ट्रायल कैदी संख्या-2907

अण्डर ट्रायल कैदियों के मुकदमों को त्वरित गति से निस्तारित किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित मा0 न्यायालयों द्वारा की जाती है। कारागार विभाग के स्तर से इस बिन्दु पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में भू-वैज्ञानिक एवं भू-जल वैज्ञानिक का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री चन्दन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन एवं भू-तत्व विभाग के अन्तर्गत नदी तल में बालू के भण्डार का सही आंकलन तथा खनन हेतु प्रत्येक जनपद में भू-वैज्ञानिक एवं भू-जल वैज्ञानिक का पद सृजित है ? यदि हां, तो वर्तमान में किन-किन जिलों में भू-वैज्ञानिक एवं भू-जल वैज्ञानिक की तैनात का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार जनपदों में रिक्त भू-वैज्ञानिक एवं भू-जल वैज्ञानिक के पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बालू के भण्डार का सही आंकलन तथा खनन हेतु जनपद स्तरीय खान अधिकारी के 51 पद और खान निरीक्षक के 75 पद सृजित हैं।

प्रदेश में उचित दर दुकानों में कोटेदार द्वारा खाद्य सामग्री हड़पे जाने के सम्बन्ध में

41-श्रीमती पूजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उचित दर दुकानों (राशन की दुकान) में माध्यम से वितरित राशन चना व तेल का कतिपय भाग कोटेदार व बिचौलियों द्वारा हड़प

लिये जाने से उक्त का पूर्ण रूप से कार्डधारकों को लाभ नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर कार्डधारकों के पासबुक खाता पर धनराशि पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में प्रदेश में उचित दर दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक माह गेहूं व चावल का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में माह दिसम्बर, 2021 से माह जून, 2022 तक नियमित खाद्यान्न के साथ-साथ 03 आवश्यक वस्तुओं आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना (01 क्रिग्रा0 प्रति कार्ड) एवं खाद्य तेल (सरसों तेल/रिफाइन्ड ऑयल 01 ली0 प्रति कार्ड) निःशुल्क वितरित कराया गया है। कोटेदार व बिचौलियों द्वारा चना व तेल हड़प किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी से दिल्ली जाने वाली बसों के पुनः संचालन के सम्बन्ध में

42-श्री राम सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी से होकर दिल्ली जाने वाली बसों को पुनः संचालित सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

दिनांक 21-11-2023 से प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी से होकर दिल्ली के लिये बस का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत कोहड़ौर बाजार से पट्टी तक परिवहन निगम की बसों के संचालन के सम्बन्ध में

43-श्री राम सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत कोहड़ौर बाजार से पट्टी हेतु परिवहन निगम की बस संचालित करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

दिनांक 23-11-2023 से प्रतापगढ़ जनपद की तहसील पट्टी से कोहड़ौर बाजार की सेवा का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मार्च, 2022 से 13-09-2023 तक सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों एवं मृतक के परिवार को मुआवजा दिये जाने की जानकारी के सम्बन्ध में

44-श्री तुफानी सरोज-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2022 से दिनांक 13-09-2023 तक सड़क दुर्घटनाओं में कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई ? क्या सरकार बताएगी कि सड़क दुर्घटना मे मारे गए लोगों के कितने परिवार को मुआवजा दिया गया एवं कितने परिवारों को मुआवजा दिया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष परिवारों को मुआवजा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश में मार्च, 2022 से सितम्बर, 2023 तक सड़क दुर्घटनाओं में कुल 36,818 लोगों की मृत्यु हुई।

उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम-30 एवं 31 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत मार्च, 2022 से दिनांक 13-09-2023 तक सड़क दुर्घटना में 153 मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है। जिलाधिकारी से प्राप्त जाँच आख्याओं के आधार पर आलोच्य अवधि के समस्त प्रकरणों में धनराशि का आवंटन किया जा चुका है। मुआवजा दिये जाने हेतु कोई प्रकरण शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कोटेदारों से अवैध वसूली की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति अधिकारी के माध्यम से कोटेदारों से अवैध वसूली एवं दुकान

निलम्बन की जाँच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-154869, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, झांसी की आख्या दिनांक 18-11-2023 के अनुसार मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र गरौठा के पत्र दिनांक 05-09-2023 के साथ संलग्न शिकायती-पत्र में अंकित शिकायतकर्ताओं के पते अपूर्ण होने के कारण उनसे सम्पर्क नहीं किया जा सका। मा0 विधायक से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे पत्र संख्या-ख-7 सं0-154869, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को मेरे पत्र पर जिलापूर्ति अधिकारी, झांसी की निराधार एवं झूठी शिकायत की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, शिकायत निस्तारित की जाये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गृह निर्माण, जलभराव आदि कार्यों में मिट्टी के प्रयोग पर राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न आबादी क्षेत्रों में होने वाले सड़क अथवा गृह निर्माण एवं जलभराव दूर करने आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी कार्य में पुलिस/राजस्व या खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे लोगों के उत्पीड़न से सरकार परिचित है ? क्या सरकार लोगों का उक्त उत्पीड़न बन्द करने हेतु उक्त कार्य हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1542/86-2020-153 (सा0)/2017, दिनांक 18-09-2020 द्वारा साधारण मिट्टी का 100 घनमीटर तक खनन/परिवहन मात्र ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घनमीटर से अधिक साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन के लिये विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है।

प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-50पी/छः-पु-3-2018-39पी/2017, दिनांक 16-03-2018 द्वारा अवैध खनन/परिवहन

की रोकथाम हेतु पुलिस की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। शासनादेश संख्या-1542/86-2020-153 (सा0)/2017, दिनांक 18-09-2020 के अनुसार 100 घनमीटर तक साधारण मिट्टी के खनन हेतु अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेवा के ग्राम बावई से कानपुर तक रोडवेज बस संचालन के सम्बन्ध में

47-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेवा के ग्राम बावई से झांसी बावई से कानपुर तक संचालित रोडवेज बसें वर्तमान में बन्द हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त बसों को पुनः संचालित किये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

झांसी डिपो की बावई से झांसी तथा उरई डिपो की बावई से कानपुर तक बस संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के मधुवन एवं घोसी रोडवेज के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

48-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के मधुवन में रोडवेज की जमीन पर कूड़ाघर एवं पशुओं के चारागाह तथा घोसी रोडवेज की जमीन पर घास-फूस से जगह नहीं होने से गोरखपुर से बनारस जाने वाली बसें सड़क पर रुकती हैं ? क्या सरकार प्रदेश में हाइटेक रोडवेज बस संचालन के दृष्टिगत उक्त स्थानों का सौन्दर्यीकरण कर बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

मधुबन बस स्टेशन में फर्श का निर्माण नहीं है, अतः घास उग जाती है, जिसे साफ कराया गया है व कूड़े का निस्तारण किया गया है। बस स्टेशन पर एक कार्मिक लगाकर सड़क पर बसें न खड़ी होने देने व बस स्टेशन के अन्दर से संचालित कराने का प्रबन्ध है।

घोसी बस स्टेशन पर बसें स्टेशन परिसर में जाकर यात्री उठाती एवं उतारती हैं, यहाँ पर भी एक कार्मिक इस कार्य को सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत है। वहाँ पर कुछ भाग में फर्श

कच्चा होने से घास उग जाती है, जिससे साफ-सफाई व पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु व्यवस्था है।

मधुवन एवं घोसी का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में धान खरीद की नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

49-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने कोई धान खरीद नीति बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत धान खरीद हेतु शासनादेश संख्या-1/2023/1037/20-4-2023/ई-93/2023, दिनांक 14-09-2023 द्वारा धान क्रय नीति जारी की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष धान क्रय नीति जारी की जाती है। इसके अन्तर्गत खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों द्वारा स्वयं से अपना धान विक्रय करने हेतु पंजीकरण कराया जाता है तथा ई-उपार्जन पोर्टल से लिंक भू-राजस्व पोर्टल के माध्यम से किसानों का नाम, रकबा तथा बेची जाने वाली धान की मात्रा आदि का सत्यापन कराया जाता है। तदोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत सरकारी क्रय केन्द्रों पर प्रदेश के कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक व गुणवत्ता का धान सम्बन्धित कृषक या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि का इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज (ई-पॉप) मशीन के द्वारा बॉयोमैट्रिक सत्यापन कराकर धान क्रय किया जाता है। समर्थन मूल्य पर किसानों को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या एवं बेरोजगारी दर में कमी की जानकारी के सम्बन्ध में

50-श्री जै किशन साहू-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 18 सितम्बर, 2023 तक बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की कमी आयी है ? क्या सरकार वर्तमान में बेरोजगारों की संख्या तथा बेरोजगारी की दर का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

बेरोजगारी दर के आँकलन का कार्य सेवायोजन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर दिनांक 10 नवम्बर, 2023 तक पंजीकृत रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) की संख्या 35,50,732 है।

सेवायोजन विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से शासकीय विभागों एवं अधीनस्थ संस्थाओं हेतु जेम (Gem) के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा एवं निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। चयन होने के उपरान्त भी पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री जै किशन साहू-

[02-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-205 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

52-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्रम विभाग द्वारा दैनिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में

53-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में दैनिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 में कितने दैनिक श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

श्रम विभाग में दैनिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

लागू नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के बी0के0टी0 से कतिपय क्षेत्रों के लिए सरकारी बसों के संचालन के सम्बन्ध में

54-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के बक्शी का तालाब निवासियों के आवागमन हेतु बी0के0टी0 से हजरतगंज होते हुए चारबाग, बी0के0टी0 से दुबग्गा

होते हुए आलमबाग व एयरपोर्ट तक तथा बी0के0टी0 से मुंशीपुलिया, पॉलीटेक्निक चौराहा व गोमती नगर तक सरकारी बस संचालन सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जनपद-लखनऊ के बक्शी का तालाब निवासियों के आवागमन हेतु चारबाग से जी0पी0ओ0, हजरतगंज, निशातगंज, कपूरथला, इन्जीनियरिंग कॉलेज, भिटौली, बक्शी का तालाब होते हुए चन्द्रिका देवी मंदिर तक संचालित है। दिनांक 23-11-2023 से बी0के0टी0 से दुबग्गा होते हुए आलमबाग व एयरपोर्ट तक एवं बी0के0टी0 से मुंशीपुलिया पॉलीटेक्निक चौराहा होते हुए गोमतीनगर तक नगरीय बस का संचालन प्रारम्भ किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ स्थित चारबाग एवं आलमबाग डिपो से दीदारगंज, आजमगढ़ तक बसों के संचालन के सम्बन्ध में

55-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीर विक्रम सिंह, स0वि0स0, शाहजहांपुर का दिनांक 18-04-2022 का पत्र जो चारबाग डिपो व आलमबाग डिपो से दीदारगंज, आजमगढ़ तक यात्रियों की सुविधा के लिए उ0प्र0 परिवहन निगम की बस चलाई जाती थी, को बन्द कर दिया गया, के पुनः नई बस चलाये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग लखनऊ-सुल्तानपुर-शाहगंज-दीदारगंज (जनपद-आजमगढ़) पर बस का संचालन कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

आजमगढ़ के दीदारगंज बस स्टेशन से आलमबाग बस स्टेशन, लखनऊ तक प्रतिदिन बसों के संचालन के सम्बन्ध में

56-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीर विक्रम सिंह, स0वि0स0, शाहजहांपुर का दिनांक 18-04-2022 का पत्र जो उ0प्र0 परिवहन निगम की शाहगंज डिपो से

आजमगढ़ के दीदारगंज बस स्टेशन से आलमबाग बस स्टेशन तक प्रतिदिन की बस को पुनः चलाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

दीदारगंज (कुशलगांव) से आलमबाग बस स्टेशन तक प्रतिदिन प्रातः बस संचालित होती है और आलमबाग से वापस आकर दीदारगंज (कुशलगांव) रात्रि में हाल्ट करती है।

प्रदेश में बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत नेपाल देश की सीमा पर स्थित जनपदों में स्वीकृत योजनाओं की जानकारी

57-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत नेपाल देश की सीमा पर स्थित जिलों में विगत पांच वर्षों में स्वीकृत की गई योजनाओं एवं उन पर व्यय धनराशि का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सीमा प्रबन्धन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-12/16/2021-BADP दिनांक अप्रैल, 2022 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत नये कार्य स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अगले आदेशों तक रोक लगायी गयी है।

विगत पांच वर्षों में स्वीकृत की गई योजनाओं एवं उन पर व्यय धनराशि संलग्न है। विगत 05 वर्षों में स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत परियोजनाएं	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)
2019-20	233	8984.32
2020-21	0.0	0.0
2021-22	0.0	0.0
2022-23	0.0	0.0
2023-24	0.0	0.0

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा जिलेवार निर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी के सम्बन्ध में

58-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिवहन कार्यालय से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस में अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र लगाए जाने की अनिवार्यता है ? यदि हां, तो विगत 05 वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस की जिलेवार संख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-8 (3) तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-5(1) के अन्तर्गत परिवहन यान के लाइसेंस के आवेदन के समय प्रत्येक आवेदक को प्रारूप-1 में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा गैर परिवहन यान के ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को प्रारूप-2 के साथ दिये गये घोषणा-पत्र में स्वस्थता के सम्बन्ध में ''स्वतः घोषणा पत्र'' प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-5(1) के परन्तुक के अनुसार ड्राइविंग लाइसेन्स के नवीनीकरण के समय 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक आवेदक को प्रारुप-1 में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

विगत 05 वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस की जिलेवार संख्या संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 2023-24 में सरकारी धान की खरीद एवं उसके सापेक्ष भुगतान विषयक जानकारी के सम्बन्ध में

59-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकारी धान की कितनी खरीद की गयी तथा उक्त के सापेक्ष कितना भुगतान किया गया और कितना अवशेष है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 का कितना भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत प्रदेश में दिनांक 20-11-2023 तक कुल 3.62 लाख मी0 टन धान की खरीद की गयी है। किसानों को देय

नोटः-† देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-337-338 पर।

धनराशि रु0 791.50 करोड़ के सापेक्ष 640.72 करोड़ का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे कृषकों के आधार लिंक बैंक खाते में किया गया है तथा अवशेष 150.79 करोड़ का भुगतान प्रक्रियान्तर्गत है।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कृषकों का रु0 4.49 करोड़ धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है तथा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कृषकों का रु0 11.11 करोड़ धनराशि का अवशेष भुगतान प्रक्रियान्तर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी निर्माण इकाइयों द्वारा विकास कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को मिट्टी की आपूर्ति कराये जाने की योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

60-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी निर्माण इकाइयों द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों को सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था/ठेकेदार को आगणन के मुताबिक उनकी माँग पर मिट्टी की आपूर्ति/उपलब्धता हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1542/86-2020-153 (सा0)/2017, दिनांक 18-09-2020 द्वारा 100 घ0मी0 से अधिक साधारण मिट्टी के खनन हेतु Minemitra पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किया जाता है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत निर्माण इकाइयों द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों को सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था/ठेकेदार को आगणन के मुताबिक उनकी माँग के अनुसार मिट्टी खनन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में वर्ष 2022-2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में लगे रोजगार मेले की जानकारी के सम्बन्ध में

61-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में वर्ष 2022-2023 में किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया तथा कितने

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिला है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों के आयोजन किये जाते हैं। इन मेलों में निजी क्षेत्रों के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। उक्त मेलों में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

जिला सेवायोजन कार्यालय, कुशीनगर द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक आयोजित 29 रोजगार मेलों के माध्यम से 2027 अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु चयनित कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में खनन कार्य हेतु शर्तों की जानकारी एवं उसके अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में

62-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन हेतु अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पड़ोस के खेत, चकरोड अथवा सड़क की सुरक्षा के दृष्टिगत कितनी दूरी तक खनन कार्य करना अनुमन्य है ? क्या उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने या निगरानी हेतु कोई सरकारी तंत्र कार्यरत है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त शर्त का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01-04-2022 से 29-09-2023 के मध्य की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ङ) के प्राविधानानुसार सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, किसी जलाशय, नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य यथा सार्वजनिक सड़कों और भवनों या निवास स्थल से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तों के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हों, जो ऐसी अनुमति में दी जाये, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर या किसी स्थल

तक कोई खनन संक्रियायें नहीं की जायेंगी। प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी।

उक्त के अनुपालन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित है।

जी हां, अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पड़ोस के खेत, चकरोड एवं सड़क की सुरक्षा के दृष्टिगत नियमानुसार प्रतिबन्धित दूरी के अन्तर्गत खनन कार्य करने के सम्बन्ध में 54 जनपदों से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 01-04-2022 से 29-09-2023 के मध्य कुल 05 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिसमें से 04 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है तथा 01 प्रकरण में नोटिस निर्गत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

63-श्री अतुल प्रधान-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम की व्यवस्थानुसार दो वर्ष रखा गया है। विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड तथा समिति/उप समितियों की सलाह से ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के प्रस्ताव दिनांक 14-11-2023 के आधार पर बोर्ड के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा कतिपय योजनाओं में लम्बित आवेदनों के निस्तारण एवं भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

64-श्री नफीस अहमद-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना तथा मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना के अन्तर्गत अद्यतन कितने लोगो को चिन्हित किया गया है तथा वर्तमान में लम्बित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण एवं भुगतान की कोई नीति है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत हितलाभ हेतु अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा स्वयं जनसेवा केन्द्र अथवा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट up.bocw.in के माध्यम से आवेदन ऑनलाईन किये जाने की व्यवस्था है। क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त की आई0डी0 पर प्राप्त आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित सेक्टर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी की आई0डी0 पर आवंटित किया जाता है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर एस0एन0ए0 के माध्यम से श्रमिक के बैंक खाते में सीधे भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद आजमगढ़ में बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के सापेक्ष निस्तारण की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारण की स्थिति			
			स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित	
					LEO स्तर पर जाँच हेतु	DLC स्तर पर भुगतान हेतु
1	मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना	482	220	153	64	45
2	कन्या विवाह सहायता योजना	1323	777	167	242	137
3	मृत्यु एवं अक्षमता पेंशन योजना (परिवर्तित नाम निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना)	56	27	08	17	04
	कुल :	**1881**	**1024**	**328**	**323**	**186**

- अधिकांश आवेदन पत्र श्रमिकों के परिवार संख्या न होने, श्रमिक के बैंक खाते की के0वाई0सी0 अद्यतन न होने, श्रमिक का आधार सत्यापन त्रुटिपूर्ण होने के कारण लम्बित हैं, जिनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कराते हुए नियमानुसार आवेदनों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित समस्त कल्याणकारी योजनाएं जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आवर्त हैं। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों की समीक्षा समय-समय पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त एवं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में अपात्रों को राशन कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में

65-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अपात्रों को राशन कार्ड जारी करने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो 21 अगस्त, 2023 तक कितने अपात्र लोगों का राशन कार्ड निरस्त किया गया तथा कितने नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में पारदर्शिता हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को ही पात्रता सूची में शामिल किया जाता है। किन्तु लाभार्थियों के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने एवं लाभार्थियों द्वारा स्वयं के अनुरोध पर समर्पित अपात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड निरस्त कर उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों का चयन समय-समय पर किया जाता है। जनपद आजमगढ़ में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 21 अगस्त, 2023 तक कुल 24,845 राशन कार्ड नियमानुसार निरस्त कर उनके स्थान पर कुल 24,206 पात्र लाभार्थियों को पात्रता सूची में शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण के विनियमन) आदेश-2016 के प्रस्तर-4 (18) तथा (19) में जाली या अनुपयुक्त राशन कार्डों का उन्मूलन कराए जाने की व्यवस्था पूर्व से ही प्राविधानित है। उक्त प्राविधानों के क्रम में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का सत्यापन कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या-2209/29-6-2023-ई-1911/2020, दिनांक 26-10-2023 निर्गत करते हुए समस्त जिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति

अधिकारियों को राशन कार्डों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है। अतः इसके सम्बन्ध में कोई नई नीति बनाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या के निस्तारण विषयक

66-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बन्द होने की समस्या का किसी निश्चित अवधि तक निराकरण की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हाँ।

प्रदेश की समस्त जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बन्द होने की समस्या के निराकरण हेतु कारागार विहीन जनपदों यथा अमेठी, महोबा, श्रावस्ती एवं प्रयागराज में कारागार निर्माणाधीन हैं। कुशीनगर, हाथरस, चन्दौली, भदोही, औरैया, हापुड़, सम्भल, अमरोहा एवं शामली में नवीन कारागारों का निर्माण प्रस्तावित है एवं पुरानी कारागारों में बैरकों का निर्माण कराया जा रहा है।

वर्तमान में कारागारों में बन्दियों के निरुद्ध करने की कुल क्षमता 64997 के विरुद्ध 104425 बन्दी कारागारों में निरुद्ध हैं। आगामी 05 वर्षों में नयी कारागारों एवं बैरकों के निर्माण से 39289 क्षमता में वृद्धि होकर कुल क्षमता 104286 हो जायेगी, जिससे कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों के बन्द होने की समस्या का समाधान हो जायेगा।

विवरण संलग्न है।†

प्रदेश में स्कूल वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाये जाने एवं उल्लंघन किये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जानकारी के सम्बन्ध में

67-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 में 26 वें संशोधन द्वारा अध्याय नौ (क) में स्कूल वाहनों को जी0पी0एस0 सिस्टम से सुसज्जित करने का प्रावधान किया गया है, के अन्तर्गत वाहनों के आकस्मिक चेकिंग में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर स्कूल संचालकों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-339-345 पर।

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17 (सा0)-2018, दिनांक 27-05-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1988 में छब्बीसवें संशोधन के द्वारा नया अध्याय नौ-क जोड़ते हुये ''विद्यालयीय यानों के लिये विशेष उपबन्ध'' बनाये गये हैं।

उक्त नियमावली के नियम-222-ठ-(1) (ढ) में स्कूल यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी, का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 222-ङ-(1) में प्रत्येक जिला के लिये विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा उनके परिवहन से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, विनिश्चय करने तथा संस्तुति करने हेतु एक जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति का गठन निम्नवत किया गया है :-

एक	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
दो	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
तीन	सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य
चार	सम्बन्धित जिला का सहायक सम्भागीय अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य सचिव
पांच	यथा स्थिति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी या नगर आयुक्त	सदस्य
छः	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
सात	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
आठ	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले विद्यालय परिवहन व्यवसाय के दो प्रतिनिधि	सदस्य

उक्त समिति अन्य के अतिरिक्त प्रश्नगत अनियमितता पाये जाने पर विद्यालय यान से सम्बन्धित वाहन स्वामियों तथा सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही का निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में अण्डरपासों में जलभराव के कारण आवागमन में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में

68-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिलारी सहित प्रदेश भर में भारतीय रेल द्वारा बनाये गए विभिन्न अण्डरपासों से किसानों की गन्ना व दूसरी फसलों से

लदे वाहन आदि के गुजरने और जलभराव होने के कारण हो रही परेशानी से सरकार परिचित है ? यदि हां तो क्या सरकार जनहित में इन समस्याओं को दूर करने की कोई प्रभावी योजना बनाएगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

उक्त प्रकरण में कार्यवाही रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाना है। समस्या का निदान किये जाने हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा पत्र दिनांक 24-11-2023 के माध्यम से चेयरमैन/सीईओ, रेलवे बोर्ड बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में त्वरित आर्थिक योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में

69-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि जनपद आजमगढ़ में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ रुपये विधान सभा क्षेत्रवार कब से तथा कितनी विधान सभा क्षेत्रों मे विकास हेतु स्वीकृत हुए हैं एवं इस हेतु विधान सभा क्षेत्रों का चयन किस आधार पर किया जाता है ? क्या सरकार सभी स्वीकृत विधान सभा क्षेत्रों में उक्त योजना को लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत रु0 5.00 करोड़ की धनराशि विधान सभा वार दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद आजमगढ़ की एक विधान सभा क्षेत्र फूलपुर पवई में रु0 5.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 499.96 लाख की लागत के कार्य स्वीकृत हुए हैं। योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त में विधान सभा क्षेत्रों के चयन की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपद आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खराब बसों के स्थान पर नई बसों के संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

70-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नीलामी की शर्तें पार कर चुकी खराब बसों के संचालन से दुर्घटानाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कबाड़ हो गई बसों को हटाकर नई बसों का संचालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 परिवहन निगम की 1982 बसें माह सितम्बर, 2022 से अब तक नीलामी की शर्तें पार कर चुकी हैं। खराब बसों को फ्लीट से पृथक किया जा चुका है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कारागार के निर्माण के सम्बन्ध में

71-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला कारागार से वंचित जनपदों में कारागार का निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हाँ।

जनपद अमेठी, महोबा, कुशीनगर, हाथरस, चन्दौली, भदोही, औरैया, हापुड़, सम्भल, अमरोहा एवं शामली कारागार विहीन हैं, जिनमें कारागार के निर्माण हेतु भूमि व्यवस्था एवं निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम की जानकारी के सम्बन्ध में

72-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अवैध खनन को रोकने हेतु भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20-03-2018 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। उक्त टास्क फोर्स को अधिक सशक्त एवं व्यापक बनाते हुये शासनादेश संख्या-12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019, दिनांक 29-11-2023 द्वारा अब प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्गों पर दुर्घटनाओं के रोकथाम विषयक

73-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार यह भी बताएगी दुर्घटना में घायल तथा मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य मार्गों पर ओवरस्पीडिंग के कारण सर्वाधिक दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। उक्त दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों के अनुपालन में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित) की धारा-136 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक इन्फोर्समेंट डिवाइस के अन्तर्गत ए0एन0पी0आर0 कैमरा स्थापित कर सड़क स्वामित्व वाले विभागों द्वारा उनका ई-चालान पोर्टल से एकीकरण किया जा रहा है। ए0एन0पी0आर0 (Automatic Number Plate Recognition) कैमरा की स्थापना से ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर ऑटोमैटिक नियंत्रण स्थापित हो सकेगा।

(2) शासनादेश संख्या-1575/30-3-2014-32 एम/2013 टीसी, दिनांक 06/2014 द्वारा प्रदेश में राज्य सड़क सुरक्षा नीति लागू है।

(3) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं एवं उनके कार्यवृत्त में एकरूपता हेतु शासन के पत्र संख्या-98/2023/2005/तीस-3-2023, दिनांक 07/2023 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में प्रत्येक माह बैठक कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) तीन या तीन से अधिक मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामलों का अन्वेषण करने के लिये अधिसूचना संख्या-117/2023/2849/तीस-3-2023, दिनांक 10/2023 द्वारा ''उ0प्र0 सड़क दुर्घटना जाँच योजना, 2023'' निर्गत की गयी है।

(5) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-112 में निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना प्रतिबन्धित किया गया है। समस्त 75 जनपदों के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विभिन्न मार्गों पर गति सीमा के सन्दर्भ में अधिसूचना जारी कर परिवहन विभाग की वेबसाइट http#//uptransport.upsdc.gov.in पर अपलोड पर दी गयी है।

(6) समस्त एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीडिंग की रोकथाम हेतु इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्तियों के अन्तर्गत ए0एन0पी0आर0 कैमरा के द्वारा ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध ऑटोमेटिक ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है।

(7) राष्ट्रीय राज मार्गों पर ए0एन0पी0आर0 कैमरा लगाये जाने की कार्यवाही नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु वे-इन मोशन की स्थापना भी नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है, जिसके माध्यम से ओवरलोडिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(8) Automatic Number Plate Recognition कैमरा के माध्यम से लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर तथा एनएचएआई के लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर चालान किया जा रहा है।

(9) 17 ITMS वाले महानगर/नगरों में ANPR/स्पीड कैमरा की स्थापना एवं ई-चालान पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य नगर विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है एवं कतिपय चौराहों पर ITMS प्रणाली के माध्यम से यातायात विभाग द्वारा चालान की कार्यवाही की जा रही है।

(10) परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की 23 इंटरसेप्टर में लगे स्पीड लेजर गन से ओवरस्पीड वाहनों का चालान किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त स्पीड लेजर गन युक्त 38 इंटरसेप्टर का क्रय भी परिवहन विभाग द्वारा किया गया है।

(11) पुराने कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगायी गयी है तथा फिटनेस के समय इसकी जाँच की जाती है। नये कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस मैन्युफैक्चरर द्वारा ही लगाया जा रहा है।

(12) 276 ब्रेथ एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाती है। विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

(13) विभिन्न प्रकार के परिवहन यानों जैसे-ट्रैक्टर ट्राली आदि पर दुर्घटना नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जा रहे हैं।

(14) एफएम रेडियो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। मैराथन, बाइकोथॉन एवं रैली के माध्यम से भी यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(15) जनमानस में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के गोष्ठी कार्यक्रम जैसे-सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकोथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यशाला, सड़क सुरक्षा स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से सम्बन्धित लीफलेट-पम्फलेट/पॉकेट कैलेन्डर/फोल्डर आदि का वितरण किया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों पर निबन्ध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

(16) माध्यमिक के लगभग 9682 एवं उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 1050 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाती है।

(17) उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह/सड़क सुरक्षा माह/सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

(18) यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुशासित एवं जागरूक बनाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिवस हेलमेट एवं सीट बेल्ट के विरुद्ध औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है। इसके साथ-साथ ओवरस्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के विरुद्ध सभी प्रवर्तन दलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाती है।

(19) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर हेल्मेट/सीट बेल्ट न पहनने, ओवरस्पीडिंग करने, ड्रंकन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के लिए प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

जी हाँ।

उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम-30 एवं 31 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दुर्घटना में घायल तथा मृतक के परिवार को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा केवल सार्वजनिक सेवायानों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक/घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिलाधिकारी के स्तर से मृतक/घायलों के सम्बन्ध में जाँच आख्या प्राप्त होने पर परिवहन विभाग द्वारा सहायता धनराशि आवंटित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित रोडवेज बसों के किराये में कमी एवं महिलाओं के लिये निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराये जाने विषयक

74-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित रोडवेज बसों में यात्रियों से वर्तमान में लिए जा रहे किराये को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश में महिलाओं के लिए रोडवेज सुविधा फ्री करने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

संचालन लागत में वृद्धि के सापेक्ष यात्री किराये में वृद्धि किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-991/30-4-2012-346/95, दिनांक 07-11-2012 द्वारा सूत्र निर्धारित हैं, जिसके अनुसार संचालन लागत में वृद्धि की गणना के प्रयोजन हेतु ईंधन एवं वेतन/भत्तों को सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक वर्ष में दो बार जनवरी एवं जुलाई में किराया वृद्धि अनुमन्य है। दिनांक 04-10-2017 को किराया वृद्धि अनुमन्य हुई थी, जिसके पश्चात् दिनांक 01-01-2020 को किराया वृद्धि अनुमन्य हुई थी। निगम की बसों का किराया कोविड-19 संक्रमण काल में नहीं बढ़ाया गया। तत्पश्चात् डीजल दरों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं वेतन भत्तों में वृद्धि के कारण संचालन लागत में निरन्तर हो रही वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु किराया बढ़ाया जाना अपरिहार्य हो गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 की अनुमति के पश्चात् परिवहन निगम की बसों के किराये में दिनांक 06-02-2023 से 25 पैसे प्रति यात्री प्रति किमी0 की वृद्धि की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार ।

उ0प्र0 भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के भवनों को मानक के अनुरूप सत्यापित कराये जाने की जानकारी

75-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के भवनों का मानकों के अनुरूप होने का सत्यापन करा लिया गया है ? यदि हां, तो विद्यालयवार सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम एवं सत्यापन की तिथि का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

जी हाँ। विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में श्रमिकों की पुत्री के विवाह में अनुदान योजनान्तर्गत वितरित धनराशि की जानकारी

76-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में श्रमिक कार्यालय के अन्तर्गत श्रमिकों की पुत्री की शादी अनुदान योजना में 01-04-2022 से 01-10-2023 तक कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गयी ? क्या सरकार उक्त का नाम, पते सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु संचालित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 01-10-2023 तक कुल 616 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा अपनी पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आवेदन-पत्र बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन किये गये हैं।

उक्त योजनान्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में कुल 616 आवेदनों में से 239 आवेदकों को पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु प्रत्येक लाभार्थी को रु0 55,000/- की दर से (कुल धनराशि रु0 1,31,45,000, हितलाभ नेफ्ट/पी0एफ0एम0एस0/एस0एन0ए0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में धनराशि अन्तरित की गयी है तथा 51 आवेदकों के आवेदनों पर भुगतान की स्वीकृति की जा चुकी है और शेष 326 आवेदन-पत्र योजना के मानक पूर्ण न करने के कारण जाँच में अपात्र पाये गये हैं।

जी हाँ। सूची संलग्न† है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 01-04-2023 से 01-10-2023 तक श्रमिकों की मृत्यु एवं उनके अन्त्येष्टि हेतु प्रदान की गयी धनराशि की जानकारी के सम्बन्ध में

77-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में श्रमिक कार्यालय के अन्तर्गत 01-04-2022 से 01-10-2023 तक कितने श्रमिकों की मृत्यु हुयी है तथा सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि अन्त्येष्टि हेतु दी गयी है ? क्या सरकार

नोट :-† देखिए नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-346-347 पर।

† छापी नहीं गयी।

उपरोक्त अवधि का नाम, पता, धनराशि सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 01-10-2023 के मध्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के उपरान्त तत्समय प्रचलित योजना निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत 41 आवेदन व निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना तथा निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता तथा अक्षमता पेंशन योजना को समेकित करते हुए, अधिसूचित नवीन योजना निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत 72 आवेदन अर्थात् मृतक पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों के कुल 113 आवेदन आनलाइन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त कुल 113 आवेदनों के सापेक्ष 41 आवेदन स्वीकृति योग्य पाये गये, जिनमें से 37 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी रु0 25,000/- की दर से कुल रु0 9,25,000/- उनके बैंक खाते में वितरित की गयी है तथा 04 लाभार्थियों का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है। प्राप्त कुल 113 आवेदनों में से शेष 72 आवेदन जाँच में पात्रता की श्रेणी में न आने के कारण अस्वीकृत किये गये हैं।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	हितलाभ स्वीकृत/ धनराशि वितरित	हितलाभ स्वीकृत भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन	निरस्त
1	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	41	9	1	31
2	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	72	28	3	41
	कुल योग :	**113**	**37**	**4**	**72**

जी हाँ। सूची संलग्न।†

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र क-7 सं0-208912, दिनांक 11 अगस्त, 2023 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय डिवीजन कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, कानपुर में होमगार्ड के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की जन्मतिथि प्रकरण की सघन जाँच

नोट :-† देखिये नत्थी (च) देखिए आगे पृष्ठ संख्या-348-354 पर।

करवाकर न्याय दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-208912, दिनांक 11 अगस्त, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

प्रश्नकर्ता (मा0 सदस्य) का पत्र संख्या-क-7सं0-208912, दिनांक 11-08-2023 प्राप्त हुआ है। इस पत्र में निहित प्रकरण डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, कानपुर से सम्बन्धित न होकर डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स झांसी के कार्यालय से सम्बन्धित है। इस पत्र में श्री हरिगोविन्द पुत्र श्री वृन्दावन, निवासी ग्राम धौरका, झांसी, चिरगाँव खुर्द, जनपद झांसी की जन्मतिथि के सम्बन्ध में कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

श्री हरिगोविन्द पुत्र श्री वृन्दावन दिनांक 26-06-1989 को जनपद झांसी में होमगार्ड के पद पर भर्ती हुये थे। भर्ती के समय उनके द्वारा हाई स्कूल की शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। हाई स्कूल की अंक तालिका में अंकित जन्म तिथि दिनांक 02-06-1963 को ओवर राइटिंग करके 02-06-1969 अंकित किया गया है। श्री हरिगोविन्द के हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि 02-06-1963 को माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सत्यापित किया गया है तथा ओवर राइटिंग के आधार पर अंकित जन्म तिथि 02-06-1969 को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। इस आधार पर श्री हरिगोविन्द को उनकी जन्म तिथि दिनांक 02-06-1963 के अनुसार अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30-06-2023 को सेवानिवृत्त किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर में अन्य प्रदेशों से आने वाले ओवरलोडेड वाहनों को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में

79-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर क्षेत्र में हरियाणा व अन्य प्रान्तों से आने वाले भारी और ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन से ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं तथा निरन्तर दुर्घटनाएं हो रही हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर क्षेत्र में भारी वाहनों और ओवरलोडेड के विरुद्ध अब तक क्या और कितनी कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार ने भारी और ओवरलोडेड वाहनों के प्रवेश को प्रान्तों की सीमा पर ही प्रतिबन्धित किए जाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्थापित ''ऑटोमेटेड-वे इन मोशन ब्रिज'' का ई-चालान पोर्टल से एकीकरण हो गया है। अतः ओवरलोडेड वाहनों का ऑटोमैटिक चालान हो जाता है।

जेवर क्षेत्र में हरियाणा व अन्य प्रान्तों से आने वाले ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से चेकिंग करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। फलस्वरूप जेवर क्षेत्र में ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन से न तो ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और न ही निरन्तर दुर्घटनाएं ही घटित हो रही हैं।

जनपद गौतमबुद्धनगर के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दिनांक 01-04-2023 से 31-10-2023 तक भारी और ओवरलोडेड 1311 वाहनों के विरुद्ध चालान/निरुद्धि की कार्यवाही करते हुए प्रशमन शुल्क रु0 466.30 लाख अधिरोपित किया गया है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-114 के अन्तर्गत ओवरलोड मालयानों में क्षमता से अधिक भार लदे होने की दशा में ओवरलोड माल उतार कर ही उनको आगे बढ़ने देने का प्राविधान विद्यमान है। अतः प्रवर्तन दलों द्वारा सीमाओं पर नियमित रूप से चेकिंग की कार्यवाही उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के आपूर्ति विभाग में आपूर्ति लिपिकों की आपूर्ति निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने की जानकारी के सम्बन्ध में

80-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आपूर्ति विभाग में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर आपूर्ति लिपिकों को प्रोन्नत करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के मध्य आपूर्ति लिपिकों को पदोन्नति देकर आपूर्ति निरीक्षक बनाए गए लोगों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश में आपूर्ति लिपिक से पूर्ति निरीक्षक पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में दिनांक 28-11-2023 को पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की गयी। सम्पन्न बैठक में भर्ती वर्ष 2017-18 से 2022-23 के मध्य कुल 78 आपूर्ति लिपिकों को आपूर्ति निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के प्रत्येक तहसीलों में धान क्रय केन्द्र की संख्या में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

81-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2023-24 में धान खरीद हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं एवं उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या तैयारी की जा रही है ? क्या सरकार किसानों को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु जनपद की सभी तहसीलों में धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2023-24 में धान का क्रय लक्ष्य 10500 मी0 टन निर्धारित है। इसे प्राप्त करने हेतु जनपद में कुल 13 धान क्रय केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं। सभी पर व्यवस्थायें पूर्ण हैं। क्रय नीति के अनुसार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। तद्नुसार दिनांक 22-11-2023 तक क्रमिक रूप से जनपद फिरोजाबाद में 206.48 मी0 टन धान की खरीद हो चुकी है, जबकि गत वर्ष तद्दिनांक तक 52.16 मी0 टन धान की खरीद हुई थी। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 154.32 मी0 टन धान की अधिक खरीद हुई है।

जनपद फिरोजाबाद में कुल 13 धान क्रय केन्द्र अनुमोदित/संचालित हैं। कृषकों को धान बेचनें में केन्द्र के अभाव के कारण हो रही कोई असुविधा संसूचित नहीं है। वर्तमान में केन्द्रों की संख्या पर्याप्त है। भविष्य में यदि आवश्यकता होती है, तो धान क्रय नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-7.11 के अन्तर्गत अतिरिक्त क्रय केन्द्र अनुमोदित किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:21] मा0 सदस्यों को उनके जन्म दिन पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01 दिसम्बर को जिन माननीय सदस्यों का जन्म दिन है मैं उनका बधाई सन्देश पढ़ रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, निर्वाचन क्षेत्र पनियरा, जिला महराजगंज, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में पांचवी बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम स्व0 चन्द्रिका सिंह है। आपका जन्म दिनांक

01 दिसम्बर, 1954 को ग्राम व पोस्ट रामपुर चौबे (कुशीनगर) में हुआ था। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शलभ मणि त्रिपाठी निर्वाचन क्षेत्र देवरिया सदर, जिला देवरिया, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम श्री सकल नाथ तिवारी है। आपका जन्म दिनांक 01 दिसम्बर, 1977 को गोरखपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर (पी0एच0डी0) तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मेघश्याम सिंह निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन, जिला मथुरा, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम श्री किशन सिंह है। आपका जन्म दिनांक 01 दिसम्बर, 1965 को ग्राम जानू, पोस्ट महरौली, मथुरा में आपने स्नातक, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम फेरन पाण्डेय, निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती, जिला श्रावस्ती, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में द्वितीय बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम स्व0 शिवनन्दन पाण्डेय है। आपका जन्म दिनांक 01 दिसम्बर, 1965 को इकौना देहात (श्रावस्ती) में हुआ था। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम निवास वर्मा, निर्वाचन क्षेत्र नानपारा, जिला बहराइच, अपना दल (सोनेलाल) के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम श्री पेशकार प्रसाद है। आपका जन्म दिनांक 01 दिसम्बर, 1967 को बहराइच में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री संदीप सिंह, निर्वाचन क्षेत्र मेजा, जिला प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुये

हैं। आपके पिता का नाम स्व0 भूपेन्द्र सिंह है। आपका जन्म दिनांक 01 दिसम्बर, 1973 को प्रयागराज में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्य श्री शाहिद मंजूर, निर्वाचन क्षेत्र किठौरा, जिला मेरठ, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में चतुर्थ बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 मंजूर अहमद है, आपका जन्म दिनांक 01 दिसम्बर, 1955 को किठौर, मेरठ में हुआ था, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के ऊपर मैं स्वयं और इस सदन की ओर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

मैं एक निवेदन के साथ क्योंकि मेरे द्वारा यहां पर जो सूचनाएं मांगी जाती हैं, तो वह मा0 विधान सभा सदस्यों की मांगी गयी थीं, लेकिन उसमें एक त्रुटि हुई थी, जो हमारे मा0 मंत्रीगण हैं, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वह विधान परिषद् के सदस्य हैं। किसी कारण उनकी सूचना नहीं आ पाई थी, तो मैंने कल या परसों ट्विटर पर पढ़ा था कि हमारे मा0 मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी का जन्म दिवस 29 तारीख को था। इनका जन्म उसी दिन था जिस दिन मा0 योगी जी ने आपसे सड़क मांगी थी।

विधान परिषद् के मा0 सदस्य श्री जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान परिषद् में प्रथम बार मनोनीत हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 जितेन्द्र प्रसाद था, आपका जन्म दिनांक 29 नवम्बर, 1973 में हुआ था, आपने स्नातक, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की है। आप वर्ष 2004 में शाहजहांपुर से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा वर्ष 2008 में केन्द्रीय इस्पात मंत्री एवं 15वीं लोक सभा में पेट्रोलियम सड़क तथा मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में आप अपना योगदान दे रहे हैं। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं एवं इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

श्री सुधाकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आप बहुत विद्वान हैं और आपकी विद्वता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। आप संसदीय कार्य-प्रणाली के ज्ञाता हैं लेकिन मैं आपके मार्फत यह जानना चाहता हूँ कि दिनांक 14 अगस्त, 1947 को 11:59 बजे पर भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने हिन्दुस्तान छोड़कर जाने का निर्णय लिया था और मुल्क आजाद हुआ था और फिर इस देश

के अन्दर वर्ष 1975 में आपातकाल लागू हुआ और आपातकाल में मैं एवं इस सदन के 5-7 मा0 सदस्य भी थे।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई विषय नहीं है, ऐसा थोड़ी न होता है कि आप खड़े होकर कुछ भी पूछने लगेंगे। यह लिखा भी नहीं जायेगा और इसका संज्ञान भी नहीं लिया जायेगा। इनका माइक बन्द कर दिया जाए। यह कोई विषय नहीं है। आप बैठ जाइए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 जितिन प्रसाद जी को बहुत लम्बे समय से जानती हूँ, वह बहुत कुछ मामलों में उदार हैं और बहुत कुछ मामलों में कंजूस भी हैं। यह दावत तो देंगे नहीं, लेकिन आप आज कम से कम सभी मा0 सदस्यों को 5-5 किमी0 सड़क ही दिलवा दीजिए। इसमें सभी मा0 सदस्यों की भावनाएं हैं।

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मा0 अध्यक्ष जी हम सड़क तो देंगे ही, लेकिन यह इधर आ जाएं, इनके लिए कुर्सी खाली करा रहे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह दावत तो देंगे नहीं। आप आज हम लोगों को इनसे 5-5 किमी0 सड़क देने के लिए ही कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आज उनका जन्म दिवस नहीं है, उनका जन्म दिवस परसों था और अगर आपने परसों सड़क मांगी होती, तो शायद परसों दे देते।

[12:28] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत 114 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह सारी सूचनाएं आज सुबह 10 बजे तक ली गयी थीं और 10 बजे तक सूचनाओं का परीक्षण करना सम्भव नहीं था। इसमें से जितनी भी सूचनाएं ग्राहयता के अन्तर्गत आती हैं, वह सारी सूचनाएं स्वीकार की जायेंगी।

पहली सूचना श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन के ग्राम सिकरी से जालौन कोंच रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के ग्राम गोठरा से नयाबांस (दौलताबाद) एवं ब्लाक अछनेरा के ग्राम अभेदोपुरा से नगला यादराम (बघेलो का नगला) तक दोनों मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद कानपुर नगर में कतिपय महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के निकट सर्विस लेन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री हृदय नारायण सिंह पटेल की जनपद आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा वनकटा में गाटा सं0-381 से भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री जियाऊर्रहमान की प्रदेश में एलोपैथिक फार्मासिस्टों की भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर निगम द्वारा माल रोड पर बनाई गई स्मार्ट, पैदल पार पुल की जाँच के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जिला अस्पताल शामली में निर्मित बर्न यूनिट भवन में मरीजों के उपचार हेतु सभी उपकरणों व चिकित्सक की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सदर बाजार में श्री नायब उल्ला के घर के पीछे से लेकर श्रीमती शान्ति चौबे के घर के पीछे होते हुए लगभग 200 मी0 पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ-कानपुर मार्ग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनी नगर, लखनऊ (किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अधीन संचालित) को संयुक्त कर ट्रामा सेण्टर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सचिन यादव की सरकार द्वारा प्रदेशवासियों से किये गये वादे के मुताबिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री समर पाल सिंह की जनपद अमरोहा के सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुरौंदी, तहसील-नौगावां में नालियों एवं मार्गों के पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती अर्चना पाण्डेय की जनपद कन्नौज के छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरुसहायगंज में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरपुर में रेलवे क्रासिंग सिंधोली, धनेटा व भिटौरा पर उपरिगामी पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री निर्मल वर्मा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत कोन्सर रतनापुर मार्ग से बंजरिया होते हुए अंबाबा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर साई डीह गांव के पास पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री आशुतोष शुक्ल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र

भगवंत नगर के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र अचलगंज मवइया माफी में विद्युत पोल लगाये जाने सम्बन्ध में हैं, सत्रहवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम सुमौर में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने सम्बन्ध में है, अठाहरवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली नगर पंचायत में, एन0एच0आई0 द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने की जाँच कराये जाने सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में टेढ़ी नदी (कुटिला नदी) के अस्तित्व को बचाने के लिये सिल्ट सफाई कराये जाने सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओल मे कतिपय विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपर में कतिपय ग्रामों में महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के अन्तर्गत हथौड़ा से त्योना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में आछीडीह-सरया अवशेष तटबन्ध और रेगुलेटर बनाये जाने सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में नगर पालिका बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण एवं डीपो बनवाये जाने सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना डॉ0 मंजू शिवाच की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में नालों की सफाई एवं पक्काकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में ग्राम बुढाखेडा से गांगनौली शुगर मिल होते हुए सधान सेर तक सड़क निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में नलकूप की स्थापना कराये जाने सम्बन्ध में है, उनतीसवीं सूचना श्री विवेक कुमार शर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में दियोरिया कला में उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्रीमती अनुपमा जायसवाल की जनपद बहराइच के सदर विधान सभा क्षेत्र में कटी चौराहे से तजखोदायी सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री हरिओम की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमापुर के सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण कराये जाने सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री राजकुमार सहयोगी की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में अलीगढ़-गोण्डा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में है, तैतीसवीं सूचना श्री विनोद कुमार अवस्थी की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में ग्राम कैरातीपुरवा में बहराईपुरवा बार्डर से होते

हुए राम स्वरूप के बंगला, बेलागढ़ी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के ग्राम पंचायत फेलसण्डा में बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड को बन्द कराये जाने सम्बन्ध में है, पैतीसवीं सूचना श्री धीरेन्द्र सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र जेवर में कतिपय ग्रामों के लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के परसा तिवारी, घारीघाट, अल्लीपुर के कतिपत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने सम्बन्ध में है, सैंतीसवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सण्डवा चन्द्रिका में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत छाता शेरगढ़-नौहझील मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री अंकुर तिवारी की जनपद संतकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत माण्डा में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत ग्राम सराय निर्भय में माडल स्कूल के निर्माण में हो रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत आनन्दनगर में खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शहरी प्राथमिक केन्द्र के रूप में पुनर्विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतालिसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम खेड़की से बैकुंठपुर वाली बरसाती नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहूँ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत धनुपुर के ग्राम सभा खुर्रमशाहपुर, (पोखरा) से प्रधानमंत्री सड़क तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत जैनापुर चौराहा, भग्गल चौधरी के आवास से सिकन्दरपुर नलकूप तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम धनपारा के निकट टेढ़ी नाले पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की बेतवा मुख्य नहर की हमीरपुर शाखा पर चितगुआं गाँव के पास बने पुराने एवं सकरे पुल के स्थान पर नया चौड़ा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में

है, उन्चासवीं सूचना डॉ0 रागिनी की होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत कतिपय कार्मिकों को ए0सी0पी0 एवं डी0पी0सी0 का लाभ समयबद्ध ढंग से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री महेश त्रिवेदी की जनपद बलरामपुर के मदरसा अहले-सुन्नत-नुरूल-उलूम अतीकिया महराजगंज में फर्जी नियुक्ति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोठ के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर बहेड़ी ब्रहम्मान गांव में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध मे है, तिरपनवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत औसेरीखेड़ा-मजरे-आशापुर में पाण्डु नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की नगर पालिका परिषद, रायबरेली के अन्तर्गत तुलसीनगर प्रगतिपुरम नहरिया फेस-2 से श्रीमती मीरा शुक्ला एवं नन्हें के आवास तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री असीम कुमार की जनपद कानपुर नगर में कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अराजी में पक्के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना ई0 सरवन कुमार निषाद की मे0 ओफिडियन बायोनिक्स प्रा0लि0 क0 के निदेशकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानवीं सूचना मो0 ताहिर खान की प्रदेश में वृद्धा पेंशन एव विकलांग पेंशन में वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत नगर पंचायत सरौला में कार्यरत अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में, उनसठवीं सूचना डॉ0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ में चकबन्दी अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप पुनः चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की उ0प्र0 के महाविद्यालयों में संचालित बी0एड0 विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की उ0प्र0 में बिजली विभाग द्वारा की जा रही टेण्डर प्रक्रिया की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद के विकास खण्ड सरकोनी में पम्प कैनाल के मरम्मत कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सोनबरसा में 100 बेड के अस्पताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैसठवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद बांदा की सदर तहसील में भू-माफिया एवं सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भूमि क्रय-विक्रय में की गयी अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री रविदास

मेहरोत्रा की जनपद वाराणसी के नवीन क्षेत्र मण्डी में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत टड़ियावं कोपागंज में 100 बेड अस्पताल में डाक्टर एवं स्टाफ नर्स की नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री शाहिद मंजूर की जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेवा (डुमरिया गंज) के अधीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भैसौंधा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री जियाऊद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा में अवैध बालू खनन की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तरवीं सूचना श्री आलम बदी की कैंसर के बीमार व्यक्तियों के इलाज के सम्बन्ध में आसानी से पुनः धनराशि मिलने हेतु नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री कवीन्द्र चौधरी की जनपद बस्ती में न्यायालय के आदेश का पालन न कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री विशम्बर सिंह यादव की हमीरपुर राठ से मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध मे है, चौहत्तरवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह की जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हो रही नहरों की सफाई मानक के अनुरूप नहीं होने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना मो0 हसन 'रूमी' की जनपद कानपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मोतीनगर व ओमपुरवा में पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना हाजी नासिर कुरेशी की जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में जहांगीरपुर बिजली घर के पास एक विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तहत्तरवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की प्रदेश के कतिपय जनपदों में होने वाली पिपरमिंट की खेती की कीमत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठहत्तरवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत अहरौरी ब्लाक में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज के अन्तर्गत हो रही माइनरों की सिल्ट सफाई मानक अनुरूप न होने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के चांदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धनौरा मार्ग से रामपुर नजराना तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री संजय शर्मा की यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन में कार्यरत नरेन्द्र सिंह, उप महाप्रबन्धक के अनियमित नियुक्ति एवं कदाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री कैलाश नाथ शुक्ला की जनपद हरदोई के थाना बघौली के अन्तर्गत ग्राम मढिया तथा पिपौना में पैतृक व भूलेख अभिलेखों में दर्ज जमीन पर प्रधानमंत्री आवास न बनने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत दुधली भनेड़ा मार्ग से शिव मंदिर होते हुये

नसीरपुर तक बने मार्ग को पुनः निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत मौसमपुर व सैजनी में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत हरिहरपुर तिराहे से रौतावां सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद बरेली के तहसील सदर के ग्राम नवादा में स्थित जमीन पर मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गल्ला खेड़ी नहर से सतवई मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्ठा तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्यासीवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के विद्युत विभाग में अवैध रूप से तैनात कर्मचारियों की जाँच के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ में प्रकाश हेतु लगी हाईमास्ट लाईट को नगर निगम द्वारा ठीक न कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की तैनाती राजस्व ग्राम से हटाकर प्रत्येक गांव में किये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा में कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मंटू की जनपद कुशीनगर के रामकोला चीनी मिल में दोषी पाये गये प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर के ग्राम मेघछप्पर के निकट स्थित बड़ी नहर के पुल को डबल लेन किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्चानबेवीं सूचना श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'' की ग्राम सभा दुबेपुर में दिगम्बर नाथ स्वामी परिसर के तालाब को पट्टामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना श्री बम्बालाल की जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्रा की जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की नगर पालिका परिसर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से हरिशंकरपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री नवाब जान की जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील बिलारी में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सक बढ़ाये जाने के

सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नुकुड के अन्तर्गत फैली महामारी हेतु अनुसंधान केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री हन्सुराम की श्रीमती गुड़िया देवी से राजस्व कर्मियों द्वारा की गयी धोखाधड़ी के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड रानी की सराय में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध मे है, एक सौ पाचवीं सूचना श्री इंजी0 ब्रजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के तहसील भों गाव मे अवैध कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छठवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की ग्राह्य प्रश्नों के उत्तर की उदासीनता के सम्बन्ध मे है, एक सौ आठवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड से रेलवे लाइन के मध्य दैनिक मजदूरों के आवास तोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ नौवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद वाराणसी में श्री हरेन्द्र कुमार के गलत तरीके से मिल रहे जी0पी0एफ0 के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री मदन भैया की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र खतौली के अन्तर्गत की गयी टेण्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र जखनिया में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री सर्वेश सिंह की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में कतिपय ग्रामों में विद्युत कटौती करके अवैध वसूली के सम्बन्ध में है तथा एक सौ तेरहवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में इनर रिंग रोड बनाए जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन के ग्राम सिकरी से जालौन कोंच रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-221, उरई जनपद जालौन के अन्तर्गत जालौन विकास खण्ड के ग्राम सिकरी राजा से जालौन कोंच रोड तक जाने वाला रास्ता काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के ग्राम गोठरा से नयाबांस (दौलताबाद) एवं ब्लाक अछनेरा के ग्राम अभेदोपुरा से नगला यादराम (बघेलों का नगला) तक दोनों मार्ग को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[महोदय, अवगत कराना है जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के ग्राम गोठरा से नयाबांस (दौलताबाद) एवं ब्लाक अछनेरा के ग्राम अभेदोपुरा से नगला यादराम (बघेलों का नगला) तक दोनों मार्ग पक्का न होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्गों पर आवागमन अत्यधिक रहता है और दुर्घटना होने का भी हमेशा भय बना रहता है। जनहित में उक्त दोनों मार्गों को पक्का किया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर में कतिपय महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के निकट सर्विस लेन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 पल्लवी पटेल-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर में डॉ0 गोविन्द प्रसाद रानी देवी पटेल महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, आई0टी0आई0 एवं डा0 सोने लाल पटेल, एजूकेशन सेन्टर अरौल कानपुर नगर के चहारदिवारी/प्रांगण से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-91 का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त शिक्षण संस्थान में लगभग 3000 से अधिक छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-91 से शिक्षण संस्थान के निकट सर्विस लेन न देने से छात्र/छात्राओं एवं रिहाइशी क्षेत्र निवासियों को अपने घरों को जाने हेतु एन0एच0–91 पर चढ़ना एवं उतरना होता है। जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करती हूं कि डॉ0 गोविन्द प्रसाद रानी देवी पटेल महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, आई0टी0आई0 एवं डा0 सोने लाल पटेल, एजूकेशन सेन्टर अरौल कानपुर नगर के चहारदिवारी/प्रांगण के निकट सर्विस लेन स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने हेतु प्रभावी कदम उठायें, आपकी विशेष कृपा होगी।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा वनकटा में गाटा सं0-381 से भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-345, सगड़ी के ग्राम सभा-वनकटा अन्तर्गत गाटा सं0-381 रकबा 0.0570 पर भू-माफिया एवं अधिकारियों के मिली भगत से निर्माण कार्य चल रहा है। जो ग्राम सभा की पोखरी भूमि है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य/ध्यानकर्षण की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में एलोपैथिक फार्मासिस्टों की भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाऊर्रहमान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश में पिछले 10 वर्षो से एलोपैथिक फार्मासिस्टों की भर्ती नहीं निकाली जा रही है। जिससे प्रदेश के फार्मासिस्टों में बेरोजगारी चरम पर है। यह गम्भीर विषय है, एलोपैथिक फार्मासिस्टों की भर्ती किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल एलोपैथिक फार्मासिस्टों की भर्ती किये जाने की माँग करता हूँ।]

कानपुर नगर निगम द्वारा माल रोड पर बनाई गई स्मार्ट रोड, पैदल पार पुल की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। कानपुर नगर स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत माल रोड पर स्मार्ट रोड का निर्माण हुआ है एवं एक पैदल पार पुल का निर्माण हुआ है। कई समाजसेवी संस्थाओं ने पैदल पार पुल का विरोध किया है। सीधे-सीधे पैदल पार पुल सरकारी धन का अपव्यय था एवं किसी भी जनप्रतिनिधि ने उक्त पुल को बनाये जाने की अनुशंसा नहीं की थी और स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत स्मार्ट रोड बनी है। इसके विषय में भी धन खर्च करने के सापेक्ष कोई अन्तर या सुधार प्रतीत नहीं होता है। अतएव यह सीधे-सीधे सरकारी धन को मनमाने ढंग से बर्बाद किये जाने का मामला है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त स्मार्ट रोड में क्या स्मार्ट है व उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच शासन से कराए जाने की माँग करते हैं।

इस कार्य की अनुशंसा किसने की थी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के रोड के क्या मानक हैं और कौन- कौन से मानक पूरे किये गये ? एवं सरकारी धन का क्या उपयोग हुआ है ?

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुए तत्काल उक्त पर कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जिला अस्पताल शामली में निर्मित बर्न यूनिट भवन में मरीजों के उपचार हेतु सभी उपकरणों व चिकित्सक की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रसन्न कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-10, सदर, शामली एवं जनपद शामली में जिला अस्पताल में पिछले कई वर्षो से बर्न यूनिट भवन का निर्माण हो रखा है जिसमें जले हुए मरीजों के उपचार हेतु कुछ उपकरण भी उपलब्ध हैं लेकिन जनपद में उक्त से सम्बन्धित चिकित्सक की उपलब्धता न होने के कारण न तो मरीजों को उपचार मिल पा रहा है और निर्मित भवन भी खण्डहर की स्थिति में है, क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा जनपद में ही मिले, इसी क्रम में उक्त बर्न यूनिट भवन में सभी उपकरणों की उपलब्धता व चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने हेतु माँग है। जनपद स्तर से भी अनेकों बार चिकित्सक के नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जिला अस्पताल शामली में निर्मित बर्न यूनिट भवन में मरीजों के उपचार हेतु सभी उपकरणों की उपलब्धता व चिकित्सक की नियुक्ति कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सदर बाजार में श्री नायब उल्ला के घर के पीछे से लेकर श्रीमती शान्ति चौबे के घर के पीछे होते हुए लगभग 200 मी0 पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान लोक महत्व एवं गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद-प्रतापगढ़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सदर बाजार में श्री नायब

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्ला के घर के पीछे से लेकर श्रीमती शान्ति चौबे के घर के पीछे से होते हुये लगभग 200 मीटर पक्का नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से तमाम पत्राचार के माध्यम से माँग की जा रही है जिसके जवाब में नगर पालिका परिषद् प्रतापगढ़ के अधिकारियों द्वारा मा0 विधायकों सहित क्षेत्रीय आम-जनता को भी झूठी आख्या एवं मनगढ़न्त तरीके से गुमराह किया जा रहा है। जिस पर उपरोक्त अधिकारियों पर किसी भी तरह की आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही उपरोक्त नाले का निर्माण हुआ है। जिसका निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है और निर्माण न होने की दशा में क्षेत्रीय जनता में शासन/प्रशासन के विरुद्ध रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर सम्पूर्ण प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ-कानपुर मार्ग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर, लखनऊ (किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के अधीन संचालित) को संयुक्त कर ट्रामा सेन्टर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत सरोजनीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधीन संचालित है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0 की इन्टर्नशिप, बी0एस0सी0 एवं नर्सिंग के नियमित प्रशिक्षण के साथ-साथ सप्ताह में के0जी0एम0यू0 के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ लगातार ली जा रही हैं। लखनऊ- कानपुर रोड जो व्यस्ततम मार्गों में से एक मार्ग है, जिस पर आये-दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, समय से उपचार न मिलने के कारण प्रायः दुर्घटनाओं में समय से समुचित इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। सरोजनी नगर में पूर्व में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनीनगर वर्तमान में बेहटा में संचालित है। ऐसी स्थिति में सरोजनीनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को उपयोग में लेते हुए किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधीन ट्रामा सेण्टर स्थापित किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित में लोक महत्व के प्रश्न पर लखनऊ-कानपुर मार्ग पर सरोजनी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधीन संचालित) में संयुक्त कर ट्रामा सेण्टर स्थापित कराए जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार द्वारा प्रदेशवासियों से किए गए वादे के मुताबिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा किये गये वादे के मुताविक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य की तय तिथि क्या है ? 01 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु प्रदेश को प्रतिवर्ष किस विकास दर की आवश्यकता है तथा प्रदेश की पिछले तीन वर्षों की अर्थव्यवस्था की वर्षवार विकास दर क्या है ? क्या सरकार 01 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु आवश्यक विकास दर को प्राप्त कर पा रही है ?

अतः प्रदेश के आर्थिक विकास के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त सूचना को सदन के पटल पर उपलब्ध कराते हुये चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के नौगावां सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-करौंदी, तहसील-नौगावां सादात में नालियों एवं मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-नौगावां सादात के ग्राम-करौंदी, तहसील-नौगावां सादात, जनपद-अमरोहा में अभी अधिकतर गांव के अन्दर के रास्ते कच्चे व कीचड़ युक्त हैं। उक्त गांव के रास्तों व नालियों को पक्का कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। इन रास्तों पर छात्रों को स्कूल जाने में काफी असुविधा हो रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद कन्नौज के छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरुसहायगंज में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र-196, छिबरामऊ में गुरुसहायगंज नगर क्षेत्र है। जिसकी आबादी लगभग 01 लाख है। क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु 25-30 किमी0 दूर जाना पड़ता है, जिससे क्षेत्र की छात्राओं को भारी असुविधा होती है। इसलिए आवश्यक है कि नगर पालिका परिषद् गुरुसहायगंज में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्थापना सुनिश्चत की जाये।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा उक्त शिक्षण संस्थानों की स्वीकृति एवं स्थापना हेतु वक्तव्य दिये जाने की कृपा की जाये।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में रेलवे क्रासिंग सिंधौली धनेटा व भिटौरा पर उपरिगामी पुलों का निर्माण कराने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र-119, मीरगंज, जनपद बरेली के अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग सिंधौली, धनेटा व भिटौरा पर उपरिगामी पुलों का निर्माण कार्य जनहित में होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत कोन्सर-रतनापुर मार्ग से बंजरिया होते हुए अम्बावा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-149, बिसवां, जनपद सीतापुर, तहसील बिसवां के अन्तर्गत कोन्सर-रतनापुर मार्ग से बंजरिया होते हुए अम्बावा मार्ग तक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। जिससे आवागमन पूर्णतया बाधित है, इस मार्ग के निर्माण से हजारों क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर साईडीह गांव के पास पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर साईडीह गांव के पास पुल निर्माण होने से लगभग 100 ग्राम सभाओं के लोगों का आवागमन मुख्यालय पर आने-जाने हेतु आसान हो जायेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र अचलगंज मवइया माफी में विद्युत पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष शुक्ल-

[महोदय, जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र अचलगंज मवइया माफी के अन्तर्गत ग्राम मवइया माफी (रायबरेली रोड) तिराहे से अनिल कुमार शुक्ला की दुकान तक विद्युत पोल नहीं लगे हैं एवं मवइया माफी (रायबरेली रोड) तिराहे से माता इलेक्ट्रानिक तक विद्युत पोल नहीं है वहां पर लगभग कई विद्युत पोल की आवश्यकता है।

अतः आपसे आग्रह है कि ग्राम मवइया माफी (रायबरेली रोड) तिराहे से अनिल कुमार शुक्ला की दुकान तक लगभग 5 विद्युत पोल और मवइया माफी (रायबरेली रोड) तिराहे से माता इलेक्ट्रानिक तक 10 विद्युत पोल लगाये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को आदेशित करने की कृपा करें।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम सुमौर में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-103, अलीगंज, जनपद एटा में ग्राम सुमौर में पुलिस चौकी की स्थापना कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह ग्राम फर्रुखाबाद और एटा की सीमा पर पड़ता है, जिस कारण से दो जनपद का बार्डर होने के कारण यहां पर आपराधिक वारदातें होती रहती हैं, जिस पर समय रहते कार्यवाही नहीं हो पाती है। जनहित में ग्राम सुमौर में पुलिस चौकी की स्थापना कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली नगर पंचायत में एन0एच0आई0 द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली नगर पंचायत में एन0एच0आई0 द्वारा 10 साल पूर्व तोड़-फोड़ कर सड़क के किनारे का क्षेत्र अधिग्रहीत तो कर लिया गया है, परन्तु अभी सर्विस लेन व नाला, आदि का निर्माण कार्य नहीं किया गया है साथ ही अभी फ्लाईओवर का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चलते बिसवां चौराहा, तहसील तिराहा, महमूदाबाद चौराहे पर बहुत जाम की स्थिति रहती है। जिसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चे, किसान, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारी, एम्बुलेन्स आदि को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एन0एच0 रोड व रेलवे लाइन की दूरी मात्र 30 मीटर ही है । बारिश के समय पूरी रोड़ पर बरसात भर चार-पाँच माह लगातार पानी भरा रहता है। महोदय सड़क पर आवारा पशु आये दिन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर ही पड़े रहते हैं, जिनको सड़क से हटाया नहीं जाता है। सड़क पर कहीं भी सड़क सूचक चिन्हों को नहीं लगाया गया है। सड़क के दोनों ओर की कच्ची पट्टी अभी भी कच्ची है, जिसे दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। उक्त समस्याओं का एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों से शिकायत किये जाने के बाद भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र सिधौली में एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही के कारण उत्पन्न समस्याओं के लिए सदन से कार्यवाही किये जाने हेतु माँग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में टेढ़ी नदी (कुटिला नदी) के अस्तित्व को बचाने के लिए सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-गोण्डा व बहराइच के बीच ऐतिहासिक महत्व रखने वाली जीवनदायिनी टेढ़ी नदी (कुटिला नदी) बहती है। यह नदी जनपद-बहराइच के चितौरा झील से निकलकर जनपद-गोण्डा के कटरा, हलधरमऊ, परसपुर, बेलसर, तरबगंज, नवाबगंज होते हुए पवित्र सरयू नदी अयोध्या में विलीन हो जाती है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 232 किमी0 है, जिसमें से लगभग 97 किमी0 लम्बाई भाग मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। यह नदी घूम-घूम कर अपने टेढ़े-मेढ़े स्वरूप से कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाती है। इसी नदी के तट पर राजा सुहेलदेव ने आतताइयों से युद्ध करके हिन्दू धर्म की रक्षा की थी एवं टेढ़ी नदी के तट पर ही मेरे विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज की ग्राम पंचायत अमदही में महाराजा जनक के गुरू अष्टावक्र मुनि का आश्रम भी स्थित है, परन्तु वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं एवं ऐतिहासिक घटनाओं को संजोए हुए इस टेढ़ी नदी पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण जहां एक तरफ नदी का क्षेत्रफल सिकुड़ता जा रहा है, वहीं अधिकांश जगहों पर नदी के आस-पास खेत बन गये हैं, जिससे नदी नाले का रूप ले चुकी है। चीनी मिलों का गन्दा पानी व हजारों टन कचरा फेंके जाने के कारण नदी का पूरा पानी काला पड़ गया है। जलकुम्भी व सदाबहार ने नदी को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है तथा सिल्ट

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जमा होने के कारण जल स्तर भी काफी घट गया है, जिससे यह जीवनदायिनी टेढ़ी नदी धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसका अस्तित्व बचाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। इस नदी की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29-09-2023 को आयोजित प्राक्कलन समिति के बैठक में प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ0प्र0 शासन, लखनऊ से वार्ता हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर जिलाधिकारी, गोण्डा से बात करेंगे। ऐसे में मनरेगा योजनान्तर्गत बजट कम होने के कारण इस नदी की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार कराना सम्भव नहीं है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद-गोण्डा के ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाली जीवनदायिनी टेढ़ी नदी (कुटिला नदी) के अस्तित्व को बचाने हेतु सिल्ट सफाई व जीर्णोद्धार कराने की कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओल में कतिपय विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में हमारे विधान सभा क्षेत्र बल्देव के फरह ब्लॉक में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली नंगला चन्द्रभान से आगे ग्राम पंचायत ओल स्थित है। यह ग्राम पंचायत जनपद मथुरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत ओल में पिछले वित्तीय वर्ष में एक मिनी बस स्टैण्ड मय महिला/पुरुष प्रसाधन, प्रतीक्षा कक्ष स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी थी। कई बार हमारे द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु लिखित में अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है, जबकि इस ग्राम पंचायत ओल से जनपद आगरा के लिए, राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, क्षेत्र के अन्य भू-भाग में आना-जाना बना रहता है। जनहित में ग्राम पंचायत ओल में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बस स्टैण्ड मय महिला/पुरुष प्रसाधन, प्रतीक्षा कक्ष आदि बनवाये जाने हेतु धनराशि आवंटित कर निर्माण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में कतिपय ग्रामों में महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, सूच्य है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बरेली एक जर्जर भवन एवं संकुचित स्थान पर भीड़-भाड़ वाले इलाके में संचालित हो रहा है, जिसमें न पर्याप्त क्लासरुम है न ही प्रेक्टिकल के लिए बाटनिकल गार्डेन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के विकास खण्ड भुता के ग्राम अन्धरपुरा एवं रसूलपुर, वाहनपुर में उक्त महाविद्यालय के लिए नया भवन बनाने हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध है। नवीन भवन उक्त स्थानों पर कहीं भी बनाया जाना लोकहित में उचित रहेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के अन्तर्गत हथौड़ा से त्योना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बालामऊ, जनपद हरदोई में हथौड़ा से त्योना जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आये-दिन दुर्घटना होने का भी भय बना रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में आछीडीह-सरया अवशेष तटबन्ध और रेगुलेटर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार, जनपद गोरखपुर में 45 कि0मी0 तटबन्ध बना है परन्तु 5 कि0मी0 तटबन्ध अवशेष रह जाने से उक्त तटबन्ध का लाभ क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रहा है। उक्त आछीडीह-सरया अवशेष तटबन्ध और रगुलेटर बनाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। जनहित में उक्त अवशेष तटबन्ध का निर्माण पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आछीडीह-सरया अवशेष तटबन्ध और रगुलेटर बनाये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में नगर पालिका बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण एवं डिपो बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नहटौर जनपद बिजनौर (सुरक्षित) के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा नहटौर नगरपालिका में जर्जर बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण न होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से भारत के विभिन्य राज्यों में बस की यात्रा करते हैं। नहटौर बस स्टैण्ड विधान सभा नहटौर का मुख्य बस स्टैण्ड है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में नालों की सफाई एवं पक्काकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मंजू शिवाच-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र-57, मोदीनगर के अन्तर्गत मुरादनगर ब्लाक के गांव भनैडा में असाधारण बुखार फैलने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जोकि सामान्य बुखार की घटना नहीं थी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह बुखार गांव में पानी इकट्ठा होने से तथा निकासी ठीक नहीं होने के कारण फैला है। जनहित में इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं यह चाहती हूँ कि गांव भनैडा तथा ऐसे ही हाई रिस्क अन्य गांव व याकूबपुर मवी में भी पानी की निकासी व नालों की सफाई व पक्काकरण तुरन्त प्रभाव से करवाया जाये।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब्लॉक-सिकन्दराबाद के ककोड व आस-पास के 100 गांव के नजदीक कोई भी

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस कारण से यहां की छात्राओं को दूर-दराज के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। ककोड के ग्राम सभा वैर में भूमि भी रिक्त है। जनहित में ककोड के ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में ग्राम बुढाखेड़ा से गांगनौली शुगर मिल होते हुए सधान सेर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन, जनपद-सहारनपुर में ग्राम बुढाखेड़ा से गांगनौली शुगर मिल होते हुए सधान सेर तक खड़न्जा निर्मित है, जो काफी पुराना व जर्जर हो चुका है। गांगनौली शुगर मिल तक आने-जाने का यह एकमात्र रास्ता है, जिस कारण से आस-पास के किसानों को अपना गन्ना शुगर मिल तक ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शुगर मिल के द्वारा इस सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जनहित में इस सड़क का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड राजगढ़ पटेहरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर जल स्तर बहुत नीचे है, इसलिए छोटे नलकूप सफल नहीं हैं। कूप का गहरीकरण एवं नया कूप का निर्माण सफल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो विकास खण्ड राजगढ़ व पटेहरा में जो एरिया है वहाँ कूप का निर्माण भी हुआ है, परन्तु दोनों विकास खण्ड का लक्ष्य कम कर दिया गया है। सूखे के प्रभाव को देखते हुए किसानों की समस्या के समाधान हेतु दोनों विकास खण्डों का लक्ष्य जनहित में बढ़ाया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसानों की समस्या के निदान हेतु कूपों का लक्ष्य बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में दियोरिया कलां में उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130-बीसलपुर के अन्तर्गत दियोरियाकलां एक ऐसा परिक्षेत्र है जहाँ पर उच्च शिक्षा का अभाव है जबकि दियोरियाकलां स्थल पर कोतवाली, सहकारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं एवं अन्य शासकीय कार्यालय भी हैं। उच्च शिक्षण संस्थान में 50-50 कि0मी0 की दूरी पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु जाना पड़ता है जिससे कि छात्राओं को भारी असुविधायें होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि दियोरियाकलां क्षेत्र में एक उच्च शिक्षण संस्थान की स्वीकृति प्रदान कर स्थापना सुनिश्चित की जाये।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा उक्त शिक्षण संस्थानों की स्वीकृत एवं स्थापना हेतु वक्तव्य दिये जाने की कृपा की जाये।]

जनपद बहराइच के सदर विधान सभा क्षेत्र में कटी चौराहे से तजखोदायी सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहती हूं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-286, सदर में कटी चौराहे से तजखोदायी सम्पर्क मार्ग जो महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल को जोड़ने वाला सबसे करीबी मार्ग है। ये पिछले कई सालों से बेहद क्षतिग्रस्त है। इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई तकरीबन 3 कि0मी0 है।

इस जनहित के प्रकरण को सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेकर परियोजना को मूर्तरूप देकर आम जनमानस का हित करे। इससे वहां रह रहे लोगों के आवागमन में काफी फायदा होगा।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन में लाकर आवश्यक कार्रवाई की माँग करती हूं।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमापुर के सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिओम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद कासगंज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-101, अमापुर, जनपद कासगंज को जनपद एटा से जोड़ने वाला 40 कि0मी0 मुख्य मार्ग है। कि0मी0 1 से 17 कि0मी0 तक मार्ग 7 मीटर चौड़ाई में एवं कि0मी0 22 से 40 कि0मी0 तक 7 मी0 चौड़ाई में बना हुआ है। बीच में अवशेष भाग कि0मी0 17 से 22 कि0मी0 नगला गुलरिया से अमापुर तक चौड़ीकरण से वंचित है। रोड सकरा एवं जर्जर होने के कारण आये दिन अप्रिय दुर्घटनायें होती रहती हैं एवं यात्रियों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा बहुत लम्बे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की माँग की जा रही है, लेकिन आज तक समस्या बनी हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये उपरोक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराने की माँग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में अलीगढ़-गोण्डा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार सहयोगी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास में उक्त मार्ग के अवशेष भाग के सुदृढ़ीकरण के कार्य वित्त व्यय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त भी कार्य की स्वीकृति अभी तक जारी न होने के कारण पूर्ण नहीं हो रहा है जिससे आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़-गोण्डा मार्ग अलीगढ़ जनपद का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर वाहनों के अत्यधिक आवागमन के कारण इस मार्ग के अवशेष भाग का सुदृढ़ीकरण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अलीगढ़-गोण्डा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के अवशेष भाग निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में ग्राम कैरातीपुरवा में बहराईपुरवा बार्डर से ओझापुरवा होते हुए राम स्वरूप के बंगला होते हुए बेलागढ़ी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद शंकर अवस्थी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा, जनपद खीरी के तहसील धौरहरा के ब्लाक ईशानगर में ग्राम कैरातीपुरवा में बहराइपुरवा बार्डर से ओझा पुरवा होते हुए राम स्वरूप के

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बंगला होते हुए बेलागढ़ी तक मार्ग का डामरीकरण किया जाना अति आवश्यक है। यह नदी पार का मुख्य मार्ग है जिससे तीन ग्राम सभाएं जुड़ती हैं। जनहित में आवगमन को देखते हुए उक्त मार्ग का डामरीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तहसील धौरहरा के ब्लाक ईशानगर में ग्राम कैरातीपुरवा में बहराइपुरवा बार्डर से ओझा पुरवा होते हुए राम स्वरूप के बंगला होते हुए बेलागढ़ी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के ग्राम पंचायत फेलसण्डा में बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अमित सिंह चौहान-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली अन्तर्गत ग्राम फेलसण्डा में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति लिये रजनीश ब्रिक फील्ड फेलसण्डा का गाटा संख्या-178 पर संचालन किया जा रहा है जो कि आबादी, पेट्रोल पम्प व राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या लखनऊ के किनारे संचालित है इससे बगल में स्थित आबादी जो 100 मीटर की दूरी पर है एवं फलपट्टी क्षेत्र से 200 मीटर दूर है इसके प्रदूषण से पर्यावरण दूषित होता है बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या) के अवैध रूप से संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड फेलसण्डा को बन्द कराकर क्षेत्रीय जनता व फलपट्टी को प्रदूषण से बचाना अत्यन्त आवश्यक जनहित में है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के ग्राम पंचायत फेलसण्डा में स्थित अवैध रूप से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या) के संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड फेलसण्डा रुदौली को बन्द कराकर स्थानीय जनता फलपट्टी को प्रदूषित होने से बचाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र जेवर में कतिपय ग्रामों के लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धीरेन्द्र सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में जनसाधारण को घरौनी के माध्यम से वर्षों से ग्रामों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देकर लाभ पहुंचाया गया है। जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में अभी तक भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है जबकि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विगत कई माह पूर्व निर्णय लेकर शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। जनहित में शीघ्रातिशीघ्र प्राधिकरणों के अन्तर्गत आम जनता को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के परसा तिवारी, घारीघाट, अल्लीपुर के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरा, जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत अत्यधिक आवागमन वाले मार्गों में से यह एक प्रमुख मार्ग है, जो विश्वविख्यात धर्म की नगरी स्वामी नारायण छपिया को जाने वाला मुख्य मार्ग है यह मार्ग जनपद मुख्यालय सहित स्टेट हाई-वे/नेशनल हाई-वे को जोड़ता है। जहां लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना हमेशा लगा रहता है। उत्तर प्रदेश एवं गुजरात प्रदेश का मुख्य आस्था का केन्द्र स्वामी नारायण छपिया मंदिर है। श्रद्धालुओं/आमजनमानस के आने-जाने का मुख्य मार्ग गौरा पाण्डेय, परसा तिवारी, घारीघाट, अल्लीपुर, गिन्नीनगर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की माँग क्षेत्र की जनता द्वारा काफी समय से की जा रही है, यह मार्ग काफी सकरा है, जनहित में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 15-03-2023 को माननीय मुख्य मंत्री जी से चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने का अनुरोध किया था जिसके क्रम में उक्त मार्ग की समस्त विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण होकर स्वीकृति हेतु विभाग में लम्बित हैं। प्रस्तावित मार्ग निम्नवत् हैं :-

गौरा पाण्डेय, परसा तिवारी, घारीघाट, अल्लीपुर, गिन्नीनगर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सण्डवा चण्डिका में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्वनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान का आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ अन्तर्गत विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका, ग्राम सभा-सण्डवा चण्डिका (हनुमान पाण्डेय का पुरवा), गाटा संख्या-416 में एक मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। मुख्यालय स्टेडियम से उक्त ग्राम की दूरी अधिक होने के कारण युवाओं को आवागमन में असुविधा और समय की अधिकता होती है एवं जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में समुचित सुविधाएं न होने के कारण जनपद के अधिकांश खिलाड़ियों को अभ्यास का अवसर नही मिल पाता है। जिसके कारण जनपद से नये खिलाड़ियों के चयन में बाधा हो रही है। युवाओं में खेल के प्रति रुचि/उत्सुकता को जीवित रखने हेतु स्टेडियम का निर्माण कराया जाना एक रचनात्मक पहल के लिये अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत छाता-शेरगढ़-नौहझील मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा की विधान सभा क्षेत्र-82, मांट के छाता-शेरगढ़-नौहझील मार्ग अत्यन्त दयनीय स्थिति में हैं। यह मार्ग मेरी विधान सभा क्षेत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मुख्य मार्ग है। यह मार्ग 04 हाई-वे को आपस में जोड़ता है। हरियाणा और राजस्थान को भी जोड़ता है। यह मार्ग अत्यन्त जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है। इस मार्ग के निर्माण होने से लगभग लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। जनहित में इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद संतकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अंकुर तिवारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-सन्तकबीरनगर की खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न मार्गों का पुनर्निर्माण/नवनिर्माण कार्य कराया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है।

1-विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्राम उमरी खुर्द में मुकेश की दुकान से वीरेन्द्र चौधरी के बगीचे तक पिच सड़क का पुनर्निर्माण लम्बाई 1.00 कि0मी0।

2-विकास खण्ड सेमरियवां के ग्राम तेनुहारी अव्वल में पिच रोड से ग्राम कटाई होते हुए भाटपार पिच रोड तक पुनर्निर्माण लम्बाई 1.50 कि0मी0।

3-विकास खण्ड सेमरियवां के ग्राम असनहरा में जवाहर लाल के मकान से कठिनइया नदी पुल तक पुनर्निर्माण लम्बाई 1.00 कि0मी0।

4-विकास खण्ड सेमरियवां के ग्राम चंगेरा मंगेरा पिच रोड से चौधरीपुरवा तक पुनर्निर्माण लम्बाई 0.800 कि0मी0।

5-विकास खण्ड खलीलाबाद में नेशनल हाई-वे 27 से ग्राम डड़वा तक सम्पर्क मार्ग पुनर्निर्माण लम्बाई 500 मी0।

अतः आपसे अपेक्षा है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत माण्डा में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्दीप सिंह-

[महोदय, मै आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा महुआरी से मसौली मार्ग पर कर्णावती नदी पर पुलिया नहीं है जबकि उक्त नदी से सटे सैकड़ों गाँव हैं जिसमें हजारों जनसंख्या की आबादी है लोगों को नदी को पार करने हेतु आने-जाने हेतु ग्रामवासियों को कई किलोमीटर दूर घूमकर जाना होता है जिससे ग्रामवासियों/क्षेत्रवासियों को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर ध्यान आकर्षित कराते हुए ग्राम सभा महुआरी से मसौली मार्ग पर कर्णावती नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत ग्राम सराय निर्भय में माडल स्कूल के निर्माण में हो रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, बच्चे देश का भविष्य होते हैं समाज के नवनिर्माण में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय निर्भय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत मॉडल स्कूल सराय निर्भय स्वीकृत हुआ था जिसका दिनांक-11-11-2012 को शिलान्यास भी कर दिया गया था। शिक्षण संस्थान का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। किन्तु लगभग 9 वर्ष का एक लम्बा समय बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक लगभग 60% ही विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य हो सका है जबकि उक्त शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिये स्वीकृत धनराशि का 90% धन अवमुक्त भी कर दिया गया है। यही नहीं जो निर्माण किया भी गया है उसमें अत्यन्त घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, चाहे सरिया हो, चाहे ईंट हो, चाहे मोरंग हो सभी सामग्री मानक के अनुरूप नहीं हैं, यही नहीं अभी तक शिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण कार्य तो पूरा नहीं हुआ है किन्तु घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने के कारण जो निर्माण हुआ भी है वह क्षतिग्रस्त हो रहा है, गिर रहा है, शिक्षण संस्थान के अधिकांश हिस्से का प्लास्टर नहीं हुआ है, जिस हिस्से में प्लास्टर हुआ है वह क्षतिग्रस्त हो रहा है, फर्श भी क्षतिग्रस्त हो रही है। इस तरह जहाँ एक तरफ बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकारी धन में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदरबांट की जा रही है और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से निरर्थक साबित हो रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत आनन्द नगर में खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शहरी प्राथमिक केन्द्र के रूप में पुनर्विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र चौधरी-

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाना है कि महराजगंज के फरेन्दा, नगर पंचायत आनन्दनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़ा है जहाँ पर डाक्टर व स्टाफ की तैनाती नहीं है। खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सन्दर्भ में

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 13-08-2023 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में पुनर्विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव के लिए कहा गया था। जिलाधिकारी जनपद महराजगंज से उक्त के बावत प्रस्ताव हेतु भी पत्राचार किया गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनहित में जनपद महराजगंज के नगर पंचायत आनन्दनगर में खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में पुनर्विकसित किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम खेड़की से बैकुंठपुर वाली बरसाती नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी, ग्राम खेड़की से बैकुंठपुर जाने वाले रास्ते के बीच में बैकुंठपुर वाली बरसाती नदी पड़ती है, उस पर छोटे पुल की आवश्यकता है, यह रास्ता किसानों तथा स्थानीय लोगों का आम रास्ता है वहां पुल न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त नदी पर पुल बनाये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराया गया लेकिन अभी तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त ग्राम खेड़की से बैकुंठपुर जाने वाले रास्ते के बीच में बैकुंठपुर वाली बरसाती नदी पर एक छोटा पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 पटेल-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मड़ियाहूँ नगर के आस-पास एक राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत धनुपुर के ग्राम सभा खुर्रमशाहपुर (पोखरा) से प्रधानमंत्री सड़क तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[महोदय, जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड-धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खुर्रमशाहपुर (पोखरा) से प्रधानमंत्री सड़क तक सम्पर्क मार्ग अत्यधिक जर्जर/क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जिसके कारण क्षेत्रीय आम जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा समस्त मार्गों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा की गयी है, उक्त जर्जर मार्ग का जनहित में यथाशीघ्र निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता है परन्तु उक्त मार्ग का अभी तक निर्माण/मरम्मत नहीं कराया गया है। जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में सरकार से उपरोक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत जैनापुर चौराहा, भग्गल चौधरी के आवास से सिकन्दरपुर नलकूप तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला-अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत जैनापुर चौराहा, भग्गल चौधरी के आवास से सिकन्दरपुर नलकूप तक का सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का नवनिर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम धनपारा के निकट टेढ़ी नाले पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम धनपारा के निकट टेढ़ी नाले/नदी पर पुल बनाए जाने के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

उक्त स्थान पर पुल न होने से दर्जनों गांवों के लोगों को गन्तव्य स्थान पर जाने के लिए कई कि0मी0 अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर जनहित में ग्राम धनपारा के निकट टेढ़ी नाले/नदी पर पुल बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद झांसी की बेतवा मुख्य नहर की हमीरपुर शाखा पर चितगुआं गाँव के पास बने पुराने एवं सकरे पुल के स्थान पर नया चौड़ा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ-

जनपद-झांसी में मोंठ तहसील के अन्तर्गत हमीरपुर शाख पर चितगुआं गांव के पास पुराना पुल बना है जो अत्यन्त सकरा है। उक्त पुल से गुजरने वाली दमोह-समथर-सिकन्दरा, इंटर स्टेट राज मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया गया है किन्तु शाख पर बने पुराने सकरे पुल के स्थान पर नया चौड़ा पुल नहीं बनाया गया है, जो नियम विरुद्ध है। फलस्वरूप सड़क अच्छी और चौड़ी बन जाने के कारण यातायात तेज और अधिक हो गया है। उक्त सड़क और पुल की डिजाइन में सामन्जस्य न होने के कारण विगत 2-3 वर्षों में 10-12 जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके लिए विभागीय अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। जनहित में उक्त स्थान पर सड़क के अनुसार नया चौड़ा पुल बनाया जाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः सदन से माँग करता हूँ कि उक्त स्थान पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नवनिर्मित सड़क के अनुसार पुराने पुल के स्थान पर नया चौड़ा पुल बनवाया जाय।]

होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत कतिपय कार्मिकों को ए0सी0पी0 एवं डी0सी0पी0 का लाभ समयबद्ध ढंग से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[महोदय, डॉ0 रागिनी सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र 2023 के दिनाँक 07 अगस्त 2023 के उपवेशन में नियम-51 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में दिनाँक 09 अगस्त, 2023 के सदन में दिये वक्तव्य में आयुष मंत्री ने अवगत कराया था कि चयन वर्ष 2023-24 के सापेक्ष होम्योपैथिक विभाग से सम्बन्धित सभी पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, होम्योपैथी को निर्देशित किया गया है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है परन्तु एक समुचित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी एक मात्र स्वीकृत एवं रिक्त अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार दिनाँक 30 सितम्बर, 2023 तक आहूति नहीं की गयी है। अपर निदेशक पद पर पदोन्नति के पात्र अभ्यार्थी दिनाँक 31 जनवरी, 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इस वक्तव्य दिनाँक 09 अगस्त, 2023 के सन्दर्भ में डॉ0 रागिनी सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में माननीय आयुष मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि माह अगस्त, 2023 तक डी0पी0सी0 एवं ए0सी0पी0 के आदेश निर्गत हो जायेंगे।

यह भी सूच्य है कि दिनाँक 01 मई, 2023 को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुत किए जाने के बावजूद भी डॉ0 सुचेन अग्रवाल, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य नहीं कराया गया था तथा डॉ0 शिखा जुल्का, डॉ0 शिवाजी गौड़, डॉ0 सुषमा पाल, डॉ0 शबीना खान, डॉ0 गुंजा गौड़ को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य नहीं कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि सचिवालय नियम संग्रह, 2004 के प्रस्तर-256 में मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति सामान्यतया तीन महीने के भीतर किये जाने के प्रावधान है।

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक एवं सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए अभ्यार्थियों को ए0सी0पी0 एवं डी0पी0सी0 का लाभ समयबद्ध ढंग से अनुमन्य कराये जाने की माँग करती हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली में (1) पूरे बेनऊ रामसाण्डा सलोन सूची पक्के मार्ग तक 1 कि0मी0 (2) अम्बारा मथई गांव से टीकर आगाचीपुर नया पुरवा नहर पुल डामर रोड तक 1.5 कि0मी0 वि0क्षे0 दीनशाह गौरा उक्त मार्ग अत्यन्त खराब है, बड़े-बड़े गड्ढे हैं। बरसात के समय पानी भर जाने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी भर जाने के कारण पता ही नहीं चलता है कि रास्ता सही है या किसी गढ्डे में पानी भरा है, जिस कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रही है। जिससे आम जनमानस को आवागमन में अत्याधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 के अन्तर्गत वक्तत्व में स्वीकार करने की कृपा करें।]

जनपद बलरामपुर के मदरसा अहले-सुन्नत-नुरुल-उलूम-अतीकिया महाराजगंज में फर्जी नियुक्ति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश त्रिवेदी-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अतिमहत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ कि जनपद बलरामपुर के मदरसा अहले-सुन्नत-नुरुल-उलूम-अतीकिया महराजगंज में फर्जी नियुक्ति कर वेतन भुगतान कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण में लखनऊ के हजरतगंज थाने में श्री फैयाज अहमद मिस्बाही, जनपद बलरामपुर व अन्य के विरुद्ध मुकदमा सं0-0234/2023 दिनांक 12-08-2023 को पंजीकृत हुआ। किन्तु इतने गम्भीर प्रकरण में तीन माह पूर्ण हो जाने के बावजूद आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है जिसका लाभ लेकर आरोपीगण सबूत को मिटाने एवं गवाहों को धमकाने में लगे हैं। विवेचक आरोपियों से मिलकर उनको बचाने का प्रयास कर रहा है एवं आरोपी खुले आम कानून की खिल्ली उड़ाते हुये फर्जीवाड़ा व ठगी करते हुये अन्य नियुक्तियों को अंजाम दे रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर, बहेड़ी ब्रहम्मनान गांव में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल अख्तर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कांठ मुरादाबाद के ब्लाक डिलारी में जिसकी आबादी लगभग साढ़े तीन लाख है, सरकार की प्राथमिकताओं में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओं और बच्चियों को शिक्षित करना प्राथमिकता में है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद पूरे क्षेत्र में कोई भी राजकीय कन्या विद्यालय नहीं है। जिस कारण से क्षेत्र की बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने 25 से 30 किमी0 दूर मुरादाबाद या ठाकुरद्वारा जाना पड़ता है। जिस कारण हजारों गरीब बच्चियां पढ़ाई से वंचित रह जाती है। जिस कारण से उन्हें पूरा जीवन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर, बहेड़ी ब्रहम्मनान जिस गांव में भूमि की उपलब्धता हो राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही हेतु ध्यान आकर्षित किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम-औसेरीखेड़ा, मजरे-आशापुर से पाण्डु नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

[महोदय, कृपया सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-238, जहानाबाद अन्तर्गत ग्राम–औसेरीखेड़ा, मजरे-आशापुर से बेनीखेड़ा, ब्लाक-मलवां, जनपद फतेहपुर में पाण्डु नदी पर पुल का निर्माण अति आवश्यक है। आवागमन की सुगमता हेतु जनता द्वारा लगातार माँग होती चली आ रही है जो कि जनहित में है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नगर पालिका परिषद्, रायबरेली के अन्तर्गत तुलसीनगर प्रगतिपुरम नहरिया फेस-2 से श्रीमती मीरा शुक्ला एवं नन्हे के आवास तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। नगर पालिका परिषद, रायबरेली के अन्तर्गत तुलसीनगर प्रगतिपुरम् नहरिया फेज-2 से श्रीमती मीरा शुक्ला एवं नन्हे पुत्र शितलू के आवास तक का लगभग

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

400 मीटर मार्ग की स्थिति अत्यधिक खराब है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उपरोक्त स्थान पर सड़क एवं नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

मैं अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के उपरोक्त विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट कराकर वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर में कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अराजी में पक्के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असीम कुमार-

[महोदय, सविनय अनुरोध है कि जनपद कानपुर नगर में कल्यानपुर विधान सभा के अन्तर्गत अराजी नम्बर-1700 बारा सिरोही में वार्ड नम्बर-19 में मनीष जरनल स्टोर से लेकर नीलम वर्मा के घर तक पक्के मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतएव अनुरोध हैं कि जनहित में जनपद कानपुर नगर में कल्यानपुर विधान सभा के अन्तर्गत उक्त मार्ग का पक्का निर्माण कराने विषयक याचिका स्वीकार करने की कृपा करें।]

मे0 ओफिडियन बायोनिक्स प्रा0 लि0 कं0 के निदेशकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

ई0 सरवन कुमार निषाद-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में कुकरैल, वन रेंज, लखनऊ में कार्यरत श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा द्वारा अनैतिक तरीके से विभाग के अधिकारियों से सांठ-गांठ करने अपने पति श्री निशांत रुद्र को जो M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED के तीन निदेशकों में एक हैं, को निजी क्षेत्र में सर्पों को विष विदोहन के कार्य में लाभ प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती रेनु सिंह का उक्त कार्य उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है। श्रीमती रेनू सिंह पूर्व में दैनिक वेतन कर्मचारी थी एवं तब से लगातार जनपद-लखनऊ में ही कार्यरत हैं।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-159/23-2-44, दिनांक 12 जुलाई, 2021 के द्वारा मे0 ओफिडियन बायोनिक्स, गाटा संख्या-815-क, तप्पोसिपाह, परगना हिसामपुर, तहसील व जनपद बहराइच को निजी क्षेत्र में सर्पों को विष विदोहन लाइसेन्स निर्गत किया गया है M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED के नाम निजी क्षेत्र में सर्पों को विष विदोहन के कार्य हेतु लाइसेन्स निर्गत नहीं हुआ है परन्तु तत्कालीन श्री मनीष सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के पत्र संख्या-2724/23-1 दिनांक

18 दिसम्बर, 2021 के पत्र में भी विष विदोहन हेतु M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED का उल्लेख किया गया है। जो पूर्णतः गलत है, उक्त कृत पर वन विभाग द्वारा श्री मनीष सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

उक्त के अतिरिक्त M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED को सर्प विष विदोहन के कार्य हेतु प्रमाणिक करने के लिए उक्त फर्म के निदेशकों द्वारा सर्प विष विदोहन के विक्रय कार्य हेतु जी0एस0टी0 न0- GSTIN/UIN-09AADCO5087F1Z8 आवंटित भी कराया गया है तथा उक्त जी0एस0टी0 नम्बर के आधार पर M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED द्वारा सर्प विष विक्रय के Quotation नं0-OB/2021-22/Quote/011, दिनांक 26-11-2021 द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे स्थित कम्पनी Premium Serums and Vaccines pvt. ltd को भेजा गया, उक्त कृत पर भी वन विभाग द्वारा कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि श्रीमती रेनु के पति श्री निशांत रुद्र उक्त कम्पनी के तीन निदेशकों में एक थे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं नियम विरुद्ध तरीके से सर्प विष के विक्रय का Quotation कम्पनी Premium Serums and Vaccines pvt. ltd को भेजने की जाँच कराने तथा श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा जो नियम विरुद्ध तरीके से विभागीय अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर अपने पति श्री निशांत रुद्र की कम्पनी M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED जिसके नाम निजी क्षेत्र में सर्पों को विष विदोहन के कार्य का लाइसेन्स वन विभाग द्वारा जारी नहीं किया है, को लाभ प्रदान किया गया के क्रम में श्रीमती रेनु सिंह की उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण निमयावली, 1956 के उल्लंघन किये जाने पर श्रीमती रेनु सिंह, वन दरोगा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सदन में चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में वृद्धा पेंशन एवं विकलांग पेंशन में वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

मो0 ताहिर खाँ-

[मान्यवर, सादर आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आम जनमानस के हित में वृद्धा पेंशन, विकलांग अभ्यर्थियों को 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, इस मंहगाई के दौर में

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1000 रुपये में उनका जीवन-यापन चलना मुश्किल हो गया है। उनके साथ परिवार के लोग व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं उन्हें घृणित निगाह से देखा करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी उनके जीवन को मुख्य धारा से जोड़ते हुए प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से माह में 3000/- करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके चेहरे पर प्रसन्नता बिखेरते हुए 3000/- प्रतिमाह देने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए माँग करते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत नगर पंचायत सरीला में कार्यरत अधिशाषी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-राठ, जनपद-हमीरपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत सरीला में कार्यरत् अधिशाषी अधिकारी के कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों के एवज में किये गये समस्त भुगतानों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा शिकायती-पत्र संख्या-194, दिनांक 12-10-2022 मंडलायुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा को प्रेषित किया गया था, जिसकी जाँच करने पर आरोप सही पाते हुए अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सरीला, दीपिका यादव को दोषी ठहराते हुए पत्रावली शासन को प्रेषित कर दी गयी थी, परन्तु लगभग 01 वर्ष की समयावधि व्यतीत हो जाने पर भी दोषी को दण्डित कर मुझे अवगत नहीं कराया गया है। जनहित में उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये अधिशाषी अधिकारी को 07 कार्य दिवसों के भीतर दण्डित कराकर मुझे अवगत कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करती हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ में चकबन्दी अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप पुनः चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि ग्राम पूरे हुडहा, तहसील सदर, जनपद-प्रतापगढ़ में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है, ग्रामवासियों में चकबन्दी प्रक्रिया का सार्वजनिक लाभ देने हेतु 7 प्रतिशत भूमि कटौती की गयी है परन्तु सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्रिस्तान, शमशान विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी व खेल का मैदान के भूमि का चकबन्दी अधिकारियों व चकबन्दी लेखपालों द्वारा मालियत लगाकर सुरक्षित नहीं किया गया है। मौके पर

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाग है पेड़ों की मालियत नहीं लगायी गयी है तथा बन्दोस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा बिना पड़ताल व रि-सर्वे किये बगैर चकबन्दी प्रक्रिया की जा रही है, ग्राम में चकबन्दी समिति बनायी गयी है उन्हें लाभ देकर गरीबों के साथ अहित किया गया है। ग्रामवासियों द्वारा अनियमितता, भ्रष्टाचार करके हो रहे विधि विरुद्ध चकबन्दी प्रक्रिया की शिकायत कई बार शासन/प्रशासन के उच्चाधिकारियों से किया गया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकरण तत्कालिक एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माँग करता हूँ कि चकबन्दी अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप पुनः चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने की माँग करता हूँ।]

उ0प्र0 के महाविद्यालयों में संचालित बी0एड0 विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद चतुर्वेदी-

[महोदय, अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना है कि सूच्य है कि उ0प्र0 के 6 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित बी0एड0 विभागों में कार्यरत प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण का निर्णय उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 2247/सत्तर-6-2013-374/2005 के अन्तर्गत दिनांक 05 फरवरी, 2014 को लिया गया था जिसमें वर्णित बीस वर्ष पुरानी कट ऑफ तिथि 31 अगस्त, 2003 को वर्तमान सन्दर्भ में आवर्तक अनुदान सूची पर लिये जाने के दिनांक तक अर्थात् 01 मई, 2014 तक विस्तारित करना अत्यन्त आवश्यक है जिससे विनियमितीकरण से वंचित रह गये सम्पूर्ण उ0प्र0 के मात्र 28 बी0एड0 प्रवक्ताओं को विनियमित किया जा सके और सम्बन्धित महाविद्यालयों के रिक्त पड़े पदों को भरकर बी0एड0 विभागों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

उ0प्र0 में बिजली विभाग द्वारा की जा रही टेण्डर प्रक्रिया की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उ0प्र0 में बिजली विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है जिसमें किसी भी जनपद में कोई टेण्डर प्रक्रिया नहीं की गयी है। जिससे प्रदेश के

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिजली विभाग में घोर अनियमितता की गयी है। उक्त कार्यों की जांच/प्रदेश स्तरीय कमेटी की जाँच कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त कार्यों की जाँच कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद के विकास खण्ड सरकोनी में पम्प कैनाल के मरम्मत कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद के विकास खण्ड सरकोनी में पम्प कैनाल लम्बे समय से कार्यरत है, एक मोथहां दूसरा जगदीशपुर, अभी विगत वर्षों में शासन से काफी धनराशि खर्च करके कुछ दूरी तक नहर का पाइप से व पक्के कार्य से पानी पहुंचाने में सुगमता हो, का कार्य हुआ। परन्तु कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया तथा अभी से जगह-जगह रिसाव तथा खरपतवार भर गये हैं, वहां से लगभग बीस ग्रामों की सिंचाई का मात्र सही दो पम्प कैनाल ही साधन है।

अतः पानी टेल तक पहुंचे तथा मरम्मत हो कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच हो।

इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सोनबरसा में 100 बेड के अस्पताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ । बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत सोनबरसा में 100 बेड का अस्पताल का भवन जो काफी दिनों से बनकर तैयार है परन्तु उक्त अस्पताल में न तो डाक्टर और न ही अन्य स्टाफ की तैनाती की गयी और न ही दवायें एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था की गयी है। उक्त अस्पताल पूर्ण रूप से दो नदियों घाघरा, औरा नदी के बीच दियरांचल का इलाका है। बरसात के दिनों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं एन0एच0-31 पर होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं जिनको अस्पतालों तक पहुँचाने में आधे रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपना जान गवां देता है। उन्हें बीच में कहीं इलाज की कोई सुविधा नहीं

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिल पाती है, जिससे आम जनमान को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में उपरोक्त अस्पताल में डाक्टर, अन्य स्टाफ, टेक्नीशियन एवं दवायें तथा उपकरण उपलब्ध कराकर तत्काल चालू कराया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त अस्पताल चालू न होने से आम जनमानस में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं जनहित के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आम जनमानस को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सोनबरसा 100 बेड का अस्पताल को तत्काल चालू कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ब्लॉक चकरनगर जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी क्षेत्र में आता है, 1947 से अब तक निम्न मार्गों में :-

1-फूप चौरेल मार्ग पर भोआ ग्राम से आंक डांड़े होते हुए बिरोनाबाग़ तक लगभग 2.5 किलोमीटर।

2-भरेह चकरनगर मार्ग से कांयची ग्राम तक लगभग 3 किलोमीटर का निर्माण अब तक नहीं कराया गया, जिसके कारण बरसात के दिनों में उक्त मार्गों पर आवागमन नहीं हो पाता है मार्गों से सम्बन्धित ग्रामों के निवासियों को कीचड़मय सड़क से पैदल चलने को मजबूर होना पड़ता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्रवाई कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बांदा की सदर तहसील में भू-माफिया एवं सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भूमि क्रय-विक्रय में की गयी अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ जनपद बांदा के नगर क्षेत्र मोहल्ला अलीगंज राजस्व अभिलेखों में मौजा लड़ाकापुरवा के नाम से दर्ज है जिसमें स्थित खूटी चौराहा रामलीला एवं जिला परिषद् के पास निजामी पैलेस के बगल

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में पुराना सरकारी हैजाख़ाना के निम्न गाटा संख्याओं पर भू-माफियाओं ने अभिलेखों में हेरा-फेरी कर सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी भूमि को बेचने का कार्य विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। जिसमें राजस्व विभाग के लेखपाल नगर पालिका परिषद् के कर्मचारियों का इस अवैध कार्य में पूरा सहयोग भू-माफियाओं का करते हैं। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गाटा संख्या निम्नवत् है :-2255, 2256, 2295, 2297, 2298 व 2305, 2306, 2309, 2310, 2311, 2312 आदि मौजा लड़ाकापुरवा हाल मुहल्ला अलीगंज सदर तहसील, बांदा/नगर पालिका क्षेत्र पालिका परिषद् बांदा मे स्थित उक्त भूमि में भू-माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से बेची गयी जमीन पर निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से कार्यवाही किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के नवीन मण्डी क्षेत्र में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ । जनपद वाराणसी के नवीन क्षेत्र मण्डी स्थल पहाड़िया में चार वर्ष पूर्व हुए (रु0 3.86 करोड़) के घोटाले की जाँच को सुनियोजित ढंग से समाप्त कर ठेकेदारों को भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया। राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 विशेष सचिव मा0 मुख्य मंत्री लखनऊ में मा0 उच्चतम न्यायालय से वर्कचार्ज/मस्टर रोल कर्मियों के पक्ष में निर्णय न होने तथा शासनादेश सं0-44/2015/वे0आ0-2-796/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 13-8-2015 की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक लाभ लेकर अयोग्य दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मियों को सहायक अभियंता (निर्माण) के पद पर नियमित किया गया है। सचिव, मण्डी समिति नोएडा की अनियमित तरीके से नियुक्ति की गयी। निदेशक कैम्प आशुलिपिक उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में आशुलिपिक को गलत तरीके से विनियमित किया गया। कुछ निलम्बित कर्मियों को जीवन निर्वाह भत्ता 75 प्रतिशत भुगतान किया गया तथा कतिपय कर्मियों को 50 प्रतिशत भुगतान किया गया जबकि शासनादेश 75 प्रतिशत भुगतान किये जाने का है। अनुसूचित जाति कर्मियों को निदेशक मण्डी परिषद् द्वारा पीड़ित किया गया। प्रयागराज मण्डी परिषद् में लाल डायरी में परिषद् के पूरे कमीशन के लेखे-जोखे की जाँच कराया जाना एवं वर्तमान में मुरादाबाद/मेरठ उप निदेशक निर्माण, प्रयागराज के 2 साल के कार्यकाल की जाँच नहीं की गयी और मंजीत वरिष्ठ सहायक कर्मचारी की तैनाती निर्माण खण्ड झांसी में थी, बिना

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसी मुख्यालय की अनुमति के महेन्द्र कुमार द्वारा उसको प्रयागराज निर्माण खण्ड में कार्य करने के लिए भेजा गया और उसी कर्मचारी द्वारा घोटाला किया गया। बिना छुट्टी के झांसी से वेतन निकाला गया। इसमें महेन्द्र कुमार पूर्ण तरह से दोषी है। जनप्रतिनिधियों के शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। विपणन अधिकारी द्वारा अभिलेखों में हेरा-फेरी में सेवानिवृत्त होने के बाद भी सतर्कता जाँच संचालित है। अनुभाग अधिकारी द्वारा करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित की है। निर्माण खण्ड मेरठ में 5 लाख रुपये का लो0नि0वि0 को बिना कार्य कराये फर्जी भुगतान किया गया था। निर्माण खण्ड वाराणसी में इन्टीग्रेटेड पैड हाउस का निर्माण रोड लेविल से 3 फिट नीचे गड्ढे में निर्माण मानकविहीन है करा दिया गया है। सजातीय ठेकेदारों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के बावजूद काली सूची में नहीं डाला गया है। पहाड़िया मण्डी वाराणसी में उच्च स्तरीय जाँच समिति की जाँच आख्या को निम्न स्तरीय जाँच आख्या से खण्डित किया गया है जो नियम विरुद्ध है। पहाड़िया मण्डी वाराणसी में मनमाने तरीके से हुए कार्य को श्री विनोद कुमार राय प्रभारी, उप निदेशक निर्माण द्वारा बिना नियम के दोबारा पुनः दिखाकर पुनः माप करायी गयी जो नियम विरुद्ध है। उपरोक्त गम्भीर प्रकरण है, जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जाँच कराकर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत टड़ियावं कोपागंज में 100 बेड के अस्पताल में डाक्टर एवं स्टाफ नर्स की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधाकर सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घोसी जनपद मऊ के अन्तर्गत टड़ियावं कोपागंज म0 में 100 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार में बनकर तैयार है। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उक्त अस्पताल में एक भी डाक्टर व स्टाप अभी तक शासन द्वारा नियुक्ति नहीं किया गया है। जिसके कारण हमारी सरकार में बनाये गये अस्पताल में जो धनराशि गरीबों के इलाज के लिए खर्च की गयी थी, उसका समुचित लाभ क्षेत्र के आम जनमानस को नहीं मिल रहा है। जिसके कारण गरीबों को इलाज हेतु दर-दर भटकना पड रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए डाक्टर एवं स्टाप की तत्काल नियुक्ति किये जाने हेतु माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेवा (डुमरियागंज) के अधीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाहिद मंजूर-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेवा (डुमरियागंज) के अधीक्षक द्वारा अपना प्राइवेट हास्पिटल चलाने की वजह से क्षेत्रीय जनता के उपचार में कोई रुचि नहीं ली जा रही है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न करते हैं, जिसमें खास तौर से ए0एन0एम0 का उत्पीड़न इस बात के लिए किया जाता है कि मरीज इलाज के लिए आते हैं उन्हें मेरे प्राइवेट हास्पिटल में क्यों नहीं भेजती हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में शासन एवं प्रशासन के विरुद्ध रोष व्याप्त है।

अतः मा0 सदन के माध्यम से सम्बन्धित के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भैसौंधा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल प्रधान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी अन्तर्गत ग्राम पंचायत भैसौंधा में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यहां पर कॉलेज निर्माण नहीं होने से इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन हेतु काफी दूर जाना पड़ता है। इसलिये ग्राम पंचायत भैसौंधा में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना करवाये जाने की कृपा करें। जिससे यहां के छात्र-छात्राओं की शिक्षा में सुधार हो सके।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्रवाई कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा में अवैध बालू खनन की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा, ग्राम खरीद में अवैध बालू का खनन हो रहा है। जिससे ठेकेदार एवं

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाड़ी वाले मनमाने तरीके से लूट रहे हैं। आम आदमी को पर्ची दे रहे हैं एवं भारी वाहन से खनन करके अवैध धन उगाही कर रहे हैं। जिन किसानों की जमीन अपनी निजी है उसमें भी दबंगई के बल पर अवैध खनन कर रहे हैं और न तो ट्राली ट्रैक्टर वालों को पर्ची ही दे रहे हैं। इसमें खनन विभाग के कर्मचारी भी संलिप्त हैं।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जाँच कराकर ग्राम कठौड़ा खरीद, तहसील सिकन्दरपुर, जनपद बलिया में अवैध हो रहे बालू खनन को रोका जाय तथा दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

कैंसर के बीमार व्यक्तियों के इलाज के सम्बन्ध में आसानी से पुनः धनराशि मिलने हेतु नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[श्रीमान्, उपरोक्त के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

ये सहायता योजना असहाय व्यक्तियों के लिये इलाज के सम्बन्ध में बहुत बड़ी सहायता कही जायेगी। इस सम्बन्ध में मुझे आपके संज्ञान में लाना है कि अनुभव में आया है कि कैंसर से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में जब तक जीवित हैं तब तक इलाज कराना ही पड़ता है। सरकार की ओर से जो सहायत इन्हें प्रदान की जाती है, सम्बन्धित अस्पताल के आगणन की आधी ही धनराशि दी जाती है और एक बार के पेमेन्ट के बाद जब दुबारा अस्पताल का आगणन देने के बावजूद भी मरीजों को पुनः धनराशि नहीं मिल पाती है।

उपरोक्त परिस्थितियों में कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कैंसर से पीड़ित मरीजों के पुनः पेमेन्ट में कोई नियम बनाने का कष्ट करें, जिससे असहाय कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज में कोई कठिनाई न हो, आपके इस कार्य से पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी।]

जनपद बस्ती में न्यायालय के आदेश का पालन न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कविन्द्र चौधरी-

[महोदय, जनपद बस्ती के भानपुर तहसील के नायब (सोनहा/भानपुर) तहसीलदार द्वारा वाद सं0 02061/2020 व वाद सं0-T202017140202061, जोकि एक वसीयतनामा के आधार पर दाखिल खारिज के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया था तथा दाखिल खारिज का आदेश भी दिया गया और बाद में स्थगन आदेश भी दिया गया था। उक्त वाद 03-10-2020

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को दर्ज किया गया था, जबकि वसीयतकर्ता की मृत्यु एक दिन बाद 04-10-2020 को हुई थी। दाखिल खारिज के सम्बन्ध में सहखातेदार को समन भी प्राप्त नहीं हुए थे, बल्कि गांव के दो लोगों से यह लिखवा लिया गया था कि घर पर कोई नहीं है, जबकि सहखातेदार के परिवार में लगभग 20 लोग हैं।

अतः आपके माध्यम से उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य चाहूंगा कि क्या वसीयतकर्ता के जीवित रहते वसीयत कराने वाला व्यक्ति वसीयत का दावा पेश कर दाखिल खारिज करा सकता है। यदि नहीं, उपरोक्त वाद स्वीकार करने वाले तत्कालीन नायब तहसीलदार और स्थगन आदेश को बलहीन बताकर निरस्त करने वाले वर्तमान नायब तहसीलदार पर जाँच कराकर कार्रवाई की माँग कराता हूँ।]

हमीरपुर-राठ से मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद हमीरपुर-राठ-गुरसराय-झांसी मार्ग मिसिंग लिंक मार्ग की एन0एच0-42 जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग, विश्व बैंक खण्ड कानपुर द्वारा वर्ष 2016-17 से कराया जा रहा है। जिसके संरक्षण में 4 ग्राम तहसील गरौठा, जनपद झांसी और 13 ग्राम तहसील राठ हमीरपुर के प्रभावित हो रहे हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2022 से शुरू की गयी थी, जिसके लगभग 1750 किसान प्रभावित हैं। सरकारी मानकों के अनुसार लोक निर्माण विभाग, विश्व बैक खण्ड कानपुर द्वारा लगभग 90 प्रतिशत अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष भूमि अधिग्रहण का कार्य विभाग द्वारा रोक दिया गया है। जबकि लोक निर्माण द्वारा सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था कान्ट्रेक्टर को मार्च, 2023 में ही फाइनल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त कार्य को कराये जाने हेतु माँग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हो रही नहरों की सफाई मानक के अनुरूप नहीं होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हो रही नहरों की सिल्ट सफाई जोकि मानक के

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुरूप नहीं हो रही है। नहर की सफाई में अधिकारियों द्वारा घोर अनियमितता की गयी है। स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली-भगत से सफाई का कार्य केवल कागज में दिखाकर करोड़ों का हेरा-फेरी कर लिया गया है। अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और अभियन्ता आये दिन भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। जिसकी जाँच कराकर कठोर कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में हुए उपरोक्त कार्यों की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु माँग सरकार से करता हूँ।]

जनपद कानपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मोतीनगर व ओम पुरवा में पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ओमपुरवा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये एक नये ट्यूबवेल की आवश्यकता है और वार्ड-73 के मोतीनगर क्षेत्र में पुराना ट्यूबवेल लगभग समाप्ती की ओर है, इसमें रि-बोर की आवश्यकता है। दोनों क्षेत्रों की पेयजल की समस्या का समाधान करने का कष्ट करें, जो कि जनहित में है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराकर उपरोक्त समस्या का समाधान किये जाने हेतु वक्तव्य दिए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में जहाँगीरपुर बिजली घर के पास एक विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी नासिर कुरैशी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-27, मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद ग्रामीण के अन्तर्गत नगर पंचायत भोजपुर एवं पीपलसाना में 1 बिजली घर है, जोकि पीपलसाना में स्थित है। इस बिजली घर को सप्लाई 132 के0वी0 सब-स्टेशन ठाकुरद्वारा से मिलती है। जहांगीरपुर से बिजली मिलती है, यह लाइन 34 किमी0 दूर से यहां आती है, इस लाइन की अधिकतम क्षमता इस समय 360 एम्पियर है, जिस पर काफी लोड है। वह 416 एम्पियर चलता है। इस पर ओवरलोड अधिक होने के कारण रात में ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। यह लाइन जंगलों से गुजरती है अक्सर यहां पर कोई फाल्ट होती है, तो बनाने में काफी परेशानी होती है। फाल्ट को सही करने में लगभग 7 से 9 घण्टे लग जाते हैं। तब जाकर सही हो पाता है। जहांगीरपुर

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिजली घर के पास पर्याप्त जगह ढूंढकर एक नया 132 के0वी0 का सब-सटेशन बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके बन जाने से क्षेत्रीय लोगों को सुविधा प्राप्त हो जायेगी। इस क्षेत्र की आबादी लगभग दो लाख से अधिक है, जहां पर सब-स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

प्रदेश के कतिपय जनपदों में होने वाली पिपरमिन्ट की खेती की कीमत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मान्यवर, हमारा देश किसान प्रधान देश है। 80 फीसदी लोग खेती करते हैं। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबसे प्रदेश में सत्तारुढ़ हुई है किसानों की बर्बादी और तबाही हुई है। किसान की आमदनी का जनपद बाराबंकी, सीतापुर, खीरी लखीमपुर, हरदोई, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बरेली आदि जिले ऐसे हैं, जहां पर मेन्थाल (पिपरमिन्ट) की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। जो बहुत कम समय में और कम लागत में तैयार हो जाती है। जिसके तेल को बेचकर किसान अपनी बेटी की शादी, बच्चों की पड़ाई और दवाई एवं तमाम खर्चे चलाता था, क्योंकि उत्पादन लागत से ज्यादा मेन्थाल की खेती से उसका तेल निकाल कर बेचकर अच्छी आमदनी कर लेता था, 2012-2017 तक मेन्थाल की कीमत 2400 रुपये किलो थी, आज अफसोस है कि उसकी कीमत 900 रुपये किलो हो गयी है। जनपद बाराबंकी जिसमें दरियाबाद, रुदौली शामिल है, में एक लाख 10 हजार हे0 पर इसकी खेती होती थी, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन विदेशों से जिसमें जर्मनी, मलेशिया, जापान से सिन्थेटिक ऑयल आयात होने से हमारे यहां के किसानों को उचित मूल्य न मिल पाने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं। किसानों के बेटियों की शादी एवं बच्चों की पढ़ाई आदि नहीं हो पा रही है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर माँग करता हूँ कि विदेशों से नकली मेन्थाल आयात को रोका जाय और उ0प्र0 के उपरोक्त जिलों खास तौर से बाराबंकी के दरियाबाद एवं रुदौली जहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता था, किसान उस पर आधारित था। इसके तेल की कीमत कम से कम 3000 रुपये प्रति किलो निर्धारित हो।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत अहरौरी ब्लाक में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभाष कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़े सुदूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र अहिरौरी ब्लाक केन्द्र पर बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण वहां की छात्राओं को दूरस्थ स्थित कालेज जाना पड़ता है, जिस कारण से कई बालिकाओं ने शिक्षा ग्रहण करना छोड़ दिया है। शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, जो कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को मिलना चाहिए।

अतः मैं आपके माध्यम से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत अहिरौरी ब्लाक में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज के अन्तर्गत हो रही माइनरों की सिल्ट सफाई मानक अनुरूप न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, जनपद अमेठी के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज में सिंचाई विभाग, अमेठी/सुल्तानपुर के खण्ड-49 द्वारा वर्तमान में अमेठी रजबहा सहित लगभग सभी रजबाहों एवं माइनरों की सिल्ट सफाई का कार्य किया जा रहा है। सिल्ट सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। सम्बन्धित विभाग द्वारा खुलेआम बिना भय के मानकों के विपरीत उक्त कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और किसानों में रोष है। सही सफाई न होने से किसानों को उचित सिंचाई सुविधा मिल पाना सम्भव नहीं होगा।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये विशेष जाँच दल गठित कर यथाशीघ्र इन कार्यों की प्रभावी जाँच कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के चाँदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धनौरा मार्ग से रामपुर नजराना तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक औचित्य के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के चाँदपुर-धनौरा मार्ग

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सें रामपुर नजराना तक जिसकी लम्बाई लगभग 500 मीटर की है। मण्डी समिति द्वारा डामरीकृत बना हुआ था। इस मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण यह मार्ग बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। बरसात के समय प्रायः आवागमन बन्द हो जाता है। इस मार्ग पर प्रायः दुर्घटना होने लगी है। इस मार्ग पर गुजरना असम्भव हो चुका है। इस मार्ग पर सैकड़ों गाँवों के किसानों, छात्रों, व्यापारियों, आम नागरिकों को इस आवगमन में बहुत कठिनाई होती है। इस मार्ग की विशेष मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

यू0पी0 को-आपरेटिव फेडरेशन में कार्यरत नरेन्द्र सिंह, उप महाप्रबन्धक की अनियमित नियुक्ति एवं कदाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कुमार शर्मा-

[महोदय, निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि पी0सी0एफ0 के उपक्रम सोयाबीन व वनस्पति परियोजना हल्द्वानी में श्री नरेन्द्र सिंह को उप प्रबन्धक विपणन के पद पर वर्ष 1991 में अनियमित रूप से नियुक्त किया गया, क्योंकि शासन से उक्त पद के बजाय उप विपणन प्रबन्धक पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। श्री नरेन्द्र सिंह को सपा शासनकाल में दिनांक 07-05-2004 को अनियमित रूप से प्रबन्धक पद पर प्रोन्नत कर दिया गया तथा वर्ष 2012 में उन्हे प्रबन्धक से उप महाप्रबन्धक पद पर अधिकारियों से साँठ-गाँठ कर प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी। श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा उप महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबंधक, पी0सी0एफ0 लखनऊ के कार्यकाल में जनपद-हरदोई में वर्ष 2012-13 में धान खरीद में रु0 14.21 लाख का गबन कराया गया जिस पर पी0सी0एफ0 प्रबन्धन द्वारा क्षति की वसूली के साथ-साथ वेतन वृद्धि पर रोक तथा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी तथा जनपद रायबरेली में भी धान खरीद में गबन कराया गया। उनके द्वारा किये जा रहे निरन्तर भ्रष्टाचार के बावजूद पी0सी0एफ0 मुख्यालय में उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाय ने उप महाप्रबन्धक के पद पर गत वर्ष से निरन्तर शासन की नीतियों के विरुद्ध बनाए रखा गया है, जिसके फलस्वरूप जनपद-बदायूं, प्रतापगढ़, बलरामपुर, आजमगढ़, बस्ती, रामपुर एवं फर्रुखाबाद में करोड़ों रुपये मूल्य के उर्वरक का गबन कराया गया है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके विपरीत उन्हे पुरस्कार स्वरूप वर्तमान कार्य के साथ उप महाप्रबन्धक प्रशासन जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण पद पर तैनात रखा गया है। जिससे वो अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार की जाँच को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करते रहे हैं। परिवहन ठेकेदारों से परिवहन कार्य के विरुद्ध अनियमित रूप से 5 प्रतिशत की दर से कमीशन की उगाही भी श्री सिंह द्वारा की जा रही है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद हरदोई के थाना बघौली के अन्तर्गत ग्राम मढ़िया तथा पिपोना में पैतृक व भू-लेख अभिलेखों में दर्ज जमीन पर प्रधानमंत्री आवास न बनने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति पर कार्य कर रही है, जबकि कतिपय अधिकारी/कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ में मनमानी व तानाशाही कर रहे हैं तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जनपद हरदोई के थाना-बघौली के अन्तर्गत ग्राम-मढ़िया, ग्राम सभा-पिपोना का है, जहाँ विपक्षियों की क्षेत्रीय लेखपाल, पुलिस आदि से सांठ-गांठ होने के कारण गरीब, मजदूर लोगों को अपनी पैतृक व भूलेख अभिलेखों पर दर्ज जमीन पर भी घर एवं प्रधानमंत्री आवास जबरन बनाने नहीं दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में पीड़ितों द्वारा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, हरदोई, उप जिलाधिकारी, सदर, हरदोई आदि से शिकायतें की गईं तथा थोक बन्दी/भूमि पैमाइश का अनुरोध किया गया, किन्तु क्षेत्रीय लेखपाल/पुलिस द्वारा अपने निजी स्वार्थ में जाँच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गयी। इस सम्बन्ध में श्री पल्टूराम, मा0 विधायक, बलरामपुर सदर द्वारा पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री एवं जिलाधिकारी, हरदोई से प्रकरण में निष्पक्ष जाँच करने तथा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया, किन्तु फिर भी क्षेत्रीय लेखपाल/पुलिस की विपक्षियों से भारी सांठ-गांठ होने के कारण जांच/पैमाइश के नाम पर केवल खानापूर्ति की गयी तथा पीड़ितों को अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया है, पीड़ित लोग अत्यन्त निर्धन हैं तथा दलित एवं शोषित समाज से आते हैं।

अस्तु महोदय जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण में उच्च स्तरीय जाँच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जाँच/भूमि की पैमाइश/थोक बन्दी कराने तथा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत दुधली-भनेडा मार्ग से शिवमन्दिर होते हुये नसीरपुर तक बने मार्ग को पुनः निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विकास खण्ड किरतपुर के अन्तर्गत दुधली-भनेडा मार्ग से शिवमन्दिर होते हुए नसीरपुर मिठारी तक का मार्ग देश को आजाद हुऐ लगभग 75 वर्ष बाद भी आज तक कच्चा है, इसलिए ग्राम के अन्दर 300 मी0 सी0सी0, ग्राम के बाहर 300 मी0 डामर रोड जिला पंचायत विभाग से बनवाये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में शासन को मेरे द्वारा इसका प्रस्ताव भी दिया गया, परन्तु आज तक इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया। जिस कारण क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दुधली-भनेडा मार्ग से शिवमन्दिर होते हुए नसीरपुर मिठारी तक ग्राम के अन्दर 300 मी0 सी0सी0, ग्राम के बाहर 300 मी0 डामर रोड जिला पंचायत विभाग द्वारा बनवाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत मौसमपुर व सैजनी में विद्युत सब-स्टेशन बनाने जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूँ के विकास खण्ड समरेर के अन्तर्गत मौसमपुर व दातागंज विकास खण्ड के सैजनी में विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत है। परन्तु अभी तक धन अवमुक्त न किये जाने के कारण क्षेत्र के लोगों को लो-वोल्टेज व बरसात के समय में कई-कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति की समस्या से परेशान होना पड़ता है। जिससे किसानों की सिंचाई एवं छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती रहती है। जनहित में उक्त स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अवलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र दातागंज के उपरोक्त दोनों विकास खण्डों में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत हरिहरपुर तिराहे से रौतावां सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत माँ कामाख्या धाम को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग हरिहरपुर तिराहे से सैमसी, भरतपुर, गनेशपुर, बकचुना, मोहली, रौतावां, सम्पर्क मार्ग जो सन्त भीखादास आश्रम को भी जोड़ता है। सन्त भीखादास आश्रम पर प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धालुओं/पर्यटकों का भारी मात्रा में आवागमन होता है। इसी मार्ग से माँ कामाख्या धाम पर प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को माँ भक्तों का लाखों में आवागमन होता है। दोनों धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले इस मार्ग पर दर्जनों इण्टर कालेज और महाविद्यालय हैं। छात्र/छात्राओं का भारी संख्या में आवागमन रहता है। सड़क के चौड़ीकरण न होने से आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। उक्त मार्ग आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय को भी जोड़ता है। विकास खण्ड मवई व अमानीगंज दो ब्लाकों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। किसानों, व्यापारियों, छात्र/छात्राओं एवं श्रद्धालुओं के आवामगन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँ कामाख्या धाम को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग हरिहरपुर तिराहे से सैमसी, भरतपुर, गनेशपुर, बकचुना, मोहली, रौतावां सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बरेली के तहसील सदर के ग्राम नवादा में स्थित जमीन पर मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-बरेली के तहसील सदर के ग्राम नवादा शेखान, बाहर चुंगी में स्थित गाटा संख्या-132, क्षेत्रफल-0.481 हे0 भूमि वर्तमान खतौनी अनुसार गुलाम हुसैन पुत्र हिद्दन आदि के नाम बतौर संक्रमणीय दर्ज है। जिलाधिकारी, बरेली के पत्र दिनांक 18-09-2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय जनपद बरेली के द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसमें दर्शाया गया है कि वाद संख्या-82/2023 सदाकत हुसैन बनाम अफसर हुसैन माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 लघु वाद न्यायाधीध बरेली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-02-2023 दिखाया गया, जबकि उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा दिनांक 21-03-2023 को ही स्थगित कर दिया गया।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके साथ ही सदाकत हुसैन या अफसर हुसैन का राजस्व आदि बनाम रोशन जहाँ राजस्व अभिलेखों में दर्ज संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार दर्ज है। इसके साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी तृतीय के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-29/2023 एवं 30/2023, दिनांक 13-01-2023 को आबिद हुसैन आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होना दर्शाया गया। एक गाटा संख्या-132 में एक ही दिन पर दो अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें स्थानीय पुलिस थाना बारादरी के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने विधि विरुद्ध कार्य करके एक ही जमीन के दो मालिक बनाते हुए अभियोग पंजीकृत किये। जहाँ एक तरफ सदाकत हुसैन अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है वहीं दूसरी तरफ अन्य लोगों को बिना मालिकाना हक के एग्रीमेंट कर रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा जाँच न करके पूर्व की दी हुयी आख्या दिनांक 13-07-2023 को ही तिथि बदलकर पुनः सदन को भेज दिया गया जबकि जिलाधिकारी बरेली के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर प्रत्यावेदन का निस्तारण कर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज आबिद हुसैन, गुलाम हुसैन आदि के पक्ष में आदेश किया जा चुका है। राजस्व टीम की आख्या के अनुसार वाद संख्या-82/2023 को माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा दिनांक 06-02-2023 के आदेश को दिनांक 21-03-2023 को स्थगित किया जा चुका है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय सिविल जज जूडि0 द्वारा उक्त सदाकत हुसैन, साबिर हुसैन आदि को दिनांक 10-05-2023 को अपने आदेश में निषेधित किया गया, परन्तु स्थानीय पुलिस थाना बारादरी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भूमि स्वामी को कब्जा दिलाए जाने हेतु वक्तब्य की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गल्ला खेड़ी नहर से सतवई मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर में विकास खण्ड बुढ़नपुर के अन्तर्गत गल्ला खेड़ी नहर के किमी0-14.3 से मड़ैय्यों मुण्डा खेड़ी होते हुए सतवई मार्ग जिसकी लम्बाई 2.5 किमी0 है, कच्चा एवं अत्यन्त खराब है। जिससे अनेकों ग्रामों को आने-जाने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः प्राथमिकता के आधार पर गल्लाखेड़ी नहर के किमी0 14.3 से मड़ैय्यों, मुण्डा खेड़ी होते हुए सतवई मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये जायें।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्टा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में ग्राम मौ0 अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्टा तक सम्पर्क मार्ग, जो कि लगभाग 1200 मीटर है, काफी समय से बदहाल स्थिति में है। मार्ग से लगभग एक दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामवासियों का आवागमन है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से क्षेत्र के ग्रामवासी उपरोक्त मार्ग के निर्माण की माँग करते आ रहे हैं। परन्तु अभी तक मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मैं सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विद्युत विभाग में अवैध रूप से तैनात कर्मचारियों की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद-अयोध्या के अति लोक महत्व के सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड अयोध्या के द्वारा अपने चहेते कर्मचारियों को एक साथ कई स्थानों पर तैनाती दिखाकर विद्युत विभाग से सैलरी दिलाई जा रही है जैसे निखिल श्रीवास्तव उर्फ रोहित की तैनाती मेसर्स प्राइम-1 में कुशल कर्मी के रूप में मसौधा पवार हाउस पर विगत पाँच वर्ष से सैलरी दिलाई जा रही है, जबकि इसी अवधि में निखिल श्रीवास्तव उर्फ रोहित तैनाती अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में भी कराकर पुनः सैलरी दिलाई जा रही है। इस सम्बन्ध में दिनांक 06-09-2023 को मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग अयोध्या क्षेत्र के यहाँ शिकायत की गयी, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड अयोध्या के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मेरठ में प्रकाश हेतु लगी हाईमास्क लाइट को नगर निगम द्वारा ठीक न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अन्सारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि नगर निगम क्षेत्र में यदि किसी जन-प्रतिनिधि द्वारा पेयजल या विद्युत प्रकाश की व्यवस्था अपनी निधि द्वारा की जाती है। तो उसका रख-रखाव या खराब होने की स्थिति में उसको ठीक करने का उत्तरदायित्व किसका होगा। मेरे द्वारा अपनी विधान सभा क्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रकाश हेतु 70 से अधिक हाईमास्क लगवाई गयी। जो हैण्डओवर के समय सभी चालू थीं। क्योंकि इन्हें लगे हुए लगभग 2 वर्ष हो गये हैं, तो इनमें से कुछ का बन्द होना स्वभाविक है। परन्तु मेरे द्वारा कई बार नगर निगम मेरठ में सक्षम अधिकारियों से अनुरोध किया गया, परन्तु वह उक्त लाइट ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अतः आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त हाईमास्क लाइटों को तत्काल चालू कराये जाने की माँग सरकार से करता हूँ।]

ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की तैनाती राजस्व ग्राम से हटाकर प्रत्येक गांव में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[महोदय, निवेदन है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की तैनाती ग्राम पंचायत की आबादी के बजाए प्रत्येक राजस्व ग्राम पर की गई है, जिस कारण बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायतों, सफाई कर्मी विहीन राजस्व ग्रामों एवं आबाद गैर राजस्व ग्रामों में सफाई कार्य सही प्रकार नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान नगर क्षेत्रों की भांति ग्राम पंचायत की आबादी को आधार मानकर पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की तैनाती का अधिकार अविलम्बनीय रूप से ग्राम पंचायतों को सौंप कर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की तैनाती ग्राम पंचायतों की आबादी के अनुसार कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा में कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन वर्मा-

[महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हाटा जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति दयनीय व जर्जर हो चुकी है। बेहतर स्वास्थ्य प्रबन्धन हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा व कर्मचारियों के आवासीय परिसर के भवनों का जीर्णोद्धार, उच्चीकरण, अत्याधुनिकीकरण के साथ ही बेहतर चिकित्सकीय संसाधनों सहित पेयजल हेतु वाटर ए0टी0एम0, सोलर लाइट, मोबाइल हेल्थ यूनिट की नितान्त आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा का निरीक्षण कराकर व्यापक जनहित में आवश्यक कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के रामकोला चीनी मिल में दोषी पाये गये प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे संज्ञान में आया है कि जनपद कुशीनगर के रामकोला चीनी मिल त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज के गलहरिया बी गन्ना केन्द्र पर घटतौली की शिकायत पर बाट-माप अधिकारी जितेन्द्र पाण्डेय के साथ गन्ना समिति रामकोला के सचिव अंगद वर्मा, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद जाँच करने पहुंचे जहां पर लगभग 8 क्विंटल का अन्तर पाया गया है, जिसके बाद गन्ना किसानों ने गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्राली को थाने परिसर में लाकर खड़ा कर दिया। किसानों द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है, क्षेत्र में सभी किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। चीनी मिल त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज में गन्ना घटतौली में दोषी पाये गये केन मैनेजर, केन हेड, आई0टी0 प्रभारी, अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण किसानों से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोषीयों के खिलाफ कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के ग्राम मेघछप्पर के निकट स्थित बड़ी नहर के पुल को डबल लेन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशु मलिक-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सहारनपुर-अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग-73 पर ग्राम मेघछप्पर के निकट स्थित बड़ी नहर पर तीव्र धूल व पुल के बेहद संकरे होने के कारण निरन्तर दुर्घटनायें होती रहती हैं। पिछले दो दिन में ही ट्रक व एक कार नहर में समा चुकी है। कई लोग घायल हो चुके हैं, पूर्व में इसी पुल के कारण सैकड़ो दुर्घटनायें हो चुकी हैं। काफी संख्या में जनहानि भी हुई है। समस्या के समाधान के लिये जनपद सहारनपुर, मेघछप्पर, बड़ी नहर के पास पुल के दोनों ओर सड़क का डबल लेन किया जाना व पुल का चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उपरोक्त कार्य न होने के कारण जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पुल का चौड़ीकरण एवं सड़क को डबल लेन किये जाने हेतु सरकार से निर्देश दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के ग्राम सभा दुबेपुर में दिगम्बरनाथ स्वामी परिसर के तालाब को पट्टा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा''-

[महोदय, मैं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद उन्नाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के तहसील सदर के परगना हडहा के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम दुबेपुर में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मन्दिर परिसर से लगा हुआ एक तालाब जिसका प्रयोग मन्दिर में विभिन्न धर्मिक आयोजनों तथा अन्य सार्वजनिक हित में ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। उक्त तालाब में मनमाने ढंग से मत्स्य पालन का आवंटन पूर्व के कई वर्षों से एक ही व्यक्ति के नाम से आवंटित होता चला आ रहा है और एक ही ग्राम सभा के तीनों मजरों में एक ही व्यक्ति के परिवारिकजनों के नामों से कई तालाबों के पट्टे किये हुए हैं। जिसमें आवंटन की शर्तों का भी पालन नहीं किया गया है। उक्त पट्टेदार के परिवार के हर एक सदस्य के नाम पूरी ग्राम सभा में कई तालाबों के पदों के आवंटन किये गये हैं। उक्त पट्टेदार द्वारा तालाब में मरी हुई मछलियाँ डाल दी जाती हैं, जिससे मन्दिर परिसर में दुर्गन्ध फैलती है और तालाब के आवंटित क्षेत्र में गन्दगी फैलने से ग्रामीणों व मन्दिर में आने

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाले श्रद्धालुओं को गन्दगी से परेशानी होती है एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना के द्वारा तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने में पट्टेदार द्वारा विरोध जताया जाता है, उसके साथ सौन्दर्यीकरण के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। पट्टेदार द्वारा तालाब के परिसर में पट्टे के नाम से अवैध अतिक्रमण कर मकान बनाये हुए हैं जिस पर तहसील द्वारा राजस्व संहिता के अधिनियम धारा-67 के अन्तर्गत वाद सं0-टी 202310690112666 दर्ज किया जा चुका है। जिससे प्रतीत होता है कि पट्टेदार द्वारा तालाब के आवंटन की शर्तों का भी पालन नहीं किया गया है। जिससे आवंटन की शर्तों के विरुद्ध होने पर मन्दिर के तालाब का पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः आपसे आग्रह है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण पर ग्राम सभा पहाड़पुर सुबस में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मन्दिर परिसर के तालाब को पट्टा मुक्त कराकर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, कृपया आपको सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत सफीपुर के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर नाला/नाली न होने के अभाव में जगह-जगह गन्दा पानी भरा रहता है, जिसके कारण जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महोदय, जनहित में नगर पंचायत सफीपुर के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

1-उन्नाव-हरदोई मेन रोड से रेलवे स्टेशन तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

2-मोटेश्वर मन्दिर से बायें तालाब तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

3-उन्नाव-हरदोई मेन रोड से मौलाना दादर तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

4-पी0डब्लू0डी0 गेस्ट हाउस रोड पर जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

5-डा0 तत्ते चौराहे से श्री मनीष राठौर के घर तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6-उन्नाव-हरदोई मेन रोड से भगवती चरण वर्मा पार्क तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

7-मंगल बाजार में जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में नगर पंचायत सफीपुर के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत अमारी-कोवी-गद्दोपुर के मध्य बाक्स कलवर्ट, बलुआ मिरसादपुर में लखिया नाले पर पुलिया, दुगौली खुर्द एवं मरगुपुर के मध्य पीली नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य, कवेली एवं बहुर के मध्य पीली नदी पर पुल एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य, अगरौरा से रारी कला के मध्य नाले पर बाक्स कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य, हिम्मतपुर एवं रूपचन्दपुर के मध्य नाले पर बाक्स कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य, खमपुर अटौली के मध्य सईता नाले पर बाक्स कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिससे सैकड़ों ग्रामवासियों के आवागमन में असुविधा प्राप्त होगी, साथ ही कई कि0मी0 घूमकर अपने गांव में आने-जाने से निजात मिलेगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

नगर पालिका परिषद् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से हरिशंकरपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पालिका परिषद् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) के अन्तर्गत जी0टी0 रोड चन्धासी (बाटी चोखा) से हरिशंकरपुर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 1.50 किमी0 है, जो पिछले कई वर्षों से नहीं बन पाया है, जिससे राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थानीय नगरवासियों द्वारा प्रशासन स्तर व विभागीय स्तर पर अनेकों बार शिकायतें की गई हैं, परन्तु इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जनहित में इस समस्या का निदान कराया जाना अति आवश्यक है, ताकि उक्त नगरवासियों व ग्रामवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

[महोदय, सादर अवगत कराना है जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के वि0खं0-खड्डा अन्तर्गत नारायणी नदी पार बिहार प्रदेश व नेपाल देश के सीमान्त अति पिछड़ा क्षेत्र में मार्गों का नव निर्माण बार्डर एरिया डेप्लेपमेंट योजना अन्तर्गत कराया जाना नितान्त आवश्यक है जो निम्नवत् हैं :-

1-बसन्तपुर-मरचहवा-छोटका टोला से मरचहवा सम्पर्क मार्ग दूरी 01 कि0मी0

2-बसन्तपुर से मरचहवा दक्षिण टोला सम्पर्क मार्ग दूरी 1.5 कि0मी0

3-हरिहरपुर-सोहंगी-बरवा सम्पर्क मार्ग दूरी 2.5 कि0मी0

4-सोहंगी-बरवा-बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग दूरी 1.10 कि0मी0

5-नरायणपुर टोला सम्पर्क मार्ग दूरी 400 मी0

6-शिवपुर-सोहंगी बरवा सम्पर्क मार्ग दूरी 01 कि0मी0

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील बिलारी में अवैध कब्जे को हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब जान-

[महोदय, निवेदन है कि जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत कोतवाली क्षेत्र मैनाठेर स्थित ग्राम मैनाठेर तहसील-बिलारी के पट्टे की भूमि गाटा संख्या-94, 159ख, 163, 164, 165क, 165ख, 234, 235 व 296ख आदि पर माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के रिट संख्या-32722/5 में पारित आदेश दिनांक 26-04-2005 के बावजूद मुरादाबाद में तैनात

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा अनुचित लाभ के बदले विपक्षियों का कब्जा करा दिया गया। जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट संख्या-1517/23 द्वारा अवमानना की कार्रवाई विचाराधीन है। इससे चिढ़ कर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद ने पट्टाधारकों के मुख्य पैरोकारों के विरुद्ध विपक्षीगण से हमसाज़ होकर फर्जी मुकदमा अपराध संख्या-196/23, धारा-452, 354, 323, 504, 506 भा0द0वि0 दिनांक 04-07-2023 थाना मैनाठेर में पंजीकृत करा दिया। हालांकि इसी मामले में उक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण मुरादाबाद एवं प्रभारी निरीक्षक मैनाठेर के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्बर एक मुरादाबाद ने दिनांक 11-08-2023 के आदेश द्वारा प्रकीर्ण वाद दर्ज कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने अपने विरुद्ध अन्याय करने वाले मुख्य कारक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद को दण्डित कराने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को प्रार्थना-पत्र देकर कार्रवाई की माँग की। उक्त इन्टर्नल नॉन आई0जी0आर0एस0 (INTERNAL NON IGRS) प्रार्थना-पत्र सन्दर्भ संख्या-CB0007007114598 पर भी प्रमुख सचिव, गृह के यहां दिनांक 03-11-2023 से जाँच विचाराधीन है। उक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण द्वारा अपने सम्पर्क के असामाजिक तत्वों एवं अन्य लोगों से शिकायतकर्ता पक्ष पर विभिन्न तरह के दबाव एवं धमकियां भेजी जा रही हैं। जिस कारण पीड़ित पक्ष भयभीत है।

अतः न्यायहित में प्रमुख सचिव गृह के यहां विचाराधीन उपरोक्त विवरण युक्त इन्टर्नल नॉन आई0जी0आर0एस0 (INTERNAL NON IGRS) प्रार्थना-पत्र संख्या-CB0007007114598 पर दिनांक 03-11-2023 में वर्णित आरोपों की शीघ्रातिशीघ्र जाँच कराने सम्बन्धित को आदेशित करने की माँग माननीय सदन के समक्ष करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नवनिर्मित क्रियाशील 100 शैय्या का संयुक्त चिकित्सालय, लालगंज में किडनी व हृदय रोग के चिकित्सक नहीं हैं। इस हास्पिटल में 4 ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली जनता व जनपद गाजीपुर, मऊ जौनपुर से भी सैकड़ों मरीज उपचार हेतु रोज आते रहते हैं, लेकिन डायलिसिस सुविधा नहीं होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त हास्पिटल में किडनी रोग, हृदय रोग के उपचार की सुविधा कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन शासन/प्रशासन की घोर उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिस कारण आम-जनमानस में सरकार के प्रति काफी रोष व्याप्त है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में कार्रवाई की मागं करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत फैली महामारी हेतु अनुसंधान केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-02, नकुड़ में विगत दिनों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार का अत्यन्त भारी मात्रा में प्रकोप रहा है। इस महामारी में काफी संख्या में क्षेत्र के लोग काल का ग्रास भी बने हैं एवं उच्च स्तरीय जाँच की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन गम्भीर बीमारियों के पर्याप्त मात्रा में तत्कालिक उपचार के लिए जाँच हेतु एक विस्तृत अनुसंधान केन्द्र की नितान्त आवश्यकता है एवं डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार से मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने का कष्ट करें।

अतः नियम-301 के अर्न्तगत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

श्रीमती गुड़िया देवी से राजस्व कर्मियों द्वारा की गयी धोखाधड़ी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हंसुराम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। ग्राम पड़वा खेड़ा, मजरा दरसवाँ, तहसील-पुरवा, जनपद-उन्नाव की निवासिनी श्रीमती गुड़िया देवी पुत्री स्व0 केशन के राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से श्रीमती गुड़िया देवी के चाचा श्री भारत एवं भतीजे श्री प्रकाश पुत्र श्री विश्वनाथ, निवासीगण ग्राम पड़वा खेड़ा, तहसील पुरवा, उन्नाव ने खाता संख्या-84, भूमि न0-903, रकबा 0.3550 हे0 व खाता संख्या-872, गाटा संख्या-363 रकबा 0.379 हे0 स्थित ग्राम दरसवाँ, परगना व तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की संक्रमणीय भूमिधर जो इनके पिता स्व0 केशन के नाम थी, जिनकी देख-भाल एवं अन्तिम संस्कार श्रीमती गुड़िया देवी द्वारा किया गया। इस सम्बन्ध में तहसील कर्मियो को मृतक की सूचना भी सम्बन्धित लेखपाल को दी गयी, किन्तु बाद में खतौनी निकालने पर उक्त प्रकरण संज्ञान में आया कि पैतृक भूमि को धोखाधड़ी करके उक्त लोगों ने

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साजिशन अपने नाम दर्ज करा लिया है। इस तरह से मिली-भगत से की गयी धोखाधड़ी से कराए गए आदेशों की जाँच कराते हुए अभिलेखों में वरासत दर्ज कराये जाने की कृपा करें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड रानी की सराय में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड रानी की सराय में कोई भी महिला महाविद्यालय नहीं है। बालिका महाविद्यालय न होने के कारण ब्लाक एवं आस-पास की बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रही हैं, वहीं एक तरफ सरकार नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यह नारा अपने आप में हास्यास्पद साबित हो रहा है। बालिकाओं को पढ़ने के लिए महाविद्यालय ही नहीं होगा, तो बालिकाएं कैसे पढ़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी। बालिका महाविद्यालय न होने के कारण महिलाओं में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड रानी की सराय में एक महिला महाविद्यालय खोले जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव में अवैध कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के ग्राम अजीतगंज में गाटा सं0-815 ग्राम समाज की और गाटा सं0-816 तालाब की जमीन है। जिसमें गाटा सं0-815 पर पूर्णरूप से साथ ही 816 पर भी कब्जा कर लिया गया है। शिकायत होने पर 67 (1) की दिखावे रूप में कार्रवाई तो की गयी, पर इन्हें कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। जनहित में इन दोनों ही गाटा सं0-815 एवं 816 को कब्जा मुक्त कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कब्जे को हटाये जाने हेतु सरकार से माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है दिनांक 01-07-2021 को कार्मिक नियमों के विपरीत गठित तीन सदस्य समिति के द्वारा उच्चीकृत की गयी गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर डॉ0 संजीव कुमार एव अनिल कुमार जैन के वेन्च मार्क-80 नम्बर पहुँचा कर कार्मिक विभाग को पत्रावली प्रेषित कर निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की डी0पी0सी0 दिनांक 05-10-2023 को कराई गई डॉ0 संजीव कुमार कार्यभार ग्रहण कर लिये हैं एवं अनिल कुमार जैन फरवरी, 2023 में डॉ0 संजीव कुमार के सेवानिवृत्त के बाद कार्यभार ग्रहण करेंगे इसकी जाँच कराकर अनुभाग अधिकारी अमृत यादव, वित्त लेखा परीक्षा-दो निलम्बित किया जाये और आदेश न जारी किया जाये। मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 07-02-2023 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के निर्णय दिनांक 26-07-2023 के अनुपालन में पुनः डी0पी0सी0 कराने की कृपा करे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

ग्राह्य प्रश्नों के उत्तर की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[महोदय, सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करना, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही का सुझाव देना होता है। प्रश्नों के माध्यम से विधान मण्डल, कार्यपालिका के कृत्यों पर निरन्तर निगरानी रखने का प्रयास करता है। नियमानुसार सत्रावसान की तिथि तक जितने भी तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किये जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गये हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप (व्यपगत) हो गये हों, उन सबके लिखित उत्तर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास सीधे प्रेषित किये जाने की व्यवस्था रही है। बहुधा यह देखने में आ रहा है कि विधान सभा के प्रश्नों के प्रति कार्यपालिका उदासीन बनी रहती है। अधिकांश प्रश्न अनुत्तरित रह जा रहे हैं तथा ग्राह्य प्रश्नों के उत्तर सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों को भेजे जाने के प्रति कार्यपालिका गम्भीर नहीं है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा प्रश्नों के प्रति कार्यपालिका को स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड से रेलवे लाइन के मध्य दैनिक मजदूरों के आवास तोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड से रेलवे लाइन के मध्य के क्षेत्र में स्थापित आवासों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि पर गरीबों एवं छोटे व्यावसायियों द्वारा बनाये गये घरों को तोड़कर वृक्षारोपण किया गया है। आई0आई0एम0 रोड तिराहे से लेकर सेवा हास्पिटल तक के क्षेत्र में प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से न सम्पादित कर वहां पर दैनिक मजदूरों के आवासों को तोड़ दिया गया है तथा जो सम्पन्न व्यक्ति हैं, उनके आवासों को नहीं गिराया गया है। जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर क्षेत्र के निवासियों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। पूर्व में भी इसके सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी, परन्तु अभी तक सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में अवैध घरों को गिराये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड तिराहे से सेवा हास्पिटल तक के क्षेत्र में गिराये गये घरों को छोड़कर बचे अवैध कब्जे को गिराये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने हेतु माँग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी में श्री हरेन्द्र कुमार को गलत तरीके से मिल रहे जी0पी0एफ0 के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि श्री हरेन्द्र कुमार ने दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को कटिंग मेमोरियल इण्टर कालेज, जनपद वाराणसी में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हुई है, परन्तु उनके वेतन से जी0पी0एफ0 कट रहा है, जबकि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से न्यू पेंशन स्कीम लागू है तथा इनकी नियुक्ति का वर्ष न्यू पेंशन स्कीम शासनादेश में आता है, परन्तु इनका भविष्य निधि अंशदान वेतन से कट रहा है। यह सर्वथा वित्तीय अनियमितता का दुर्लभ उदाहरण है। यह प्रकरण तात्कालिक एवं लोक महत्व का है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त पर कार्रवाई कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र खतौली के अन्तर्गत की गयी टेण्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन भैया-

[मान्यवर, मैं जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् लोनी के अधिशासी अधिकारी द्वारा सफाई कार्य/कूड़ा कलेक्शन/स्वीपिंग कार्य के ई-टेण्डर में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने की माँग करता हूँ।

मान्यवर वर्क आर्डर पत्रांक-1202, दिनांक 29-11-2023 द्वारा लायन सिक्योरिटी गार्ड सर्विस को उक्त कार्य हेतु 4 करोड़ 42 लाख का ठेका दिया गया है। जबकि इसी कम्पनी द्वारा यह कार्य विगत में 1 करोड़ 80 लाख में किया गया था। मात्र 10 वार्ड बढ़ने पर ही 3 करोड़ की राशि बढ़ा दी गयी। दूसरे टेण्डर की शर्तों के अनुरूप कम्पनी ने विगत 3 माह की कर्मचारियों की सूची, ई0पी0एफ0 व इ0एस0आई0सी0 का पूर्ण विवरण जमा नहीं किया।

मान्यवर, उक्त कम्पनी को इन्हीं घोटालों के कारण नगर निगम लखनऊ ने जाँच बैठायी हुई है। यही नहीं इस कम्पनी द्वारा निकाय से पूरे माह का वेतन लेकर उसमें 4 से 10 दिन का वेतन काट कर कर्मचारियों के बैंक खाते में डाला गया है जिसका साक्ष्य बैंक स्टेटमेंट से स्वतः स्पष्ट होता है।

अतः मेरी माँग है कि उक्त गम्भीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारी एवं घोटालेबाज/ब्लैक लिस्टेड कम्पनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय।]

जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में निम्न नदियों पर पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

1-घटारों-उचौरा के बीच दोना नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

2-धुरेहरा-टोडरपुर के बीच मंगई नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-रायपुर चिरैयाकोट सम्पर्क मार्ग के माधवटांडा में बेसो नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर आगणन को स्वीकृत करने हेतु मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में कतिपय ग्रामों में विद्युत कटौती करके अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सर्वेश सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र-99, सिरसागंज के विकास खण्ड मदनपुर के सलेमपुर फीडर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम गुढ़ा अलीपुर, इसहाकपुर दौलतपुर, फतेहपुर नसीपुर, इन तमाम गांवों की लाइन काटकर अवैध रूप से वसूली करके जोड़ दी जाती है। जबकि जिन लोगों के बिल जमा हैं उन्हें भी विद्युत सप्लाई नहीं मिल पा रही है। मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार लिखित रूप से शिकायत की गयी है, परन्तु विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। प्रकरण में लीपापोती करके गलत रिर्पोट भेजी जाती है। सही ढंग से विद्युत सप्लाई न मिलने के कारण आम जनमानस में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। यह जनहित का गम्भीर विषय है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुचारु रूप से विद्युत सप्लाई दिये जाने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में इनर रिंग रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में कोई इनर रिंग रोड न होने के कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। सहारनपुर नगर के बीचो-बीच से ढमोला नदी निकलती है। मेरे द्वारा पूर्व में भी नगर निगम एवं सिंचाई विभाग को उपरोक्त नदी के किनारे पर सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। यदि उपरोक्त नदी के किनारे-किनारे सड़क बनाई जाती है तो नगर में लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगा। जनहित में सहारनपुर नगर की सीमा में ढमोला नदी के किनारे पर सड़क बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

श्री अध्यक्ष-

आज मेरा ख्याल है कि सीधे चर्चा के ऊपर आ जाएं।

(सदस्य श्री लालजी वर्मा जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी आपकी वजह से कल चर्चा नहीं हो पाई थी, कम-से-कम आज आप मत बोलिए।

69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को सदन में उठाने का प्रयास

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है...।

श्री अध्यक्ष-

सारे ही विषय महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 69000 शिक्षकों का...।

श्री अध्यक्ष-

69,000 शिक्षकों का जो मामला है वह प्रिज्यूडिस है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई प्रिज्यूडिस नहीं है, यह गलत सूचना दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

हम पहले नियम-300 लेते हैं।

मा0 मुख्य मंत्री की ओर से सभी सदस्यों के लिए कैण्टीन में भोज की व्यवस्था

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आज दोपहर में माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से लंच है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से दोपहर में हम सब लोगों का भोजन कैंटीन में है, तो आप सभी लोगों का दोपहर में भोजन के लिए आमंत्रण सुविधानुसार है, इसका यह मतलब नहीं है कि सब लोग चले जाएंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से लंच है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से ही कहा है।

[12:31] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से श्री पंकज कुमार मलिक जी की सूचना सुनी जाएगी, शेष सूचनाएं नही सुनीं जायेंगी।

श्री शिवपाल यादव-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में कल भी सूचना दी थी, आज भी दी है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं महाराज, वह नियम-56 में नहीं आती है, पूरे प्रदेश में सड़कें कहां बन रही हैं, कौन-सी ठीक है, कौन-सी खराब है, यह नहीं आता है और स्पेसिफक आपने कुछ पूछा नहीं है।

स्थायी समितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, यह स्थायी समितियों का मामला है, बहुत ही गम्भीर मामला है, मेरा अनुरोध है कि माननीय मनोज पाण्डेय जी इस बात को रखें।

श्री अध्यक्ष-

तो मनोज पाण्डेय अपना नाम क्यों नहीं लिख सकते थे, आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आप बड़े उदार मन के हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, उदार मन का यह मतलब थोड़ी है किसी को भी बुलवा लेंगे, जो नोटिस देगा, उसे बुलवाएंगे।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, नाम लिखा हुआ मान लीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह प्रकरण विधान सभा के कार्य-संचालन से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो मैं सुन रहा हूं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह मामला भारत के संविधान से सम्बन्धित है, जहां पर ये शक्तियां एवं व्यवस्था प्रदत्त की गयी हैं कि आन्तरित समितियां उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की विधान सभाओं में बनाई जायेंगी और हमारी नियमावली में भी यह व्यवस्था प्रदत्त है। यह प्रकरण पिछली बार हाउस में हमारे द्वारा उठाया गया था कि जो माननीय सदस्यों की यह स्थाई कमेटियां बनाई जाती हैं, जो विभागीय मंत्रियों को परामर्श देती हैं, उनसे विचार-विमर्श करती है, उन्हें सुझाव देती हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस हाउस में हैं और उस हाउस में भी बैठे थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी ताकत से इस बात को कहा था, सारे मिनट्स हम लाये हैं, कि जो नया हाउस आयेगा, उस हाउस से पहले ये कमेटियां घोषित कर दी जायेंगी। इसी हाउस में माननीय मंत्री जी ने कहा था। दुर्भाग्य ऐसा है कि दो वर्ष बीतने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है, विधान सभा की नियमावली से जुड़ा है, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की घोषणा से, इस फ्लोर से, इस हाउस से जुड़ा है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इस पर संरक्षण दीजिए, इसके संरक्षक आप हैं। कम-से-कम सरकार को इस पर निर्देश दीजिए कि एक सप्ताह के भीतर ये स्थाई कमेटियां बन जायें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, वक्फ बोर्ड का चुनाव भी है, जिसमें सदन के दो मेम्बर भी जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसमें विधान सभा से क्या लेना-देना है ?

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, विधान सभा से निर्वाचन होता है, उसमें अभी तक नहीं गये हैं, दो साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक बार उसको दिखवाकर मेरे सामने लाएंगे, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि पिछले हाउस में यह बात हुई थी जो माननीय पाण्डेय जी और माननीय मलिक जी ने लिखा है। मान्यवर, चुनाव की वजह से नाम नहीं है, अब इस बार नाम दे देंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इसको समयबद्ध कर दीजिए, यह पिछली बार भी आ चुका है।

श्री अध्यक्ष-

मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को समय-सीमा के लिए नहीं कह सकता हूं। उन्होंने कारण बता दिया है। अब हम मद संख्या-02 लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनसे पहले पूछ लीजिए कि क्या इन्होंने समितियां बनाई थीं।

श्री अध्यक्ष-

अरे छोड़िए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम एक दफा अपनी बात कह चुके, फिर वही बात आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप जो कह चुके हैं, वह फाइनल है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, कृपा पूर्वक समय-सीमा तय करा दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बनाने नहीं दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे हम अग्राह्य करते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13-05-2021-का-1-2021, दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम, 2021 को भारत का संविधान के अनुच्छेद-320 के खण्ड-5 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-I व खण्ड-II वर्ष 2022-2023 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-2023†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-I व खण्ड-II वर्ष 2022 2023 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-2023 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश की अट्ठारहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 (दिनांक 07-08-2023 से दिनांक 11-08-2023 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की अट्ठारहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 (दिनांक 07-08-2023 से दिनांक 11-08-2023 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 व मद संख्या-6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-7

---

† छापा नहीं गया।

[12:36] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी बताइये, आप क्या कह रहे थे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्य-स्थगन का महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो हम याचिकाएँ ले रहे हैं, कार्य-स्थगन आने तो दीजिए। कार्य-स्थगन के मद तक पहुँचने तो दीजिए। अभी हम मद संख्या-7 पर चल रहे हैं, कार्य-स्थगन मद संख्या-10 पर है। याचिकाओं में उपस्थिति ही तो लेनी होती है और क्या करना होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए चले जायेंगे, फिर उनकी याचिकाएँ आ नहीं पायेंगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज सभी याचिकाएँ प्रस्तुत मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आज जितनी भी याचिकाएँ यहाँ पर दी गयी हैं, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि हम सब लोग अपनी डिवाइस पर, अपने टेबलेट के उपर अटेंडेन्स लगा रहे हैं। जितनी भी याचिकाएँ आज आयी हैं, जो लोग अनुपस्थित हैं, उनकी याचिकाएँ नहीं ली जायेंगी और जो लोग उपस्थित है, उनकी याचिकाएँ स्वीकार करते हैं।

(स्वीकृत मानी गयी याचिकाएँ संलग्न हैं)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के अन्तर्गत पूरे बनेऊ रामसाण्डा सलोनी सूची पक्के मार्ग से टीकर आगाचीपुर नयपुरवा नहर पुल डामर रोड तक 1.5 कि0मी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में रामगंगा नदी पर ब्लाक समरेर के ग्राम मुड़वा पुख्ता तथा नगरिया खनू निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी की विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ कुमार व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के कस्बा एका के अन्तर्गत सी0एच0सी0 केन्द्र को उच्चीकृत कर सौ शैय्या अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत देवगढ़ रोड से बुढ़वार पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री शलम मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा का जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर क्षेत्रान्तर्गत देवरिया नगर पालिका के सिंचाई विभाग चौराहे से साकेत नगर, खरजरवा, तिलई बेलवा होते हुए सोनूघाट बाईपास तक सम्पर्क मार्ग (लम्बाई लगभग 4.5 कि0मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ तिवारी 'अंकुर' व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डा0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

डा0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मलेबी हरसपुर (खराट) कोडरी मार्ग से लेकर लटन यादव के

---

† छापी नहीं गयी।

घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सतपुरा में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत छपिया बखरौली पतिजिया खुर्द से बीरपुर संगवा अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ब्लाक बामौर के अन्तर्गत ग्राम ककराई से गढ़वई व धनौरा से देवरी में जर्जर सड़कों को पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के सिमौरी प्राथमिक विद्यालय से निजामपुर उर्फ महम्मूदपुर प्राथमिक विद्यालय होते हुए टेहरा गौटिया होते हुए धूमगंज तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री कृपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम बहरावती से ग्राम निनवाया तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के रूपनारायणपुर गोरियों में सुन्दर साहू के घर से कालीमाता मन्दिर तक रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर साहू व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के ब्लाक बदलापुर के अन्तर्गत 40 वर्ष पूर्व स्वीकृत शारदा सहायक खण्ड-36 सोनपुर नहर से आनापुर बार्डर से निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम सिह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम महड़ौरा मार्ग से रामलौट के खेत के बगल से होते हुए रमेश चन्द्र गौतम के घर तक लगभग 300 मी0 इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ गौतम व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सिधौली में एक बड़ा सभागार (सरकारी बैठकों एवं सरकारी कार्यों हेतु) एवं जनता के लिए सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चित्रकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-353, मेहनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड-मुहम्मदपुर, ग्राम सभा-वजीरमल के सामने मंगई नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में डा0 धनराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डा0 नीरज बोरा सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की आयुष विभाग में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सा सम्बन्धी लम्बित पत्रावली का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अमरजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड ग्राम बसहियां में प्रधानमंत्री मार्ग पर सूखा निषाद के दुकान से दक्षिण नहर की पट्टी पर श्री विजय निषाद के घर तक पिच मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश निषाद व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-जलीलपुर के ग्राम-कुतुबकपुर गावड़ी जलीलपुर रोड से महाशय कल्याण सिंह आर्य के सामने से सरदार बलविन्दर के मकान तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड-सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत जगेशरगंज बाजार से भनई सराय सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 02.00 कि0मी0 की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल उमर वैश्य व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नवसना में रमेश भारती के घर से सोनू के घर तक लम्बाई लगभग 150 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत वार्ड सं0-53 में भू-गर्भ जल क्षेत्र की समस्या के निस्तारण हेतु नई वॉटर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के उर्सला अस्पताल के आई0सी0यू0 स्टाफ, दवाएँ उपलब्ध कराने एवं कार्डियक की यूनिट शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम पाण्डेय की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में मोहम्मदपुर गौंती पुल से कौशाम्बी बार्डर-टांडा भैरवा तक मुंगल रोड से इजूरा व अन्य मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बल्लू मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर स्थित सिंचाई खण्ड-16 के अतिथि गृह की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद-सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम सभा खेंवार-केदारनगर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजनम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दढियाल एवं नगर पालिका परिषद् टांडा में अन्त्येष्टि स्थल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इकराम व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के ब्लाक हरख में बांदा-बहराइच मार्ग से ताहीपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत मैनहाईमाफी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मैनहाईमाफी को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया में कोदई तिराहे से गोपालपुर गांव तक विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के ब्लाक कुन्दुरकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 मुन्शाद व अन्य निवासीगण जनपद-मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर में गर्ल्स महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार साहू, जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर और ब्लड बैंक की स्थापना

---

† छापी नहीं गयी।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चिराग अग्रवाल निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा की तहसील माँट में यमुना नदी पर एक्सप्रेस-वे से पागलबाबा मन्दिर तक बनाये जाने वाले मार्ग पर 02 लेन सेतु का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध श्री हुकुम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के ग्राम सभा कटया केरतासगढ़ में रामकुमार तिवारी के खेत से स्व0 लल्लन तिवारी के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील व विकास खण्ड सोहावल में राष्ट्रीय राजमार्ग से देव बाबा देव स्थल होते हुए ग्राम दिनकरपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम वैर बादशाहपुर में स्कूल से लेकर ग्राम मिरपुर वाली सड़क तक इण्टरलॉकिंग/ सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में लखनऊ-चरकनगर मार्ग से ग्राम मडौली तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जनक सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के ब्लाक धौरारा में ग्राम चकमुसेपुर से ईसा नगर खमरिया मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में स्यानागढ़ रोड लखावटी से वाया खानपुर बसी घाट तक 24 कि0मी0 रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रीता लोधी व अन्य निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के ब्लाक जलालपुर के ग्राम पंचायत जैनापुर परुइया आश्रम से कालिका प्रसाद के घर तक एवं उसी मार्ग के मोड़ से सलाहुद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग तक जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालिका प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विकास गुप्ता सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर की तहसील फतेहपुर के ग्राम सभा गाजीपुर में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह परमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामअचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित मंशापुर पिच मार्ग से समसपुर रघुनाथपुर तक के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर से कैंझरी होते हुए महामाई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलखन व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र टूरिया गंज रोड से बिल्लोचपुरा होते हुए कोयला मण्डी बाबू हलवाई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 साऊद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा में विकास खण्ड जैदपुर के अन्तर्गत ग्राम सतारी से जैतपुर तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत भटनी-नोनापार प्यासी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-देवरिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा आकुशपुर में सहेड़ी चट्टी रेलवे क्रासिंग के बगल पिचरोड से डोमंस गोंड के भवन तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बेलसर की तहसील तरबगंज के रिसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराने के

---

† छापी नहीं गयी।

सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद-गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-100, कासगंज, सदर के अन्तर्गत कासगंज की पचलना मार्ग का नव निर्माण व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका अन्तर्गत ग्राम पंचायत गागलहेड़ी से कुरबान के घर से लेकर दूसरे गांव हरौड़ा अहतमाल को जोड़ने वाले कच्चे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फरमान प्रधान, निवासी जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हरीश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरीश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ की विधान सभा क्षेत्र-114, बिल्सी, क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जिरौलिया से ग्राम अब्दुल्लागंज तक विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहिताश व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मो0 हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मो0 हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर विधान सभा क्षेत्र छावनी के अशरफाबाद सरैंया शीतला बाजार, नई चुंगी की सड़कों को खोदकर नमामि गंगे विभाग द्वारा खराब गुणवत्ता की सीवर लाइन व पाइप लाइन डालने व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फारूख निजामी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के गढ़ मेला रोड बाबा मस्तराम की कुटी से ग्राम अब्दुल्लापुर तक लगभग

---

† छापी नहीं गयी।

02 कि0मी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री टीकम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका†

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के अन्तर्गत रठेह मार्ग से रतनपुर होकर समदपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-220, कालपी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इकौना से मिश्रीपुर तक की जर्जर सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 03 कि0मी0 है, की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजनन्दन तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-12, चरथावल के अन्तर्गत बघरा से तिरपड़ी तक की जर्जर सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 07 कि0मी0 है, की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के परेंदा राजाबाग डामरीकृत सड़क से परेंदा माइनर की पुलिया से अहराडडिया तक लगभग 02 कि0मी0 कच्ची सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल विमल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली में ग्राम सभा घाटमपुर, ब्लाक डीह में नहर के पुल से मनोज सिंह के दरवाजे तक लगभग 215 मी0 मार्ग का निर्माण

---

† छापी नहीं गयी।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू लाल व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधूना के अन्तर्गत बिधूना मार्ग से मनुवा पुरवा होते हुए तिरवा-दिबियापुर मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री घनश्याम यादव व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के लालपुर (संदाना) से मौरावां-बछरावां मार्ग तक के मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मूलचंद्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूलचंद्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत उरई कांच नदीगांव अन्तर्राज्यीय मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पहलवान कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के नगर पालिका एवं तहसील मुख्यालय बिसवां में रोडवेज बस अड्डा के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बलिया के विकास खण्ड-मनियर के ग्राम रामपुर में स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रास्ता और प्रवेश द्वार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन सिंह व अन्य की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज के तहसील तिर्वा, पोस्ट-ठठिया, ग्राम-खरगापुर में गौशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत भरौली मोड़ से सेंट थॉमस स्कूल होते हुए जमदानीपुर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-289, भिनना के अन्तर्गत शाहपुर बरगदवा में कुलेराज के घर से सहियापुर मार्ग तक सड़क निर्माण (01 कि0मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पेशकार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक कोतवाली के ग्राम मनीरमपुर से ग्राम जीवनपुर तक त्वरित विकास निधि से मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड रेवती के अन्तर्गत रेवती हड़िया पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग जो टी0एस0 बन्धा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत ग्राम बरलाजट में नेटवर्क टावर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाखन प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका व्यपगत हुयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फर नगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम होशियारपुर में 250 मी0 का पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद-मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र 79, सादाबाद के विकास खण्ड मुरसान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामगढ़ से तोछीगढ़ रजवाहे पर नई आबादी हेतु पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत बलरामपुर पठानपुरवा में बुड़न्तपुर चौराहा से कोड़री (हरिगंज-ललिया-शिवपुर) तक आने वाले मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद-बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज की तहसील मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा मदरा मुकुन्दपुर से अरई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद-प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड चाका के अन्तर्गत ग्राम सभा चिल्ली में ट्रांसफार्मर एवं बिजली के खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत पुरानी धरोहर पक्का तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनिया के अन्तर्गत ग्राम कैली में कैली घाट पक्की सीढ़ी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्लू यादव व अन्य निवासीगण जनपद-चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत कौशलपुरी कॉलोनी एवं अवधपुरी कॉलोनी खरगापुर में सीवर लाइन व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा भूषलपुर तिराहे से संसारीपुर बिन्द बस्ती तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरजा शंकर बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक सैंय्या के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सैंय्या के रेलवे फाटक से बघेल अड्डा होते हुए रामपाल के पुरा तक कच्चे मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलू कसाना व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत दौलसेपुर नहर चट्टी से दौलसेपुर नहर होकर महासो रेलवे

---

† छापी नहीं गयी।

क्रासिंग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जियाउद्दीन रिज़वी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया में घाघरा नदी के किनारे के गाँव खरीद, पुरुषोत्तम पट्टी, जिन्दापुर, सिसोदर में नदी का कटान रोकने के सम्बन्ध मे श्री बिजलेस यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती गुड़िया कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती गुड़िया कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद औरैया की विधान सभा क्षेत्र सदर में बड़े बस अड्डा की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष चौबे व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड बढ़पुर में स्थित ग्राम सभा खारबन्दी नगला बजीर में दामोदर राजपूत के मकान से गायत्री मन्दिर तक लम्बाई 1500 मी0 सड़क व पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम शाक्य व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के विकास खण्ड सैदाबाद के अन्तर्गत सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मो0 ताहिर खाँ, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मो0 ताहिर खाँ, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, ऊँचेगांव से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तक लम्बाई लगभग 500 मीटर जो लगभग 20 वर्ष पूर्व बनी है, उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित 200 वर्ष से अधिक पुराने टिकैतराय तालाब का निजीकरण/लीज समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रार में शीतला देवी मन्दिर से रोहित का खेत होते हुए सज्जन तिवारी के खेत तक डामरीकरण कार्य (शून्य से लेपन तक) मण्डी समिति के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में गण्डक नदी मैदनी पुल नरायन टोला के सामने नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपति सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-121, नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम सतुइया खुर्द में नहर से विशनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत अमेठी में वेलनेस सेण्टर को जाने हेतु मार्ग पर पक्की पुलिया का निर्माण सिंचाई विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर बहराइच के अन्तर्गत चित्तौरा राधेश्याम की दुकान से पक्की रोड होते हुए ग्राम कौरेमऊ में शेषराज के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिमन्यु सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-बहराइच की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम उदोतपुरा से ग्राम तांबा की ओर जाने वाले मलंगा नाला पर लोक निर्माण विभाग से पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज बादल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा पहसना से अरुआवां सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्याम जी यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री विजयपाल (आढ़ती) सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ सदर के अन्तर्गत ग्राम सूदना में प्रेम के कलेसर से वझीलपुर सम्पर्क मार्ग तक (लगभग 500 मी0) सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भटपुरवाँ के ग्राम त्रिभुवनपुर में अशोक के मकान से होते हुए अरुण सिंह के मकान व बबुरी धरौली तक सी0सी0 रोड व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के ग्राम मेवा जट नहर की पटरी से हिरनपुरा तक नहर की पटरी पर पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील विश्नोई व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज अन्तर्गत लालेमऊ डीहा घाट से पंचवटी घाट (शंकर भगवान के मन्दिर) तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के फरेन्दा शहर में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी महानगर के वार्ड नं0-01 हंसारी गिर्द पावर हाउस के सामने पाल मोहल्ला में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार ग्वाल व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई की तहसील सवायजपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे पर आने-जाने हेतु कट बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई की तहसील सवायजपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे पर आने-जाने हेतु कट बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-हरदोई की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम शिकोहाबाद के मोहल्ला अब्बासनगर में अकील के घर से बहादुर खां के घर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अकील व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत रामपुर में प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्री का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विमल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के अमांपुर विधान सभा क्षेत्र बहापुर तालाब से नहर के पुल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के जेठवारा कटरा गुलाब सिंह मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंषीलाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम तेवड़ा से ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद मार्ग का नव निर्माण कराये

---

† छापी नहीं गयी।

जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद शमी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां भतौरा से सोनपा तक पीपा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 व मद संख्या-09 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-10

[12:37] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

अब वर्मा जी आप बोलें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय शिवपाल जी ने भी एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शिवपाल जी की सूचना जो नियम-56 में थी, मैं उसको नियम-51 में परिवर्तित करके जवाब दिलवा दूँगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, हम अपनी बात कह लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 में एक मिनट में आप अपनी बात बोलिए। नियम-51 के लिए जो विषय है, आप केवल उसको बताइये, उसका उत्तर आपको लिखित रूप से मिल जायेगा।

***श्री शिवपाल सिंह यादव-**

अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। सरकार द्वारा कई गड्ढा मुक्ति योजनाएँ चलायी गयी हैं, परन्तु बिल्कुल सफल नहीं हुई हैं। बनायी गयी सड़कों का लोक निर्माण विभाग द्वारा खानापूर्ति की जाती है, एक माह में फिर

नोट- † छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गड्ढा हो जाता है। कई जगहों का तो यह हाल है कि वहाँ सड़क कम गड्ढे ज्यादा हैं। लोक निर्माण विभाग को हर साल नया बजट दिया जाता है, परन्तु उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि हम वर्ष 2017 से 2023 तक देखें तो 43,746 करोड़ रुपये के धन का व्यय किया गया है। परन्तु सड़कें आज भी चलने लायक नहीं हैं। आए दिन खराब सड़कों के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएँ हो रही हैं। सड़कों की मरम्मत के नाम पर अधिकारी व ठेकेदारों की मिली-भगत से हजारों करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। जो सड़कें बनायी जाती हैं, उनका सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया जाता है। जिसका परिणाम यह होता है कि मानक के विपरीत काम हो रहे हैं। इसका प्रमाण है कि टी0ए0सी0 द्वारा की गई जाँच में विभिन्न सड़कों/मार्गों को मानक के विपरीत पाया गया है। अगर 14 सितम्बर, 2023 की रिपोर्ट देखें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 72 हजार किमी0 लम्बी सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहीं हम देखें तो लोक निर्माण विभाग की 1,14,775 सड़कों के सापेक्ष 2,66,098 किमी0 सड़कें जिनमें नवीनीकरण, गड्ढा मुक्ति हेतु 17,588 सड़कें चिन्हित की गयी हैं, लेकिन जमीन पर हालात सरकार के दावों से एकदम विपरीत हैं। मान्यवर, स्टेट हाई-वे की 12 हजार किमी0 सड़कें, अन्य जिला मार्ग की 50 हजार किमी0 सड़क, जिला मार्ग की लगभग 6 हजार किमी0, ग्रामीण मार्ग की लगभग 01 लाख 20 हजार किलोमीटर कुल सड़क 2 लाख 50 हजार किलोमीटर अनुपूरक माँग लगभग 46 करोड़। मान्यवर, अभी तक बजट इतना माँग लिया गया है, लेकिन अभी तक बजट का 10 परसेन्ट भी खर्च नहीं हुआ है, जब यह 10 परसेन्ट बजट का खर्च ही नहीं कर पाए तो सड़कों का क्या हाल हुआ होगा, और इनका सड़कों के गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है अगर इन्होंने सड़कों पर नवीनीकरण करा दिया होता तो गड्ढे रहते ही नहीं और गड्ढा मुक्ति के लिए आश्वासन बार-बार दिया जाता है कि तीन महीने के अन्दर गड्ढा मुक्त हो जाएगा। लगातार इतना बजट दिया गया है सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के लिए, लेकिन नवीनीकरण सड़कों का नहीं होता है, केवल गड्ढा मुक्त होने की इनकी योजना चलाई जाती है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, एक ही बात कहनी थी, आपने क्योंकि नियम-51 में परिवर्तित कर दिया था, तो आपको जवाब आ जाएगा 56 में, आया नहीं जवाब वह तो मिल जाएगा, जहां तक खर्चे की बात है उसमें केवल 34 परसेन्ट खर्चा हुआ है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जब बजट सत्र आया था तो कटौती हम लोगों को प्रस्तुत करनी थी और मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करना था। पूरे सदन के सदस्यों को सुझाव देना था और अपनी बात

को रखना था, उस समय भी सरकार भाग गई और इस समय जब नियम-56 में हमने कल भी रखा और आज भी रखा। मान्यवर, आपको संरक्षण देने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-56 पढ़िए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आप हमारे साथ कब से हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आप जबसे हैं, हम उसके पहले से हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जब हम मंत्री थे तो आप विपक्ष में थे, तब कभी हमने आपको निराश नहीं किया, आप भी वेल में आ जाते थे, आप भी अपनी माँग रखते थे। जितना भी बजट अभी तक रखा गया है, लेकिन गड्ढे कहीं पर भरे नहीं गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

जहां गढ्ढे नहीं भरे गए हैं, आप हमें बता दीजिएगा हम भरवा देंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सुल्तानपुर के कादीपुर से दोस्तपुर हाई-वे का बुरा हाल है। बलिया की सभी सड़कों की दयनीय स्थिति है, मऊ की भी सड़कों की स्थिति खराब है।

श्री अध्यक्ष-

आप इन सभी की सूची की लिस्ट दे दीजिए, मैं दे दूंगा। आजमगढ़ से ले करके जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं, उन सभी का बुरा हाल है।

मेरा यहाँ पर यह बोलना है कि हम आपको अवसर देंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आज जिले की मुख्य सड़कों का बुरा हाल है। ग्रामीण सड़कों का बुरा हाल है। अन्य सड़कों का भी बुरा हाल है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 शिवपाल जी, आप अपनी बात हमें लिखकर दे दीजिए, हम उसे भिजवा देंगे। अब बार-बार मुझे एक ही बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपका बहुत

सम्मान करता हूँ। अगर इस समय आपकी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसकी बातें स्पंज कर दी होती।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह कहना है कि सड़कों की गड्ढामुक्ति के नाम पर जितना भी बजट जिलों में गया है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आप केवल इसकी जाँच करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपनी बात लिखकर दे दीजिए और अगर आप जाँच के लिए कहेंगे तो मैं मा0 मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे इसकी जाँच करा लें।

(सदस्य,श्री लालजी वर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजा भइया जी, आपका क्या है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन् यह मामला हम सबसे सम्बन्धित है और सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, अभी आपने पीठ से कहा कि गड्ढे भर दिए जाएँगे, अगर सूची दे दी जाए। श्रीमन्, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि यह सुविधा केवल मा0 शिवपाल जी की ही सूची पर उपलब्ध है या अन्य मा0 सदस्यों की सूची पर भी यह सुविधा अनुमन्य होगी।

श्री अध्यक्ष-

यह चीज सभी मा0 सदस्यों के लिए है। सारे मा0 सदस्य अगर चाहें तो लिखकर दे देंगे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

नगरीय और ग्रामीण दोनों।

श्री अध्यक्ष-

आगे श्रीमती सैय्यदा खातून और मा0 श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की सूचना जनपद सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के पी0पी0एफ0 का पैसा उनके खाते में जमा कराए जाने का विषय है। मैं इस पर सरकार का ध्यानाकर्षण करा रहा हूँ। अब आगे चर्चा हो जाए और आप लोग अपने मा0 सदस्यों के नाम दे दें जिनको चर्चा में बोलना है,

क्योंकि दो बजे मा0 श्री अखिलेश यादव जी को बोलना है और तीन बजे मा0 मुख्य मंत्री जी को बोलना है। इसलिए इन लोगों के बोलने के हिसाब से अगर लोग बोलना चाहते हैं तो मैं फ्लोर ओपेन करूँ। अगर नहीं बोलना चाहते तो फिर इसी को चालू रखूँ और इसके बाद फिर दो बजे सीधा अखिलेश यादव जी बोलेंगे और उस समय कोई यह न कहे कि मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं अवसर देना चाहता हूँ, लेकिन आप अवसर लेना नहीं चाह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपका विषय ही नहीं है और मा0 सैय्यदा जी आपकी सूचना पर ध्यान आकर्षण हो गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज 6800 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सब सरकार के संज्ञान में है और उसमें जो कुछ भी है, सारा मामला प्रिज्यूडिस है ।

श्री लालजी वर्मा-

श्रीमन्, सरकार ने खुद जाँच करा रखी है और उस जाँच में पाया गया कि 6800 टीचर्स के पदों का घपला किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपने सूची दी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह घपला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। पहले इसमें न्यायालय का निर्णय आया और अब इसमें सरकार को शिक्षकों का समायोजन करना है।

श्री अध्यक्ष-

अब शाहिद मंजूर जी आप बोलिए, आपकी सूचना स्वीकार है।

***श्री शाहिद मंजूर-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इसमें बोलने का समय दिया। हमारी दो समस्याएँ हैं जो मैंने आपके माध्यम से कल दी थीं। इस समय पूरे प्रदेश में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समस्या यह है कि इस समय जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसमें यदि कोई भी सड़क किसी भी माध्यम से भारत सरकार द्वारा बनी है तो उन सड़कों के भराव के लिए अब खनन के पट्टे का इन्तजाम हो रहा है। इस दौरान सम्बन्धित सड़कों पर जो ट्रक चल रहे हैं या जो हैवी डम्पर चलते हैं तो वे जिन-जिन सड़कों से होकर गुजरते हैं, वे सारी सड़कें बुरी तरह से टूट जाती हैं। नियम यह है कि वही विभाग उनको ठीक भी कराएगा जो सड़क बनवा रहा है। इसमें समस्या यह है कि आज की डेट में तमाम सड़कें टूट चुकी हैं और इनको ठीक कराने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। दूसरी समस्या यह है कि आपने जो नल बन्द करके टंकी का पानी दे रहे हैं तो उसमें जिन ठेकेदारों को काम दिया गया है, वह तमाम ठेकेदार पाइप डालने के बाद में दोबारा सड़क को बनवा नहीं रहे हैं और उन पर कोई चेक न होने की वजह से जो पाइप वे डाल रहे हैं, उनमें बराबर पानी का लीकेज बना हुआ है, उसमें इनकी कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए मैं इन दोनों विषयों पर सदन के माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने आपसे आग्रह किया था, क्योंकि ये समस्याएँ प्रदेश के तमाम क्षेत्रों की हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही कराने का कष्ट करेगी।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती ऊषा मौर्या।

(सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा अपने आसन से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप ही ऊषा मौर्या जी हैं ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

देखिए आप वैसे भी महिलाओं के विरोधी हैं, मैंने एक बहन को बोलने के लिए बुलाया, लेकिन आप उनको बोलने नहीं देना चाहते।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, महिलाओं के विरोधी ज्यादा उधर बैठे हैं और इसका प्रमाण भी है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी व्यवस्था का प्रश्न इसके बाद हो जाएगा, पहले इसका उत्तर आ जाए, इसके बाद आपका होगा। वैसे भी सम्भवतः आपकी बात इस विषय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये ऊषा मौर्या यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं या फिर वे बोलना नहीं चाहतीं।

श्री अध्यक्ष-

सम्भवतः वह कुछ बोलना चाहती हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऊषा मौर्या जी यहाँ नहीं हैं या बोलना नहीं चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह नहीं बोलना चाहती हैं पूरी बात आ गई है। क्यों ऊषा मौर्या जी आपको बोलना है ?

श्रीमती ऊषा मौर्या-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

किस पर बोलने के लिए जो आपने नोटिस दी है उस पर बोलें।

श्रीमती ऊषा मौर्या-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं क्षेत्र के विकास के लिए बोलना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं क्षेत्र के विकास के लिए नहीं बल्कि जो नोटिस आपने दी है उस पर बोलना है।

श्रीमती ऊषा मौर्या-

कौन सी नोटिस की बात है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा इस बात को जरा देखा जाए श्रीमान् कि यह जो नोटिस में ऊषा मौर्या जी का नाम आया है। वह नोटिस निकालिए। मा0 सदस्या आप बैठें, मा0 मंत्री जी आप बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 ऊषा मौर्या जी, आप फतेहपुर से विधायक हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह नोटिस उनको दिखाई जाए।

श्रीमती ऊषा मौर्या-

मैं सब जानती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो आप कह रही थीं कि मैं नहीं जानती हूँ कि कौन सी नोटिस। अब आप बैठ जाएं मैंने मा0 मंत्री जी को बुला लिया है, मा0 मंत्री जी जवाब देंगे।

श्रीमती ऊषा मौर्या-

मान्यवर, कृपया बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको अवसर दिया था तीन बार बुलाया था। चूँकि आप महिला सदस्य है एक अवसर और आपको दे देते हैं आप इसको पढ़ दें।

***श्रीमती ऊषा मौर्या-**

मा0 अध्यक्ष जी, जो हमारे पूरे क्षेत्र में और हर ग्राम सभा में सरकार की तरफ से पानी की टंकियाँ बनाई जा रही हैं उसमें हर क्षेत्र, हर कुलियाँ, हर गली में पाइप लाइन डाली जा रही है। यह सरकार की अच्छी स्कीम है। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, लेकिन गड्ढ़ा खोद देते हो, चाहे वह कल की आर0सी0सी0 बनी हो, चाहे 6 महीने पहले की हो या 2 महीने पहले की हो मेरी पूरी विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यह हालात हैं कि दोबारा से उसमें मिट्टी भर करके ईटों से मूँद देते हैं। कहीं-कहीं पर तो गड्ढों को भरते ही नहीं हैं। गाँव के बच्चे हों या मोटर साइकिल सवार हों या चार पहिया वाले हों सबको इससे दिक्कत हो रही है। स्कूल आने-जाने में बच्चों के साथ बहुत सी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उसके सम्बन्ध में मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि जिन भी कम्पनियों को यह काम सौंपा गया है उनके कार्यों पर ध्यान दिया जाए उन सड़कों को तत्काल बनाया जाए, क्योंकि गाँव में इस तरह की समस्यायें बहुत ज्यादा हैं और हमारी पूरी विधान सभा क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये महिला सदस्य हैं। हम उनकी मंशा समझ गये हैं कि जो पाइप लाइन पड़ रही हैं उन पाइप लाइनों को डलवाने के बाद जिन ठेकेदार को यह काम दिया गया है वह पूर्व स्थिति बहाल नहीं कर रहे हैं, उसको रिस्टोर नहीं कर रहे हैं यह मूल मामला इनका भी है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और यही मामला मा0 सदस्य,श्री शाहिद मंजूर साहब का भी है। इनका ग्रामीण क्षेत्र का है और उनका शहरी क्षेत्र का है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, यह पूरे प्रदेश का मामला है। जल जीवन योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में यह हो रहा है, यह पूरे प्रदेश की गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

वहीं तो उत्तर आ रहा है आप लोग सुन तो लें, मा0 भीष्म पितामह जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सही है कि जो वर्तमान में हर घर जल योजना चल रही है, उसके लिए सड़क काटी जाती है और ठेकेदार की यह जिम्मेदारी है कि वह पूर्व स्थिति में उसको बहाल करे। यह शिकायत मान्यवर, कई क्षेत्रों से आई है, कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में अवगत कराया है, निश्चित रूप से आज हमारे सामने जो सूचना आई है वह मैं आपको जानकारी दे दूँ, उसके बाद मैं अपनी बात कह दूँगा । पेयजल हेतु बिछाई जा रही पाइप लाइन के लिए काटी जाने वाली सड़क के पहले तथा पुनर्स्थापना मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं ससमय सम्पन्न होने के बाद फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी जी0पी0एस0 लोकेशन के साथ कराई जाएगी, यह निर्देश दिये गये हैं उस समय जिस समय हम कम्पनी को ठेका देते हैं, जब एम0ओ0यू0 होता है तो उसके साथ-साथ निर्देश दिए गए हैं और 3 अक्टूबर, 2022 को यह निर्देश दिया गया है जो आपकी सूचना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यानि फोटोग्राफी भी होगी पहले भी और बाद में भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी वह पूरी जी0पी0एस0 के साथ यानि जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ पूरा होगा..

ताकि यह स्थान पता चल जाये कि इस इस स्थान पर हुआ है, यह निर्देश दिया गया है। इसे जल जीवन मिशन के पोर्टल पर अपलोड करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को भेजा जायेगा। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा सम्बन्धित वेण्डर के माध्यम से काटी गयी सड़कों को पूर्व की स्थिति में लाने के तत्काल पुनर्निर्माण मरम्मत कराने की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी, जिससे आम-जनजीवन प्रभावित न हो। पेयजल हेतु काटी गयी लोक निर्माण विभाग की सड़कों के पुनर्निर्माण की कार्यवाही तभी पूर्ण मानी जाएगी, जब लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता सन्तुष्ट हो लेगा, यानि कुल मिलाकर जिम्मेदारी एक्सिएन की है, जे0ई0 और ए0ई0 की नहीं है। एक्सिएन को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके बाद 29 मार्च, 2023, 7 मई 2023, 7 जुलाई, 2023 द्वारा प्रदेश के समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश

जल निगम ग्रामीण को पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। यह व्यवस्था लिखित रूप से है। जो शहरी क्षेत्र में है, वह भी इसी प्रकार की है, जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल जल निगम ग्रामीण की जगह शहरी क्षेत्र आ जाता है। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि अलग से इसकी बैठक करके इसमें फिर से निर्देश दे दिये जाएंगे कि हर हालत में उन सड़कों को रिस्टोर किया जाये और जो वीडियोग्राफी की बात कही है, उस वीडियोग्राफी से एक्सिएन सन्तुष्ट हो, एक्सिएन के दस्तखत करने के बाद ही ऊपर कार्यवाही होगी। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात आ गयी है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। मेरा एक निवेदन सभी सदस्य सुन लें। अब चर्चा के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ।

(श्री लालजी वर्मा तथा श्री राकेश प्रताप सिंह जी के अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

मैंने राकेश जी, आपको बुलाया था।

श्रीमती ऊषा मौर्या-

माननीय अध्यक्ष जी, जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

अरे, जवाब में उन्होंने कह दिया है कि अलग से मीटिंग बुलाकर सब लोगों को निर्देश दे देंगे। श्री राकेश जी।

[12:57] विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैंने आज नियम-300 में एक नोटिस दी थी, जो इस सदन के संचालन व्यवस्था से भी जुड़ी है और इस सदन में बैठे 403 विधायकों की भावनाओं से भी जुड़ी है, इसलिए इसको सुना जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कल अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी। सत्ता पक्ष से माननीय कैबिनेट मंत्री अपनी बात को रख रहे थे। बात रखते-रखते ऐसी बात उन्होंने रखी है, जिससे भावनाएं आहत हुई हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़िए नहीं, अगर कोई विषय होगा तो आप मुझे बताएंगे, कार्यवाही में दिखा लूँगा। किसी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे विपक्ष को परिवारवाद से जोड़ा गया है। सत्ता पक्ष में 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ पदों पर बैठी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, यह बातें होती रहती हैं राजनीति में, वह सभी लोग एक-दूसरे को बोलते हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

और विपक्ष को परिवारवाद से जोड़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे छोड़िए, इनका माइक बन्द करिए। मेरा यह निवेदन है कि जैसे कल इस बात की चर्चा हुई थी।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप पूजा जी बैठ जाओ। राकेश जी, आपकी बात हो गयी। आप तो परिवारवादी हैं ही नहीं, आप बैठिए । क्या आप चाहते हैं कि 2 बजे तक जब तक अखिलेश जी नहीं आयें, तब तक सदन स्थगित कर दूँ। आप अगर यह चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप यह चाहते हैं कि 2 बजे माननीय अखिलेश जी जब तक आएं तब तक मैं लंच के लिए सदन स्थगित करूँ, तो मैं स्थगित करने के लिए तैयार हूँ। सब लोगों को बोलने का अवसर दीजिए। राकेश जी, आप बैठ जाइए, आप तो अति विद्वान सदस्य हैं। आपके लिए नहीं कहा है उन्होंने, कल जो विधान सभा का स्थगन आज सुबह तक के लिए हुआ था, उसमें केवल एक कारण था।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

नहीं-नहीं उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही है, सॉरी। मेरा निवेदन सुन लीजिये। विषय आप उठाइये, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बोलने के लिए खड़ा हो जाय, प्लीज बैठ जाइये। मैंने कल इस बात के लिए कहा था कि जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है उसके ऊपर फ्लोर को, फ्लोर मतलब पूरे हाउस को बोलने के लिए कभी भी ऐसी परम्परा नहीं थी। कल मैं चाहता था कि उसको और आगे बढ़ाया जाय लेकिन श्री लालजी वर्मा जी ने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए तो फिर मैंने उसको स्थगित कर दिया था। श्री वर्मा जी ने ये बात कही थी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप मेरा नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये। कार्यवाही में यही लिखा हुआ है, जो मैंने कहा है, आप बैठिये। सब जानते हैं कि आपने कहा था, आप कार्यवाही देख लीजिये जो बात मैंने नहीं कही उसे आप कह सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

अभी सुनते हैं, लेकिन बाकी सारे सदस्यों के निवेदन पर कि वर्मा जी ने जो कहा था उससे वो सहमत नहीं हैं, मैंने जो अवसर दिया था उससे वह सहमत हैं, इसलिए सदस्यों को मैंने कहा था। आज 5 मिनट प्रति सदस्य को दिये जायेंगे आज 2 बजे तक 12 सदस्य बोल पायेंगे, 5 मिनट से ज्यादा किसी सदस्य को नहीं दिये जायेंगे, जो अधिष्ठाता यहां पर बैठेंगे मेरा उनसे निवेदन है कि 5 मिनट के बाद माइक बन्द करा दें। 12 सदस्यों को अवसर मिलेगा, इधर से 4 और उधर से आठ, अगर अधिष्ठाता को लगेगा कि वह बजट के ऊपर नहीं बोल रहे हैं तो उसको बीच में ही रोक देंगे, ताकि सब लोग अपनी बात रिलीवेंटली और टॉपिक के हिसाब से कर सकें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरा नाम लिया।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम तो हमेशा लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये। आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कोई आरोप नहीं लगाया आपने जो कहा वह बताया। कार्यवाही में जो लिखा है वो पढ़ा। मैं आपके उपर आरोप लगा ही नहीं सकता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने यह कहा था कि यह परम्परा नहीं रही है, तो मैंने उस पर कहा था कि ये परम्परा रही है, ऐसा बहुत बार हुआ है आप कार्यवाही मंगा लें, देख लें। आपने ये कहा कि इतने विस्तार से नहीं हुआ तो मैंने कहा कि कभी भी विस्तार से नेता सदन ने अनुपूरक बजट पर अगर वित्त मंत्री नहीं थे तो उत्तर भी नहीं दिया था। अगर उनका उत्तर विस्तार से आ रहा है तो सभी सदस्यों को भी विस्तार से बात करने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आज की बात आपने कल कैसे कर दी थी ?

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (क्रमागत)

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मेरा एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। 19,000 अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का हक मारा गया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय को ले लें और इस पर सुन लें। 6800 शिक्षक बैठे हुए हैं, लाठी-डण्डा खा रहे हैं, यह मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हेतु सरकार की तरफ से नहीं गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार स्वयं इसका संज्ञान ले। इनको समायोजन करने का निर्णय हुआ है उसके अनुसार निर्णय लिया जाय । यह मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसको सुन लें और मुख्य मंत्री जी ने जो स्वयं कमेटी बनायी थी उस कमेटी के माध्यम से 6800 की अनियमितता पायी गयी उनको तत्काल नियुक्ति-पत्र दिया जाय यह मेरी आपके माध्यम से माँग है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, जो विषय माननीय वर्मा जी ने उठाया है हम उसका पूरी तरीके से खण्डन करते हैं, यह मैटर हाई कोर्ट में सबज्यूडिस है।

श्री लालजी वर्मा-

जो निर्णय आया है उसमें कहीं भी स्टे नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है कि पूरी बात आ जाने दीजिये। इस बीच में बोले नहीं, हम बीच में रोक सकते थे। मान्यवर, जो आरोप लगाया गया है हम और सरकार पूरी तरीके से उसका खण्डन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं और जो संख्या आप बता रहे हैं, उस विषय पर यह मामला सबज्यूडिस है, इसलिए इसके ऊपर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर सबज्यूडिस है, तो उसमें कौन गया है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरे पास सूचना नहीं है। हम सूचना मंगाकर देंगे। लेकिन आपने जो कहा है उसके बारे में मेरी जानकारी है।

श्री लालजी वर्मा-

आप सूचना मंगाकर उसका अध्ययन कर लें और उसके बाद विस्तारण करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरे पास आज सूचना नहीं है, लेकिन हम उसका खण्डन करते हैं और ये मामला सबज्यूडिस है।

[01:02] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा†

(इस समय 01 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं)

***श्री कमाल अख्तर-**

अधिष्ठाता जी, आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर मुझे बोलने का मौका दिया। अधिष्ठाता जी, आप सब लोग जानते हैं कि जब सरकार ने बजट पेश किया था 5 लाख कुछ करोड़ रुपये का, पिछली दफा इन्होंने बहुत विशाल बजट प्रस्तुत किया था, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि खुद वित्त मंत्री जी ने अभी पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी के सामने बताया कि 24 परसेन्ट बजट खर्च हुआ है। मैं समझता हूँ कि कोई विभाग ऐसा नहीं है कि जिसका पूरा बजट खर्च कर दिया गया हो। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हर विभाग का बजट किसी का 20 परसेन्ट, 25 परसेन्ट, 30 परसेन्ट मुश्किल से खर्च हुआ होगा। लेकिन फिर भी एक भारी-भरकम बजट लाकर सरकार लोगों को फिर से चुनाव के मामले में गुमराह करना चाहती है। मैं नहीं समझता कि इस बजट को लाने का कोई औचित्य था। अभी बिजली मंत्री जी बोल रहे थे कि उनकी कई स्कीम चल रही हैं, उन्हें फिर इस बजट के अन्दर इतना पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा कई हजार करोड़ का बिजनेस प्लान चल रहा है, आर0डी0एस0एस0 स्कीम चल रही है, रिवैम्प स्कीम चल रही है। लेकिन मैं कहना चाहता

---

† दिनांक 30 नवम्बर 2023 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ, अगर माननीय मंत्री जी यहाँ पर होते तो मुझे सिर्फ एक सवाल करना था, वह नगर विकास के भी मंत्री हैं। नगर विकास के अन्दर इतनी सारी नगर पालिकायें और नगर पंचायतों को बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं पर भी चले जाइये, हर जगह शहरों के अन्दर आबादी बढ़ रही है। गरीब लोग जो ठेला लगाते हैं, गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने शहरों की बाहरी एरिया के अन्दर घर बनाकर रखे हुए हैं। अगर कोई आदमी 77 साल की आजादी के बाद भी अंधेरे में रह रहा है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम हर घर में रोशनी करने का काम कर रहे हैं, उन्हें विद्युत का कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको विद्युत का कनेक्शन लेना होता है, तो उनको 1 लाख, डेढ़ लाख, दो लाख का एस्टीमेट दिया जाता है, जो शायद सारी सम्पत्ति बेचने के बाद भी वह लोग उसको जमा नहीं कर पाते। उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मेरे क्षेत्र बागबड़ा के अन्दर एक तुर्क कॉलोनी है, वहाँ हजारों मजदूरों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। काँठ के अन्दर करेलीबाग नाम की एक कॉलोनी है, वहाँ पर 20 साल से बसे लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इतना भारी-भरकम आपका बजट है। अगर आपके इस विभाग का इतना बजट है, तो कम से कम उन एरियाज का विद्युतीकरण जरूर करा दें। जहाँ पर गरीब लोग बस गये हैं, जहाँ पर गरीब लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। एक तरफ बिजली विभाग के अन्दर खुली लूट मची है, जो मीटर रीडिंग करने वाले लोग हैं। सरकार कहती है कि अगर हम 100 यूनिट से कम पर उनकी रीडिंग कर देंगे तो 3 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट उन्हें मिलेगी, अगर उससे ज्यादा हम कर देंगे तो 7 रुपये से ज्यादा प्रति यूनिट मिलेगी। अगर उससे और अधिक हम रीडिंग देंगे तो हमको 9 रुपये प्रति यूनिट तक की बिजली खरीदनी पड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी संविदा के नाम पर, ठेके के नाम पर लगाये हुए विद्युत रीडिंग करने वाले लोग हैं, वह गरीब लोगों की रीडिंग तब जाकर विभाग को देते हैं, जब उनको 9 रुपये प्रति यूनिट बिजली का पेड करना पड़े।

मैं यह कहना चाहूँगा कि इस बजट के अन्दर पी0डब्ल्यू0डी0 का सवाल था, सड़कों का सवाल था, मुरादाबाद मण्डल इतना बड़ा मण्डल है और खुद मंत्री जी वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 को 16 हजार करोड़ का बजट दिया गया, पूरा साल खत्म होने वाला है, अनुपूरक बजट भी आ गया, उसके अन्दर भी पैसा दिया गया है। लेकिन पूरे साल के अन्दर एक भी नव निर्माण, एक भी पुनर्निर्माण, कोई सड़क नहीं दी गई। सिर्फ मरम्मत के नाम पर दिया जा रहा है। नव निर्माण के नाम पर एक तरफ ये बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जनता को तो छोड़ दो, जब आप हमारे विधायकों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, हम विधायकों के साथ ही पार्शियल्टी कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि हम 7 करोड़ की नाबार्ड के अन्दर सड़कें स्वीकृत करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी, किसी एक

विपक्ष के विधायक का नाम बता दीजिए, जिसके ऊपर आपने नाबार्ड के अन्दर एक भी सड़क स्वीकृत करने की बात की हो।

मान्यवर, सीधा-सीधा एक पक्ष यह है कि केवल सत्ता का आदमी होना चाहिए उसे सारी सुख-सुविधाएं मिलेंगी और जो विपक्ष के विधायक हैं, मैंने जो कहा है कि मैं जहाँ से चुनाव जीत करके आया हूँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 51 हजार वोट मिले थे, वहाँ पर कई बूथ ऐसे हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन मुझे 1 लाख 28 हजार वोट मिले थे, मैं कहता हूँ ठीक है जहाँ हमारी पार्टी जीती है वहाँ आप काम न करायें, लेकिन जहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव जीती है, वहाँ पर आपको 100-100 प्रतिशत वोट मिले हैं, आप कम से कम वहाँ तो काम करा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, एक दो बात और कहूंगा। एक दरियापुर गाँव है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 90 प्रतिशत वोट मिले, एक हसनगढ़ी गाँव है, आजादी के 77 साल बाद तक आज तक वह मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े हैं। यह जो अनुपूरक बजट लाया गया है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, पूरे इलाकों के अन्दर डेंगू फैला हुआ है, किसी अस्पताल के अन्दर लोगों के लिए इलाज की सुविधा नहीं है। वहाँ पर डाक्टर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य 5 मिनट हो गये हैं आप अपने क्षेत्र के बारे में बोल दीजिये।

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, यह जो अनुपूरक बजट लाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है, यह केवल लोगों को लुभाने के लिए और चुनाव के अन्दर लोगों को बहकाने के लिए लाया गया है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

***श्री अतुल गर्ग-**

मान्यवर, धन्यवाद कल से बहस सुनने को मिल रही है। जब मैं विधान सभा में यहाँ आया तो मुझे लगा अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, तो मेरे मन में एक विचार था कि प्रतिपक्ष तैयारी करके आया होगा और बहुत सारे ऐसे बिन्दुओं की जानकारी मिलेगी, सारे सदन को जानकारी मिलेगी कि इस बजट में क्या कमी है और इसमें क्या एडिशन होना चाहिए था, क्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिलीशन होना चाहिए था। कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिन पर विचार करने की पुनः आवश्यकता है। मान्यवर, कल से सिवाय शिकायतों के और कुछ नहीं हो रहा है। किसी ने भी किसी एक बजट के ऊपर, किसी एक आंकड़े के ऊपर, किसी एक राशि के ऊपर न तो आपत्ति की है और न ही सहमति की है, सबने यह बताया है कि यह हुआ है, यह नहीं हुआ है। यह हुआ है यह नहीं हुआ है, उसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। अभी-अभी यह कहा गया है कि बिजली के कनेक्शन में बड़ी धांधली है। मैं यह जानता हूँ कि किसी जमाने में जब बिजली का कनेक्शन होता था तो प्रति वाट के हिसाब से पैसे की वसूली होती थी। इस सरकार के शासन में पहली बार कनेक्शन वाले आगे-आगे और बिजली वाले पीछे-पीछे जाते हैं, यह पहली बार है। मुझे नहीं पता कल हमारी एक बहन थीं बहुत गुस्से में थीं, इतने गुस्से में तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। गुस्से में उन्होंने अनुपूरक बजट पर सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया और मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इसमें गुस्से की क्या बात है यह बात शान्ति से कही जा सकती है। फिर बाद में मुझे किसी ने बताया है कि इनका जो गुस्सा है, वह सामाजिक न्याय से ज्यादा पारिवारिक सत्ता के विवाद पर ज्यादा है, उसके अन्याय पर ज्यादा है, सामाजिक अन्याय पर उनका विवाद नहीं था। यह प्लेटफार्म जिस पर गम्भीर चर्चायें होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने हम सब लोगों को यहाँ चुन करके भेजा है कि अगर जनहित की बात करें तो यहाँ पर हमारे दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि कैसे लोगों को झूठ बोल करके, सच बोल करके, मिथ्या आरोप लगा करके भड़काओ और अपना आगे राजनीतिक काम चलाओ। यह अच्छी बात नहीं है। यह पवित्र जगह है यहाँ पर लोगों की जिन्दगी को सही बनाने के फैसले होने चाहिए। यहाँ पर शिक्षा के ऊपर अनुपूरक बजट की बात हुयी है, स्वास्थ्य के ऊपर हुयी है, सड़कों के ऊपर हुयी है, ग्राम पंचायतों के ऊपर हुयी है, खेलों के ऊपर हुयी है, एक भी बात यह बताओ कि यह बात गलत है या यह बात सही है।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, इनकी सारी हुयी है।

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत नेक इन्सान है जो इधर के बैठे हुये लोगों की भी तारीफ करना जानते हैं और आपकी इस महानता के लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। ऐसा होना चाहिए, बहुत नेक इन्सान हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। (बैठे हुए)

श्री अतुल गर्ग-

ये केवल मेरा टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि पूरी विधान सभा का टाइम बरबाद कर रहे हैं। मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ये मान लेना चाहिए कि ये लोग अनुपूरक बजट से सहमत हैं, क्योंकि इन्होंने बजट की कोई तर्कपूर्ण तरीके से आलोचना नहीं की। ये तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं कि विपक्ष में होने के नाते हमें कुछ न कुछ कहना है, यदि हम कुछ नहीं कहेंगे तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, इसलिए ये सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। मान्यवर, इसलिए इनकी सहमति समझ करके इस बजट को पास किया जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री सौरभ श्रीवास्तव-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में 28 हजार 760 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसमें से 7 हजार 421 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है। इससे निश्चित रूप में प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि आयेगी। यह बजट कई अहम परियोजनाओं को रफ्तार देने के साथ ही प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा। इस बजट में एक तिहाई से ज्यादा धनराशि ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है, जिससे हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को मुफ्त बिजली हेतु 900 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से यह किसान भाइयों के लिए एक बड़ी सौगात है। गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है वह भी स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब अन्नदाता किसान खुशहाल होंगे तभी प्रदेश की कृषि व्यवस्था में तेजी आयेगी। अधिष्ठाता महोदया, मैं इस विधान सभा का वाराणसी कैण्ट से सदस्य हूं वहां विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां बनती हैं और बुनकरों का बहुत बड़ा वर्ग हमारे विधान सभा क्षेत्र में है। इन बुनकर भाइयों का दर्द मैं जानता हूं, अब तक प्रदेश में बसपा और सपा की जो भी सरकारें रहीं ये बुनकर भाई उनके लिए सिर्फ वोट बैंक थे, उन पार्टियों का केवल उनके वोटों से मतलब होता था, लेकिन उनकी सुविधाओं से सरकारों का कोई मतलब नहीं था। हमारे बुनकर भाइयों के लिए इस बजट में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान उनके बिजली बिल में छूट के लिए किया गया है, यह बताता है कि इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिये गये मूल मन्त्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काफी ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से इस छूट से बुनकर भाइयों की लागत में कमी आयेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे साबित होता है कि प्रदेश के बुनकरों कारीगरों और सभी प्रकार के कामगारों के जीवन स्तर के विकास के लिए भाजपा सरकार कितनी गम्भीर है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2 हजार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ रुपए के प्रावधान से निश्चित रूप से हमारे श्रमिकों, कारीगरों, बुनकरों, छोटे उद्यमियों, व्यापारियों और कामगारों में आर्थिक खुशहाली आयेगी।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मन्दिर तैयार हो रहा है। आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के इस नव्य और भव्य मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह नियत है। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के इस मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के सभी सनातन धर्मियों के लिए गर्व का एक विशिष्ट पल है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने इस समारोह को अद्भुत और अविस्मरणीय बनाने के लिए जो प्रावधान किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य पहल है और इससे प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति और विरासत का संदेश पूरे विश्व में जायेगा। राज्य के राजधानी क्षेत्र के लिए भी बजट में जो प्रावधान रखा गया है वह प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए एक अत्यन्त आवश्यक कदम है। अधिष्ठाता महोदया, भाजपा सरकार द्वारा जो भी गरीब, किसान, महिलाओं, नौजवानों के लिए काम किये जा रहे हैं वह विरोधी दलों को हजम नहीं हो रहे हैं। उनका विरोध केवल एक दिखावा है और गरीब किसानों, नौजवानों, महिलाओं के साथ एक धोखा है। भाजपा सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इस अनुपूरक बजट की विभिन्न योजनाओं को हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। मैं इस बहुत ही अच्छे बजट के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री पंकज कुमार मलिक-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह अनुपूरक बजट जो लगभग 28700 करोड़ रुपये का है, यह उस समय आया है जब मूल बजट का 34.76 प्रतिशत अभी खर्च नहीं हुआ है। हम लोग यहां केवल आलोचना करने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की पीड़ाओं को देखते हैं और उसको यहां पर रखने का काम करते हैं, क्योंकि 5 साल बाद मुझे भी और आपको भी जनता को जवाब देना है। हम धन्यवाद करते, अगर आज मेरठ मण्डल के किसान का भुगतान हो गया होता, आप 400 करोड़ की बात कर रहे हैं इसकी आप जाँच करा लीजिएगा लगभग 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान आज भी बकाया है। हम आपको धन्यवाद करते, आभार व्यक्त करते, आपको फूल भेंट करते अगर शामली में 210 करोड़ रुपये, ऊन में 50 करोड़ रुपये, दया शुगर तथा सहारनपुर में 12 करोड़, मोदीनगर में 60 करोड़ रुपये, मलकपुर में 190 करोड़ रुपये, सिम्भावली में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

80 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया होता। अगर गन्ने का भुगतान आज महंगाई के दौर में मूल्य बढ़ा करके किया जाता, तो और आभार व्यक्त करते।

मान्यवर, हम लोग केवल आलोचना नहीं करना चाहते, आपने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च किया, आप उन शिक्षा के विद्यालयों को जा करके देख लीजिएगा, वह शिक्षा का मंदिर होता है। मेरे क्षेत्र में गढ़ी गांव में आज भी यह स्थिति है कि गरीब का बच्चा जब वहां पर पढ़ने जाता है तो पता नहीं कब लिंटर गिर जाए, मैंने उस गांव के लिए काम करने का प्रयास किया, उस विद्यालय के लिए काम करने का प्रयास किया, बार-बार पत्राचार किया। लेकिन वहां कोई समाधान नहीं हो पाया। आप विद्यालय की बात करते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे इस नए युग में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, आप सीट बढ़ाइये, यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, आप लोग सीट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। आज हर विभाग में बच्चे ऐसे हैं जिनके साल खराब होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में वह अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, लेकिन उनका दाखिला नहीं हो पाता। आप धन्यवाद की बात करते हैं, हम धन्यवाद देते अगर आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का तथा पूरे उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी परिपक्व हो जाता अगर उसे ट्रेनिंग मिलती। हर गांव में हर ब्लॉक में हर जिले में, एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होता। हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत काबिल है, पढ़ाई में भी काबिल हैं, खेल में भी काबिल हैं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा स्टेडियम नहीं जहां उन्हें पूर्ण रूप से ट्रेन्ड किया जा सके। आप रोजगार की बात करते हैं, आप आई0टी0आई0 के विद्यालयों को परमिशन दे रहे हैं, अरे साहब आप विद्यालयों को परमिशन दे रहे हैं, बच्चे वहां पढ़ते हैं, आई0टी0आई0 पास करते हैं, लेकिन अप्रेंटिस के लिए दर-दर की ठोकर खाते फिरते हैं। अप्रेंटिस की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से और यह सही सुझाव है, जितने भी बच्चे आई0टी0आई0 में दाखिला लेते हैं, उन्हें ट्रेन्ड करने के लिए अप्रेंटिस की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग से पैसे का इन्तजाम किया जाए, जिससे गरीब का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज भी मुजफ्फरनगर में अभी कुछ समय तक सफाई कर्मचारियों के आंसू पोछने के लिए कोई नहीं गया, वह लोग अपनी माँग को लेकर धरने पर बैठे थे। मान्यवर, मैं एक दिन अपने क्षेत्र में था, हमारे यहां पर एक देवबंद साख नहर है, राजवाहा है, उसकी आज तक खुदाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, आप किस विकास की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि किसान का बच्चा खुश रहेगा, गरीब का बच्चा खुश रहेगा, पानी के और जो सिंचाई के साधन हैं उनकी व्यवस्था हो नहीं हो पाती है।

मान्यवर, अभी बिजली की बात कर रहे थे, आप जा करके देख लीजिएगा बिजली की सुविधाएं तो कहीं पर हैं नहीं हां लूट है, लूट के नाम पर घर में घुस जाते हैं। अभी एक मुजफ्फरनगर का प्रकरण है, बिजली वाले घर में जाकर घुस गए महिलाओं के साथ बदतमीजी

की, उसकी उल्टी रिपोर्ट करा दी गयी। मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था होगी। किसान का भुगतान होता नहीं, किसान के नाम पर लुटाई की जाती है, पहले सोसायटी में खाद मिलता था, बीज मिलता था, अब खाद मिल देने लगी है और पैसा सोसाइटी देती है, लुटाई करने का काम हो रहा है। अभी शामली का किसान भूखा-प्यासा लम्बे समय तक धरने पर बैठा रहा, किसी ने उनके आंसू पोछने का काम नहीं किया, किसी ने सोचा कि इस शादी के सीजन में उनके बच्चों की शादी कैसे हो पायेगी, उनके दर्द को किसी ने नहीं समझा। किसान के वोट के लिए तो उनके बीच में जाते हैं। आज बिना पैसे के उनका धरना समाप्त किया गया, तरह-तरह के दबाव उन पर दिये गए, वह किसान भी इस देश का, प्रदेश का नागरिक है।

उसने भी वोट दिया होगा। कुछ ने पक्ष को वोट दिया होगा, तो कुछ ने विपक्ष को दिया होगा। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। एक फण्ड बनाकर किसान का भुगतान तय किया जाए, जो किसान मेहनत करता है, अन्न पैदा करता है और उसी किसान का बेटा सीमा पर प्रहरी बनकर इस देश के और प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा करने का काम करता है। आज वह किसान खून के आंसू रो रहा है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ये सारी बातें जोड़ दें, तो हम धन्यवाद देंगे, नहीं तो धन्यवाद का कोई काम इसमें नहीं है। ये अपराध रोकने की बात करते हैं। मैंने साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया था। आपने जवाब दिया था उस समय के साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम तरह-तरह के उपकरण लाएंगे। आज तक कोई नया उपकरण नहीं आया। जिस तरह से हर जिले में पुलिस चौकी है, उसी तरह साइबर अपराध को रोकने के लिए चौकी होनी चाहिए । यहाँ सदन के जितने सदस्य बैठे हैं, सब लोगों ने कहीं न कहीं साइबर अपराध देखा होगा या कहीं न कहीं उससे ग्रसित हुए होंगे। मान्यवर, इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारी बहुत सारी बेटियां और महिलाएं भी इसकी शिकार हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपको बोलते हुए 05 मिनट हो गया है। अब आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी।

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया। आज हमारे दूसरे कार्यकाल में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। हमारी सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुपूरक बजट पेश किया गया है। यह अनुपूरक बजट एक बड़ा बजट है, जो 28760.67 करोड़ रुपये का है। यह अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जिससे विभिन्न योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं को तीव्र गति से धरातल पर उतारा जा सके। अमृत काल का यह अनुपूरक बजट लोक कल्याणकारी बजट है। इस अनुपूरक बजट में भगवान राम की नगरी अयोध्या सहित प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी महराज के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र-छात्राओं, महिलाओं व मजदूरों सहित समाज के हर वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास है। मा0 प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश समग्र विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है। इसलिए उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट 2023-24 से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ महराज जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को पूरा कर देश की जनता का हित एवं कल्याण तथा भारत को ग्रोथ इंजन बनाने में सक्षम साबित होगी। हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट में सड़कों व सेतु निर्माण हेतु 4406 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई हेतु, मुफ्त बिजली हेतु 900 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। राम नगरी अयोध्या के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये, चीनी मिलों के बकाया भुगतान, जिसके लिए लगातार विपक्ष की तरफ से चीनी मिलों का बकाये भुगतान की रट लगायी जाती है, वह लगभग भुगतान हो ही गया है, लेकिन जो थोड़ा-बहुत बाकी है, उसके लिए भी इस अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गयी है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के तहत स्वच्छ शौचालय हेतु 1524 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में बसों के सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपये की इस अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गयी है। अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने बताया है कि 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को फ्री में यात्रा करने की व्यवस्था बनाएंगे। मुख्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु 300 करोड़ रुपये, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु 200 करोड़ रुपये, प्रदेश में मुख्य मंत्री पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये, बिजली व्यवस्था सुधार हेतु 10095 करोड़ रुपये।

पिछड़ी जातियों के कक्षा 01 से लेकर 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। बेसिक शिक्षा से ले करके उच्च शिक्षा तक कुल 1551 करोड़ रुपये, पुलिस विभाग के विभिन्न इकाइयों के लिए 464 करोड़ रुपये, पूर्वान्चल विकास निधि हेतु 475 करोड़ रुपये, पंचायती राज हेतु 989 करोड़ रुपये, ग्राम्य विकास हेतु 98 करोड़ रुपये देकर हर क्षेत्र के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया है। समस्त विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक बजट उपलब्ध कराने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। भविष्य में प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जायेगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। उधर के माननीय सदस्य महिलाओं के विकास के प्रति बहुत चिन्तित हैं। अधिष्ठाता महोदय मैं बता देना चाहती हूँ कि आज पूरे भारत में महिलायें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। जबसे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की गद्दी को संभाला है तबसे अब छिनैती नहीं हो रही है, अब महिलायें डर नहीं रही हैं। आज गाँव की गरीब, कमजोर व कम पढ़ी-लिखी महिलायें भी बाहर निकल करके रोजगार से जुड़ने के लिए सुरक्षित महसूस करते हुए गाँव-गाँव से निकल करके काम करने आ रही हैं। हमारी पढ़ी-लिखी बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आज आई0ए0एस0 व पी0सी0एस0 की जितनी भी परीक्षायें हो रही हैं उनमें आधी संख्या में हमारी बेटियाँ स्थान पा रही हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियाँ कर रही है। गरीब से गरीब का बेटा आज नियुक्ति पा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में जब नियुक्तियाँ निकलती थीं उससे पहले ही 10-10, 20-20 लाख में उसको हायर कर लिया जाता था और गरीब के बेटा-बेटी नौकरी नहीं पा पाते थे। हमारी बहनें, महिलायें लगातार सरकार को धन्यवाद दे रही हैं और जुड़ करके काम कर रही हैं। बिजली के बारे में उधर से बहुत प्रश्न उठाये जाते हैं तो सुन लीजिए आज हर क्षेत्र में 75 के 75 जनपदों में बराबर बिजली आ रही है। पहले केवल 04 जनपदों में 24 घण्टे बिजली आती थी जिसमें बड़े-बड़े नेता रहा करते थे। आज 75 के 75 जनपदों में बिजली आ रही है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) आज सिंचाई के लिए किसानों को रात-रात भर जागना नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंचाई के लिए हर समय बिजली उपलब्ध रहती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, अब समाप्त करें, आपके 6 मिनट हो गये हैं।

श्री विजय लक्ष्मी गौतम-

हमारी सरकार की सारी व्यवस्थायें बहुत बढ़िया चल रही और जनता बार-बार धन्यवाद दे रही है। आप लोग विपक्ष में सिर्फ आरोप लगाने के लिए खड़े होते हैं। आज सरकार इस बजट में लोक कल्याणकारी योजनायें ले करके आयी है। यह अनुपूरक बजट बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

***श्री कैलाश नाथ-**

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, आपको धन्यवाद कि आपने हमें अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय योगी जी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास, सबका साथ और सबका विकास, इस भावना से काम कर रही है उसी भावना के साथ जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है इसके द्वारा निश्चित रूप से प्रदेश का चतुर्दिक विकास होगा और समाज के सभी वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने योगी जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत किया है। आदरणीय महोदया, हमारी सरकार ने चुनाव के समय यह संकल्प-पत्र जारी किया था कि किसानों को उनके निजी नलकूपों पर सिंचाई की मुफ्त सुविधा दी जायेगी। उस भाव को ध्यान में रखते हुए इस अनुपूरक बजट में हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए, कम होगी। आदरणीय महोदया, हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आये दिन हम सबके गाँव व क्षेत्र में हमारे घर के मुखिया, परिवार का नौजवान सदस्य अनजाने ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में परिवार के सामने अंधेरा छा जाता है। हमारी सरकार ने एक योजना बनायी किसान दुर्घटना बीमा योजना, उसके अन्तर्गत जिस परिवार का मुखिया काल-कलवित हो जायेगा उसको 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता किसान बीमा दुर्घटना योजना के अन्तर्गत दी जायेगी।

अधिष्ठाता महोदया, उस योजना के लिए भी एक अच्छा बजट एलॉट किया गया है। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने महसूस किया है कि बहुत बार हमारे घर का नौजवान जिसके नाम पर कोई खेत नहीं है, जिसके बूढ़े बाप के नाम पर खेत है, यदि वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो किसान की परिधि में न आने के कारण उसकी सहायता नहीं हो पाती थी। इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनायी कि यदि गांव का कोई व्यक्ति एक शपथ-पत्र देगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यह हमारी खेती बँटाई पर करता था तो उसको भी उस योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारे क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने एक अच्छी धनराशि दी है।

मैं इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जहां हमारी सरकार ने अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद् का गठन किया है, वहीं जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में स्थित देवीपाटन धाम शक्ति विकास परिषद् का भी गठन किया गया है। इससे निश्चित रूप से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं वहां तीर्थयात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलते हुए मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारी विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर नेपाल की सीमा पर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से सटा हुआ क्षेत्र है। हमारी तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के काफी गांव जंगली क्षेत्र से सटे हुए हैं। इसी नवम्बर महीने में तेंदुओं के आतंक के कारण हमारी ही विधान सभा क्षेत्र के 3 बच्चों की अकाल मृत्यु हो गयी है। वह छोटे-छोटे बच्चे थे और एक-आध परिवार तो ऐसे भी थे जिनके घर में मात्र एक ही बच्चा था और वह तेंदुए का शिकार हो गये। उसमें समस्या यह आ रही है कि जो वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग संरक्षण नियम है, उसके प्राविधान इतने जटिल हैं कि वन विभाग चाहकर भी उन पर नियंत्रण करने की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकता है। मैं अपनी लोकप्रिय सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जंगली क्षेत्र में स्थित गांवों के लोगों के जनजीवन को बचाने के लिए इसके जो प्राविधान हैं, उनमें शिथिलता हेतु अगर प्रदेश सरकार स्तर पर सम्भव हो तो प्रयास किया जाए। अगर प्रदेश सरकार स्तर पर सम्भव नहीं है तो केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर निवेदन किया जाए। हमारे यहां जंगली क्षेत्र में जो गांव हैं, वहां हम वन विभाग के प्राविधानों के कारण खड़न्जा नहीं लगा सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते हैं, जिससे आवागमन हेतु काफी कठिनाई आ रही है। इसकी तरफ मैं मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से अपनी लोकप्रिय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक नेपाल की सीमा को जोड़ने वाली बरदौलिया-बनकटवा मार्ग है, वह नेपाल की सीमा तक जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आवागमन की दृष्टि से उसका निर्माण कराया जाए। जो पहले बनाया गया था, वह ध्वस्त हो चुका है, उसका भी निर्माण कराया जाए। कचनी नाले पर जो पहले एक पुल बना था, वह पुल भी ध्वस्त हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उन पुलों को भी बनवाने के लिए मैं अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

***श्री समरपाल सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जो 28,760 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, उसमें से 10,000 करोड़ रुपये बिजली को, 1 करोड़ रुपये नगर विकास को और अन्य विभागों को दिया गया है। पिछला बजट 75 प्रतिशत लैप्स हो गया है, वह सरकार खर्च नहीं कर पायी है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे आने-जाने का शाहजहांपुर वाला पुल बनवा दिया है, वहां कई घण्टे जाम में फंसे रहते थे। मेरे क्षेत्र का भी एक पुल है, उस पर ओवरब्रिज बनवा दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप किसान की आय दोगुनी करना चाहते हैं, आप किसानों की आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों की दोगुनी लागत हो गयी है और उनकी आय कम हो गयी है। इनका आप सर्वे करा लें। कागजों पर न जायें, अधिकारियों के बहकावे में न आयें, अब तक के समय में किसान सबसे ज्यादा कष्ट झेल रहा है। किसान अब तक अपनी आने वाले दो-तीन फसलों को खा चुका होता है। ऐसा नहीं है कि किसान अपना बिजनेस चेंज कर ले। यह कोई दुकानदार की दुकान नहीं है कि वह अपना बिजनेस चेंज कर ले। जूते की नहीं चल रही है तो मिठाई की दुकान कर लेगा, कपड़े की कर लेगा और कुछ कर लेगा। किसान अपना बिजनेस भी चेंज नहीं कर सकता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान जो सामान खरीदता है उस पर जी0एस0टी0 फ्री कर दी जाये, ताकि किसान को लाभ हो और यह सदन के सभी मा0 सदस्य चाहते हैं। जल जीवन तो आपने बता ही दिया। आप जब राजस्थान में 500 रुपये का सिलेण्डर दे सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं और यह सरकार महिलाओं की रक्षा करने वाली सरकार है, तो आप यू0पी0 में भी अभी से 500 रुपये का सिलेण्डर देना शुरू कर दें तो मैं मान लूँगा कि आप इन महिलाओं के रक्षक हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत गरीब लोग रहते हैं। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि जहाँ जाओ वहाँ बिजली वाले कनेक्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं हैं, हम बहुत से लोगों की सिफारिश कर चुके हैं और मैं आपको लिखकर दे दूँगा, अभी भी अधिकारी कनेक्शन देने में बहुत आना-कानी करते हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जब देश का किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। देश की खुशहाली का रास्ता गाँव और खलिहानों से होकर गुजरता है। इसलिये हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपने सारे एम0एल0ए0 को 7-7 करोड़ की सड़क दी। खन्ना जी, इतना तो नहीं होना चाहिये। हमसे माँग लिया गया कि आप दे दें कि 7 करोड़ कहाँ-कहाँ खर्च करने हैं और हमने दे दिया। अब क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ। यहाँ से एक परिपत्र चला गया कि आपका जीरो कर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो आपके बगल में बैठे हैं इनका भी जीरो कर देते तो हम मानते। खन्ना जी, यह गलत बात है इसमें सुधार कराइये और कम से कम हमको क्षेत्र में जाने लायक छोड़ दीजिये। आपने कह दिया कि आपकी यहाँ से यहाँ तक सड़क बनेगी, आपकी यहाँ से यहाँ तक सड़क बनेगी, लेकिन बननी है नहीं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। आप इसमें व्यवस्था कराइये। सारे एम0एल0ए0 इस बात से सहमत हैं और विपक्ष को भाई-भतीजावाद के साथ फँसाया जा रहा है। ग्राम प्रधान जो गाँव का विकास करते हैं वह बहुत बुरे हाल में हैं। पहले की सरकारों में ग्राम प्रधानों को समय पर किस्त जाती थी जिससे वह अपना काम करा लेते थे, लेकिन आज हालात यह है कि हमको गाँव में काम कराना पड़ता है। पहले ऐसा था कि कोई एम0एल0ए0 अपनी निधि को गाँव के अन्दर खर्च नहीं कर सकता था, वह बाहर खर्च करता था तो उनको थोड़ी सहूलियत रहती थी। आज के समय में प्रधानों की हालत बहुत बुरी है। इसमें भी सुधार किया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपके माध्यम से मा0 खन्ना जी को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अभी मेरे क्षेत्र में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो बेचारे रोटी को मोहताज हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को एक-एक केस में, सिंगल-सिंगल केस में उनको गुण्डा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट में फँसाया जा रहा है। मेरे क्षेत्र का एक नानक नगली गाँव है, वहाँ पर एक मन्दिर का झगड़ा हो गया और मुसलमानों ने कहा कि मन्दिर बना लो, लेकिन उसमें लाठीचार्ज करके मुसलमानों को ही बन्द कर दिया गया। उन पर गैंगस्टर लगा दिया गया। आज टीचर आन्दोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप मास्टरों पर लाठीचार्ज करेंगे तो कैसे सरकार चलायेंगे। जो गुरू है आप उन पर ही लाठी चलवायेंगे। मैंने गन्ने के 2-3 सेन्टर दिये थे वह भी नहीं बने।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, पाँच मिनट हो गये हैं, अब आप समाप्त करें। धन्यवाद। मा0 आशीष पटेल जी।

(इस मध्य सदस्य श्री समरपाल सिंह जी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे, परन्तु उनका माइक बन्द था।)

प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, इस सम्मानित सदन में आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट के समर्थन में आपने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। भाजपा, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबन्धन की सरकार में जो 28 हजार 760 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया है।

महोदया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारे विपक्ष के साथी बार-बार बहुत सारे विषय उठाते हैं। इनके पास अवसर था, इनकी चार बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। पर इन्होंने जनता की मूलभूत समस्याओं को कभी एड्रेस ही नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्य मंत्री जी को और अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी को जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के हर मण्डल में एक विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और मा0 मुख्य मंत्री जी को जिनके निर्देश में और जिनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की जो संकल्पना थी वह पूरी होने जा रही है। बिजली की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या थी, मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी हमारी सरकार ने लगातार दूर करने का प्रयास किया है। केवल यही नहीं इसके अलावा हमारी सरकार ने किसानों के हित में निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा निभाने के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन इस अनुपूरक बजट में किया है। इस अनुपूरक बजट में हमारी सरकार ने सड़कों, सेतुओं और पुलियों की मरम्मत और निर्माण के लिए 4406 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में वृद्धि एवं सौन्दर्यीकरण के लिए हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

बाकी के विषयों को हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है, पर मैं एक विषय पर बात जरूर करना चाहूँगा। हमारे विपक्ष के सारे साथी यहां पर बैठे हैं, कल मेरा नाम लेकर जातीय जनगणना का एक विषय उठाया गया था। हमारी पार्टी ने प्रारम्भ से इसका समर्थन किया है और समर्थन ही नहीं किया है हर पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति इसके समर्थन में खड़ा रहेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी हमेशा कहा है कि हम कभी भी इसके विरोध में नहीं रहे हैं, पर मेरा एक सवाल है कि चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। जातीय जनगणना के विषय में एक भी कदम अगर उस कार्यकाल के दौरान उठाया गया हो तो सदन के सामने विपक्ष के साथी उस बात को रखें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिनके लिए यह चुनावी फॉर्मूला है उनके लिए यह चुनावी फॉर्मूला हो सकता है, पर हमारे लिए यह भावनात्मक मुद्दा है। हमारी सरकार ने केवल कहा नहीं है, हमारी सरकार ने इसको धरातल पर उतारने का काम भी किया है। मैं इस सदन के माध्यम से अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आपको जब अवसर मिला है तो फिर आपने उसको धरातल पर उतारने का काम क्यों नहीं किया है। आरक्षण की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि केन्द्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण देने का काम किसने किया है ? यहां पर आरक्षण देने का काम एन0डी0ए0 की सरकार ने

किया है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि नीट की परीक्षा थी और आपके समर्थन से 2004 से लेकर 2009 तक यू0पी0ए0 की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से वह सरकार चल रही थी, पर उसी समय 2008 में नीट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है और उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को छोड़ दिया जाता है। हमने उसका विरोध क्यों नहीं किया ? अगर हम सत्ता में थे तो हमें उसका विरोध करना चाहिए था। बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता था शायद हमारे साथियों ने बात उठायी तो मैंने उसका जवाब दे दिया। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में आज ढाई लाख से ज्यादा बच्चें हैं जिनमें से पिछड़े वर्ग के बच्चों को 27 प्रतिशत का जो आरक्षण मिला है वह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 की सरकार ने दिया है।

मान्यवर, अन्तिम बात कह लेने दीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को जब आदरणीय नेता जी जब रक्षा मंत्री थे तो उनके हाथ में सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का अवसर था, लेकिन सैनिक स्कूल में आरक्षण देने का काम एन0डी0ए0 की सरकार ने किया है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 वित्त मंत्री द्वारा जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उस पर चर्चा करने के लिए जो आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बैठ करके सुन रहा था विपक्ष के लोगों का तामाम आरोप इस बजट पर है, लेकिन जिस बात की चर्चा विपक्ष के साथी कर रहे हैं, पी0डी0ए0 के लिए जितने लोग बोले हैं किसी की जुबान पर एक बात नहीं आयी कि अनुपूरक बजट में बधाई देना चाहिए था वित्त मंत्री जी को कि 300 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के लिए इन्होंने बिना मांगे दे दिया है और अब तक अगर हम पिछले कार्यकाल में जायें तो सभी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी इसी सदन में कई बार कहते-कहते बजट बढ़ाते-बढ़ाते आज उस मुकाम तक पहुंच गया है कि आप धैर्य रखिए जितने भी पिछड़ी जाति के बच्चे हैं सभी को छात्रवृत्ति पहली बार इस अनुपूरक बजट से मिलेगी। इस लड़ाई को बहुत लम्बे समय से लड़ रहा हूं लेकिन आप लोग कभी इस पर चर्चा नहीं करते हो नाम तो करते हैं, पी0डी0ए0 का बीमारी जरा देखिए यहां माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं, वित्त मंत्री जी भी हैं और हमारा एक सुझाव है, जो पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति लेने के लिए आय प्रमाण-पत्र में दिक्कत हो रही है। उस समय मेरे बगल में बैठे हुए साथी यह दिक्कत दूर कर दिये होते न तो उधर बैठे हुए रहते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से खड़े होकर व्यवधान)

देखिए यहां यह सब नहीं, बात सुनो भाई आप लोग जरा धैर्य से सुना करो, जानकारी हासिल करो। वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 46080 सालाना वार्षिक आय लेखपाल नहीं बनाता है और शहरी इलाकों में 56460 रुपये वार्षिक अगर जोड़ लेंगे मनरेगा का भी तो तब भी लेखपाल नहीं बना रहा है। हमारा अनुरोध है मा0 वित्त मंत्री जी इसको बढ़ा करके 1 लाख 50 हजार रुपये करने का प्राविधान हो जाये, ताकि पिछड़े समाज के जो बच्चे छात्रवृत्ति से रह जा रहे हैं वह भी इस क्राइटेरिया में आ जायेंगे। इसमें बजट की जरुरत भी नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, विचाराधीन वहां है, तो उसका जल्दी से निस्तारण हो जाये। मैं अपने परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आधी आबादी की बड़ी चर्चा हो रही है, जब 60 वर्ष की महिलाओं को बस सेवा दी गयी तो भी दिक्कत है भाई अनुपूरक बजट में आया नहीं तब तक फ्री कर दिया, वर्मा जी आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं असल में इधर आ गये हैं न तो यह भी भूल जाते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

आप किधर हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

हम आपके सामने हैं। आपको पता नहीं है लगता है आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं और न ही टीवी देखते हैं तो आपको पता क्या होगा शायद हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा हम गठबन्धन करते हैं, तो हम दलबदलू कहलाते हैं और आठ बार आपकी पार्टी ने गठबन्धन किया है तो आप दलबदलू नहीं कहलाये जाओगे।

आप हमको कहोगे इस नाते कि हम कमजोर हैं। आप तो बिना पेंदी के हो नहीं, कभी कांग्रेस से, कभी सपा से, कभी बसपा से, कभी सुभासपा से, कभी निषाद पार्टी से गठबन्धन करोगे, तब तो नहीं कहोगे, लेकिन हमको जरूर कहोगे, क्योंकि जातियों में हम छोटे हैं। आप जाति में बड़े हो, उमर में बड़े हो, सत्ता में रहे हो इस नाते आप चाहे जिसको जो कह लो, लेकिन आपकी नाकामी की वजह से जो 38 परसेण्ट अति पिछड़ा था वह आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से देश और प्रदेश में उनकी सरकार है। आप इसको स्वीकार करो। आज आप जिस पी0डी0ए0 की चर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जब आपकी सरकार थी तब तो आपको पी0डी0ए0 नहीं याद आया, तब जातिवार जनगणना याद नहीं आई और आज सब कुछ याद आ रहा है। हमारे भाई और माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी ने कहा है और बहुत सही बात कही कि चार बार की सपा की सरकार में एक बार भी इस सदन में जातिवार जनगणना की चर्चा नहीं हुई। इसे आप रिकार्ड निकलवा

कर देख लीजियेगा, जो मुझे जानकारी है। ओम प्रकाश राजभर जब आपकी गोल में गया और बोलने लगा तब आपकी भी समझ में आया। तब समझ में आया, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था। आप हमारी बात को नहीं समझ पाये। माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। मैं वैसे नहीं भागने वाला हूँ, तलाक भिजवा दिया था, इस नाते मैंने कबूल कर लिया था। वह बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश जी, आपको धन्यवाद। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

***नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सप्लीमेण्ट्री बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि जब मैं सदन में आया तो चर्चा किसी और बात पर हो रही थी और हमारे कुछ साथी लॉलीपाप की बात कर रहे थे। कुछ लोगों को लॉलीपाप देकर फिल-इन-दि ब्लैंक की तरह बैठाया हुआ है। मैं उन बातों पर बाद में जाऊँगा, लेकिन सरकार जो सप्लीमेण्ट्री बजट लेकर आयी है मैं उस पर पहले बोलूंगा। आखिर जब सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही है तो आखिरकार सप्लीमेण्ट्री बजट क्यों ? सरकार को खुद पीछे पलटकर देखना चाहिये कि इतना बड़ा बजट बनाया है और लगभग 65 परसेण्ट पैसा खर्च नहीं हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 आदि तो उनमें अभी भी 65 परसेण्ट पैसा पड़ा हुआ है और खर्च नहीं हुआ है। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है, तो आखिरकार आपको यह सप्लीमेण्ट्री बजट क्यों चाहिये। आज एक दिसम्बर हो गया है और कुछ महीने बाद नया बजट भी आयेगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि इस सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है उसके अनुसार यह सरकार विजन लेस रही है और इनका बजट डायरेक्शन लेस रहा है। 'जो कहा वह नहीं किया, जो कहा वह नहीं किया' यह भाजपा का असली नारा होना चाहिये। इसलिये क्योंकि सरकार जब कहती थी कि वन ट्रिलियन डालर की इकोनामी हम बना देंगे। माननीय वित्त मंत्री जी जानते होंगे और सरकार जानती होगी कि वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए आपको 34 परसेण्ट की ग्रोथ रेट चाहिये। अगर आप 65 परसेण्ट पैसा खर्च नहीं करेंगे और फिर से सप्लीमेण्ट्री बजट ले लेंगे तो आपके पास जो कुछ महीने हैं उसमें आप कैसे अचीव करेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी यह डबल स्टैण्डर्ड सरकार है, इस सरकार का दोहरा चरित्र है, कहती कुछ है, करती कुछ और है। यह सरकार डींग मारने में सबसे आगे है कि हम विश्वगुरू बनकर वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना लेंगे। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं पर स्थान है ? मुझे लगता है कि पाँच साल का पिछला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकाल एवं लगभग दो साल अब पूरे होने जा रहे हैं और यह सरकार खुद महसूस कर रही है कि अब वह स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती है, स्मार्ट सिटी नहीं बन पायेगी। अगर कोई काम चल भी रहा होता है तो इस सरकार को पता है कि चलती चक्की में रोड़ा कैसे अटकाना है, यह रोड़ा अटकाने वाली सरकार है, विकास गति को रोकने वाली सरकार है और फिर आप पी0डब्ल्यू0डी0 में नम्बर-2 पर सबसे ज्यादा बजट सप्लीमेंट्री में माँग रहे हैं। आप पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे में भी पैसा माँग रहे हैं, कब उद्घाटन हुआ था ? हमारे मा0 सदस्यों को याद होगा कि किस जमाने में उद्घाटन हुआ था और आप आज भी उसके अन्दर पैसा माँग रहे हैं। दूसरा आप बुन्देलखण्ड के लिए भी पैसा माँग रहे हैं तो इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वह जो उद्घाटन हुए थे वह आधे-अधूरे उद्घाटन थे। अगर बजट खर्च नहीं हो पा रहा है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पुअर गवर्नेस है और पुअर गवर्नेस ही नहीं है उसको छिपाने के लिए यह लोग नये-नये नारे गढ़ते हैं और फिर आप इतने बड़े साइज का बजट बनाकर रख रहे हैं और जब बजट खर्च ही नहीं हो रहा है, तो आखिरकार क्यों आपको इतना बड़ा बजट चाहिए ? इसलिए जब मुख्य बजट से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर सप्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जायेगा। हालांकि यह सरकार आंकड़े कम मानती है, लेकिन मैं फिर भी एक प्रतिष्ठित मैगजीन के आंकड़े सदन में रखना चाहता हूँ, ओवर ऑल इकोनॉमी के बारे में आंकड़े रखना चाहता हूँ। मुझे याद है कि आपके सामने यह बात रखी गयी थी कि प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस बार पेश हो रहा है और जब सबसे बड़ा बजट पेश हुआ तो जब आपकी अर्थव्यवस्था की तुलना अन्य प्रदेशों से होती है तो आपका स्थान कौन सा है, आपका 18वां स्थान है। पूरे देश में जब प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है और मान लीजिए सरकार ने इतना बड़ा बजट और इतना सहयोग जो डबल इंजन सरकार बोलती है तो सुधार तो दिखना चाहिए, लेकिन जब देश की प्रतिष्ठित मैगजीन ने सर्वे किया तो उसमें भी सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्यों में अर्थव्यवस्था 14वें स्थान पर है। यह आंकड़े विपक्ष के नहीं हैं, यह प्रतिष्ठित मैगजीन का है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष जी कौन-सी मैगजीन है ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी मैं जानना चाहता था, मैंने पिछली बार भी आंकड़े टेबिल किए थे, लेकिन मा0 वित्त मंत्री जी पूछ रहे हैं कि किस किताब के आंकड़े हैं। आप वित्त मंत्री हैं, आप मा0 मुख्य मंत्री जी को क्यों गुमराह कर रहे हैं। मैं आंकड़े टेबिल कर दूंगा जिनको बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले

स्टेट अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्य अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर स्वास्थ्य है। यह तो हम ओवर ऑल इकोनॉमी में कहां खड़े हैं। अगर हम स्वास्थ्य के मानक में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुम्बई तक। मेडिकल कॉलेजों का प्रचार, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार का प्रचार, उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश स्थान कौन सा पा रहा है। ओवर ऑल इकोनॉमी ग्रोथ में आप 18वें और स्वास्थ्य में 19वें नम्बर पर हैं। 19वें नम्बर पर स्टेट पहुंचती है और जिसमें सुधार को लेकर जो सर्वे किया गया, जिन राज्यों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा सुधार किया उन राज्यों की सूची से ही उत्तर प्रदेश बाहर हो गया। सरकार ये जानबूझकर कर रही है और यह जानबूझकर इसलिए कर रही है, क्योंकि सरकार यह चाहती कि सरकारी अस्पतालों में इलाज न हो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो। लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आप इतना बड़ा बजट रख रहे हैं और इस बजट में आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 174 करोड़ रुपये रख रहे हैं और आप कितने मेडिकल कॉलेज बनाने चाहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हों और मैंने कई बार सदन में कहा कि इस सरकार ने कोई भी जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल जाये। न नया बनाया, न पुराने अस्पतालों में सुधार किया और उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। मैंने जानकारी की तो सबसे ज्यादा लोग अगर अस्पतालों में आ रहे हैं तो आपके लखनऊ के जितने प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल हैं चाहे वह पी0जी0आई0 हो, के0जी0एम0यू0 हो, लोहिया हो, बलरामपुर अस्पताल हो वहां लोग धक्के खा रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है, दलाल इमरजेंसी पर खड़े हुए हैं और जैसे ही मरीज आता है दलाल उसे लेकर प्राइवेट अस्पतालों में चला जाता है। इस सरकार ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई कि देखिए, अस्पतालों में भर्ती हो रही है या नहीं। सरकार इस बात को स्वीकार करे कि हां, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का कोई नुमाइंदा किसी सरकारी अस्पताल में आज चला जाये, एक अस्पताल में सरकार चली जाये, एक अस्पताल में मैं खुद जाना चाहता हूं, देखकर आइए क्या हालत है अस्पतालों की। आप बजट में केवल 174 करोड़ रुपये दे रहे हैं और नियत इनकी ये है कि अस्पताल पी0पी0पी0 मॉडल पर दे दिये जायें। सरकार ये बताये कि अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते है ? क्या प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं ?

हालांकि मुझे तो लिमिटेड जानकारी है, लेकिन सरकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और है। क्या बागपत के हॉस्पिटल को आप प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं दिये हैं, क्या हाथरस में हॉस्पिटल को आप प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं दिये हैं, क्या कासगंज में देने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैनपुरी में देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या हमीरपुर में देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या महोबा में देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और यही नहीं, जो मा0 सदस्य यहां पर बैठे हैं, जो मा0 सदस्य वहां पर बैठे हैं, ये खुद महसूस करते रहे होंगे कि कभी-कभी सिफारिश करते रह गये होंगे लेकिन मरीज को बेड नहीं मिला होगा। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बताना होगा तब किडनी ट्रांसप्लांट होगी उसके लिए कितना इंतजार करना होगा, हार्ट ट्रीटमेंट के लिए कितना इंतजार करना होगा। कभी-कभी ये किडनी डायलिसिस की बात करते हैं, अगर ये किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) ताकि गरीबों के फ्री टेस्ट शुरू हों और एग्जेम्पलरी हॉस्पिटल्स बनाये थे और मैं आज भी कहता हूं कि मैं किसी योजना से गरीब का लाभ हो जाये, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अच्छी बात है आयुष्मान योजना बने, उससे भी अच्छी योजना लेकर आएं।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं समझता हूँ, जो कभी नेता जी ने सोचा था, समाजवादियों ने जो करके दिखाया था कि एक बार गरीब अस्पताल में पहुँच जाय, उसे किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, उसका पूरा इलाज, दवाई मुफ्त, उसे एक पैसा नहीं देना पड़े। लोहिया इन्स्टीट्यूट, लोहिया हास्पिटल उसी आधार पर है, सैफई भी उसी आधार पर है। यहाँ पर माननीय सदस्य जो आस-पास के क्षेत्र में रहते होंगे, वह जानते होंगे कि अगर कोई गरीब गया होगा, उसका इलाज हुआ होगा। लेकिन आज आपने मेडिकल कालेजों की हालत क्या कर दी ? यहाँ पर जौनपुर के भी माननीय सदस्य बैठे होंगे, जौनपुर के मेडिकल कालेज की हालत क्या है ? आजमगढ़ के मेडिकल कालेज की हालत क्या है ? आप बताओ, लखीमपुर के मेडिकल कालेज की क्या हालत है ? मेरठ में क्या हालत है, सहारनपुर के मेडिकल कालेज की क्या हालत है ? और अयोध्या का तो समाजवादियों ने बनाया था। अध्यक्ष जी, अयोध्या भी समाजवादियों की देन है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि आप बड़े-बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े-बड़े बैनर आप लगा रहे हैं, लेकिन इलाज क्यों नहीं मिल रहा है ? क्या गाजीपुर के मेडिकल कालेज में इलाज मिल रहा है ? आप बताइये, किस मेडिकल कालेज में मिल रहा है। क्या बहराइच के मेडिकल कालेज में इलाज मिल रहा है ? बाँदा के मेडिकल कालेज में और फिर कैंसर जैसे बीमारी बहुत गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बैठे हैं, वह जानते होंगे, जब उनके पास अप्लीकेशन्स जाती होंगी, माननीय सदस्य जाते होंगे या जनता दरबार में जो लोग जाते होंगे, दरख्वास्त पहुँचाते होंगे। मैंने आँकड़े नहीं देखें, लेकिन मैं जानता हूँ, अखबारों के माध्यम से और जानकारी जो हासिल होती है, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा कैंसर के लोगों की सरकार से मदद होती है। नेता सदन बैठे हैं, अगर आज भी आँकड़े मँगायेंगे तो सबसे ज्यादा बीमारी और बीमारी को लेकर पैसे माँगने की, चाहे वह इलाज दिल्ली में हो रहा हो, चाहे मुम्बई में हो रहा हो, चाहे लखनऊ में, सबसे ज्यादा माँग कैंसर की बीमारी के लिए होती है। एक वर्ल्ड लेविल का रिसर्च कैंसर इन्स्टीट्यूट बनाया था। यहाँ माननीय मंत्री जी हैं नहीं, माननीय मंत्री जी को मैंने एक बार कुछ दिया, सेवक की जगह, तब से उन्होंने अपने सभी हैण्डलों पर वही लिख दिया। अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी अंग्रेजी-हिन्दी में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैंने कोई बात अंग्रेजी में कही, हालांकि वह सेवक हैं, कैंसर इन्स्टीट्यूट कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा है, केवल नाम बदल दिया। सरकार बताये, क्या उसमें डायरेक्टर अप्वाइंट हो गया ? जो पर्याप्त डाक्टर्स की जरूरत थी, क्या वह अप्वाइंट हो गए ? वहाँ पर जो अप्वाइंटमेंट्स होने थे, जो नम्बर डाक्टर्स के थे, क्या वह पूरे हो गए ? जो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत थी, क्या वह पूरे हो गए ? मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जो इन्स्टीट्यूट चलाने के लिए डाक्टर्स, इन्स्टीट्यूट चलाने के लिए जो प्रोफेसर्स, जो स्टाफ की जरूरत थी, वह सरकार पूरी कर पायी होगी और जब सरकार उसका डायरेक्टर अप्वाइंट नहीं कर पा रही है तो कैसे उम्मीद करोगे कि उसमें इलाज मिल जायेगा और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का सरकार बनते ही मैंने एक बार ऐड देखा था कि वह एक कैंसर इन्स्टीट्यूट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ा ऐड देखा मैंने उस अखबार में। मैंने कहा कि यह इल्लीगल हास्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार है तो उद्घाटन कर ही सकती है। उन्होंने उद्घाटन किया, दूसरा उद्घाटन जो आज भी लखनऊ में सबसे बेहतरीन हास्पिटल प्राइवेट में नजर आता है, मेदान्ता हास्पिटल। अगर किसी सरकार के तहत बना है, किसी सरकार की वजह से बना है तो अध्यक्ष महोदय, वह समाजवादी पार्टी की वजह से बना है। चूँकि सरकार के मुखिया से उद्घाटन कराया है तो प्रचार भी बहुत होगा और सरकार का स्वार्थ यह होता है कि नाम उसका चल जाए कि उसी ने हास्पिटल बनवाया है। सबसे हाई स्टैण्डर्ड नॉर्थ इण्डिया की फर्स्ट रैडिशन मशीन का उद्घाटन मुख्य मंत्री जी करके आए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, आप प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन का प्रचार क्यों कर रहे हैं, आपके सौ एकड़ में कैंसर इन्स्टीट्यूट बनकर के खड़ी है, आखिर उसके लिए बजट क्या है ? क्या मैं यह मान लूं कि सप्लीमेण्ट्री बजट में जो आपने दिया है इसमें कुछ है कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बजट और फिर सरकार भी जानती है कि विधायक निधि से गरीबों के इलाज की मदद हो जाए, वह अगर किसी ने फैसला लिया था तो यही बैठे समाजवादी सरकार

के विधायक ने लिया था और अगर आपको फैसला लेना है, आप उसका दोगुना कर दीजिए, आप दोगुना करिए, केवल यह सदस्य खुश नहीं होंगे, आपकी तरफ बैठे हुए सदस्य कई जगह बहुत कमजोर महसूस करते हैं जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वह हो सकता है अगर आप निधि से बढ़ा दें तो उनको थोड़ा बहुत सम्मान भी मिलेगा और जनता की सेवा भी कर पाएंगे। वह जो 25 लाख आप बता रहे थे, वह आपने नहीं बढ़ाया न आपने किया उस समय के जो मा0 विधायक थे, मंत्री थे उन्होंने कहा था और उसकी एक कहानी दूसरी है और उससे न जाने कितने गरीबों की मदद हो रही है। आप जो सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, वह इसलिए खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि गरीब प्राइवेट की तरफ जाए और जो सुविधा समाजवादियों ने के0जी0एम0यू0 के स्टाफ को दी थी, बाद में वही डिमाण्ड लोहिया के लिए भी हुई, उससे पहले सैफई को लेकर के भी हुई। अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आप के ही डॉक्टर्स और आप की ही इंस्टीट्यूशंस के अच्छे डॉक्टर्स प्राइवेट में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह आपकी नौकरी छोड़कर के जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपके पास क्या है ? उनकी जो डिमाण्ड थी कि पी0जी0आई0 की तरह उन्हें सुविधा मिलें, उनकी सैलरी मिलें, उनके एलाउंसेज मिलें अगर किसी ने पी0जी0आई0 की तरह के0जी0एम0यू0 में लोहिया इंस्टीट्यूट में और सैफई इंस्टीट्यूट में दिया है तो वह समाजवादी पार्टी है, हम तो आपसे कहेंगे कि आप शुरूआत गोरखपुर से करिए, फिर बनारस जाईये, फिर धीमे-धीमे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी वही एलाउंसेज दीजिए जिस तरीके से पी0जी0आई0 के डॉक्टर्स और स्टाफ को सुविधा मिलती है। सभी मा0 सदस्य सड़क को लेकर के बहुत चिंतित हैं, हमारे सदस्य तो बोलते हैं और दूसरी तरफ यह सदस्य तकलीफ में हैं, उनको परेशानी है, वह सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का है कि वह बोल नहीं रहे हैं। सड़कों में गढ्ढें हैं या गढ्ढों में सड़क है और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई है, जैसे ही विभाग में नए मंत्री अप्वाइन्ट हुए क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था और ऐसा खेल हुआ।

श्री अध्यक्ष-

खेल मंत्रालय में ?

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, अभी उस खेल में नहीं आया हूं, अभी इण्डिया की जीत-हार में नहीं आया हूं, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अध्यक्ष महोदय, पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में मंत्री बनने के बाद तुरंत खेल हो गया और वह तो नजर सरकार की पड़ गई, थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बच पाया होगा। आप मेंटीनेंस में कितना पैसा ले रहे हैं हमारे मा0 सदस्य लोग सवाल उठाना चाहते थे, मेंटीनेंस पर पिछली जब से सरकार बनी है, सरकार

बताए जब बजट में पैसा नम्बर दो पर आप पी0डब्ल्यू0डी0 में ले रहे हैं, तो सरकार बताए कि आखिरकार मेंटीनेंस के लिए आप पैसा कितना खर्च कर रहे हैं और गड्ढामुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और आपकी तारीख के बाद तारीख बदल जाती है। मा0 मंत्री जी ने कब कहा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढामुक्त हो जाएंगी, एक बार कहा, दो बार कहा। मा0 मुख्य मंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढामुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी।

क्या आज उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढामुक्त हो गईं, क्या डबल इंजन की सरकार ऐसे ही चलेगी कि सड़कों में गड्ढे होंगे और इन गड्ढों से न केवल लोगों को असुविधा हो रही है बल्कि इनसे एक्सीडेण्ट हो रहे हैं, न जाने कितने लोगों की अब तक इन गड्ढों के कारण जान चली गई है, तमाम लोग हॉस्पिटल चले गए, न जाने कितने लोगों की गाड़ियों का मेंटिनेन्स करना पड़ा होगा। क्या स्थिति है कि सड़क में गड्ढे ? क्या आज इस सप्लीमेंटरी बजट के पास होने के बाद सरकार यह बता सकेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढामुक्त हो गई ?

मान्यवर, इस समय आपको सबसे ज्यादा गड्ढायुक्त सड़कें लखनऊ और कानपुर मण्डल में दिखाई देंगी। जब लखनऊ की सड़कें ही गड्ढामुक्त नहीं हो पाई हैं तो फिर शेष प्रदेश में क्या उम्मीद की जाए ? मैं तो यह कहूँगा कि अगर सरकार कह रही है कि सभी सड़कों की गड्ढामुक्ति हो गई है तो फिर सरकार ऐसी सड़कों की सूची दे, सरकार को इसकी सूची देनी चाहिए और यह बताना भी चाहिए कि अब तक गड्ढामुक्ति पर कितना पैसा खर्च हो चुका है ? क्या मैं यह कहूँ कि अब तक 40 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक पैसा इसमें खर्च हो चुका है। चालीस हजार करोड़ रुपया केवल गड्ढामुक्ति में खर्च हो गया है फिर भी गड्ढे नहीं भरे। जो आपके बड़े-बड़े एक्सप्रेस-वे बने हैं जिसके लिए आपने लगभग 400 करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट लिया है और अभी भी आपके एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं। अगर ऐसा था तो फिर प्रधानमंत्री जी ने उन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन ही क्यों किया, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जो सरकार यह कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाया हुआ एक्सप्रेस-वे घाटे का है तो फिर आज नेता सदन बताएँ कि उनके पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की स्थिति क्या है और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे घाटे का है या फायदे का। आप दोनों एक्सप्रेस की बात बताएँ। आज इतने वर्षों के बाद भी अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेस-वे की है तो वही समाजवादियों का बनाया हुआ आगरा एक्सप्रेस-वे है जिसकी राइडिंग क्वालिटी अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है। आप बुन्देलखण्ड जाइए, आपको सब पता लग जाएगा कि वहाँ पर कैसी सड़कें हैं ? ऐसे ही आप पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर जाइए और देखिए कि उसकी क्या स्थिति है ? हालांकि मा0 मुख्य मंत्री जी और नेता सदन के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि उनको

इस एक्सप्रेस-वे से अपना ही जिला जोड़ना था लेकिन वह भी अभी तक नहीं जुड़ पाया है और कब से इसका काम चल रहा है ? अध्यक्ष महोदय, आज 90 किमी0 की एक सड़क लगभग छः हजार करोड़ रुपये में बन रही है। जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे है, वह छः हजार करोड़ रुपये की है। यही लिंक-वे अगर कहीं और से लिंक किया जाता तो स्थिति दूसरी होती। अभी कुछ दिनों पहले आप एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर लग रहे थे, अगर इंजीनियर बन जाते तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने से इसमें कई जिले और जुड़ जाते और इसमें आपका गोरखपुर भी जुड़ जाता लेकिन पता नहीं कि किसने इनको अलाइनमेण्ट बताया होगा कि इसमें छः हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं और अभी भी रोड कमप्लीट नहीं है। इसके अलावा आज प्रदेश का कोई शहर अगर जाम की समस्या से बचा हो तो आप बता दीजिए। आज आप किसी भी शहर में निकल जाइए और अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने जाना हो तो इस समय कितना समय लग रहा है लेकिन ये सरकार कहती है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएँगे। क्या हम इसी को स्मार्ट सिटी मानें कि जहाँ आप रुक-रुक कर जाएँगे या जाम में फँसकर जाएँगे। आप हमें लखनऊ के साथ-साथ दूसरा कोई शहर बता दीजिए जिसमें जाम न लग रहा हो। पूरे शहरों में जाम है। क्या ट्रैफिक व्यवस्था है आज सरकार की ?

श्री अवधेश प्रसाद-

ट्रैफिक तो सांड़ रोक देते हैं।

(सदन में जोर की हँसी)

श्री अखिलेश यादव-

मैं अपने मा0 सदस्य से कहूँगा कि आप उसको साँड़ मत कहिए, नन्दी कहिए। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा कि सांड़ ''नंदी'' और वह नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर और किसी भी शहर में अध्यक्ष महोदय, कानपुर की तरफ मैंने गिने नहीं लेकिन दिखते वहाँ भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

बाकी गिन लिए ?

(सदन में हँसी)

श्री अखिलेश यादव-

ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा मा0 अध्यक्ष जी, सड़क पर साँड़ दिखते हैं। गौशालाओं में क्या दुर्दशा है ? आपने बजट में उसके लिए पैसा लिया है, क्या यह पर्याप्त पैसा है। यह ढाई सौ करोड़ से मा0 अध्यक्ष जी, कुछ नहीं होना है। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं तो नंदी की सेवा के लिए केवल ढाई सौ करोड़ रुपये। क्या ढाई सौ करोड़ में सेवा

हो जाएगी ? हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पर दिखते हैं और आज भी चले जाइये। कहीं घूम कर आ जाइये। आई0ए0एस0 की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो सेकेण्ड फ्लोर पर दो सांड़ चढ़ गए थे। उनकी रात भर सरकार को सेवा करनी पड़ी थी।

(सत्तापक्ष के तरफ से बीच में टोका-टाकी करने पर)

लो भाई, यह तो समाजवादी हो गए। कमाल के बुद्धिमान लोग हमारे पास सदन में बैठे हैं। ऐसे ही समझाओ मुख्य मंत्री जी को यही समझाना। अरे हमारे बुद्धिमान मा0 सदस्य यह बतायें कि हरदोई में सेकेण्ड फ्लोर पर सांड़ कैसे चढ़ गया, क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी तो वह ढूंढ़ते-ढूंढ़ते तहसीलदार के पास पहुँच गया। एक सांड़ उसमें से बड़ा शरीफ था। वह अधिकारियों के फुसलाने से और थोड़ा खाने-पीने की चीजें देने से नीचे उतर आया लेकिन दूसरा नहीं उतरा उसके लिए आपको हाइड्रा का इंतजाम करना पड़ा। बताओ सेकेण्ड फ्लोर से हाइड्रा के द्वारा सांड़ उतरा कि नहीं उतरा बताइये हरदोई से मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं बताइये कि यह सच अथवा सच नहीं है। सोचिए आप, यह दुर्दशा है पशुओं को चारा-पानी तक नहीं मिल रहा है। गोवंश भूखे-प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर चारा-पानी तक खा-पी जा रहे हैं यह स्थिति है और किसी भी गौशाला को आप देख आइये। किसी भी गौशाला में आप चले जाइये और जिस दिन गौशाला के नीचे और आस-पास खुदाई होगी तो पता चलेगा कि न जाने कितने गौशाला चलाने वाले लोगों ने जे0सी0बी0 मशीन लगाकर वहीं पर गायों को गाड़ दिया है। आप किसी को भी दिखवा लीजिए। बाजारों में सांड़ गोवंश, सड़कों पर सांड़, खेतों में सांड़, खेती करने वाले कितने किसानों की जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी गई थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में किसानों की, मजदूरों की और उनकी सरकार ने क्या मदद की है। इसलिए ढाई सौ करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं। अगर उसको नन्दी मानते हैं और सच्ची सेवा करना चाहते है तो ढाई सौ करोड़ से काम होने वाला नहीं है आपको इसके लिए आपको 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करने चाहिए। क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं आप लोग 5 हजार करोड़ रुपये । हम लोग कह रहे हैं और विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं कि 5 हजार करोड़ रुपये आप इस हेतु लगाइये और पास करिए हम लोग ताली बजाकर और टेबुल बजाकर पास कराएंगे। हमारे मा0 सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि घोड़ा समझ लेता है कि घुड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए है कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कन्ट्रोल में चीजें नहीं है। यदि आपके कन्ट्रोल में चीजें होतीं तो न जाने यह स्टेट कहाँ पहुँच गया होता। क्योंकि ट्रिलियन डॉलर का अगर आप सपना दिखा रहे हैं तो ट्रिलियन डॉलर का

सपना कैसे पूरा होगा ? अगर ट्रिलियन डॉलर का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेण्ट्री बजट में क्या है, जो आप ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं ? और तब जब वो रोजगारी भी बढ़ रही है, और महँगाई भी बढ़ रही है। हमारे मा0 सदस्य सब जानते हैं कि कितनी महँगाई है, कहाँ पहुँच गयी है महँगाई ? आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है ? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महँगाई का तो है लेकिन सवाल इसके साथ-साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? बिजली को लेकर बहुत बजट मांगा और रखा गया है। हमेशा ही बिजली को लेकर बजट रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह दावा कर सकता हूँ और आँकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिये थे तो वह समाजवादी सरकार थी, उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, आप जो बजट ले रहे हैं, ऊर्जा विभाग में लगभग 11 हजार करोड़ है । हजार, दो हजार तो हो सकता है कि किसान के लिए हो, बाकी मुझे लगता है कि किसी को कुछ बिल पे करने के लिए आप लोग बजट दे रहे हैं और अगर बजट ही आपने अच्छी तरह खर्च किया होता तो जो पावर प्लांट समाजवादी सरकार में बन रहे थे, वह आज बन कर तैयार हो जाते, बिजली मिल रही होती। और ज्यादा सस्ती मिलती बिजली। बिजली को लेकर यह सरकार बताये कि आप 11 हजार करोड़ तो ले रहे हैं लेकिन जो बनते हुए प्लांट है, कारखाने हैं, वह कब तक पूरे हो जाएंगे ? क्या नेविली लिग्नाइट से बिजली मिलने लगी है, क्या पनकी का 660 सुपर क्रिटिकल समाजवादी सरकार में स्वीकृत है, उससे बिजली मिलने लगी है ? क्या एटा के जवाहरपुर योजना से बिजली मिलने लगी है ? मेरे पास तो इयर वाइज़ है कि 2012 में कौन सा प्लांट चालू कर दिया था, 2013 में कौन सा चालू किया, 2014 में कौन सा, 2015 में कौन सा, 2016 में कौन सा, 2017 में कौन सा चालू किया। चाहे वह हरदुआगंज हो, चाहे पारीछा हो, चाहे आपके इलाहाबाद के हों, और चाहे सोनभद्र के हों। सरकार यह बताये कि इतना बजट लेने के बाद भी आखिरकार जनता को बिजली की सुविधा क्यों नहीं मिल रही है ? और जब सब-स्टेशन बनाने के लिए बात हुई तो सरकार बताये कि कितने सब-स्टेशन उन्होंने बनाये ? हमारे सदस्य बैठे हैं और मैं आंकड़े पेश कर देता हूँ और आप भी अपने आँकड़े रख देना। 765 के0वी0 के समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा प्लांट लगे। वर्ष 2012 में 1 हजार, 2013-14 में 2 हजार, 2014-15 में 2 हजार, 2015-16 में 5 हजार और 2016-17 में 12 हजार, 400 के0वी0 के, ट्रांसमिशन लाइन्स भी सबसे ज्यादा बिछायीं गयी हैं, 220 के0वी0 के, 132 के0वी0 के और सबसे ज्यादा फीडर सेपरेशन का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जब लगभग 11 हजार करोड़ रुपये आप ऊर्जा विभाग में ले रहे हैं तो आप बताइये कि आपने ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रिब्यूशन में, जेनरेशन

में क्या काम किया है ? और अगर काम किया होता तो उत्तर प्रदेश में आज 24 घण्टे बिजली शहर से लेकर गांव तक होती और सस्ती बिजली होती। पी0पी0ए0 से लेकर, बिजली खरीदने से लेकर बिजली बनाने तक, ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रिब्यूशन तक मैं सब आंकड़े आपके सामने रखता हूँ।

आप भी इसी तरह हर 5 साल का और डेढ़ साल का रखिये। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये सब-स्टेशन बने हैं, अगर हरदुआगंज का प्लाण्ट चालू हुआ है, अगर रोजा प्लाण्ट की एक और यूनिट चालू हुई है तो आप बताईये। वित्त मंत्री जी क्या रोजा का समाजवादियों ने पॉवर प्लाण्ट नहीं चलवाया। आपके घर से तो चिमनी दिखती होगी। आपका घर दूर तो नहीं है, चिमनी दिखती है। पनकी भी कोई जायेगा तो चिमनी दिखती है, हमीरपुर जायेगा तो चिमनी दिखती है, आप जी0टी0 रोड पर चले जाईये दिल्ली की तरफ, अलीगढ़ की तरफ तो चिमनी दिखती है, हैदरगंज में चिमनी दिखती है, इसलिए ये बिजली के कारखाने लगाने का जो काम समाजवादियों ने 2012 में 2013 में किया, हरदुआगंज को ले करके, परीछा को ले करके या और जो पी0पी0ए0 साईन हुए बिजली खरीदने के या जो बिजली बाद में बनने के फैसले लिए जो अभी भी चल रहे हैं, आप बताईये कि हर साल आपने क्या किया है और अगर आपने किया हो तो उसके आंकड़े दे दीजिये। हम तो अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, दे भी रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। अब डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली से कोटा क्यों नहीं मिल रहा है। कोई इम्युनिटी है उत्तर प्रदेश को ले करके। कोई दूरी है क्या ? मुझे याद है जब बी0जे0पी0 के बड़े-बड़े नेता धरने पर बैठे थे तो मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि उस समय जब बिजली देनी थी तो यही शर्त रखी थी कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आपको 24 घण्टे बिजली मिलेगी लेकिन उत्तर प्रदेश की मदद करना। बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा देना। आज 07 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार बताये कि उत्तर प्रदेश को ले करके कितनी बिजली का कोटा आपको बढ़ करके मिला है और फिर स्मार्ट सिटी क्यों भूल गये आप। जो मेट्रो चल रही है या बनी है वह सब समाजवादियों की देन है। अब कितनी बार बोलूं कि गोरखपुर में भी मेट्रो बना लो। मेट्रो बाद में बनाना नाला पहले बना लेना। नाला भी बाद में बनाना कम-से-कम ड्रैनेज सिस्टम ऐसा बना देना कि भरा पानी निकल जाय। मुख्य मंत्री जी आप अपने यहां क्यों घबराते हो, आप मेट्रो क्यों नहीं बना रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है, क्या आपको मेट्रो बनाने से कोई रोक रहा है? झांसी वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं ये मेट्रो वाली बात वैसी बात तो नहीं है, 46 में 56 वाली बात। गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं है और इकाना जैसे स्टेडियम आपके गोरखपुर में क्यों नहीं है ? कई खिलाड़ियों को, कई कोचेस को आप अपने यहां तोड़कर ले आये लेकिन फैसल्टि तो दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। पूरे उत्तर प्रदेश में मत करिये, गोरखपुर में तो करिये, गोरखपुर में मेट्रो कब आयेगी ? अध्यक्ष महोदय,

कम-से-कम नेता सदन बतायें कि हम लोग भी मेट्रो में गोरखपुर में बैठेंगे और लखनऊ से आपको क्या दुश्मनी है। हमारे माननीय सदस्य से दुश्मनी हो सकती है, दुश्मनी तो नहीं थोड़ी नाराजगी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दुश्मनी शब्द हटा दें। यह चुनाव जीत जाते इसीलिए यहां पर मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। वह क्षेत्र तो आपका है जहां पर रुकी खड़ी है। अभी भी सात साल में मेट्रो वहां तक जाती है और वहीं से वापस आ जाती है जहां तक समाजवादियों ने पहुंचायी वहीं तक पहुंची उसके बाद आगे नहीं बढ़ पायी। क्या यही स्मार्ट सिटी है आपकी ? मैं उस समय के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

लेकिन उन्होंने हमारा काम तो किया। आपके बोलने वाले काम क्यों नहीं कर रहे हैं ? उस पर भी मैं अभी पूछूंगा और बोलने वाले जिनके लिए आप कह रहे हो, आप उनसे पैसा लाकर दिखाना। अध्यक्ष महोदय, मैं जब उत्तर प्रदेश में मेट्रो बनाने को ले करके उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि आपको इतनी मेट्रो क्यों चाहिए ? हमने कहा उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां सम्भव है। थोड़ा फाइनेंसियल इंक्यूजन कर लेंगे आप लोग। मेरे उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम करके दिखा देंगे और उसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोयडा, ग्रेटर नोयडा से जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो सब की सब समाजवादियों की देन है।

मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मेट्रो शहर बनाना चाहते हैं, बड़े शहर बनाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। क्या स्मार्ट सिटी के पैरामीटर्स में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नहीं है ? नीट एण्ड क्लीन, सेफ अगर कोई पब्लिक ट्रान्सपोर्ट है तो वह मेट्रो है तो आप उससे क्यों चूके ? आपने कहीं अगर एक भी स्वीकृत की हो तो आप बतायें और फिर मैनें कई बार इस सदन में कहा और मैंने सुझाव दिया और मैं आज फिर सुझाव देता हूँ कि आप दिल्लीवालों से पैसा ले करके आइये। ये जो हमारे नेता सदन एक्सप्रेस-वे बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जैसे बन रहे हैं, वह सबको पता है। लेकिन दिल्ली के बजट से क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे है ? दूसरे प्रदेशों में दिल्ली के बजट से एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं। दिल्ली से मुम्बई जोड़ने वाला एक्सप्रेस-वे एक लाख करोड़ का है, उस पर 1 लाख करोड़ दिल्ली खर्च कर रही है। आपका गंगा एक्सप्रेस-वे बन रहा है, दिल्ली वालों ने आपको पैसा क्यों नहीं दिया ? आपके बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया। बतायें, इन एक्सप्रेस-वे के लिए आपको दिल्लीवालों ने पैसा क्यों नहीं दिया ? अगर दिल्ली वाले पैसा दे देते तो यहाँ के बजट का पैसा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में लग जाता और किसानों की आय दोगुनी हो जाती। आप बताइये कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सपना नहीं देख रहे ? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि

आपका पैसा बच जायेगा। अगर नहीं बचाना चाहते, मत बचाइये, फिर क्यों कहा, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे ?

माननीय सदस्य लगातार गन्ना किसानों का सवाल उठा रहे हैं। गन्ना किसानों को जो कीमत मिल रही है, क्या उससे आय दोगुनी हो गई ? माननीय सदस्य, पंकज मलिक बैठे हैं, जो रेट मिल रहा है, इससे क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई ? यहाँ वाले तो कह रहे हैं कि लागत कितनी बढ़ गई है। डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और ट्रॉली से लेकर ट्रैक्टर पर आपका जी0एस0टी0, तो बताइये कि किसान की आय कहाँ दोगुनी हुई ? अगर आपके एक्सप्रेस-वे बनाने में 50 करोड़ रुपये बचते तो किसानों को मण्डी और एम0एस0पी0 मिलने में सुविधा मिलती, आप उससे किसानों को कुछ मदद कर सकते थे। बतायें कि धान की खरीद कहाँ-कहाँ हुई ? जो यहाँ पर खेती करने वाले लोग हैं, बताइये कहीं धान खरीदा गया हो तो बता दें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सुन रहा था कि जहाँ गड्ढे हो जायेंगे, गड्ढे की पहले फोटो होगी, पहले वीडियो बनेगी। गड्ढा भर जाने के बाद फिर फोटो होगी, फिर वीडियो बनेगी और जी0पी0एस0 और जी0आई0एस0 के माध्यम से उस लोकेशन का पूरा आइडेंटीफिकेशन होगा, यही तो आपने कहा था। आप यह बताइये कि जो केन्द्र लगे हैं, आपका जी0आई0एस0 और जी0पी0एस0 क्या बोल रहा है, कितने खरीद केन्दों पर लगे हुए हैं, कहाँ पर धान खरीदा जा रहा है ? आप वहाँ पर ये कैमरा लगा दें। हमारे सदस्यों ने माँग की और बहुत से किसान इस बात को चाहते हैं कि जहाँ पर धान खरीद हो रही है, वहाँ पर सी0सी0टी0वी0 लगाइये। आप क्यों नहीं लगाते हैं ? आप क्यों ट्रान्सपेरेंसी नहीं चाहते, क्यों कुछ ही लोगों से आप पूरा धान खरीदना चाहते हैं ? अगर कहीं किसानों की मण्डी बनी हो, बता दीजिए, सरकार ने एक बनाई हो। आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला। इस सप्लीमेण्ट्री बजट में किसान के लिए क्या है? मण्डी के लिए क्या है ? जो सबसे पहला स्थान है, जहाँ किसान की आय बढ़ सकती है। आपने क्या कहा कि हम किसानों की आय बढ़ायेंगे, दोगुनी कर देंगे, लेकिन मण्डी कहाँ हैं, जहाँ पर किसान अपनी कीमत पायेगा। आप एम0एस0पी0 दे दीजिए या जहाँ पर वह खरीदा जायेगा, वह स्थान बताइये। गेहूँ को लेकर यह अलग बात है, मार्केट की वजह से गेहूँ का रेट मिलता है, उसमें सरकार का योगदान नहीं है, क्योंकि मार्केट में गेहूँ की डिमाण्ड ज्यादा है। मान्यवर, उस वजह से किसान को गेंहू का रेट हमेशा अच्छा मिलेगा। मंहगाई बताईये सरसों और रिफाइंड का तेल कहां पहुंच गया है। नेता सदन मजदूरों से मिले थे, पूछते मजदूर भाइयों से तेल कितने रुपये में खरीदना पड़ रहा है। आपको वोट चाहिए था। आपने मिलावट वाला रिफाइंड तेल भी दिया है, नमक भी दे दिया है, क्या अभी मिल रहा है। इसलिए डींग मारने में सरकार बहुत आगे है। इनका नारा विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं। सरकार बताये ट्रिलियन डॉलर में, जी0डी0पी0 में पर

कैपिटा हमारे आम लोगों की इनकम क्या है। वन ट्रिलियन डॉलर वाली सरकार में पर कैपिटा इनकम क्या होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि नेता सदन मजदूरो से मिलें।

अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी यह लगता है कि जो दिल्ली में होता है वही उत्तर प्रदेश में होने लगा है। अगर दिल्ली वाले ऐसे फोटो खिंचवायेंगे तो हमारे लोग भी ऐसे फोटो खिंचवायेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मजदूरों की जान बच गयी। 41 मजदूर जो फंसे थे उनकी जान बची और उनको बचाने में जो-जो एजेंसी थी उनको बधाई उनका धन्यवाद, लेकिन सबसे ज्यादा बधाई और धन्यवाद उन मजदूरों को जो रैट माइनर्स हैं, जो उस पाइप में घुस करके गये और उन्हें बचा करके लाये। अगर सरकार उन मजदूरों की मदद कर रही है, जिनकी जान फंसी थी तो सरकार को बिना भेद-भाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था, जिन्होंने उसमें जा करके मजदूरों की जान बचाई है। उसमें कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। हमारे मा0 सदस्य किदवई साहब बैठे हैं इनके यहाँ कुछ बच्चे डूब गये, सरकार से मदद मिल गयी। दूसरी भी ऐसी ही घटना घट गयी सरकार मदद ही नहीं कर रही है। वोट के आधार पर सरकार फैसला न ले। यह जो आरोप लगते हैं उनके पीछे कुछ होना चाहिए, मैटेरियल भी। कोई आरोप ऐसे ही नहीं लग जायें। डूबने वाले बच्चों की मदद हुयी, लेकिन जो दूसरे हैं उनकी मदद नहीं हो पायी है। एक उदाहरण नहीं है हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हालांकि अंग्रेजी में मैंने अखबार पढ़ लिया था, उसकी कॉपी मेरे हाथ में, इस समय है कि जब मजदूरों की जान बची उसके बाद जिन्होंने जान बचायी तब हमारे अखबार की जो हेड लाइन थी वह यह थी कि Hindus and muslims Together saved 41 lives. हिन्दू और मुस्लिम दोनों ने मिल करके 41 लोगों की जान बचाई है। मैं कोट कर रहा हूँ कि हमारी टीम में हिन्दू और मुस्लिम दोनों हैं, दोनों के बिना यह काम सम्भव नहीं था कि 41 लोगों की जान बचा पाते हम लोग । कोई अकेले यह काम करके शायद जान नहीं बचा पाता, इसलिए मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरा देश जाने कि हारमोनी में और साथ रहने से देश आगे बढ़ेगा और हमारा जो कोट है मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। In our team, there are both Hindus and Muslims, and people from both religions worked hard to save these 41 lives. None of them could have done this alone, and this is the message I want to give to everyone… We should all live in harmony and not spread the poison of hate. We all want to give our 100 percent for the country… Please convey my message to everyone.

सोचिये, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संदेश है। एक सामान्य व्यक्ति यह कह रहा है कि यह संदेश जाए कि जो हम एक-दूसरे में खाई पैदा करते हैं उससे हमारा देश और समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है, यह एक उदाहरण है। क्योंकि नेता सदन उसी प्रदेश से आते हैं, इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एक माँ ने 24 मजदूरों की जान बचायी थी। जब माँ को पता चला

कि पीछे से पानी आ रहा है वह अपने बेटे को फोन मिलाती रही, कई बार फोन मिलाने के बाद जब फोन उठा तो उसने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है सब मजदूरों को इससे बाहर निकाल दो। उस माँ की वजह से 24 मजदूरों की जानें बची थीं और उस समय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार नहीं थी लेकिन चूंकि एक माँ ने अपने बेटे के माध्यम से मजदूरों की जान बचायी थी, समाजवादी पार्टी ने उस माँ को पाँच लाख रुपए दे करके उन्हें सम्मान देने का काम किया था। वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना देखने वाले, बड़ी-बड़ी डींग हांकने वाले लोग क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे, कम से कम उन्हें सम्मान दें। यहां भेद-भाव हो सकता है मदद के लिए, हम मदद मांगें तो भेद-भाव है लेकिन कम से कम ऐसे बड़े काम के लिए आपको मदद करनी चाहिए। हमारे देश की संस्कृति बताती है, देश का इतिहास बताता है कि हम सब मिल करके रहे हैं, हमारी यह मिली-जुली संस्कृति है, हम सब मिल करके रहते हैं और मिल करके देश को आजादी दिलाने का काम किया है चाहे वह 1857 हो या बाद की बात हो, दो मिल करके रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी। अभी कुछ साथी चिन्ता कर रहे थे जातीय जनगणना को ले करके, अध्यक्ष महोदय पूरा देश चाहता है कि जातीय जनगणना हो। अन्ततोगत्वा मैं कहता हूं ऑन दि फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा है कि ये बीजेपी के लोग भी जातीय जनगणना में खड़े हो जायेंगे, आप देखियेगा। एक समय आयेगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे कि जातीय गणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, कभी-कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस समय पुलिस में मेरिट से भर्ती हुई थी, उस समय आरक्षण को ले करके एक फैसला आ गया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम पुलिस भर्ती की लिस्ट को नहीं जारी कर पाये थे, वह मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था। कोर्ट के आदेश के बाद जब सूची जारी की गयी तो पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत् वह सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार, चूंकि नयी सरकार आ गई थी तो उस सरकार ने कहा कि यह पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी और जब नई आरक्षण व्यवस्था के तहत् सूची जारी की गई तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी। उन्हें नौकरी से यह कह करके बाहर निकाल दिया गया कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है। जिन लोगों ने खुशियां मनायी थीं, जिनके घर-परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वह 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में नाम आने के बाद बाहर निकाल दिये गये थे। जब से आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हुई है जब से हम मण्डल कमीशन की मूल भावना से डायवर्ट हुए हैं तब से पूरे देश में यह आवाज उठी है कि जातीय

गणना होनी चाहिए और जातीय गणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए, यही सबका साथ सबका विकास है। क्या हम गलत कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास तभी सम्भव है जब जातीय गणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण, हक और सम्मान मिल जाय। चूंकि सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है, सरकार में क्योंकि लालीपॉप मिल गया है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, कुछ सरकार के लड्डू खा रहे होंगे इसलिए सरकार की ओर खड़े रहना है और कुछ लोग तो 'फिल-इन-दि-ब्लैन्क्स हैं' सरकार के, रिक्त स्थान भरो, 'फिल-इन-दि-ब्लैन्क्स हैं' कुछ लोग।

आप पूछ लीजिएगा आप नेता सदन है हालांकि वह इंजीनियर हैं, अध्यक्ष महोदय, आप उन 1700 बच्चों को बुलाइए कि क्या उनके उपर गुजरी है और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था वह था, जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था । यह तो सदन से ही चले गए, यह हमारी वजह से नहीं गए होंगे। कुछ कटी पतंग है, नेता सदन कोई सीट नहीं मिली थी क्या ? या सीट में कम या ज्यादा लोग थे। सबसे पहले एक कुशवाहा नौजवान जो आंदोलन को लीड कर रहा था, उसकी नौकरी गयी थी, वह 1700 बच्चे पिछड़े और दलित थे। इसलिए तब वह माँग उठी है और उसके बाद से माँग जातीय जनगणना की शुरू हुयी है और मुझे याद है जब मैं लोक सभा में मेम्बर था उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की उस समय की लीडरशिप से न केवल नेता जी ने बल्कि शरद यादव जी ने, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सभी नेताओं ने माँग की थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि आंकड़े जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। वर्ष 1931 के बाद, आजादी के बाद अगर किसी ने जातीय जनगणना रोकी थी, तो वह कांग्रेस पार्टी थी, उसी रास्ते पर बी0जे0पी0 चल रही है। इसलिए आज हम नई राजनीति में उसी पुराने सिद्धांत को अपनाकर चल रहे हैं और यहां जितने लोग बैठे हैं, आज वह सामने कुछ भी कहें, लेकिन अन्दर ही अन्दर अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं कि हम तो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, आप पूछ लीजिए इनसे।

यह जो 69000 भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन आपका यही नारी वंदन है, आप लड़कियों का पीटेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वायेंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे कि यह अधिकारी इसको मारेगा, यह पुलिस का अधिकारी इसको छेड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार का काम नहीं है, अगर आप वाकई महिलाओं के पक्ष में है, नारी वंदन के पक्ष में है और जो सदन में नया बिल पास हुआ है अगर उसके पक्ष में आप 1 प्रतिशत भी हैं, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुलाकर के

बात करनी चाहिए थी कि आपकी क्या नाराजगी है। मा0 अध्यक्ष जी, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से, मैं सुन रहा था, सरकार कहती है कि यह जुडिशल मामला है, अगर यह जुडिशल मामला है तो सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट क्या दिया है ? इसमें तीन इश्यू चल रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है प्रश्न पेपर में रॉंग प्रश्न आना, तीसरा इश्यू आरक्षण का है। मा0 नेता जी यहां पर बैठे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या 69000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले थे कि नही मिले थे, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए। केवल मंत्री बने रहोगे आप, इसलिए उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे। आप बताइए कि रॉंग प्रश्न आये, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ आरक्षण को लेकर हेरा-फेरी हुयी, क्या आपको नहीं पता की हेरा-फेरी हुयी, क्योंकि आप तो मोबाइल छीन रहे थे। कभी-कभी होता है कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, उनको चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें सरकार ने लगायी थी, वह सभी फेल हो गयीं, कुछ चल रही हैं तो मुझे नहीं पता है। आप देखिये कि क्या स्थति है, यह कब का एड था दिनांक 5 दिसम्बर का एडवरटाइजमेंट था, रिटन टेस्ट वर्ष 2019 जून में हुआ और आज तक उन्हें कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है, केस की अभी भी डबल बेंच में सुनवाई हो रही है और जो एफिडेविट सरकार ने दिया है, वह क्या एफिडेविट दिया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार मा0 हाई कोर्ट में एफिडेविट लगा रही है कि जो गलत प्रश्न हैं, उसके हम एक नम्बर देंगे। हम जानना चाहते हैं कि प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न आ जाना किसकी गलती थी। यहाँ बैठे हुए जो मा0 सदस्य जातीय जनगणना को मन ही मन में माँग करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप लोग लालीपाप मंत्री नहीं है, तो एफिडेविट जरूर पढ़ना ....

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने क्या एफिडेविट दिया है और उनकी मदद होनी चाहिए ? उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वे केवल एक बार इस लखनऊ में आकर लाठी नहीं खाये हैं, एक बार अपमानित नहीं हुए हैं, बहुत बार हुए हैं। पिछड़ी बिरादरी का ऐसा कोई नेता नहीं बचा होगा, जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खट-खटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने पीडीए का नारा दिया। पीडीए ही एनडीए को हरायेगा।

अगर आपने पढ़ा हो, तो मा0 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं 'casteism resilient affirmative action works to dismental inequalities' अगर हम आरक्षण माँग रहे हैं, तो क्या खराब बात है....

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

पढ़ना चाहिए कि उन्होंने क्या-क्या लिखा है। आरक्षण आगे बढ़ने की हमें उम्मीद जताता है, आस देता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया यह नहीं कह रहे हैं। आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम आरक्षण क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, सरकार का क्या 'जीरो टॉलरेन्स' है ? 'जीरो टॉलरेन्स' की बातें तो बहुत है, लेकिन मैं कानपुर से शुरू करुँगा। एक गरीब किसान से बी0जे0पी0 के लोगों ने जमीन लिखवा ली। उस किसान को छः करोड़ का चेक दे दिया और उसके बाद उन्हीं बी0जे0पी0 के नेताओं ने कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस दे दो। उस गरीब किसान ने भरोसा करके चेक उनको वापस दे दिया और वह चेक उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया। वह किसान दर-दर भटकता रहा, घूमता रहा, उनके घरों पर गया, पुलिस के पास गया, कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा कि उसने दरवाजा न खट-खटाया हो, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। आज भी उसकी दो बेटियां दर-दर भटक रही हैं, कोई अधिकारी नहीं बचा, जिसके घर वह न गयी हों। वह 'जीरो टॉलरेन्स' बीजेपी के नेता के लिए है। वहीं पर और भी घटनाएं हुई है। हालांकि अध्यक्ष महोदय, आपने थोड़ा हस्तक्षेप कर दिया था, नहीं तो व्यापारी की क्या स्थिति हो गयी थी, आपसे बेहतर उस बात को कोई नहीं समझता ? आप भी उस परिवार से मिले है, मैं भी उस परिवार से मिला हूँ। क्या ये सरकार का 'जीरो टॉलरेन्स' है। आपकी जीरो टॉलरेन्स पॉलिसी क्या है ? ये 'जीरो टॉलरेन्स' क्राइम बीजेपी के लिए है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहें कर लें। यह आपकी 'जीरो टॉलरेन्स' है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप के पास अगर किसी चीज का उदाहरण हो, तो बताइए। मुझे याद है, कानपुर में एक परिवार के माँ-बेटी को जिन्दा जला दिया गया था। उस समय डिप्टी सी0एम0 की उस परिवार से बात-चीत हुई थी। डिप्टी सी0एम0 ने कहा था कि मैं आपके परिवार के साथ हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करना, उन सबको सजा दिलाऊँगा, कोई बच नहीं पायेगा। किसी को मैं छोडूंगा नहीं। मैं उनको 302 में जेल भिजवाऊँगा। क्या यही आपकी 'जीरो टॉलरेन्स' है ? आज भी वह परिवार दर-दर न्याय के लिए घूम रहा है। चूँकि वह बीजेपी का नेता/कार्यकर्ता है, इसलिए कोई 'जीरो टॉलरेन्स' नहीं है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, वहीं सपा के विधायक को झूठा फंसा दिया और केवल वोट के लिए मोहम्मद आजम खाँ साहब को जेल भेज दिया, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, केवल वोट के लिए। ये जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अगर कैबिनेट के फैसले पर उंगली उठेगी, कैबिनेट के फैसले पर इस तरह की बाते होंगी, तो नेता सदन ने भी बहुत कुछ काम किए होंगे, तो उन पर भी आंच आयेगी, उंगली उन पर भी उठेगी। तो इस तरह सरकार को

काम नहीं करना चाहिए। जब आपका नारा हो कि 'सबका साथ, सबका विकास', तो किसी के साथ भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूँगा कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है, जब मुख्य बजट का ही कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मुख्य बजट ही किसी रास्ते पर नहीं जा रहा है, मुख्य बजट ही विजनलेस, डायरेक्शनलेस है और यह सरकार हार्ट-लेस है। यह बात कहकर मैं अध्यक्ष महोदय अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। डायल-100 सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी। पुलिस विभाग का चाहे बड़ा अधिकारी या छोटा अधिकारी हो उससे पूछिये कि यह व्यवस्था कैसी थी ? वह कहेगा कि सबसे अच्छी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को चलाने के लिए समाजवादी सरकार ने फैसला लिया था कि कोई अगर पहला कॉल रिसीव करेगा तो वह महिला होगी। इस सरकार ने उन महिलाओं की नौकरी छीन ली जिन्होंने इतने वर्षों तक काम किया और लाखों लोगों का दुःख-दर्द सुना। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सरकार हार्ट-लेस है। सरकार इमोशनलेस है, उन बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ सर्दी में, न केवल 69 हजार बच्चियाँ जो आन्दोलन कर रही हैं, उन बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हुआ, डॉयल 100 जिन्होंने उत्तर प्रदेश के घर परिवारों में न जाने कितनों की मदद की होगी, क्या व्यवहार हुआ उनके साथ ? उन्हें दीवाली नहीं मनाने दी गयी, सर्दी थी, बरसात हो गयी, उन्हें बॉथरूम में रुकना पड़ा, ये नारी वन्दन है। बी0जे0पी0 की माननीय सदस्या बैठी हैं अगर मैं कोई बात फ्लोर आफ दि हाउस में गलत कह रहा हूँ तो ये जो महिला सदस्य हैं वे जाये और पूछें कि बताओ सरकार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था? क्या उन्हें बाथरूम में नहीं रहना पड़ा ? इन्होंने उनसे रजाईयाँ छीन लीं, कम्बल छीन लिये और उन्हें पीटा गया। उनमें से कई प्रेग्नेंट थीं, वे गरीब परिवार की बेटियाँ हैं कोई सम्पन्न घर की बेटियाँ नहीं हैं। जिस कम्पनी को आप टेण्डर दे रहे हो, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और कहते हो कि 3000 माँग रहे थे हम 6 हजार में नौकरी करा लेंगें। आप लोग गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। जो लोग नौकरी के लिए केवल 3000 हजार रुपया महीना बढ़ाने की माँग कर रहे थे। यह ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना है आपका कि आप डॉयल 100 की बेटियों के साथ यह व्यवहार करेंगे ?

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय दिया और यह अनुपूरक बजट सरकार ले करके आयी है, अगर पुराना पैसा नहीं खर्च कर पाये हैं तो यह पैसा खर्च करने के लिए लाये हैं या जेब में पहुँचाने के लिए ले करके आये हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

[नेता सदन (श्री योगी आदित्यनाथ) के खड़े होने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने जय श्रीराम के नारे लगाये तथा मेजें थपथपायी]

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ, इस शीतकालीन सत्र में सरकार के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में आपने मुझे सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया है। नेता प्रतिपक्ष की बातों को मैं सुन रहा था और इससे पहले दलीय नेताओं ने भी अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि नेता विरोधी दल लीक से हट करके आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं और यह बीमारी केवल यहीं पर नहीं आयी है, जो बीमारी बिहार हमें देखने को मिल रही है, वही बीमारी यहाँ भी देखने को मिल रही है। चूँकि मेरे बगल में वित्त मंत्री जी के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था वह शेरो-शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुन करके मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि-

बड़ा हसीन है, उनकी जुबान का जादू।
लगाकर आग, बहारों की बात करते हैं।।
जिन्होंने रात में देखो, बस्तियाँ लूटी।
वही नसीब के मारों की बात करते हैं।।

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे यह अच्छी शुरुआत है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधान सभा और विधान परिषद् में पिछले 6-7 वर्षों में चर्चा-परिचर्चा का एक माहौल बना है। पिछले 2022 के बाद से तो इसमें और भी अच्छी सकारात्मक पहल हुई है और उसमें भी विरोधी पक्ष के लोग खूब तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि वह इसी प्रकार से प्रगति करें और हमेशा विपक्ष में बैठे रहें। आज यहां पर अनुपूरक बजट के बारे में जो चीजें चल रही थीं, मुझे आश्चर्य हो रहा था। नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्य मंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवायें दे चुके हैं। कई बार संसद में भी रहे हैं और सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो सम्भवतः उससे ज्ञानवर्धन होता, जिससे वह अपने अन्य समाजवादी सहयोगियों को भी अच्छी तरह से बता सकते थे। 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अलग-अलग समय में उन्होंने यहां पर प्रदेश में कार्य किया है। आप 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देख लीजिए। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला प्रदेश बन गया था।

2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है, यह देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। आज मैं

इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय सदस्यगण भी प्रदेश के अन्दर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणायें बदली हैं। उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यह बदले हुए परिवेश का नये उत्तर प्रदेश का, यह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में आज लोग एक नयी धारणा बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण बदला है, जैसे दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है ऐसे ही देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है। उत्तर प्रदेश को हर व्यक्ति बहुत सम्मानजनक ढंग से देखता है। यह परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं, हम लोग आज भी अपनी उन बातों को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल के मा0 सदस्यों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा तो इस आर्थिक प्रगति का लाभ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा और क्या पिछले छः-साढ़े छः वर्षों के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर इस डबल इंजन की सरकार के समय कुछ नहीं हुआ ?

महोदय, 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो जी0एस0डी0पी0 थी वह लगभग 13 लाख करोड़ के आस-पास थी और आज 2023-24 में यह लगभग साढ़े चौबीस लाख करोड़ पहुँच रही है यानी हम लगभग दोगुने की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही 2015-16 के आस-पास उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो लगभग 43 हजार के आस-पास थी, आज 2022-23 में वह बढ़कर के लगभग 83 हजार रुपये से अधिक यानी लगभग दोगुने से अधिक हो चुकी है और जब 2023-24 के आँकड़े आयेंगे तो इसमें और भी वृद्धि होगी। प्रदेश में बजट का आकार भी बढ़ा है। देश की 16 फीसदी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में जो औसत बजट था वह लगभग 2 लाख 70 हजार करोड़ के आस-पास था। अलग-अलग वर्षों में बढ़े होंगे, लेकिन 2017-18 से 2022-23 के बीच में अगर हम एवरेज बजट देखेंगे तो यह लगभग उससे दोगुना हुआ है। यह लगभग 5 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के आस-पास हुआ है। आज के दिन अगर हम वर्ष 2023-24 के बजट को देखेंगे तो जो हमारा 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का मूल बजट था और अगर हम 28 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट देखेंगे तो यह लगभग 7 लाख 19 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट यह सरकार ले करके आयी है और इस बजट के साथ हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ले करके आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, प्रदेश के अन्दर अगर हम देखेंगे तो सरकार अपना जो बजट लेकर आती है तो इस बात को ध्यान में रखती है कि हमारे पास उतने सोर्स ऑफ इनकम हैं या नहीं हैं। स्टेट के पास रेवेन्यू कहाँ से आयेगा। रेवेन्यू कहाँ से आना है और कहाँ पर उसको व्यय होना है। आय और व्यय में संतुलन की स्थिति को भी बनाये रखना है। प्रदेश सरकार को इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम देखेंगे कि प्रदेश का जो राजकोषीय प्रबन्धन है वह आज बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखायी दे रहा है और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाये, आज के दिन यह सम्भव हुआ है और प्रदेश के अन्दर इन सभी कार्यों को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हम कर रहे हैं। प्रदेश के अन्दर अगर हम विभिन्न कार्यों से देखेंगे और राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में जो आज प्रदेश आया है तो प्रदेश के अन्दर अगर 2016-17 में राज्य कर का जो राजस्व था वह 86 हजार करोड़ रुपये था, 2023-24 में राज्य कर का जो राजस्व लक्ष्य है, आज के दिन प्रदेश के अन्दर हम लोग उसे लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाने में सफल हुये हैं। प्रदेश के अन्दर स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन में 2016-17 में लगभग 11 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे, आज 2023-24 में बढ़कर हम उसे 34 हजार करोड़ रुपये तक पहुँचाने में सफल हुये हैं। वैट एण्ड टैक्स के आधार पर जो सेल्स टैक्स था, 49 हजार करोड़ रुपये का कुल रेवेन्यू प्रदेश को प्राप्त होता था आज वही डेढ़ लाख करोड़ रुपये पहुँच रहा है और स्टेट एक्साइज में 2016-17 में कुल 12 हजार करोड़ रुपये प्रदेश के अन्दर प्राप्त होता था, आज प्रदेश 58 हजार करोड़ रुपये उसी एक्साइज टैक्स से ले रहा है। परिवहन में भी 2016-17 में कुल 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, 2023-24 में 12 हजार 600 करोड़ रुपये की राशि से भी प्रदेश आगे बढ़ चुका है।

महोदय, जो भी बातें प्रदेश के अन्दर की गयी हैं हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे, आज प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहे थे वह वास्तविक आंकड़े नहीं थे। उन्होंने जो भी तथ्य यहां पर रखे थे मुझे लगता है कि उनका अच्छा होम वर्क नहीं हो पाया है। वैसे भी उनके पास फुरसत कहां है कि होमवर्क कर सकें और उनके बारे में देख सकें। लेकिन एक प्रयास इन्होंने किया, तथ्य और आंकड़े दोनों सही नहीं थे। बैंकिंग सेक्टर में जो कार्य वहां पर हुए हैं, वर्ष 2022-23 में यदि हम देखेंगे तो प्रदेश में बैंकों के माध्यम से 2 लाख 42 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित हुआ है और 2022-23 में यदि हम देखेंगे तो प्रदेश के अन्दर पहले की तुलना में बैंकों की शाखाएँ खोलने की बात रही है तो आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 5 किलोमीटर के दायरे में या तो बैंक की शाखा है या हर गांव में हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पान्डेन्स सखी के माध्यम से बैंक की सेवायें हर ग्राम

पंचायत तक उपलब्ध करवाने का काम किया है और इसका परिणाम है कि आज जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं में फण्ड आकर्षित करने में देश के अन्दर 16.2 फीसदी निवेश में हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है, यह डाटा मेरे नहीं हैं किसी मैगजीन के नहीं हैं, मैगजीन की बात पर मैं अन्त में आऊँगा, लेकिन आर0बी0आई0 ने जो अपना अगस्त, 2023 का बुलेटिन जारी किया है उसमें उत्तर प्रदेश को इन्होंने शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा है, बॉटम में नहीं रखा है। आयकर रिटर्न की बात करते हैं, जून, 2014 में 1 लाख 65 हजार आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में भरे जाते थे, आज के दिन जून, 2023 में यह बढ़कर 11 लाख 92 हजार हुआ है, यह डाटा भी हमारे नहीं हैं। यह आई0टी0आर0 फाइल से जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार हैं। मैंने जी0एस0टी0 संग्रह के बारे में बताया कि आज हम डेढ़ लाख करोड़ रुपये का जी0एस0टी0 संग्रह प्रदेश के अन्दर कर रहे हैं और साथ-साथ मुख्य मंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत 1 हजार 69 व्यापारियों को आज इस योजना से लाभान्वित भी किया जा चुका है और देश के अन्दर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन करने वाले राज्य के रूप में भी आज के दिन शीर्ष स्थान पर है।

इसके अलावा प्रदेश में और भी क्षेत्रों में अपनी प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, शीरा उत्पादन में देश का नम्बर एक राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रदेश इथेनॉल ब्लेंडिंग में यह देश के अन्दर आज के दिन में नम्बर एक राज्य है और प्रदेश के अन्दर अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर खासतौर पर पारिवारिक मुद्दे भी आते थे बेटे, बेटी, पिता, माँ, पति, पत्नी, बहू, सगा भाई यानी सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र, पुत्री यानी इन सबको आवासीय अथवा कृषि सम्पत्ति ट्रांसफर करने में जो पहले एक लम्बी प्रक्रिया होती थी उसके लिए पूरा शुल्क देना होता था आज मात्र 5 हजार रुपये नियत करते हुए हम लोगों ने यह सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई है जिससे लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश में ले रहे हैं। प्रदेश के अन्दर जहां तक मा0 नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें यहां पर कही गयी हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि वह हर मुद्दे को यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह तो समाजवादियों ने किया है। वैसे समाजवादियों के कारनामे तो प्रदेश के लोग अब तक भूले नहीं हैं।

हर व्यक्ति जानता है कि कैसे-कैसे यह लोग खेल खेलते थे उत्तर प्रदेश के अन्दर किस-किस प्रकार के कारनामे होते थे और अक्सर होता है हमारे नेता विरोधी दल चुनाव के पूर्व उनको कोई इंटरव्यू देना होता है तो सेंटर में आते हैं और जाने का प्रयास करते हैं प्रदेश के अन्दर सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं और किस रूप में हो सकते उनमें से एक सेंटर है जे0पी0एन0आई0सी0 इसका जो मूल डी0पी0आर0 है वह केवल

265 करोड़ रुपये का आंका गया था और 265 करोड़ रुपये के डी0पी0आर0 के बाद इस पर 821 करोड़ रुपये खर्च हो गया यह तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है यहां 6 साल से यह सरकार आयी है, लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे 5 साल आप लोग और गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति जो पी0पी0आर0 बना था 167 करोड़ का बाद में फिर पी0पी0आर0 340 के लगभग बना था फिर वर्ष 2015 में इसको बढ़ाकर ले गये 656 करोड़ रुपये फिर वर्ष 2016 के जून माह में इसी योजना के डी0पी0आर0 का रिवाइज एस्टीमेंट प्रस्तुत किया जो कैबिनेट से पास किया गया था वह 1513 करोड़ रुपये का और 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी वह कार्य अधूरा ही पड़ा है। इसमें हमे आश्चर्य होता है कि अनियमितता किस हद तक की इसमें टी0एस0सी0 का गठन किया गया, सी0बी0आई0 और ई0डी0 के द्वारा भी इसमें जाँच की जा रही है और जब हम इसमें विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे तो अनियमितताएं जैसे डायफामाल कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राईंग कराना और रेन्युअल में अनियमितता 141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना विजन डाक्यूमेंट्स के कार्यों को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना और डायफामाल के प्लेटफार्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त चार फर्जी अनुबंध गठित किया जाना और आर्टिस्टिक ट्रंक ट्रेन में निर्धारित फीस से अधिक कार्य कराया जाना यह सभी चीजें घटित हुई। यह किस हद तक कार्य करते थे अभी प्रदेश की जनता भूली नहीं है और एक और कारनामा है, यद्यपि यह तो लम्बी लिस्ट हर जिले में होगी। यहां पर जूडिसरी से जुड़े मामलों को उठाते नहीं हैं लेकिन एक ध्यान आकर्षण के लिए बहुत आवश्यक भी है। लखनऊ बेंच का जो भवन बना है महोदय, निर्माण कार्य में पैसा तो प्रदेश की जनता का लगा है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ तो यहां पर 30 जज बैठेंगे यहाँ पर जब भी बैंठेग वर्तमान में 20 जज बैठते हैं, लेकिन चेंबर कितने बनाये गये 76 चेंबर बनाये गये इसकी जो पी0पी0आर0 वह भी 346 करोड़ के आस-पास थी और बाद में बढ़ाकर के 771 करोड़ रुपये इसको किया गया फिर 1561 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये गये और लाखों रुपया आज भी इस भवन के रख-रखाव में खर्च होता है यानि 76 चेम्बर बने हैं जज बैठ रहे मात्र 20 बाकी 56 खाली और उनके रख-रखाव के नाम पर प्रदेश किस तरीके से खर्च हो रहा है।

यह विदेश से डिग्री प्राप्त किए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं। इसीलिये प्रदेश के बारे में इतनी गलत धारणा बनी थी और यहां का नौजवान अपनी पहचान को छिपाता था, इन्हीं कारणों से छिपाता था। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में कह रहे थे और कानून-व्यवस्था की स्थिति किस रूप में थी हर व्यक्ति इस बात को जानता है। खास तौर पर वर्ष 2016 के सापेक्ष अगर वर्ष 2022-2023 में हम देखेंगे तो आज के दिन पर एन0सी0आर0बी0 का जो डाटा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।

यह आंकड़े मेरे स्वयं के नहीं है और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के भी नहीं हैं। यह जो डाटा है यह एन0सी0आर0बी0 का है जिसके अनुसार डकैती के मामलों में 80.31 प्रतिशत की कमी आई है, लूट के मामलों में 61.51 प्रतिशत की कमी आई है, हत्या के मामलों में 32.45 प्रतिशत की कमी आई है, बलवा में 51.65 प्रतिशत की कमी आई है, फिरौती में 43.18 प्रतिशत की कमी आई है और दुष्कर्म के मामलों में भी 21.75 प्रतिशत की कमी आई है। महोदय, वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों को शासन का अवैध प्रश्रय प्राप्त था। हर दूसरे-तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी और 2017 के बाद यह जीरो टॉलरेन्स की सरकार है जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके व्यक्ति को सुरक्षा की गारण्टी दे रही है उसका परिणाम हम सबके सामने आया है। महोदय, एन0सी0आर0बी0 की जो रिपोर्ट है वह उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि देश के अन्दर महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नम्बर 1 का राज्य है जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63000 से अधिक अपराधियों को गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एन0एस0ए0 में कार्यवाही की गई है। गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 9163 करोड़ की चल और अचल सम्पत्ति के जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध सम्पत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अन्दर 66 माफिया और उनके गैंग के 1044 सदस्यों के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं उनके और 506 की गिरफ्तारी की गई। इसमें उनके विरुद्ध अन्य तमाम कार्यवाहियाँ भी की गई हैं और बाकी उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति तो जानता ही है कि अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्यवाही होनी है और इसके बारे में बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है।

महोदय, वर्ष 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन ने प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारम्भ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। महिला और बाल सम्बन्धी अपराध के बारे में मैंने पहले ही यहां पर बताया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1016 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है उसमें प्राशक्यूसिन और समयबद्ध कार्यवाही को आगे बढ़ाने का यह परिणाम निकला है। पास्को अधिनियम के अन्तर्गत भी महिला सम्बन्धी अपराधों में 7276 अपराधियों को सजा दिलाने की कार्यवाही हुई है। ई-प्राशक्यूसिन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नम्बर-1 पर है।

प्रदेश में 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन के गठन की कार्यवाही भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। प्रदेश के अन्दर 69 पुलिस चौकी एवं परामर्श केन्द्र को थाने का दर्जा देने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। हमारे सामने आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज साइबर क्राइम का है। हर एक जनपद में इससे सम्बन्धित प्रतिदिन दर्जनों मामले सामने आते हैं। इसकी वर्ष 2017 के पहले कोई पॉलिसी नहीं थी और न ही सरकार का कोई विजन था। वर्ष 2017 के बाद सरकार ने आज इस कार्यवाही को पहले चरण में रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने साइबर थाने का गठन किया है और हम लोगों ने आज हर जनपद स्तर पर एक-एक साइबर थाने की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया है और बहुत शीघ्र उसके लिए धनराशि भी जारी की जा रही है जिससे थाने का गठन करने के साथ-साथ वहां पर हर एक जगह मैन पॉवर की भी आपूर्ति हो सके। हम लोगों ने इन कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ किया है। 1531 थानों में महिला सम्बन्धी सुरक्षा के लिए साइबर थानों से सम्बन्धित साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, हेल्प लाइन भी जारी की जा चुकी है और प्रदेश के अन्दर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब, 18 जो हमारे रेंज है, इन 18 रेंज में भी बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में जो साइबर क्राइम थाने हैं इनकी भी स्थापना की कार्यवाही को भी हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर अब तक गठन की प्रक्रिया को आगे किया है और पहली बार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाकर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान सत्र में हम लोगों ने उसमें प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और बी0एस0सी0 एवं एम0एस0सी0 तथा डिप्लोमा के कुछ पाठ्यक्रम और बी0टेक0, एम0टेक0 और एल0एल0एम0 के इण्टीग्रेटेड कोर्सेज को भी हम उसमें संचालित करने की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं।

प्रदेश के अन्दर वर्ष 2017 के पहले भर्ती की बात थी और इस सदन में नेता कांग्रेस ने भी अपने भाषण के दौरान चर्चा की थी कि आखिर हमने कितनी नौकरियां दी हैं। मैं अकेले सिर्फ पुलिस की बात करूँ तो पुलिस की भर्ती में अब तक 01 लाख 64 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती वर्ष 2017 में सरकार आने के बाद हम लोगों ने की है। पारदर्शी तरीके से यह भर्ती की प्रक्रिया सम्पन्न हुई है। मैंने अभी सिर्फ पुलिस की बात की है, लेकिन वर्ष 2017 के पहले क्या स्थिति थी, भर्ती भी एक घोटाला हुआ करता था, वहां घोटाला हुआ करता था। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर चाचा-भतीजा और भाई संलिप्त हो जाते थे और किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को, उसके हक पर जबरदस्ती डकैती डालने का काम वर्ष 2017 के पहले होता था। इसीलिए मा0 न्यायालय को इसे बार-बार स्टे देना होता था। वर्ष 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी तरह बाधित थी, प्रदेश में

भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2017 के बाद हुई है और वर्ष 2017 के बाद पूरी तरह से पारदर्शी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को सम्पन्न करते हुए हमने उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया है। हमने 5,381 नये पदों को मंजूरी दी है जिसमें 86 राजपत्रित और 5,295 अराजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नये थाने, 163 नयी चौकियां, 6 महिला थाना, 4 आर्थिक अपराध के थाने और बाकी प्रदेश में जो हमने पहले बताए थे कि साइबर थाने हर जनपद में बनाये गये है। 40 एन0टी0 ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट थानों की भी प्रदेश के अन्दर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अन्दर इस दौरान अन्य क्षेत्र में जो भी रिफार्म होने थे केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग भी होनी थी, ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाना। प्रदेश में जब हम लोग वर्ष 2017 में आए थे तब प्रदेश में ट्रेनिंग क्षमता मात्र 6000 थी और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30 हजार रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग देने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है यानी हमने इसको पांच गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है क्योंकि पहले की सरकारों की सोच संकीर्ण थी, उस संकीर्ण सोंच से वह कभी उभर नहीं पाए थे। और परिणाम हम सबके सामने है कि उसी संकीर्ण दायरे में कैद होकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट पिछली सरकारों में रखा गया था, आज उससे उभार करके इस प्रदेश को नये भारत के नये प्रदेश के रूप में और नये भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए आज उत्तर प्रदेश को देश के अन्दर जाना जा रहा है।

महोदय, औद्योगिक निवेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे नेता विरोधी दल को बुरा लग जाएगा, ये कहेंगे कि इन्वेस्टर्स समिट तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि काका हाथरसी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी,

प्रकृति बदलती क्षण-क्षण देखो,
बदल रे अणु, कण-कण देखो।
तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो,
भाग्यवाद पर अड़े हुए हो।
छोड़ो मित्र ! पुरानी डफली,
जीवन में परिवर्तन लाओ।
परम्परा से ऊँचे उठ कर,
कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

मुझे लगता है कि काका हाथरसी ने यह बात पहले ही सोच-समझकर तैयार कर ली थी और इसीलिए हम लोग इस बात को मानकर चलते हैं कि दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो

तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपको कोई लक्ष्य नहीं था तो कोई दृष्टि भी नहीं थी इसीलिए दिशाहीन थे और इसीलिए प्रदेश को अपराध, दंगों एवं अराजकता का एक प्रदेश बना दिया था। नौजवानों के विश्वास को कुचलने का काम कर रहे थे। भर्ती में भाई-भतीजावाद कर रहे थे और प्रदेश की पूरी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने पर उतारु थे लेकिन आज प्रदेश का यह दृष्टिकोण बदला है और प्रदेश आज उससे उभर कर एक नये प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। महोदय, आज प्रदेश का औद्योगिक वातावरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इन्वेस्टर्स समिट कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश ने पहली बार फरवरी, 2018 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हुआ था। एक माहौल बना, लोगों में एक विश्वास बना और अध्यक्ष जी उस औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री आप ही थे और उस समय औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री के रूप में आप भी इस बात को जानते हैं कि जब हम लोग रोड शो में गये थे, देश और दुनिया का हर उद्यमी एक बात कहता था कि हम उत्तर प्रदेश न जाने का संकल्प लिये हैं, लेकिन जो अब उत्तर प्रदेश के बारे में सुन रहे हैं उससे थोड़ा एक विश्वास होता है, आने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा वेट करके आएंगे। हम लोग भी उस समय प्रयास कर रहे थे और मुझे याद है कि पहले जब आप इन्वेस्टर्स समिट के बारे में कहने के लिए आये थे तो उस समय हम लोगों ने इसी बारे में कहा था कि हमें बड़े लक्ष्य लेकर चलना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षा के अनुरूप ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना है, हर नौजवान के हाथ को कार्य देना है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाना है, उसकी फसल का अच्छा दाम उसे प्राप्त हो और केवल वह उत्पादन तक सीमित न हो, बल्कि उसे हम मार्केट लिंक कर सकें, इस दृष्टि से यदि हमें प्रयास प्रारम्भ करने हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण की तरफ और उद्योग-फोर की तरफ, इण्ड्रस्ट्री-फोर की तरफ हमें जाना ही होगा। इन्वेस्टर्स समिट तो सब जगह होते थे, लेकिन यूपी ने जो रेखा खींची है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2023।

महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइये, क्या यह प्रस्ताव, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी कोई यहाँ आना चाहता था क्या ? तब तो जो थे, वे भी भागना चाहते थे, लेकिन आज देश और दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आना चाहता है, निवेश करना चाहता है और महोदय, यह जो 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, यह 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर जब

उतरेंगे और उतरने प्रारम्भ हुए हैं, तो महोदय, 01 करोड़ 10 लाख नौजवानों को सीधे-सीधे नौकरी उत्तर प्रदेश में मिलेगी। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूँढने के लिए उत्तर प्रदेश में आयेगी और उत्तर प्रदेश के अन्दर वह स्थिति आज हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर तय किया है। महोदय, 2017 के पहले एक्सप्रेस हाई-वे, हाई-वे और सड़कों की क्या स्थिति थी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोग तो क्या कहते थे, जहाँ से अँधेरा प्रारम्भ हो, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारम्भ हो गयी है, सायंकाल हो गया है। जहाँ से गड्ढे प्रारम्भ हो जायें, समझ लो उत्तर प्रदेश प्रारम्भ हो गया है। आज आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कहीं भी, नेता प्रतिपक्ष भी बहुत बार सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब सड़कों पर वह चलते होंगे तो उनको भी अच्छा लगता होगा और खैर शिवपाल जी तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं और कभी-कभी धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं कि अब बहुत अच्छी सड़क हो गयी है, अच्छी सड़क हो गयी है और कहते हैं बेचारे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी ऐसे चाहता था, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा कि जब बचपन में ही गलत राह दिखाने का काम आपने किया है, आप लगायेंगे बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से आयेगा ? (हँसी) तो मैं अक्सर उनको इस बारे में कहता हूँ।

लेकिन महोदय, आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है और मुझे आश्चर्य होता है, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स को सम्भवतः नेता प्रतिपक्ष ने पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा होता तो सम्भवतः इतनी हल्की बातें यहाँ पर नहीं करते। सप्लीमेट्री डिमाण्ड्स में परम्परागत बजट के लिए पैसे की माँग नहीं होती है, यह नई माँग के लिए पैसे की माँग होती है और इसमें गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए पैसा माँगा है और वह भी टेण्डर के दौरान जी0एस0टी0 12 परसेण्ट थी, इसका रेट बढ़ करके 18 फीसदी हुआ है, उसके लिए यह पैसा माँगा गया है। 500 करोड़ रुपये से अधिक की यह राशि है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए कोई पैसा नहीं माँगा गया है, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए कोई पैसा नहीं माँगा गया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए कोई पैसा नहीं माँगा गया है, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए कोई पैसा नहीं माँगा गया है और लखनऊ-कानपुर या किसी भी अन्य एक्सप्रेस-वे के लिए पैसा नहीं माँगा गया है, यह गंगा एक्सप्रेस-वे का पैसा है। मुझे लगता है कि यह जानकारी उनके संज्ञान में होनी चाहिए और दूसरा उनके संज्ञान में यह बात भी होनी चाहिए कि जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की बात कर रहे थे कि 6 हजार करोड़ रुपये का बनना है, मुझे लगता है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। वह 06 हजार करोड़ का नहीं है, बल्कि कुल 3500 करोड़ रुपये का है और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो यह पूरा एक्सप्रेस-वे उन क्षेत्रों से होकर जा रहा है जो लो लैण्ड का एरिया था। वह सन्तकबीरनगर को भी जोड़ रहा है, वह अम्बेडकरनगर को भी उसके साथ

जोड़ता है। मुझे लगता है कि थोड़ी भौगोलिक जानकारी भी लेनी चाहिए। भौगोलिक जानकारी का ज्यादा ज्ञान ले लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की बातों को यहाँ बोलने से उनको भी थोड़ा परहेज होगा। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर आज एक्सप्रेस-वे के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गयी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे भी है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र भी हमारा एक्सप्रेस-वे के साथ जुड़ चुका है, पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे पर काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुम्भ 2025 के पहले हम इस एक्सप्रेस-वे के कार्य को पूरा कर सकें। इसके बारे में हमारा पूरा प्रयास है और यह इस देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे में से एक है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, चित्रकूट में लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही, लखनऊ, कानपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही यह तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।

वाराणसी के सौ एकड़ क्षेत्र में देश के पहले थ्रेट विलेज की स्थापना की कार्यवाही भी हो रही है और प्रदेश में आज यमुना एक्सप्रेस-वे में फिल्म सिटी, ट्वॉय सिटी, एप्रिल पार्क, हैण्डी पार्क, लॉजिस्टिक हब यह सभी विकसित हो रहे हैं और लखनऊ, हरदोई के बीच में पी0एम0 मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के कार्यवाही को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क जहां पर लगभग एक हजार एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल का एक हब बनेगा, उत्तर प्रदेश के अन्दर यहां के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोले गए, उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य होगा और महोदय इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मूल बजट में जो प्राविधान किया था उसमें कभी नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनकी रुचि का विषय नहीं है, लेकिन हम लोग मध्यांचल, बुन्देलखण्ड की दृष्टि से डेवलपमेण्ट का एक बहुत बड़ा नया क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को स्थापित होने में 46 47 वर्ष लगे, कुल 33 हजार एकड़ लैण्ड में वह स्थापित हो पाया, बीडा, झांसी, बुन्देलखण्ड औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की कार्यवाही को सरकार ने आगे बढ़ाया है और यह पहले ही चरण में 35 हजार एकड़ क्षेत्रफल में बसने जा रहा है, यहां पर हम एक एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं और फोर लेन की कनेक्टिविटी भी देने जा रहे हैं, यह आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है और मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नए औद्योगीकरण की तरफ प्रदेश को यह एक नई पहचान देता है। आज प्रदेश में इण्टरनेशनल ट्रेड शो हो रहे हैं, अभी सितम्बर माह में ग्रेटर नोएडा में इण्टरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। एम0एस0एम0ई0 प्रदेश की जो पहचान है, प्रदेश जिस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, जो प्रदेश की पोटेंशियल थी आज ट्रेड शो का आयोजन होता है, 70 हजार बायर्स उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे। चार लाख लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की थी, आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। प्रदेश में

एम0एस0एम0ई0 की हमारी एक नई पॉलिसी आ चुकी है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने अपनी एम0एस0एम0ई0 यूनिट में स्थापित करने वाले जो हमारे उद्यमी हैं, कामगार हैं उन सबको एक दुर्घटना बीमा योजना से पांच लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना भी उनको उपलब्ध कराई है, देश के अन्दर 96 लाख एम0एस0एम0ई0 यूनिट हमारे पास है, उनके पास सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं थी, उनके प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने उन्हें आज प्रदेश के अन्दर यह भी व्यवस्था की है साथ-साथ अपने कामगार और हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग उन्हें प्रशिक्षण और टूल किट की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश के अन्दर तेजी के साथ आज हम लोगों ने प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के साथ-साथ प्रदेश के अन्दर लोगों की अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है और वी0आई0पी0 कल्चर समाप्त किया है, कुछ वी0आई0पी0 कल्चर समाप्त करने की पीड़ा भी नेता प्रतिपक्ष की होगी, क्योंकि वह लोग उसके आदी रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कभी गरीब की पीड़ा देखी नहीं तो इसलिए उनको इसकी कोई चिंता नहीं और इसीलिए वर्ष 2017 के पहले प्रदेश के अन्दर बिजली की स्थिति क्या थी यह तो किसी से छिपी भी नहीं है। यह कितने भी बड़े-बड़े दावे करें अगर उनके समय में जो पी0पी0ए0 हुए थे उनकी चर्चा करना हम प्रारम्भ कर देंगे तो बहुत सारे लोग मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पूरी तरह बिठाने की स्थिति थी, यानि कि उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो जाए इस प्रकार की स्थिति इन लोगों ने प्रदेश के अन्दर कर रखी थी, लेकिन मैं आज यह कह सकता हूं कि मार्च वर्ष 2017 में सरकार आई, अप्रैल, 2017 से ले करके अब तक सरकार ने जो वायदा किया था, उसके अनुरूप सरकार प्रदेश के अन्दर विद्युत की आपूर्ति बिना किसी भेद-भाव के सबको एक समान रूप से कर रही है। बिना भेद-भाव के ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे, नगरीय क्षेत्र में, तहसील मुख्यालयों पर जैसे तहसील क्षेत्रों में 20 घण्टे और जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकार ने करने का तय किया था और हम वैसा कर भी रहे हैं। आज बिना भेद-भाव के शासन की योजनाओं का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। पहले प्रदेश में 01 लाख 21 हजार मजरे ऐसे थे, जहाँ बिजली कभी पहुँची ही नहीं थी, लेकिन हमने वहाँ तक भी बिजली पहुँचाई है। ऐसे ही 01 करोड़ 56 लाख लोग ऐसे थे जिन लोगों को कभी बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे तो उन लोगों को बिजली के फ्री कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य वर्ष 2017 के बाद से ही प्रारम्भ हुए और आज परिणाम यह है कि सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया है, क्योंकि हमारी सरकार चेहरा देख करके नहीं, जाति, मत और मजहब देख करके नहीं बल्कि सबका साथ और सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर तबके को देना चाहती है।

महोदय, आज प्रदेश के अन्दर पीक आवर की तुलना आप वर्ष 2017 के पहले की स्थिति से करिए, उस समय प्रदेश के अन्दर पीक आवर में जो बिजली की आपूर्ति होती थी तो उस स्थिति में यह बमुश्किल 16-17 हजार मेगावॉट तक जाती थी। महोदय, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर पीक आवर में जो पावर सप्लाई हो रही है, वह 30,462 मेगावॉट की हो रही है, यानी आज उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति करने की स्थिति में है। अभी आप नये सब-स्टेशन की बात कर रहे थे तो 33/11 के 749 नये सब-स्टेशनों की स्थापना भी इस दौरान हुई है और प्रदेश के अन्दर जो इसके अलावा सब-स्टेशन स्थापित होने थे, उसमें 1528 की स्थापना प्रदेश के अन्दर की गई। अयोध्या को हम सोलर सिटी के रूप में विकसित भी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अन्दर जो निजी नलकूप के हमारे किसान हैं, हम ऐसे उन सभी किसानों को विद्युत बिल में छूट देने की कार्यवाही को बहुत तेजी से आगे बढ़ा चुके हैं, बहुत शीघ्र हम इस कार्यक्रम को लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश के निजी नलकूप वाले किसानों को इसका लाभ प्रदेश के अन्दर प्राप्त होगा।

महोदय, प्रदेश के अन्दर प्रदेश ने आज हर एक सेक्टर में प्रगति की है। खासतौर पर अगर हम लोग देखेंगे कि रूफ टॉप सोलर पावर प्लाण्ट में भी प्रदेश ने नई क्षमता और निजी निवेश के साथ कार्य प्रारम्भ किया है। साथ ही प्रदेश में अन्य क्षेत्रों जैसे आई0टी0 और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो ग्रेटर नोएडा में पहला हाइपर स्केल डाटा सेण्टर की स्थापना का कार्य सम्पन्न हो चुका है। आज हम लोग प्रदेश में तेजी के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नये रोजगारों के सृजन के काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। देश का पहला इन्लैण्ड वॉटर-वे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारम्भ हो चुका है और मुझे हाउस को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश इन्लैण्ड वॉटर-वे अथॉरिटी का गठन करने वाला देश के कुछ चुनिन्दा राज्यों में से है, जो अपनी नदियों का उपयोग वॉटर-वे के रूप में करते हुए प्रदेश के अन्दर प्रदेश को हम लोग एक एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने में और यहाँ के किसानों के प्रोडक्ट को, यहाँ के उद्यमियों के प्रॉडक्ट को भी हम आसानी से देश के पूर्वी बन्दरगाह तक पहुँचाने में मदद कर पाएँगे। इस दृष्टि से भी राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इसी प्रकार प्रदेश के अन्दर एयर कनेक्टिविटी की स्थिति वर्ष 2017 से पहले क्या थी ? 2017 से पहले प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील थे, एक राजधानी लखनऊ का दूसरा वाराणसी का और ये दोनों इण्टरनेशनल एयरपोर्ट थे।

आज महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 9 एयरपोर्ट प्रदेश के अन्दर वर्तमान में क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट्स पर हम कार्य कर रहे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट ने एक नये इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में काम करना प्रारम्भ कर दिया है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर

तैयार है। कल केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ में मेरा विजिट स्वयं अयोध्या में इस एयरपोर्ट के इन्स्पेक्शन का है। फाइनल इन्स्पेक्शन करने के बाद फिर वहाँ पर वायुसेवा हम अयोध्या के लिए प्रारम्भ करने जा रहे हैं। जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी के साथ बन रहा है और हमारा प्रयास है कि फरवरी, 2024 में पहला रन-वे हम वहाँ उड़ान के लिए तैयार कर सकेंगे। यह प्रदेश के अन्दर नये भारत के नये उत्तर प्रदेश में हम सब देख सकते हैं। महोदय, प्रदेश ने आज जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बहुत तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी यहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इन चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया होता, क्योंकि इन सभी हवाई अड्डों का उपयोग कभी-कभी वह भी करते हैं और यदि करते हैं तो उसके बाद उनको इसके लिए कम से कम थैंक्स तो करना ही चाहिए, लेकिन थैंक्स न करके केवल हरेक कार्य में सदन के सामने झूठे/असत्य आंकड़े प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं, यह बड़ी अफसोसजनक स्थिति है।

महोदय, हम प्रदेश के अन्दर शिक्षा या खेल के सेक्टर को ही देखेंगे अभी एशियन गेम्स हुए हैं। एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने जो मेडल प्राप्त किए हैं। कुल 107 मेडल एशियन गेम्स में प्राप्त किए हैं और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल प्राप्त किए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश की 16 फीसदी आबादी प्रदेश में रहती है और 25 फीसदी मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश के लिए जीते हैं (मेजों की थपथपाहट)। रिजल्ट क्या है आपका एक औपचारिकता निर्वहन के लिए नहीं है हम रिजल्ट पर फोकस करते हुए कार्य कर रहे हैं। 2017 के पहले के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों की स्थिति, उनमें शिक्षकों की स्थिति, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति और 2017 के बाद बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, व्यवसायिक शिक्षा हो या फिर मेडिकल एजुकेशन हो, (चिकित्सा शिक्षा) हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप देखेंगे वर्ष 2017, 2017 के पहले और 2017 के बाद तो बहुत अन्तर स्पष्ट दिखेगा। 2017 के पहले जैसी सरकार थी वैसी ही संस्थाएँ भी थीं जैसी दिशाहीन सरकार थीं दिशाहीन संस्थाएँ भी उसी प्रकार से चल रही थीं, लेकिन वर्ष 2017 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला है। आप जाइये ना हमें प्रसन्नता होती है जब हमारा मा0 विधायक वहाँ जाता है, बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में जाकर देखता है उसका रंग-रोगन देखता है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था देखता है, पेयजल की व्यवस्था देखता है, वहाँ फ्लोरिंग देखता है, स्मार्ट क्लास देखता है, फर्नीचर देखता है। नंगे पैर प्रदेश के बच्चे नहीं जाएंगे। 1 करोड़ 91 लाख जो बच्चे हैं आखिर वह गरीब, किसी दलित, किसी पिछड़े और किसी गरीब परिवार के ही बच्चे होंगे। क्या कारण है 2017 के पहले उनको क्यों नहीं जूते-मोजे मिल पाये, क्यों नहीं तब अच्छी यूनीफार्म मिल पायी थी और सर्दी के समय

वह बच्चे जाड़े से ठिठुरते थे, क्यों नहीं स्वेटर के पैसे तब उनको मिलते थे, लेकिन ये सब कभी भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं थे। यह तो इनका मुद्दा है जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो एक ही ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है 'जाति' और जब 'जाति' की बात आती है तो उसके बाद वह घूम-फिरकर परिवार पर आ जाता है। फिर परिवार से उबर नहीं पाएंगे, लेकिन महोदय यह कभी भी उसके बारे में तब नहीं सोचे थे कि नकल विहीन परीक्षा हो...

इसके लिए अच्छे शिक्षक तैनात हों, यह उनकी चिंता का विषय नहीं था । जो हमारी एक कमिश्नरी है, कमिश्नरी स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। इनका एक मंत्री विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा था, उनके लिए इन्होंने मानक तय किये 10 एकड़ और वहीं पर एक और सज्जन विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे थे तो उनको कहा कि 100 एकड़ भूमि लाओ, तब तुम्हें हम विश्वविद्यालय की मान्यता देंगे। अध्यक्ष जी, यह कौन से मानक हैं ? यह सरकार चल रही है या जबरदस्ती वाली सौदेबाजी कर रहे हैं आप ? सरकार भेद-भाव नहीं कर सकती, एक मानक तय करिए, एक पॉलिसी बनाइये, उस पॉलिसी के दायरे को लेकर आप कार्य करेंगे तो लोगों को सन्तुष्टि होगी। उस मानक को जो पूरा करेगा, हम उसको मान्यता देंगे, नहीं पूरा करेगा तो जहां पर कोई नहीं आ रहा है, वहां सरकार जायेगी। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी के नाम पर विश्वविद्यालय की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उनमें नये सत्र प्रारम्भ हो चुके हैं और महाराज सुहेलदेव के नाम पर भी हमारा एक विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन रहा है, सत्र प्रारम्भ हो चुका है और विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 के बजट में भी हमने 3-4 नये विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही को हमने आगे बढ़ाया है। यह चारों विश्वविद्यालय हैं, एक माँ विन्ध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर में, एक माँ पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर में और एक मुरादाबाद में। यह तीनों अनसेचुरेटेड कमिश्नरी थी, लेकिन कृषि बाहुल्य क्षेत्र और गन्ना की दृष्टि से व अन्य कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध के नाम पर भी एक नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया है। यह सरकार के विजन का और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। आखिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहले भी तो प्रदेश में बननी चाहिए थी।

मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। प्रदेश में फार्मा पार्क की स्थापना हो। ललितपुर में हम कार्यवाही कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, यमुना अथॉरिटी में इसका भी निर्माण का कार्य वृहद् स्तर पर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा नेता विरोधी दल को इन सबमें रुचि कम होती है क्योंकि समय

नहीं निकल पाता है। महोदय, मैं आप सबसे अपील करूँगा और सभी माननीय सदस्यों से कि राज्य सरकार और श्रम विभाग के बी0ओ0सी0 बोर्ड ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम लोगों ने श्रमिकों के बच्चों के लिए, बड़ी-बड़ी डींगें हाँक रहे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसा लगता था इनकी बातों से जैसे कि उन्होंने केवल एक बात नहीं की, कि चंद्रयान का भी गठन सैफई में हुआ था, यह बोलना भूल गये बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ वह बोल ही चुके थे। अटल आवासीय विद्यालय इसमें मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि एक बार विजिट जरूर करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में उन बच्चों के साथ संवाद किया था। अच्छा होगा आप भी जाइये। इसमें बी0ओ0सी0 बोर्ड से रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे भी हैं। कोरोना कालखण्ड में जो लोग अनाथ हुए थे, जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया था, वह बच्चे भी हैं, उन्हें सरकार ने मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के साथ भी जोड़ा हुआ है। उन्हें 4 हजार रुपये हर महीने सरकार दे रही है। उन सभी बच्चों का वहां प्रवेश किया गया है। 18 कमिश्नरी में 18 विद्यालय हैं और यह 18 के बाद आज हम लोग प्रत्येक जनपद में उसी तर्ज पर अन्य बच्चों के लिए भी उस प्रकार के स्कूल खोलना चाहते हैं जो संचालित होंगे और फिर हम इसको धीरे-धीरे करके प्रदेश के अन्दर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य की तरफ अगर हमें आगे बढ़ना है, तो वास्तव में कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक वह अपनी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित नहीं करेगा और अटल आवासीय विद्यालय उसका एक मॉडल विद्यालय बन रहा है। एक बार जाइये वहां पर, उसके स्टैण्डर्ड को देखिए एक बार। मैं अपील करूँगा कि एक बार आप जरूर विजिट करिए।

आपसे भी और आपसे भी कहूंगा, क्योंकि सब श्रमिकों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, उन्हें जाति और मजहब में मत बांटो वे प्रदेश की अमानत हैं, अगर आप वहां थोड़ा भी ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश के अन्दर इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग 57 जनपदों के लिए धनराशि जारी करने जा रहे हैं। 18 जनपदों के बाद जो शेष जनपद हैं उनमें भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। 57 जनपदों में हम मुख्य मंत्री कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अन्दर लगभग हर विकास खण्ड पी0एम0 श्री विद्यालय के रूप में आच्छादित होने जा रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अन्दर अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है। प्रदेश में छः, साढ़े छः वर्ष के अन्दर हमने लगभग छः लाख यूथ को सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अन्दर एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को सुदृढ़ करने का जो परिणाम हमारे सामने आया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

कोरोना कालखण्ड में 40 लाख कामगार और श्रमिक यू0पी0 में आया था। 40 लाख श्रमिक और कामगार के लिए प्रदेश के अन्दर रोजगार की व्यवस्था कहां से होगी, एम0एस0एम0ई0 यूनिट ने उन्हें काम दिया था। ढेर सारे लोगों ने अपने-अपने यहां जहां पर वे समायोजित हो सकते थे और आज वे सभी वहां पर काम कर रहे हैं। ये उदाहरण है कि जिन राज्यों से कामगार और श्रमिक आये उन राज्यों की इकोनॉमी पर असर पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आये तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बढ़ोत्तरी हुई। हर व्यक्ति हमारे लिए बहुमूल्य है, उत्तर प्रदेश के लिए उसका कंट्रीब्यूशन है, वह काम कर रहा है। उत्तरकाशी में जो हमारे श्रमिक बन्धु टनल दुर्घटना में फंस गये थे, उन्हें वहां से निकालने के लिए जिस तत्परता के साथ रेस्क्यू आपरेशन किया गया उसके लिए अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और रेस्क्यू आपरेशन में लगी हुई पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। अब तक ऐसे ढेर सारे मामले हुए हैं, लेकिन इस आपदा में रेस्क्यू कार्य जिस धैर्य के साथ किया गया वह अपने आपमें एक उदाहरण है। इसमें 8 लोग यू0पी0 के थे, मैंने आज उनसे सम्वाद किया। यह घटना 12 को वहां घटित होती है और 13 को उत्तर प्रदेश शासन का एक प्रतिनिधि वहां मौजूद हो जाता है और वह लगातार उत्तराखण्ड और भारत सरकार के अधिकारियों और कम्पनी से जुड़े हुए लोगों के साथ में सम्वाद करता है। आज वे सभी श्रमिक वापस आये हैं, जिनमें 6 श्रावस्ती के, एक लखीमपुर खीरी का और एक मिर्जापुर का है, ये 8 लोग हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का एक नौजवान इंजीनियर के रूप में वहां काम कर रहा था, जो टनल के अन्दर फंसा हुआ था जिसने उन लोगों के सम्बल को बांधने में प्रधानमंत्री जी के संदेश को, वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी के सन्देश को और अन्य अधिकारियों के संदेश को उन लोगों तक पहुंचाया। टनल के अन्दर रहते हुए भी उनकी सामान्य दिनचर्या बाधित न हो, लोगों का मनोबल न टूटे इसके लिए वे लगातार वहां काम करते रहे। उन्होंने वहां योग की क्लास भी चलाई। उनका अभिनन्दन किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आज उन्हें मुख्य मंत्री आवास पर बुला करके उनका अभिनन्दन किया और इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया कि हमारी डबल इंजन की सरकार है जो बिना भेद-भाव के कार्य करती है। इन सभी श्रमिकों के हितों के लिए सरकार पहले ही संवेदनशील है और आगे भी सरकार उसी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी और उसी संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने वहां पर उन लोगों के लिए काम किया।

महोदय, प्रदेश प्रदेश के अन्दर स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अब तक हम लोग 20 लाख नौजवानों को टेबलेट और स्मार्ट फोन दे चुके हैं और 2 करोड़ युवाओं को हम इस लक्ष्य की तरफ ले करके जाने का कार्य कर रहे हैं और विभाग ने इसमें बजट की भी व्यवस्था पहले से कर रखी है। 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप

वर्तमान में प्रदेश के अन्दर संचालित हो रहे हैं। मुख्य मंत्री इण्टर्नशिप स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में एक लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम लोगों ने विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत जोड़ा है, जिसमें मानदेय राज्य सरकार भी देगी, उद्यम भी देंगे और युवाओं के पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जब वह कहीं नौकरी के लिए जायेगा तो वह उसके पास होगा। लेकिन उस दौरान राज्य सरकार का प्रोत्साहन भी उसके साथ में होगा। इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने जोड़ा है। प्रदेश के अन्दर अन्य क्षेत्रों में भी नये रिफार्म किये जा रहे हैं। चाहे वह डेढ़ सौ, जो हमारे गवर्नमेण्ट आई0टी0आई0 हैं, टाटा ट्रस्ट के साथ मिल करके न्यू एज कोर्सेज उसमें हम दे रहे हैं, हम उनके साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज को चलाने की कार्यवाही कर रहे हैं और अन्य संस्थान भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रदेश में एक नई खेल नीति भी आई है। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की कार्यवाही को भी हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। महोदय, आपने एशियन गेम्स में देखा होगा कि एक लड़की पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीती और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप तो चीन की खिलाड़ी से पीछे चल रही थीं। उन्होंने कहा कि मैं चल रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं तो पिछड़ रही हूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की डिप्टी एस0पी0 का पद याद आ गया और मैंने छलांग लगाई और चीन का खिलाड़ी पिछड़ गया और मैं आगे आ गई, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। महोदय, हम लोग उन सभी खिलाड़ियों के अभिनन्दन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं।

(सदस्य श्री इकबाल महमूद के द्वारा श्री मोहम्मद शमी का नाम लेने पर)

हाँ सभी का, वहाँ हम लोग स्टेडियम दे रहे हैं। वह मुझे मालूम है। आप तो आज यहाँ बोल रहे हैं। आप तो यहाँ बोल रहे हैं। हमारी टीम वहाँ विजिट करके आ गई है। महोदय, 479 खिलाड़ियों को अब तक हम लोग प्रदेश में सर्विस दे चुके हैं और बाकी अन्य खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने इस कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। आज प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रों में भी इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अन्दर बढ़ा रही है और बिना भेद-भाव के सरकार इसको आगे बढ़ायेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष स्मार्ट सिटी की चर्चा कर रहे थे। अपने समय में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, हमारे शहर गन्दगी के पर्याय थे, कोई दीर्घकालीन नगरीय योजना इनके पास नहीं थी। मेट्रो और आर0आर0टी0एस0 एक सपना था। रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में चले, समाजवादी पार्टी सरकार ने एन0ओ0सी0 नहीं जारी की, नहीं दी, चाहते ही नहीं थे, कहते थे, इसकी आवश्यकता क्या है, यानी रैपिड रेल की इनको आवश्यकता ही नहीं थी और महोदय सेफ सिटी तो इनके लिए एक सपना ही था। महोदय, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश के शहर भी आज देश की रैंकिंग में स्थान बनाते हैं, स्वच्छता की रैंकिंग में स्थान बनाते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) महोदय, सेफ

सिटी में बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के 18 सिटी सेफ सिटी घोषित होने वाले हैं और इसमें गृह विभाग, नगर विकास विभाग, हमारे प्राधिकरण के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका है, वे भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

मान्यवर, अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, शाहजहांपुर यह नये नगर निगम भी इस सरकार में बने हैं। 113 नये नगर निकायों का गठन भी हुआ है। 10 स्मार्ट सिटी में इन्टीग्रेटेड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर क्रियाशील हो चुके हैं और शेष 8 तेजी के साथ बन रहे हैं। हम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ायेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे जो नये नगर निकाय आये हैं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुये ज्यादा क्षेत्र थे तो उनके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशनल नगरीय योजना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। 100 ऐसे नगर निकायो को हम इसमें ले रहे हैं, जिसमें 100 प्रदेश के अन्दर विकास खण्डो को ले रहे हैं और 100 जिस पर तेजी के साथ कार्य प्रारम्भ हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर नगरीय परिवहन में, यह तो पहले ही बोल लेते हैं यानी उनको पता ही नहीं है, लेकिन हर चीज को बोल लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष का अपना तरीका है, लेकिन खैर आज प्रदेश के अन्दर मेट्रो संचालन की जिससे प्रदेश ने काफी अच्छी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, कानपुर मेट्रो के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या किया था, आगरा की क्या स्थिति है, आगरा की प्रोग्रेस किसी से छिपी हुयी नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग फरवरी में प्रायरिटी सेक्टर पर मेट्रो का संचालन आगरा के अन्दर करने में सफल हो जायेंगे और इसी प्रकार से कानपुर के अन्दर भी जो सेकेण्ड फेज का कार्य है, उसको भी हम लोग वहाँ पर उस कार्य को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मान्यवर, इसके अलावा प्रदेश में आर0आर0टी0एस0 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसके प्रायरिटी सेक्टर का उद्घाटन किया है और बहुत शीघ्र दिल्ली-मेरठ के बीच में रैपिड रेल का संचालन होगा जो देश की पहली रैपिड रेल होगी। यह प्रदेश के अन्दर पहली इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। प्रदेश के अन्दर आज 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं और बड़ी डिमाण्ड है तेजी के साथ हम इस मॉडल को आगे विकसित करने जा रहे हैं। नये इलेक्ट्रिक वाहन की एक नई पॉलिसी के साथ हम लोग आये है और हमारा प्रयास है कि इस सीजन में हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ सदन में भी पहले दिन इस बात की चर्चा हुयी थी, यह क्वालिटी इन्डेक्स में देश के अन्दर दुनिया के अन्दर एक चिंता का विषय है, लेकिन इसको कन्ट्रोल करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिक सुविधायें तो विकसित हों, लेकिन साथ-साथ हमारे भी अपने क्या प्रयास होने चाहिए और इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो नई पॉलिसी है, इस पॉलिसी में 1 लाख से अधिक ऐसे वाहनों को जो स्कूल बसेज हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुयी ऐसी बसेज हैं जिनके कारण प्रदूषण ज्यादा होता है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश के अन्दर पी0एम0 स्वामित्व योजना में अब तक हम लोग 60 लाख से अधिक परिवारों को जहाँ पर उसका मकान है, वहीं पर हम लोगों ने उन्हें उस मकान का स्वामित्व भी दिया है, यानी उस भूमि का मालिकाना अधिकार भी उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। सवा करोड़ ऐसे परिवार थे जिनके पास जहाँ उनका मकान था वहाँ उनको उनका मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं था। हमारा प्रयास है कि दिसम्बर, 2023 तक इन सभी सवा करोड़ परिवारों को जहाँ पर उनकी झोपड़ी और उनका पुस्तैनी मकान रहा होगा, वहाँ पर उनको पी0एम0 स्वामित्व योजना के अन्तर्गत मालिकाना अधिकार हम उनको उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। सारे सर्वे के कार्य पूरे हो चुके हैं। तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नेता विरोधी दल अक्सर नई-नई बातों को कहते हैं और अब उनको पी0डी0ए0 की बात करते हैं।

प्रदेश के अन्दर जो मुसहर थे, ये पीडीए का पार्ट हैं या नहीं हैं। नेता विरोधी दल को नहीं मालूम होगा, थोड़ा बताया करो भाई। मुसहर नहीं मालूम होगा, थारू भी पता नहीं होगा, चेरो नहीं मालूम होगा, वनटांगियां के बारे में भी नहीं जानते होंगे, बैगा, सहरिया इन सभी के बारे में सम्भवतः नहीं जानते होंगे, क्योंकि है क्या कि बचपन में रास्ता थोड़ा गलत हो गया था, काका ने रास्ता सही नहीं दिखाया।

सत्ता पक्ष की ओर से-

शुतुरमुर्ग वाले देश से पढ़कर आये हैं।

विपक्ष की ओर से-

सैनिक स्कूल से पढ़े हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

चाचा आज उसका फल भोग रहे हैं, अगर सही रास्ता दिखा देते तो सम्भवतः आज आपको यह सजा नहीं देते। पहली बार महोदय मुसहर, वनटांगिया, थारू, चेरो, कोल, सहरिया ये जितनी भी जनजातियां हैं ये अन्तिम पायदान पर बैठे हुए लोग थे। इनको कोई नहीं पूछता था, हैण्ड-टू-माउथ थे, इनको जमीन का पट्टा, इनके लिए आवास, जहां आवश्यकता पड़ी वहां पर आवास की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य तेजी के साथ किया गया, बच्चों को स्कूल भेजा गया, उनके लिए राशन कार्ड बनाये गये, वहां तक बिजली पहुंचायी गयी। आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों संवेदनशील सरकारें हैं और दोनों बिना भेद-भाव के शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है और उस गरीब को न्याय दिलाना सरकार का काम है। सरकार ने उनको आवास की सुविधा दी है,

उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य आज सरकार कर रही है और सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, वह सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अन्दर अन्य योजनाओं में भी राज्य सरकार ने तेजी के साथ काम किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 4 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, 9290 के आस-पास अमृत सरोवरों का निर्माण, लुप्तप्राय नदियों के पुनरोद्धार का कार्य, प्रदेश के अन्दर महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हो या फिर नई तकनीक के माध्यम से प्रदेश का कायाकल्प करने का कार्य हो, इन सभी सेक्टर्स में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।

महोदय, कृषि उत्पादन में भी अगर आप देखेंगे तो 2017 से पहले पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी, आज 2 करोड़ 61 लाख हमारे अन्नदाता किसान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष 6 हजार रुपए उनके एकाउण्ट में आ रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 59 हजार 139 करोड़ रुपए सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुके हैं। बाणसागर परियोजना हो, अर्जुन सहायक हो, सरयू नहर परियोजना हो, इन सभी को पूरा करते हुए अन्नदाता किसानों को उसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 2012 से 2017 के बीच केवल 94 लाख मीट्रिक टन इन्होंने गेहूं क्रय किया था जिसमें से 12 हजार 800 करोड़ रुपए का भुगतान किया और महोदय 2017 से अब तक 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ है, जिसमें 41299 करोड़ रुपये को सीधे अन्नदाता किसान के खाते में, यानी 4 गुना पैसा यह उसकी तुलना में है। धान वर्ष 2012-2017 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 17190 करोड़ रुपये भुगतान सपा सरकार में हुआ था और वर्ष 2017 से अब तक 345.59 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया, जिसमें 63927 यानी तीन गुना से अधिक, प्रोक्योर भी होना और भुगतान भी होना, यह अन्नदाता किसान के अकाउण्ट में हुआ है। महोदय, इसके अलावा चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान की बात है, वर्ष 2012-2017 के बीच चीनी मिलें बन्द हुयीं, औने-पौने दाम पर बेची गयीं और 80 हजार करोड़ रुपये किसानों को भुगतान हुआ था। वर्ष 2017 से अब तक 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। आज 119 चीनी मिलें चल रही हैं, 100 मिलें 10 दिन में अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं।

महोदय, प्रदेश के अन्दर जल जीवन मिशन में वर्ष 2017 के पहले केवल 5 लाख 16 हजार परिवार ऐसे थे जिनको नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता था। वर्ष 2017 के बाद 1 करोड़ 85 लाख परिवार ऐसे हो चुके हैं, जिनको हम नल से शुद्ध पेय जल उपलब्ध करवाने के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है, देश के अन्दर आज हम इस क्षेत्र में आगे हैं। अन्य सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे फसल बीमा

योजना में अगर हम देखेंगे वर्ष 2012-17 के बीच में कम्पनसेशन में भी भेद-भाव होता था, समय से मिलता ही नहीं था या किसी भी अन्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लागू करने का कार्य हो या गौवंश संरक्षण के बारे में हो। यह गौवंश संरक्षण के लिए कह रहे थे कि इसके लिए केवल 100 करोड़ रुपये दिये जा रहे है, यह सच नहीं है महोदय, यह पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि चौधरी साहब के वक्तव्य को अगर उस दिन आपने सुना होता, तो सम्भवतः आज यह प्रश्न आप मुझसे नहीं कर रहे होते, 11 लाख गौवंश का संरक्षण यह डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे मूल बजट में 3 हजार करोड़ रुपया है, लेकिन आपको चिंता गौवंश की नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खाने के बन्द होने की है कि बूचड़खाने कैसे बन्द हो गए। महोदय, इसलिए 11 लाख 79 हजार गौवंश आज के दिन में सरकार के द्वारा संचालित हैं।

श्री लालजी वर्मा-

एक जगह आप दौरा कर लीजिएगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं बहुत जगह जाता हूं, आप तो वर्मा जी अम्बेडकरनगर में रहते होंगे, आप बड़े आदमी हैं जाते नहीं होंगे। लेकिन हम लोग तो गौपालन भी करते हैं और गौ-सेवा भी करते हैं, दोनों काम करते हैं और हमें कोई संकोच नहीं होता है। भारत की कृषि व्यवस्था गौ-आधारित ही थी, गौ-आधारित कृषि व्यवस्था जब तक थी, धन-धान्य से परिपूर्ण यह देश था और आज जब प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो वह गौ-आधारित खेती ही है, जो जीरो बजट की खेती है, जो देश को भी बचाएगी और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाने में वह सहायक होगी। इसलिए उधर जाना ही होगा और प्राकृतिक खेती उसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है। महोदय, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी सरकार ने कुछ मील के पत्थर गढ़े हैं, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी विधायक के क्षेत्र में जाता हूं, तो वहां से एक सकारात्मक जवाब आता है, जवाब इस बात का आता है कि साहब हमारे यहां पर यह पर्यटन केन्द्र है, यह मुख्य मंत्री सहभागिता के अन्दर बन रहा है और कल एक बिल यहां पर इस मा0 सदन ने पास किया है, जिसमें एक सहभागिता योजना भी लेकर आई है पर्यटन विभाग।

जिसमें किसी भी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए अगर मा0 विधायक अपनी निधि से पैसा दे रहा है, तो आधा पैसा सरकार उसके साथ जोड़ेगी और मा0 विधायक की संस्तुति पर वहाँ पैसा दिया जायेगा और यह कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन वर्ष 2017 के पहले विरासत के प्रति सम्मान का भाव हो, यह नहीं था, उनको विरासत की चिंता नहीं थी। वर्ष 2017 के पहले उनको कब्रिस्तान की चिंता थी। वर्ष 2017 के

पहले चिन्ता किसी अच्छे पर्यटन केन्द्र के रूप में किसी चीज को विकसित कर सकें, उसके बारे में चिंता नहीं थी । महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 के पहले डोमेस्टिक इण्टरनेशनल टूरिज्म में काफी पीछे था। असुरक्षा और दंगों के कारण यहाँ कोई आना भी नहीं चाहता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सारे आंकड़ों को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश नम्बर-1 पर पहुँच चुका है (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। महोदय, प्रयागराज में हुए भव्य और दिव्य कुम्भ को हर व्यक्ति जानता है। तीर्थ विकास परिषदों का गठन करके हम उन तीर्थों के उनके भव्य स्वरूप को, उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए उसको विकसित करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसमें ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद्, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद्, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद्, शुक तीर्थ विकास परिषद्, देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् व नैमिष भी है। ये सभी तीर्थ विकास परिषदों के गठन की कार्यवाही को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और पर्याप्त धनराशि इन सभी कार्यों के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध कराया है। प्रदेश के अन्दर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा, वृंदावन में पर्यटन विभाग द्वारा हेलीपैड के निर्माण कार्य को भी हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

महोदय, श्रृंगवेरपुर में, आपने डा0 संजय निषाद की बात को नहीं सुना होगा। निषादराज पर्यटन स्थल और बहराइच में महाराज सुहेलदेव स्मारक का निर्माण। महोदय, इसके अलावा प्रदेश के अन्दर नैमिष में वेद विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के साथ ही आज प्रदेश के अन्दर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण भी हो रहा है। इसके कार्य को भी हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। बिदुर कुटी पर भी कार्य हो रहा है, हस्तिनापुर में भी कार्य हो रहा है।

महोदय, प्रदेश के अन्दर मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में भी (विपक्ष के किसी सदस्य के कुछ बोलने पर) अभी मैं पुराने पर भी आऊँगा कि वर्ष 2017 के पहले क्या स्थिति थी और वर्ष 2017 के बाद क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। यहाँ 75 जिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' की तरफ जा रहा है।

पहले की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। मैंने परसों भी कहा था कि वर्ष 2017 के पहले जिस तरह की अराजकता थी, न दवा थी, न डॉक्टर थे, न पैरामेडिक्स थे। सब कुछ अस्त-व्यस्त था। आज उसमें काफी हद तक नियंत्रण करने और उसको लाइनप करने का काम किया गया है और मैं कह सकता हूँ कि तेजी के

साथ इसमें सुधार हो रहा है और सरकार ने जो रिफार्म किए हैं, उसके परिणाम बहुत तेजी के साथ सामने आएंगे।

महोदय, आज बिना भेद-भाव के शासन की योजना का लाभ, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना हो या केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जुड़ी हुई हर योजना का लाभ प्रदेश के अन्दर हम लोग हर एक लाभार्थी तक उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि भारत सरकार के 'आयुष्मान भवः' अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।

आयुष्मान भारत योजना में 3432 हॉस्पिटल इस प्रदेश के ऐसे हैं जो इम्पैनल्ड हुए हैं। इसमें से अब तक 21 लाख 98 हजार लोग सीधे-सीधे लाभान्वित हुए हैं, यानी जिन्होंने 05 लाख रुपये की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त करने के बाद इन लोगों ने इस पर कार्य किया है और मुझे लगता है कि बाकी इस सेक्टर की चर्चा तो बाद में होगी।

इन्सेफेलाइटिस तो स0पा0 के समय का सबसे बड़ा नजारा था, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चे तड़प-तड़प कर मरते थे। आखिर वह भी तो किसी गरीब के बच्चे रहे होंगे, वह भी किसी दलित के, किसी पिछड़े के बच्चे रहे होंगे, तब याद नहीं आयी थी। महोदय, 40 वर्ष में 50 हजार बच्चों की मौत इन्सेफेलाइटिस हुई है। आज मैं कह सकता हूँ कि यह डबल इंजन की सरकार है, इन्सेफेलाइटिस को कोरोना की तरह पूरी तरह से नियंत्रित किया जा चुका है। आज किसी बच्चे की मौत नहीं होती है, क्योंकि हर बच्चा हमारा भविष्य है, राज्य का, देश का भविष्य है। हमने उसको जातीय नजरिये से नहीं देखा है। हमारे लिए वह हमारी अमानत है। प्रदेश का, देश का भविष्य है। यह सरकार उसके संरक्षण के लिए वह सब कुछ करेगी जो हो सकता है। हम लोग लड़े, अन्तर्विभागीय समन्वय बेहतर प्रबन्धन से रिजल्ट हमारे सामने है। इन्सेफेलाइटिस पूरी तरह से समाप्त है। मलेरिया के मामले न्यूनतम स्तर तक लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने का काम किया है। कालाजार और चिकनगुनिया को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने का काम किया है और कोरोना के बारे में तो कहना ही क्या है। कोरोना तो पूरी तरह से समाप्त ही है। महोदय, हम रिजल्ट को फोकस करते हुए कार्य करते हैं। ये लोग हवा में तीर छोड़ने का काम करते थे। इनके पास फुर्सत ही नहीं थी, इनको जानने की फुर्सत ही नहीं थी। इन्सेफेलाइटिस से बच्चे तड़पते थे, कोई पुरसाहाल नहीं था और उस समय महोदय जिस प्रकार की स्थितियाँ थीं वह किसी से छिपी हुई नहीं हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भारत सरकार 250 उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहती थी। लेकिन स0पा0 की सरकार ने नहीं लिया। 2017 में जब हम लोग आये तो हम लोगों ने फिर उस योजना को प्रदेश के अन्दर हेल्थ ए0टी0एम0 की सुविधा को हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है और आज अन्य तमाम मामलों में भी प्रदेश

सरकार तेजी के साथ आगे करने का काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। महोदय, सामाजिक सुरक्षा में 2017 के पहले हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। विकास का पैसा यहाँ किसी लाभार्थी के लिए जाता था तो बन्दरबाँट शुरू होती थी। आज मैं कह सकता हूँ कि पारदर्शी व्यवस्था के कारण जीरो लीकेज के लक्ष्य को डी0बी0टी0 के माध्यम से हम लोगों ने अचीव किया है। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अन्दर आवास, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रोक्योरमेंट की बच्चों के यूनिफार्म, स्टेशनरी या फिर अन्य किसी लाभार्थीपरक् योजना का लाभ डी0बी0टी0 से देने का परिणाम क्या है कि प्रदेश के अन्दर हम लोग 54,50,000 गरीबों को एक-एक आवास देने में सफल हुए हैं। 1,08,000 मुख्य मंत्री आवास योजना दिये गये हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्य मंत्री आवास योजना को मिलाकर देखेंगे तो 55,58,000 परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में शौचालय बनाने का काम भी डी0बी0टी0 के माध्यम से दिये गये पैसे के माध्यम से सम्पन्न हुआ है। निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन लगभग 01 करोड़ परिवारों को एक हजार रुपये हर त्रैमासिक उनके खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से पैसा जाता है, उनको कहीं दौड़-धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी 2 लाख, 55 हजार, 679 जोड़ों का विवाह, जिसमें 51 हजार की राशि प्रत्येक विवाह के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उन गरीबों को उपलब्ध करवाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा शादी अनुदान में 3,85,514 लाभार्थियों के लिए भी अलग से धनराशि दी गयी है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए पी0एम0 स्वनिधि योजना में भी प्रदेश के 10,33,000 स्ट्रीट वेंडरों को 1190 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का कार्य हो रहा है। पटरी व्यवसायियों के लिए भी सरकार के स्तर पर कार्य हुआ है। वर्ष 2017 के पहले गरीबों को मिलने वाला राशन खाद्यान्न माफियाओं की भेंट चढ़ जाता था। सरकार को फुर्सत ही नहीं थी। बहुत सारी जगह तो सरकार से जुड़े हुए लोग ही इसमें लिप्त थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को ई-पॉज मशीन के माध्यम से राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश के अन्दर प्राप्त हो रहा है। ''वन नेशन, वन राशन कार्ड'' योजना लागू करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कोई भी कामगार, वह किसी भी जिले का हो, अगर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य में गया है तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड से वह वहां भी राशन ले सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन राशन कार्ड, वन नेशन, वन राशन कार्ड के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर राशन कार्ड दिया है। साथ ही साथ उचित दर की जो हमारी दुकानें हैं, इनको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की

कार्यवाही हम लोगों ने की है। सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है। 1 करोड़ 75 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी ने फ्री में सिलेण्डर दिये थे। यह लोग उन गरीबों को पिटवाते थे, लाठी मारते थे, त्यौहार फीका हो जाता था। पहले तो दंगे होते थे और उसमें भी अगर कुछ बच गया तो यह लोग पिटवाते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने कहा था कि हम दीपावली और होली में फ्री सिलेण्डर देंगे, सिलेण्डर मिल गया है। एक सिलेण्डर का पैसा दे दिया है, होली का भी दे दिया जाएगा। सभी लोग ले लें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।

प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने अन्य योजनाओं के साथ-साथ मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म लेने से लेकर बेटी एक वर्ष की होगी, बेटी पहली कक्षा में जाएगी, बेटी छठी कक्षा में जाएगी, बेटी नवीं कक्षा में जाएगी, क्रमिक रूप से जन्म लेने से लेकर शादी-विवाह योग्य होने तक राज्य सरकार ने उसके लिए पैकेज की घोषणा की है। अब तक इसमें 17,53,000 बेटियां लाभान्वित हो चुकी है। प्रदेश के अन्दर बाल सेवा योजना के अन्तर्गत कोरोना कालखण्ड में या अन्य समय में अगर किसी बच्चे ने अपने अभिभावक को खोया है तो ऐसे 13,280 बच्चों को हम अलग से 4,000 रुपये प्रति माह उनके भरण-पोषण के लिए स्कॉलरशिप के रूप में दे रहे हैं, जिससे वह आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अन्तर्गत इससे पहले या किसी अन्य कालखण्ड में जो बच्चे निराश्रित हुए हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे 16,207 बच्चों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। प्रदेश के अन्दर अन्य योजनाओं में बैंकिंग करेसपॉन्डेन्ट सखी, बैंकिंग ऐट योर डोर, इस कार्यक्रम को भी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रदेश के अन्दर अन्य कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को पिछले छः-साढ़े छः वर्ष के अन्दर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है, इसीलिए नयी मदों में धनराशि उपलब्ध कराने के लिए इस अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी थी। इस अनुपूरक बजट में हम लोगों ने जिन 100 योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था की है, इसमें स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी यानी रीजनल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी के गठन के लिए भी हम लोगों ने इस अनुपूरक बजट में धनराशि का प्राविधान किया है। कमिश्नरी स्तर पर सभी प्रकार के मण्डलीय कार्यालयों को एक छत के नीचे, एक बिल्डिंग के नीचे लाने के लिए अभियान के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिससे एक छत के नीचे किसी भी लाभार्थी को सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसकी शुरुआत हम लोग वाराणसी और गोरखपुर से करने जा रहे हैं। सभी 75 जनपदों के लिए भी एक व्यवस्था, एक सिस्टम को क्रिएट करने की कार्यवाही को हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा 17 नगरीय क्षेत्रों नोएडा और मऊ में सिस्टम स्टैथनिंग के कार्यों के लिए भी धनराशि का प्राविधान इसमें किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में जिन गरीबों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं वहाँ तक विद्युत लाइन पहुँचाने के कार्य को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। एन0सी0सी0 एकेडमी की स्थापना का कार्य हो, नयी बसों के क्रय करने का कार्य हो या फिर भी अन्य कार्य हों, उन सभी कार्यों के लिये भी प्रदेश सरकार ने इस सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में व्यवस्था की है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जिन्हें हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। महोदय, प्रदेश का परसेप्शन बदलने का परिणाम क्या था, प्रदेश के युवाओं या प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का जो संकट था, आज वह दूर हो चुका है। आज वह कहीं जाता है तो सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर तथा दुनिया के अन्दर आज एक ब्रांड बन चुकी हैं जैसे 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अन्दर फोकस किया है। 'वोकल फॉर लोकल' अर्थात् आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना, उनके कामगारों और श्रमिकों को प्रोत्साहित करना और इस पर कार्य हो रहा है। प्रदेश के अन्दर ग्राम सचिवालय की व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत गाँव के अन्दर एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। ग्राम सचिवालय तथा एस्पिरेशनल विकास खण्ड के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्य मंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यह उत्तर प्रदेश की ऐसी योजनाएं थीं जो आज देश के अन्दर काफी हाइलाइट हुयी हैं और काफी लोगों ने इसके मॉडल को देखने के लिये भी प्रयास किया है।

महोदय, 2017 के बाद जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आज नम्बर एक पर है, उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में गरीबों के अकाउण्ट बैंकों में खुलवाने में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, इसमें उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। स्वच्छ भारत अभियान में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में गरीबों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है और देश के अन्दर सर्वाधिक चीनी मिलों को संचालित करने तथा सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने और सर्वाधिक एथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदेश के लोगों को, अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ देने वालों में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' योजना, 'आयुष्मान भव' अभियान यह सभी राज्य सरकार की वह योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज नम्बर एक पर है और भारत

का पहला राज्य है जो रैपिड रेल अपने यहाँ संचालित करने में सफल हुआ है, वह उत्तर प्रदेश है। देश का पहला इनलैण्ड वाटर-वे उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में उत्तर प्रदेश के अन्दर बन रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। महोदय, सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है।

'जेम पोर्टल' पर टॉप बायर के रूप में अगर कोई है तो वह उत्तर प्रदेश है। ई-प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश के पास है। ई-टेण्डरिंग प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्राकृतिक खेती अर्थात् नेचुरल फार्मिंग करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यही गौ-वंश की रक्षा करेगा और यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के सर्वाधिक प्रस्ताव लाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है।

महोदय, मुझे आश्चर्य होता है, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात सुन रहा था जिनके द्वारा बिना तथ्य के असत्य डाटा के साथ सभी तथ्यों को छिपा कर सदन के फ्लोर पर रखना, बोलना यह शोभा नहीं देता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में दिशाहीन था, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार था, प्रदेश के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा थी, लेकिन 2017 के बाद जो परसेप्शन चेंज हुआ है, वह प्रधानमंत्री जी के विजन और उनकी लीडरशिप का परिणाम है कि आज प्रदेश सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुआ है और मुझे लगता है कि हर प्रदेशवासी को इस बात पर प्रसन्नता होगी, लेकिन जाति के नाम पर प्रदेश में परिवारवाद की अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। इनकी अव्यवस्था और अराजकता से कोई व्यक्ति छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि अटल जी का सम्मान सभी लोग करते हैं। उन्होंने कहा था कि ''आदमी न ऊँचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है।'' मुझे लगता है कि यह समझ अगर आपके पास हो गयी होती तो जनता आपको वहां नहीं बैठाती। इसीलिए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पी0डी0ए0 के पार्ट राजू पाल नहीं थे ? और अखिलेश निषाद, क्यों संजय जी ?

मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद)-

मान्यवर, 302 का मुल्जिम भी बना दिया है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अब तो मुक्त हो गये ?

श्री संजय निषाद-

जी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

यह आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। महोदय क्या उमेश पाल पी0डी0ए0 के पार्ट नहीं थे ? मुझे एक बात बतायें कि मान्यवर कांशीराम के नाम पर बने हुए संस्थान का नाम क्यों बदल दिया गया है ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम क्यों बदल दिए गये ? सामाजिक न्याय के उन पुरोधाओं का जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक, किसी भी सरकार ने बनाये हों उन स्मारकों को तोड़ने की बात सपा की सरकार के समय की जाती थी। क्या तब पी0डी0ए0 की बात याद नहीं आ रही थी ? तब पी0डी0ए0 नहीं था क्या ? जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी क्या तब पी0डी0ए0 नहीं था ? जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, क्या तब पी0डी0ए0 नहीं था ? तब सरकार में रह कर पी0डी0ए0 भूल गए थे। महोदय, जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पी0डी0ए0 को आगे करके (विपक्ष के सदस्यों के द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर) कोई घबराता नहीं है। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं, 2024 भी और 2027 की भी तैयारी की जा रही है। कहीं कोई वो नहीं है क्योकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है याद रखना और इसलिए महाकवि दिनकर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि, ''मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का? पातें हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर, क्रूर''।

जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता और जब अवसर मिलता था तब गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे उनकी नौकरियों पर डकैती डालते थे हर नौकरी भाई-भतीजे वाद की भेंट चढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। जब इन्सेफेलाइटिस और बीमारियों से बच्चे मरते थे तब पी0डी0ए0 याद नहीं आता था, तब माफियाओं और अपराधियों का संरक्षण करते थे कहीं राजू पाल की हत्या करवाते थे कहीं पर किसी अखिलेश निषाद की हत्या करवाते थे लेकिन कोई उस समय उन भाई और बहनों को कोई पूछने वाला नहीं तब पी0डी0ए0 की याद नहीं आ रही थी उस समय भी बहकाने का प्रयास किया था और महोदय, इसलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने विरोधी पक्ष के मा0 सदस्यों से कहना चाहूंगा इनको प्रसन्नता होनी चाहिए जिस लक्ष्य को लेकर सरकार चल रही है 1 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी हमारा राज्य बने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप कहां लेकर गये थे आपके समय में उत्तर प्रदेश छठवीं अर्थव्यवस्था थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश

नम्बर-2 की देश की अर्थव्यवस्था है और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश आज चल रहा है शीघ्र ही उत्तर प्रदेश को देश की नम्बर-1 अर्थ व्यवस्था बनाने में सफलता प्राप्त होगी आज उत्तर प्रदेश देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है उत्तर प्रदेश एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा है यहां पर नकारात्मकता के लिए जगह नहीं है हमारा विजन आज के दिन पर किसी भी नकारात्मक सोच से आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग तो उन लक्ष्यों को लेकर चल रहे है जो प्रदेश की 25 करोड़ जन आकांक्षाओं को पूर्ति कर सके हमारे लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक गरीब सबसे बड़ी जाति है हमारे किसान एक सबसे बड़ी जाति है, हमारे लिए आधी की सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता और महिलाओं की सुरक्षा और उनका संरक्षण उनकी आत्मनिर्भरता हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है, हमारी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की सम्भावना और रोजगार की सम्भावना सबसे बड़ी जाति है और उसी जाति को लेकर हम लोग चल रहे हैं, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मुद्दे को लेकर यह अनुपूरक बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है और महोदय, आज मैंने उन्हीं मुद्दों को लेकर यहां पर अपनी बातों को रखा है मुझे विश्वास है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष अगर उनके लिए कुछ ग्राहय है तो उससे कुछ प्रेरणा ले नहीं है, तो हम उनके उपर इस बात को छोड़ते हैं आपने मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

उत्तराखण्ड स्थित चारधाम-ऑलवेदर रोड परियोजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फँसे श्रमिकों को विभिन्न एजेन्सियों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीम के सदस्यों के प्रति आभार का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो उत्तराखण्ड स्थित चारधाम आलवेदर रोड परियोजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवम्बर, 2023 से 17 दिनों तक फंसे आठ राज्यों के 41 श्रमिकों को विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा लगभग 400 घण्टे तक चल रहे राहत एवं बचाव अभियान के फलस्वरूप दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को सकुशल बाहर निकाला गया, जिसके लिए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्रमवीरों के सुरक्षित बाहर आने पर उनके स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड श्री पुष्कर धामी जी के कुशल प्रबन्धन के साथ यह सदन सर्वसम्मति से उत्तर काशी की टनल में फंसे 41 श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए एवं उत्तराखण्ड में लगे हुये रेस्क्यू आपरेशन की पूरी टीम के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है और उन सबको बधाई देता है। मेरे विचार से सदन के सभी सदस्य सर्वसम्मति से सहमत होंगे।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मान्यवर, इस रेस्क्यू आपरेशन में जो लोग लगे थे उनके नाम का उल्लेख प्रस्ताव में आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने रेस्क्यू आपरेशन की पूरी टीम के सदस्यों के लिए कहा है। शायद आपने सुना नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने रेस्क्यू आपरेशन में लगे हुये लोगों के लिए कहा है, लेकिन उनका विशेष रूप से नाम आ जाये।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि जिन मजदूरों का योगदान मजदूरों को निकालने में रहा है जिनको बोला जाता है रैट होल माइनर्स उनका नाम प्रस्ताव में जोड़ दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

रेस्क्यू आपरेशन में लगे हुए ऐसे सभी सदस्य जिनमें रैट होल माइनर्स थे और उस पूरे अभियान में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिनकी भागीदारी थी उन सभी को यह सदन बहुत-बहुत बधाई देता है और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता है ?

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है। अब मैं अनुपूरक बजट पास करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[05:07] अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 05 लगायत 11, 13 लगायत 18, 22, 24, 26, 30 लगायत 31, 33 लगायत 34, 36 लगायत 38, 40, 42 लगायत 44, 46 लगायत 47, 49, 51 लगायत 52, 57 लगायत 58, 60 लगायत 61, 63, 65, 67 लगायत 69, 71 लगायत 73, 75 लगायत 76, 78 लगायत 79, 81 लगायत 86, 89 तथा 91, लगायत 93

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 05 लगायत 11, 13 लगायत 18, 22, 24, 26, 30 लगायत 31, 33 लगायत 34, 36 लगायत 38, 40, 42 लगायत 44, 46 लगायत 47, 49,

51 लगायत 52, 57 लगायत 58, 60 लगायत 61, 63, 65, 67 लगायत 69, 71 लगायत 73, 75 लगायत 76, 78 लगायत 79, 81 लगायत 86, 89 तथा 91 लगायत 93 के अन्तर्गत कुल रुपये सत्ताईस हजार आठ सौ पंचानवे करोड़ सैंतीस लाख एक हजार (रुपये 27895,37,01,000) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकार की जाये, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 381,42,00,000 रुपये (तीन सौ इक्यासी करोड़ बयालीस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 1,44, 93,000 रुपये (एक करोड़ चौवालीस लाख तिरानवे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1005, 10,00,000 रुपये (एक हजार पाँच करोड़ दस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 529,69,12,000 रुपये (पाँच सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख बारह हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 13,00,00,000 रुपये (तेरह करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 10095,41,00,000 रुपये (दस हजार पंचानवे करोड़ इकतालीस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 54,02,00,000 रुपये (चौवन करोड़ दो लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 23,98,38,000 रुपये (तेईस करोड़ अट्ठानवे लाख अड़तीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 98,68,99,000 रुपये (अट्ठानवे करोड़ अड़सठ लाख निन्नयानवे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 979,83,42,000 रुपये (नौ सौ उन्नयासी करोड़ तिरासी लाख बयालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 270, 10,00,000 रुपये (दो सौ सत्तर करोड़ दस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 70,50,00,000 रुपये (सत्तर करोड़ पचास लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 25, 20,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ बीस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 11,00,00,000 रुपये (ग्यारह करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 54,02,00,000 रुपये (चौवन करोड़ दो लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 550,00,00,000 रुपये (पाँच सौ पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 466,40,10,000 रुपये (चार सौ छियासठ करोड़ चालीस लाख दस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 650,36,91,000 रुपये (छः सौ पचास करोड़ छत्तीस लाख इक्यानवे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 10,75,00,000 रुपये (दस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 11,05,22,000 रुपये (ग्यारह करोड़ पांच लाख बाइस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 26,27,72,000 रुपये (छब्बीस करोड़ सत्ताईस लाख बहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1062,07,00,000 रुपये (एक हजार बासठ करोड़ सात लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 90,00,000 रुपये (नब्बे लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 415,00,00,000 रुपये (चार सौ पन्द्रह करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 358,04,00,000 रुपये (तीन सौ अट्ठावन करोड़ चार लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 131,62,30,000 रुपये (एक सौ इक्तीस करोड़ बासठ लाख तीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 198,00,00,000 रुपये (एक सौ अट्ठानवे करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,86,80,000 रुपये (एक करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 4,35,97,000 रुपये (चार करोड़ पैंतीस लाख सत्तानवे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये (दो करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 206,67,12,000 रुपये (दौ सौ छः करोड़ सड़सठ लाख बारह हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 39,40,50,000 रुपये (उनतालीस करोड़ चालीस लाख पचास हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 4250,01,00,000 रुपये (चार हजार दो सौ पचास करोड़ एक लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 55,00,00,000 रुपये (पचपन करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 616,38,85,000 रुपये (छः सौ सोलह करोड़ अड़तीस लाख पचासी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 27,00,000 रुपये (सत्ताईस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत 64,58,97,000 रुपये (चौंसठ करोड़ अट्ठावन लाख सत्तानवे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 4,87,63,000 रुपये (चार करोड़ सत्तासी लाख तिरसठ हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 6,38,04,000 रुपये (छः करोड़ अड़तीस लाख चार हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 92,51,76,000 रुपये (बानवे करोड़ इक्यावन लाख छिहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 284,66, 12,000 रुपये (दो सौ चौरासी करोड़ छियासठ लाख बारह हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 490,81,96,000 रुपये (चार सौ नब्बे करोड़ इक्यासी लाख छियानवे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 222,83,67,000 रुपये (दो सौ बाईस करोड़ तिरासी लाख सड़सठ हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 26,86,31,000 रुपये (छब्बीस करोड़ छियासी लाख इकतीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 114,70,81,000 रुपये (एक सौ चौदह करोड़ सत्तर लाख इक्यासी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 300,00,00,000 रुपये (तीन सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 346,15,00,000 रुपये (तीन सौ छियालिस करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 282,86,34,000 रुपये (दो सौ बयासी करोड़ छियासी लाख चौंतीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 250,99,000 रुपये (दो करोड़ पचास लाख निन्नयानवे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 2042,91,19,000 रुपये (दो हजार बयालीस करोड़ इक्यानवे लाख उन्नीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 11,08,70,000 रुपये (ग्यारह करोड़ आठ लाख सत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये (बीस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 496,59,00,000 रुपये (चार सौ छियानवे करोड़ उनसठ लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-89-राज्य कर विभाग के अन्तर्गत 3,56,00,000 रुपये (तीन करोड़ छप्पन लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-91-स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत 35,00,00,000 रुपये (पैंतीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 142,87,19,000 रुपये (एक सौ बयालीस करोड़ सत्तासी लाख उन्नीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत 230,00,00,000 रुपये (दो सौ तीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 05 लगायत 11, 13 लगायत 18, 22, 24, 26, 30 लगायत 31, 33 लगायत 34, 36 लगायत 38, 40, 42 लगायत 44, 46 लगायत 47, 49, 51 लगायत 52, 57 लगायत 58, 60 लगायत 61, 63, 65, 67 लगायत 69, 71 लगायत 73, 75 लगायत 76, 78 लगायत 79, 81 लगायत 86, 89 तथा 91 लगायत 93 के अन्तर्गत कुल रुपये सत्ताईस हजार आठ सौ पंचानवे करोड़ सैंतीस लाख एक हजार (रुपये 27895,37,01,000) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:10] उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक 2023

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2023-2024 के लिए 28760,67,38,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2024 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ -2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती हैं जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 28760,67,38,000 का दिया जाना रुपये (रुपये अट्ठाईस हजार सात सौ साठ करोड़ सड़सठ लाख अड़तीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन विनियोग धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	पूंजी :	38142.00	--	38142.00
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	2000.00	--	2000.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	144.93	--	144.93
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	100000.00	--	100000.00
		पूंजी :	510.00	--	510.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1082.12	--	1082.12
		पूंजी :	51887.00	--	51887.00
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	पूंजी :	1300.00	--	1300.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	646264.00	--	646264.00
		पूंजी :	363277.00	--	363277.00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	5402.00	--	5402.00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	2398.38	--	2398.38
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	9868.99	3.51	9872.50
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	97983.42	--	97983.42
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	25510.00	--	25510.00
		पूंजी :	1500.00	--	1500.00
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	2050.00	--	2050.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	5000.00	--	5000.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	2520.00	--	2520.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	1100.00	--	1100.00
		पूंजी :	--	980.53	980.53
22	खेल विभाग	राजस्व :	5402.00	--	5402.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूंजी :	55000.00	--	55000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	17575.19	--	17575.19
		पूंजी :	29064.91	--	29064.91
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	50.00	--	50.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	65036.91	--	65036.91
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी :	1075.00	--	1075.00
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1105.22	--	1105.22
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	500.00	--	500.00
		पूंजी :	2127.72	--	2127.72
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	101207.00	--	101207.00
		पूंजी :	5000.00	--	5000.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	पूंजी :	90.00	--	90.00
40	नियोजन विभाग	पूंजी :	41500.00	--	41500.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
42	न्याय विभाग	राजस्व :	35759.50	--	35759.50
		पूंजी :	44.50	--	44.50
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	3109.30	--	3109.30
		पूंजी :	10053.00	--	10053.00
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	8800.00	--	8800.00
		पूंजी :	11000.00	--	11000.00
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	186.80	--	186.80
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	435.97	--	435.97
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	पूंजी :	300.00	--	300.00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	200.00	85436.00	85636.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	20667.12	--	20667.12
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	पूंजी :	--	110.33	110.33
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	पूंजी :	3940.50	--	3940.50
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	350001.00	--	350001.00
		पूंजी :	75000.00	--	75000.00
60	वन विभाग	पूंजी :	5500.00	--	5500.00
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	61638.85	--	61638.85
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी :	27.00	--	27.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	पूंजी :	6458.97	--	6458.97

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
67	विधान परिषद् सचिवालय	पूंजी :	487.63	--	487.63
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	162.50	--	162.50
		पूंजी :	475.54	--	475.54
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	पूंजी :	9251.76	--	9251.76
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	26832.00	--	26832.00
		पूंजी :	1634.12	--	1634.12
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	7864.19	--	7864.19
		पूंजी :	41217.77	--	41217.77
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	77.50	--	77.50
		पूंजी :	22206.17	--	22206.17
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी :	2686.31	--	2686.31
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	3022.75	--	3022.75
		पूंजी :	8448.06	--	8448.06
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	30000.00	--	30000.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	33215.00	--	33215.00
		पूंजी :	1400.00	--	1400.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	20639.99	--	20639.99
		पूंजी :	7646.35	--	7646.35
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	250.99	--	250.99
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	61235.79	--	61235.79

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	143055.40	--	143055.40
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	102.00	--	102.00
		पूंजी :	1006.70	--	1006.70
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	पूंजी :	20.00	--	20.00
86	सूचना विभाग	राजस्व :	49659.00	--	49659.00
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	352.00	--	352.00
		पूंजी :	4.00	--	4.00
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	3500.00	--	3500.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	11287.19	--	11287.19
		पूंजी :	3000.00	--	3000.00
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	3000.00	--	3000.00
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00
	योग :	राजस्व :	1819199.60	85439.51	1904639.11
		पूंजी :	970337.41	1090.86	971428.27
	महायोग :		2789537.01	86530.37	2876067.38

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह चर्चा जारी रहे तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी, आने दीजिए, नाम तो ले लें। निम्नलिखित प्रस्तुत संकल्पों पर अग्रेतर चर्चा जारी रखने के लिए जो प्रस्ताव आया था उसमें डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अजय सिंह, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री बाबूलाल, डॉ0 पल्लवी पटेल, डॉ0 सुरभि, डॉ0 रागिनी, श्री चौधरी बाबूलाल, श्री आशुतोष शुक्ला की चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डॉ0 पल्लवी पटेल-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जाए।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अजय सिंह-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमासिन ड्रेन का पुनरुद्धार कराये जाने विषयक डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा0 आर0 के0 वर्मा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमासिन ड्रेन का पुनरुद्धार किया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) की स्थापना कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री बाबूलाल-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर, मंगरोही एवं कोरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चित कराये जाने विषयक डा0 पल्लवी पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा0 पल्लवी पटेल-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है जनपद कौशाम्बी क नवसृजित नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोही एवं कोरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चित करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभि द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डॉ0 सुरभि-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कर दिया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेराजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डॉ0 रागिनी-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान सीमा से लगे करीब 60-70 गांवों के किसानों के लिये सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माइनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री बाबूलाल-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान सीमा से लगे करीब 60-70 गांवों के किसानों के लिये सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माइनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड सिकरन्दरपुर करन, तहसील सदर, उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री आशुतोष शुक्ल-

''इस सदन का सुनश्चित मत है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड सिकरन्दरपुर करन, तहसील सदर, उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण सुनिश्चित कराया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर चर्चा, जिसमें प्रस्तुत करने के लिए जो सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनका प्रस्तुत माना जायेगा, चर्चा बाद में होगी। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होंगे उनका प्रस्तुतीकरण नहीं माना जायेगा। श्री प्रभात कुमार वर्मा उपस्थित हैं, चर्चा जारी रहेगी। श्री आशुतोष शुक्ला अनुपस्थित हैं, यह ड्राप हो गया। डॉ0 रागिनी उपस्थित हैं, चर्चा जारी रहेगी। श्री बाबूलाल उपस्थित हैं, चर्चा जारी रहेगी। डॉ0 पल्लवी पटेल उपस्थित हैं, चर्चा जारी रहेगी।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम कूकनगर ग्रन्ट में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार वर्मा द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम कूकनगर ग्रन्ट में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डॉ0 रागिनी-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी में मण्डौली माइनर एवं जहानपुर गूल का विस्तार एवं चौड़ीकरण राजस्थान सीमा तक कराया जाने विषयक श्री बाबूलाल द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री बाबूलाल-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी में मण्डौली माइनर एवं जहानपुर गूल का विस्तार एवं चौड़ीकरण राजस्थान सीमा तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल द्वारा आज प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डॉ0 पल्लवी पटेल-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत तहसील बीघापुर (पाटन) में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल के संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (व्यपगत)

श्री आशुतोष शुक्ल (अनुपस्थित)-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत तहसील बीघापुर (पाटन) में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

अनुपस्थित।

नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा। अग्रेतर चर्चा के लिए जो पहले से इसमें माननीय सदस्यों की चर्चा जारी थी मैं उनका नाम ले रहा हूँ वह चर्चा जारी रहेगी। चर्चा जारी रहेगी क्योंकि चर्चा जारी है इसमें उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। डॉ0 नीरज बोरा चर्चा जारी रहेगी, श्री जवाहर लाल राजपूत चर्चा जारी रहेगी, श्री वीर विक्रम सिंह चर्चा जारी रहेगी, श्री बेचई सरोज चर्चा जारी रहेगी, श्री महेन्द्र नाथ यादव चर्चा जारी रहेगी, डॉ0 मुकेश वर्मा चर्चा जारी रहेगी, इं0 सचिन यादव चर्चा जारी रहेगी, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी चर्चा जारी रहेगी, श्री मौहम्मद फहीम इरफान चर्चा जारी रहेगी, श्री अभय सिंह चर्चा जारी रहेगी, डॉ0 नीरज बोरा चर्चा जारी रहेगी, डॉ0 रागिनी चर्चा जारी रहेगी, श्री मनोज कुमार पाण्डेय चर्चा जारी रहेगी, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह चर्चा जारी रहेगी, श्री बेचई सरोज चर्चा जारी रहेगी, श्री जवाहर लाल राजपूत चर्चा जारी रहेगी, श्री सचिन यादव चर्चा जारी रहेगी, डॉ0 पल्लवी पटेल चर्चा जारी रहेगी, श्री प्रदीप कुमार यादव चर्चा जारी रहेगी, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह चर्चा जारी रहेगी, श्री महेन्द्र नाथ यादव चर्चा जारी रहेगी, श्री चन्दन चौहान चर्चा जारी रहेगी, श्री जय प्रकाश अंचल चर्चा जारी रहेगी, श्रीमती रेखा वर्मा चर्चा जारी रहेगी एवं डॉ0 रागिनी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भाँति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

डॉ0 नीरज बोरा-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी नदी की भाँति घाटों का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की भूमि की उर्वराशक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री वीर विक्रम सिंह-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री बेचई सरोज-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री सचिन यादव-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री अभय सिंह-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

डॉ0 नीरज बोरा-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

डॉ0 रागिनी-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान की जायें।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराय जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री बेचई सरोज-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट,

चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री सचिन यादव-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराय जाय।"

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर-मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

डॉ0 पल्लवी पटेल-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के असकरनपुर-मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री प्रदीप कुमार यादव-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम अन्दावा की मड़ैया को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम अन्दावा की मड़ैया को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुये सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुये सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराया जाय।"

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0, मोरना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 कराये जाने एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री चन्दन चौहान-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0, मोरना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण विषयक श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्री जय प्रकाश अंचल-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

श्रीमती रेखा वर्मा-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाय जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर जारी चर्चा

डॉ0 रागिनी-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

नियम-103 के अन्तर्गत ग्राह्य प्रस्तावों पर प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा जारी रहेगी, जो मा0 सदस्य इसमें उपस्थित होंगे उनकी चर्चा रहेगी और जो लोग अनुपस्थित होंगे, उनका ड्रॉप माना जायेगा। डॉ0 पल्लवी पटेल उपस्थित हैं, उनके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी, श्री सचिन यादव उपस्थित हैं उनके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी, श्री मौहम्मद फहीम इरफान उपस्थित हैं उनके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी, डॉ0 रागिनी उपस्थित हैं उनके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी और श्री रामरतन कुशवाहा उपस्थित हैं उनके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यायल की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

डॉ0 पल्लवी पटेल-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना के तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री सचिन यादव-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना के तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

विधान सभा क्षेत्र बिलारी मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र बिलारी मण्डी समिति की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

डॉ0 रागिनी-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराये जायं।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री रामरतन कुशवाहा-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

[05:15] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 119 सूचनाएं प्राप्त हुई, फिर मैं इस बात को रिपीट करूँगा क्योंकि कार्यवाही में आना चाहिए, ये सूचनाएं

प्रातः 10 बजे तक ली जाती हैं, उसके बाद ग्राह्यता के लिए बैठक होती है, श्लाका के आधार पर ली जाती हैं, चूंकि उसमें समय नहीं होता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सारी सूचनाएं स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, मुझे कम से कम आपको नियम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो। नियम-51 में भी ग्राह्यता के लिए मानक लिखे हुए हैं और नियम-301 के लिए भी लिखे हुए हैं, सभी के लिए मानक लिखे हुए हैं, यदि उनकी ग्राह्यता नहीं होगी तो नहीं लिया जायेगा। वर्मा जी, आपको बुक देखने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, बहुत समय हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि बड़े आदमी हो गये हो तो शायद इसीलिए भूल गये हो वैसे आप भूलते नहीं हैं। इसमें सारी की सारी सूचनाएं मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जो मेनेटेबल नहीं होंगी उन्हें हम छोड़ेंगे।

पहली सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की विधान सभा क्षेत्र उरई जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम पहाड़पुरा से कुठौरा खुर्द तक कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री रामरतन कुशवाहा की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत ललितपुर से जखौरा होते हुये तालबेहट सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के ब्लाक- फतेहपुर सीकरी के आगरा जयपुर मार्ग से जाजऊ मार्ग एवं आगरा अछनेरा मार्ग रसूलपुर मार्ग से बाया सकतपुर ग्राम के आगरा जयपुर रोड तक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री जाहिद की उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड में राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित स्थानान्तरण नीति का पालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पाँचवीं सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की विधान सभा क्षेत्र सिराथू, जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत नरसिंहपुर कछुआ में स्थित ट्रामा सेंटर हेतु कानपुर इलाहाबाद हाई-वे से सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री जियाउर्रहमान की विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी, मुरादाबाद के वि0खं0 मूढापण्डे के ग्राम दलपत में जर्जर पशु चिकित्सालय का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं श्री अशोक कुमार की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के नगर पंचायत नसीराबाद में स्थित जूनियर हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की स्टाम्प ऐक्ट की जाँच फर्जी कर अवैध वसूली के सम्बन्ध में है, नौंवी सूचना श्री राम सिंह की विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी अन्तर्गत दिनांक 22-11-2023 को हुई घटना के निर्मम हत्या के सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह को विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों/

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समुचित शिक्षकों की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सचिन यादव की प्रदेश में आशा वर्करों को दिये जाने वाले स्वास्थ्य लाभ की सुविधा मुहैया कराने एवं मानदेय फिक्स कराये जाने विषयक है, बारहवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद में सेतु निर्माण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात, जनपद अमरोहा के ग्राम सिहाली जहांगीर, ब्लाक हसनपुर में सफाई, कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत रेहरिया से सुन्दरपुर-पड़सर मार्ग पर कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की विधान सभा क्षेत्र मीरगंज, जनपद बरेली के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे 24 पैगानगरी से वाया हुरहुरी, गोरा, गौरीशंकर गुलड़िया तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री निर्मल वर्मा की विधान सभा क्षेत्र बिसवां जनपद व तहसील सीतापुर अन्तर्गत ग्राम पड़रिया से गड़रियनपुरवा सम्पर्क मार्ग डेढ़ चपा तक जीर्ण-शीर्ण की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, सत्रहवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की विधान सभा क्षेत्र अलीगंज, जनपद एटा के ग्राम अगौनापुर से बाईपास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री कमलाकान्त राजभर की मेसर्स सेफ रोड स्किल एण्ड टेक्नोलॉजी (वाराणसी) परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में अवैध रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर में कार्यरत श्रम निरीक्षक श्री रामेन्द्र मोहन यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अभद्रता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र तरबगंज जनपद गोण्डा में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर के अन्तर्गत ग्राम नगरियाकला से सेराखास के मध्य रामगंगा नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की विधान सभा क्षेत्र मथुरा के बल्देव-बरौली कैलाश वाया मगना मार्ग (प्र0ज0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार जनपद गोरखपुर में उरुवा-धुरियापार तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री ओमकुमार की विकास खण्ड हल्दौर के ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ की जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम बरहना मौजा हरहटा सुहेली नाला में सिल्ट जमा होने के कारण तटबन्ध टूट जाने के कराण जलभराव की समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद

व गुलावठी ब्लॉक में कृषि कल्याण केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती अनुपमा जायसवाल की विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत जीआईसी स्कूल के बगल में पंचायत की जमीन को अवैध कब्जा हटाकर मैरिज हॉल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम एवं अध्यादेश के विपरीत बिना कोर्ट के गतिविधियों का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की विधान सभा क्षेत्र धौरहरा जनपद खीरी के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री हरिओम की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर मे सहावर चौराहे से रेलवे स्टेशन तक मार्ग को सी0सी0 कराने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री धीरेन्द्र सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा स्थित मेट्रो स्टेशन 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की विधान सभा क्षेत्र गौरा जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की जनपद हरदोई के कोतवाली सण्डीला में आई0जी0आर0एस0 शिकायत 40015521007644, दिनांक 08-02-2021 के प्रकरण में कोई कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर नगर में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में मूलभूत चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट में यमुना एक्सप्रेस-वे से वृन्दावन तक फोर लेन मार्ग के साथ-साथ सेतु निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री राम निवास वर्मा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र के सरोजनीनगर के अमौसी गांव में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री संदीप सिंह की होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का ज्येष्ठता निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनतालीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को विधिसम्मत् अनुमन्य ACP का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की तहसील लालगंज, प्रतापगढ़ के नवनिर्मित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर का अतिशीघ्र क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना डॉ0 संग्राम यादव की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत नवगठित वार्ड खरगापुर-सरसवां, अर्जुनगंज स्थित मोहल्ला आदर्शनगर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद लखनऊ के विधान सभा

क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत नवगठित वार्ड खरगापुर सरसवां, अर्जुनगंज स्थित मोहल्ला आदर्शनगर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में है, तैतालीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार, जनपद मुजफ्फरनगर के छपार की सिमर्थी मार्ग से साहदरा बांगर होते हुये रसूलपुर तक मार्ग पूर्णरूप से जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का विशेष मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री मदन भैया की जनपद अलीगढ़ में बन्द पड़े ब्रिक प्लान्टो को राख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में मास्टरबाग से कमलापुर तक बनी सड़क के निर्माण की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रयागराज में कार्यरत ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के ग्रेड वेतन में हुई विसंगति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री तूफानी सरोज की जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र केराकत अन्तर्गत पुल निर्माण किये जाने हेतु है, अड़तालीसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासीवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासीवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के ग्राम सभा रामपुर रामपट्टी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की विधान सभा क्षेत्र पयागपुर की सिम्भावली सुगर मिल के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी में जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में अरुखा से निगोहां मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली के तहसील ऊन में ग्राम पंचायत भोगी माजरापुर के कतिपय मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराकर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री महबूब अली की विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में सम्भल-जोया मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की विधान सभा क्षेत्र दाता गंज में हर घर जल योजना के अन्तर्गत व्याप्त कमियों का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की विधान सभा क्षेत्र कांठ (मुरादाबाद) के ग्राम काजीपुर, नहटौरा, बहेड़ी अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने हेतु है, अट्ठावनवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद, जनपद फतेहपुर अन्तर्गत ग्राम दपसौरा में CHC का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री विनय कुमार द्विवेदी की आबादी के ऊपर से गुजरी बिजली की

440 वोल्टेज हाईटेंशन लाइन स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की ग्राम सभा पहाड़पुर सुबस के ग्राम दुबेपुर में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मन्दिर परिसर के तालाब को पट्टा मुक्त कराकर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री महेश त्रिवेदी की दुबेपुर पंसारी से चारबाग लखनऊ तक चलने वाली उप नगरीय डीपो, गाड़ी नं0 यू0पी-32 टी 2285 के नियमित रूप से संचालन/रात्रि ठहराव के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री आशुतोष शुक्ल की जनपद उन्नाव में भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुरब-अचलगंज मार्ग से वया दुबेपुर से सिकन्दरपुर कर्ण मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री मो0 ताहिर खान की हरकपुर से पुरेपुरवानी से बखतपुर ब्लॉक कोड़वार की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की भूमिधरी आराजी नं0-285 स्थित फाफामऊ परगना व तहसील सोरांव जिला प्रयागराज अन्तर्गत अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की उ0प्र0 में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मानदेय/वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री हृदय नारायण सिंह पटेल की महात्मा गांधी गर्ल्स जू0हा0 जगदीशचन्द्र बोस मार्ग लालबाग, लखनऊ के मानक विरुद्ध संचालन की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना डॉ0 आर0के0 वर्मा की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज (प्रतापगढ़) अन्तर्गत फतनपुर से बीरापुर सम्पर्क मार्ग व लछीपुर चौहरजन सम्पर्क मार्ग एवं बभनमई से दुर्गागंज मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना इं0 बृजेश कठेरिया की मैनपुरी तहसील के भोगांव में कतिपय अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री शाहिद मंजूर की प्रदेश में नाबार्ड के पैसे से सड़कों का निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 से न कराकर प्राइवेट कम्पनियों से कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दर पुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के कर्वी विकास खण्ड में ट्रैफिक की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद बांदा की सदर तहसील बांदा में सरकारी भूमि के क्रय-विक्रय में हो रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत अवैध खनन रोके जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई के कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना हाजी नासिर कुरैशी की विधान सभा क्षेत्र देहात मुरादाबाद में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तहत्तरवीं सूचना श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'

की जनपद कानपुर नगर में जलकल जोन-2 के अन्तर्गत पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री कविन्द्र चौधरी की के0जी0एम0यू0 नर्सेस भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासवीं सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत घाघरा नदी के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की प्रदेश में अनुदेशकों की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासिवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की मुख्य मंत्री त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा अमेठी-सुल्तानपुर में किये गये कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासवीं सूचना स्वामी ओउ्मवेश की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में बिजली घरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की नगर पंचायत मीरानपुर कटरा में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक दिये टेण्डरों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासिवीं सूचना श्री अनुराग सिंह की विधान सभा क्षेत्र चुनार नगर में सौ शैय्यायुक्त अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासिवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की विधान सभा रुदौली अन्तर्गत ट्रामा सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में है, छियासिवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासिवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासिवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की सम्भागीय परिवहन अधिकारी मुरादाबाद के विरुद्ध जाँच कर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा टेण्डरों में की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री शहजिल इस्लाम अंसारी की आपूर्ति निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के बी0के0 लॉन, आई0एम0 सीतापुर रोड के समीप कतिपय अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री मनीष कुमार जायसवाल की लघु सिंचाई खण्ड देवरिया में अधिशासी अभियन्ता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में 100 बेड का अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा की बाल कल्याण समिति के लम्बित मानदेय का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, पन्चानबेवीं सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा' की ग्राम पंचायत सचिवों का ट्रांसफर कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की होम्योपैथिक यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के

ब्लॉक बदलापुर मे नहर खुदाई के कार्य के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की की पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री बम्बालाल की राजकीय हाई स्कूल, रायपुरगढ़ी के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना इं0 सरवन कुमार निषाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा मे हुए कतिपय सड़क निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिंद की जनपद बहराइच के तहसील नानपारा में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना डॉ0 सुरभी की डॉ0 देवेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त रीडर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज कानपुर के सम्पूर्ण दावे का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौरवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियावं में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ पाँचवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ छठवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र मे बाढ़ राहत पैकेज के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री हंसुराम की जनपद आजमगढ़ के तहसील सदर के अन्तर्गत श्रीमती सविता देवी की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना श्री बृज भूषण राजपूत की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ नौवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ के कतिपय प्राइवेट अस्पतालों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की आवारा जानवरों के चट्टे के समस्या का समाधान के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की जनपद हरदोई के चौधरियापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री असीम कुमार की जनपद प्रयागराज के सीएमएसडी स्टोर में तैनात कार्मिक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के रजवाहों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के जखनियाँ में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री पंकज पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण तथा डाक्टरों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना डॉ0 रागिनी की ग्राम सभा अदारी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्रहवीं सूचना श्री सर्वेश सिंह की जनपद फिरोजाबाद में विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस, विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा करतपुर में मुस्लिम इण्टर कॉलेज के ग्राउण्ड में मिनी स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में है

तथा एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री पीयूष रंजन निषाद की जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र में भीरपुर से भगवानपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

जनपद मुरादाबाद में ग्राम शीलपुर में पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जल जीवन के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी की अभनपुर ग्राम पेयजल योजना की डी0पी0आर0...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया,जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[का विरचन कर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 19-01-2023 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अभनपुर ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत अभनपुर एवं शीलपुर दोनों ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं। ग्राम अभनपुर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,168 तथा ग्राम शीलपुर की 3,650 जनसंख्या है। योजना के जलकल प्रांगण हेतु जिला प्रशासन द्वारा अभनपुर ग्राम पंचायत में गाटा संख्या-151 की भूमि उपलब्ध करायी गयी थी, जो अभनपुर ग्राम से 500 मीटर की दूरी पर तथा शीलपुर ग्राम से 2500 मीटर की दूरी पर दोनों ग्रामों के बीच में स्थित है। योजना की स्वीकृत लागत रु0 438.70 लाख है। योजनान्तर्गत एक उच्च जलाशय, 325 किलोलीटर की क्षमता/18 मीटर स्टैजिंग के कार्य, 01 नलकूप, 1130 एल0पी0एम0 (लीटर प्रति मिनट) का स्राव, 01 पम्प हाउस, 35 मीटर राइजिंगमेन, 15077 मीटर वितरण प्रणाली, बाउण्ड्रीवाल, अभनपुर हेतु 200 गृह नल जल संयोजन तथा ग्राम शीलपुर हेतु 624 गृह नल जल संयोजन अर्थात कुल 824 गृह नल जल संयोजन के कार्य प्रस्तावित हैं। उक्त प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्लिन्थ लेविल तक पूर्ण है एवं अन्य कार्य

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रगति पर हैं। अभनपुर ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन नेटवर्क का डिजाइन इस प्रकार की गई है कि ग्राम अभनपुर के साथ-साथ शीलपुर ग्राम के प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल से संतृप्त किया जा सके।]

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर विषय है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो शीलपुर गांव हैं, उसकी दूरी और जिस गांव में पानी की टंकी दी गयी है उसकी दूरी 04 किमी0 है और जो इनके पास जवाब आया है उसमें अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की है। मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि यह बड़ी ही अच्छी योजना साबित हो सकती है अगर सही से लग जाये। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो गांव शीलपुर है उसकी जनसंख्या 3650 है और जहां पर पानी की टंकी दी गयी है वहां पर जनसंख्या 1168 है लेकिन जिस जगह पानी की टंकी अभनपुर में दी गयी है और जो शीलपुर की दूरी है वह लगभग 04 किमी0 है। मैं आपसे गुजारिश करुंगा कि जो शीलपुर की योजना है वह शीलपुर में लगनी चाहिए क्योंकि जगह भी उनके पास उपलब्ध है, प्रस्ताव बनकर चले गये हैं तो मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री से कहना चाहता हूं कि शीलपुर की योजना शीलपुर के लिए हो जाये और अभनपुर की योजना अभनपुर के लिए हो जाये जिससे ये दोनों गांव लाभान्वित हो सकें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपके सुझावों का स्वागत है, इसको हमने नोट कर लिया है।

जनपद रायबरेली में विधान सभा क्षेत्र-ऊँचाहार में 132 के0वी0ए0 का विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार की विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र त्रिपुला से नहीं की जाती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य, उन्होंने ही दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

[ऊँचाहार क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 के दो प्राथमिक उपकेन्द्रों क्रमशः 132 के0वी0 उपकेन्द्र सलोन एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र अमावाँ से की जाती है। ऊँचाहार विधान सभा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति निम्न 33 के0वी0 उपकेन्द्रों (कुल 08) से की जा रही है :-

132 के0वी0 उपकेन्द्र सलोन एवं अमावाँ से पोषित	:	33 के0वी0 उपकेन्द्र ऊँचाहार
132 के0वी0 उपकेन्द्र सलोन से पोषित	:	33 के0वी0 उपकेन्द्र रोहनियाँ, रसूलपुर एवं इटौरा बुजुर्ग
132 के0वी0 उपकेन्द्र अमावाँ से पोषित	:	33 के0वी0 उपकेन्द्र जगतपुर एवं ऊँचाहार तहसील
132 के0वी0 उपकेन्द्र डलमऊ से पोषित	:	33 के0वी0 उपकेन्द्र गदागंज एवं जमुनापुर

132 के0वी0 उपकेन्द्र सलोन पर 210 एम्पियर एवं अमावाँ पर 350 एम्पियर का अधिकतम भार है, जोकि क्रमशः मात्र 60 प्रतिशत व 48 प्रतिशत भारित है। अतः क्षमता के सापेक्ष दोनों उपकेन्द्र अतिभारित नहीं हैं एवं उक्त प्राथमिक पारेषण उपकेन्द्रों पर लो-वोल्टेज की समस्या भी नहीं है।

ऊँचाहार क्षेत्र की आपूर्ति हेतु एक अतिरिक्त स्रोत 132 के0वी0 उपकेन्द्र सलोन से निर्मित किया गया, जो कि वर्ष 2019 से ऊर्जीकृत है। उक्त के अतिरिक्त 132 के0वी0 उपकेन्द्र अमावाँ से निर्गत 33 के0वी0 जगतपुर पोषक के जर्जर तारों को बदलने का कार्य भी वितरण स्कन्ध द्वारा दिनांक 30-04-2023 को पूर्ण किया जा चुका है।

अग्रेतर, 132 के0वी0 मानिकपुर (टी0एस0एस0) रेलवे उपकेन्द्र की आपूर्ति मानकों के अनुसार 132 के0वी0 उपकेन्द्र कुण्डा से की जा रही है। रेलवे विभाग द्वारा टी0एस0एस0 मानिकपुर रेलवे उपकेन्द्र हेतु अतिरिक्त स्रोत की माँग नहीं है।

अतः जनपद रायबरेली के ऊँचाहार क्षेत्र में भार के दृष्टिगत नये 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता तकनीकी रूप से नहीं है।]

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह प्रकरण हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार से है, मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है इससे पहले इसमें 09 बार डायरेक्टर टेक्नीकल का पत्र दिनांक 20-10-2023 का है, अधीक्षण अभियंता का पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2022 का है, आपके डायरेक्टर परीक्षण

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का पत्र दिनांक 21-11-2022 का है, इन 07 पत्रों में आपके विभाग ने माना है कि वहां पर 132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन लगना चाहिए। जो रिपोर्ट इन्होंने भेजी है उसमें लिखा है कि अमावां पावर स्टेशन, जहां से आता है वह 64 किमी0 है, एक 48 किमी0 है, एक 49 किमी0 है और एक 46 किमी0 है। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि जर्जर तार है तो 132 के0वी0ए0 का बिजलीघर वहां पर अनिवार्य है, यह जनता से जुड़ा मामला है। केवल नीचे के अधिकारी यह सोच लें कि मनोज पाण्डेय विपक्ष के विधायक हैं इसलिए इनको नहीं देना है तो नहीं लगेगा। मा0 मंत्री जी आपके विभाग ने 11 रिपोर्ट्स लगायी हैं जिसमें उन्होंने माना है कि लगना चाहिए। आपका डायरेक्टर तकनीकी लिख रहा है...

श्री अध्यक्ष-

जो बात आप बोल चुके हैं, उसे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मेरा मा0 मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर 06 सब-स्टेशन पहले से लगे हुए हैं, एक 132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन लग जायेगा तो उस क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था ठीक हो जायेगी और सबसे ज्यादा बजट भी है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, रायबरेली में 220 के0वी0ए0 का एक सब-स्टेशन, 132 के0वी0ए0 का 06 सब-स्टेशन और 33/11 के0वी0ए0 सब-स्टेशन है।

मान्यवर, अगर ऊँचाहार विधान सभा क्षेत्र की बात करुँ तो 33 के 08 सब-स्टेशन हैं और जो माननीय विधायक जी बोल रहे हैं सलोन और अमावां के दो 132 के0वी0 सब-स्टेशनों से सप्लाई होती है, ऊँचाहार क्षेत्र का जो भार है, सलोन का अभी भी मात्र 60 प्रतिशत भार है, अभी भी 40 प्रतिशत क्षमता उसकी एक्स्ट्रा है। इसी प्रकार से अमावां की मात्र 48 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है और वहाँ काफी स्कोप है। मैंने पहले भी इनको सुझाव दिया था, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं इनके साथ व्यक्तिगत चर्चा भी कर सकता हूँ कि आपका 132 के0वी0 का सब-स्टेशन बनाने का जो आग्रह है, उसका हमारे विभाग की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जो अमावां से खास करके ऊँचाहार तहसील की सप्लाई होती है, उसकी दूरी 60 किमी0 है, यह बात आपकी सही है। उसके लिए हमारे पास दूसरा डलमऊ का जो 132 के0वी0 का सब-स्टेशन है, वहाँ से हम एक नया फीडर आपको स्पेशल बना करके दे देंगे और लगभग 6-7 करोड़ रुपये के खर्च से इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इससे समस्या का समाधान हो जायेगा, वही करा दीजिए।

अब मद संख्या-23।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के विकास कार्यों का शिलापटों में भेद-भाव के आधार पर जनप्रतिनिधियों के नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार/राज्य सरकार एवं उनकी...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मानते हैं।

(संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य, उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[सहायता से जनता के हित में कराये जा रहे विकास कार्यक्रमों में क्षेत्र के मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को आमंत्रित करने एवं शिलापट पर उनका नाम अंकित किये जाने तथा अनुमन्य प्रोटोकाल के तहत् उनके बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स के आलोक में संसदीय कार्य विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-01/2020/जी0आई0-18/90- सं0शि0प0का0/2020-02 (सं0शि0)/2015, दिनांक 13-10-2020 एवं शासनादेश संख्या-02/2020/1255/90-सं0शि0प0का0/2020-02 (सं0शि0)/2015, दिनांक 21-10-2020 द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को स्पष्ट एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।]

श्री अध्यक्ष-

आपको कुछ पूछना है ?

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इसके बारे में अभी कल ही चर्चा हो रही थी और सरकार के बार-बार आदेश होने के बावजूद विपक्ष के जितने भी एम0एल0ए0 हैं, यह व्यक्तिगत हमारी

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या नहीं है, बार-बार आदेश होने के बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के नाम, क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होते हैं, शिलापट पर लिखने का काम नहीं किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल चुके हैं और कल इस पर स्पष्ट रूप से कह चुके हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है, इस पर बार-बार आदेश होते रहे हैं, हमारी एक माँग है कि ऐसे अधिकारी जो तमाम आदेशों के बावजूद भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनको दण्डित भी करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कह दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कल आपने कृपा पूर्वक यह बात सुनी थी, जब इन्होंने व्यवस्था के प्रश्न पर यह बात उठायी थी। तब हमने उन दोनों शासनादेशों का जिक्र भी किया था जो शासन की तरफ से जारी किए गए हैं, एक 13/10 का और एक 21/10 का, इसकी कापी भी हमने मुख्य सचेतक जी को भिजवा दी थी और आपके माध्यम से पूरे हाउस को भी अवगत करा दिया था कि आपकी अध्यक्षता में इसमें बैठक हुई थी और उस पर निर्णय आना अभी शेष है। मुख्य सचिव को भी आपने बुलाया था और मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी निस्तारण हो जायेगा। माननीय सदस्य को परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने पहले से जो व्यवस्था की है, उससे और बेहतर व्यवस्था करने की हम कोशिश करेंगे।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, जनपद-झाँसी की भूमि को कूटरचित तरीके से हड़पने तथा उक्त विद्यालय के चारों तरफ दुकानों का निर्माण कर धन उगाही के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रकरण के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मानते हैं।

(माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र दिनांक 29-11-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आर्य कन्या इण्टर कालेज झाँसी की भूमि को कूटरचित तरीके से हड़पने तथा उक्त विद्यालय के चारों तरफ दुकानों का निर्माण कर धन उगाही एवं सरकारी एडेड विद्यालय के प्रांगण में एक प्राइवेट को-एजूकेशनल विद्यालय अवैध रूप से संचालित किये जाने आदि उल्लिखित शिकायतों की जाँच हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश संख्या सामान्य (1) तृतीय/1363/2023-24, दिनांक 29-11-2023 के द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक झाँसी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करते हुए एक सप्ताह में जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त गठित समिति द्वारा शिकायती प्रकरण में जाँच आख्या उपलब्ध कराने के उपरान्त प्राप्त जाँच आख्या के परीक्षणोपरान्त उक्त संस्था/प्रबन्ध समिति के विरुद्ध अनियमितता पाये जाने की स्थिति में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-16 डी(4) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

रवि शर्मा जी, जो जवाब आया है, उसमें कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं ?

श्री रवि शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है, उसमें मेरा आपसे निवेदन यह है कि जिस स्तर की वह कमेटी बनायी गयी है, उससे हमको न्याय मिल पाने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि सन् 2012 से सन् 2017 में हमने जिन पर आरोप लगाया है, वह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। उन्होंने विद्यालय पर कब्जा किया, जब कब्जा किया तो वर्तमान में जो डी0आई0ओ0एस0 हैं, उस समय उनके अधीन बी0एस0ए0 थे तो कब्जा करवाने वाले वही लोग हैं जो झाँसी में बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें एक उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता है क्योंकि वह बेशकीमती जगह है और उस बेशकीमती जगह पर एक-एक दुकान 50-50, 80-80 लाख रुपये की बेची गयी और मात्र 5-6 लाख रुपये विद्यालय की प्रबन्ध समिति में जमा किया गया, यह तो एक विषय हुआ। दूसरा वहाँ अवैध रूप से 2012 से सन् 2017 में जो विद्यालय पर कब्जा हुआ, चिटफण्ड सोसाइटी से रजिस्टर्ड वह विद्यालय है,

---

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन डी0आई0ओ0एस0 के यहाँ एक समिति जमा कर दी गयी और सीधे प्रबन्धक बन करके वह व्यक्ति बैठ गया। और तब से वहां पर लूट का खेल अनवरत रूप से जारी है। मेरा निवेदन यह है कि स्थानीय स्तर पर बनी हुई समिति के स्थान पर एक प्रदेश स्तर पर उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित की जाए, जिससे कि हमको न्याय मिल सके।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, रवि शर्मा जी ने जो कहा है, उसका हमने संज्ञान ले लिया है, हम मा0 मंत्री जी से इस सम्बन्ध में बात करके व्यवस्था करा देंगे।

क्षेत्रीय विकास निधि के कार्यों में जनपद के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को लम्बित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-1153...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[कार्य0 अनु0/वि0नि0/2023-24, दिनांक 30-11-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :-

डा0 रागिनी, मा0 सदस्य, विधान सभा, मछलीशहर के पत्र दिनांक 26-11-2022 द्वारा 03 विद्यालयों को धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में दिनांक 22-12-2022 को प्राप्त हुआ। जिसमें मा0 विधायक द्वारा विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में शासनादेश सं0-320/28/2017/अड़तीस-9-17-05 (रिट)/2013, दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त संशोधन विषयक बिन्दु सं0-2 के प्रस्तर-2.1 एवं प्रस्तर-3.5 के निर्देशानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमोदित कार्यदायी संस्था की सूची

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में वर्ष 2022-23 हेतु प्रबन्धतंत्र कार्यदायी संस्था के रूप में नामित नहीं था, परन्तु वर्ष 2023-24 में प्रबन्धतंत्र को कार्यदायी संस्था की सूची में सम्मिलित किया गया।

2-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जौनपुर द्वारा पत्र दिनांक 16 मार्च, 2023 द्वारा श्री आर0आर0 यादव पब्लिक बालिका जू0हा0स्कूल पाली गोठांव, जौनपुर से 15 बिन्दुओं पर अभिलेख एवं प्रमाण-पत्र मांगा गया। विद्यालय द्वारा दिनांक 05-06-2023 को अभिकरण कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध कराये गये, जिसके सत्यापन हेतु अभिकरण कार्यालय से उप जिलाधिकारी, मड़ियाहूँ को पत्र दिनांक 19-06-2023 एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर को पत्र दिनांक 19-06-2023 प्रेषित किया गया। विद्यालय के जमीन से सम्बन्धित सत्यापन सम्बन्धी उप जिलाधिकारी, मड़ियाहूँ का पत्र दिनांक 01-09-2023, अभिकरण कार्यालय में दिनांक 05-09-2023 को एवं विद्यालय की मान्यता एवं संचालन के सत्यापन सम्बन्धी अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 25-08-2023 द्वारा अभिकरण कार्यालय में दिनांक 30-08-2023 को प्राप्त हुए। अवर अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से दिनांक 29-09-2023 को विद्यालय का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ। विद्यालय से मसौदा समझौता दिनांक 12-10-2023 को किया गया। तदोपरान्त दिनांक 16-10-2023 को स्वीकृति उपरान्त प्रथम किस्त की धनराशि रु0 90,000.00 (रुपये नब्बे हजार मात्र) विद्यालय के खाते में अन्तरित करते हुए उक्त विद्यालय को सूचना प्रेषित कर दी गई।

चूंकि लाभार्थी संगठन से मसौदा समझौता (अनुबन्ध) दिनांक 12-10-2023 को किया गया। तदोपरान्त दिनांक 17-10-2023 को धनराशि विद्यालय के खाते में प्रेषित करते हुए अभिकरण कार्यालय के पत्र दिनांक 25-10-2023 द्वारा विद्यालय को अवगत कराया गया।

3-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जौनपुर द्वारा पत्रांक-3846, दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से श्री तुलसी राम शिक्षण संस्थान मनीपुर बरसठी जौनपुर से 15 बिन्दुओं पर अभिलेख एवं प्रमाण-पत्र मांगा गया। विद्यालय द्वारा दिनांक 05-07-2023 को अभिकरण कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध कराये गये, जिसके सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी मड़ियाहूँ को अभिकरण कार्यालय का पत्र दिनांक 10-07-2023 एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को पत्र दिनांक 10-07-2023 प्रेषित किया गया। विद्यालय के जमीन सत्यापन सम्बन्धी उप जिलाधिकारी, मड़ियाहूं का पत्र दिनांक 30-08-2023 अभिकरण कार्यालय में दिनांक 01-09-2023 को एवं विद्यालय की मान्यता एवं संचालन के सत्यापन सम्बन्धी अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 18-10-2023 अभिकरण कार्यालय में दिनांक 19-10-2023 को प्राप्त हुए। अवर अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से दिनांक 29-09-2023 को विद्यालय का स्थलीय सत्यापन प्राप्त हुआ। विद्यालय से मसौदा समझौता दिनांक 27-10-2023 को किया गया। तदोपरान्त दिनांक 27-10-2023 को स्वीकृति उपरान्त

प्रथम किस्त की धनराशि रु0 90,000.00 (रुपये नब्बे हजार मात्र) विद्यालय के खाते में अंतरण करते हुए उक्त विद्यालय को सूचना प्रेषित कर दी गई।

चूंकि लाभार्थी संगठन से मसौदा समझौता (अनुबन्ध) दिनांक 27-10-2023 को किया गया। तदोपरान्त दिनांक 27-10-2023 को धनराशि विद्यालय के खाते में प्रेषित करते हुए अभिकरण कार्यालय के पत्र दिनांक 07-11-2023 द्वारा विद्यालय को अवगत कराया गया।

4-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जौनपुर द्वारा पत्र दिनांक 16 मार्च, 2023 द्वारा श्याम दुलारी दयाराम बालिका विद्यालय अजोसी, मड़ियाहूं, जौनपुर से 15 बिन्दुओं पर अभिलेख एवं प्रमाण-पत्र मांगा गया। विद्यालय द्वारा दिनांक 26-10-2023 को अभिकरण कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध कराये गये, जिसके सत्यापन की कार्यवाही उप जिलाधिकारी, मड़ियाहूँ एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर में प्रचलित है। सत्यापनोपरान्त तथा औपचारिक अनुबन्ध प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार प्रकरण में समस्त वांछित प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें समय लगा है। अतः प्रकरण में जानबूझ कर कार्य बाधित नहीं किया गया है।

5-मा0 सदस्य द्वारा अपने निम्नांकित पत्रों द्वारा 18 वाट सोलर लाइट अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं :-

क्रमांक	पत्रांक	दिनांक	कार्यालय में प्राप्त तिथि	सूची स्थल
1	595	05-10-2023	11-10-2023	440
2	599	08-10-2023	16-10-2023	586
3	600	11-10-2023	26-10-2023	334

उपरोक्तांकित पत्रों द्वारा तीनों कार्य के लिये उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, प्रयागराज को कार्यदायी संस्था नियुक्त करके आगणन मंगाकर धनराशि अवमुक्त करने हेतु सहमति लेने का निर्देश दिया गया। सारणी के क्रमांक-1 पर अंकित परियोजना पर कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, प्रयागराज को नामित कर आगणन दिनांक 21-10-2023 को प्राप्त कर, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से कार्य के पूर्व का स्थलीय सत्यापन प्राप्ति दिनांक 17-11-2023, मा0 विधायक से वित्तीय सहमति प्राप्ति दिनांक 18-11-2023 के पश्चात् धनराशि दिनांक 23-11-2023 को अवमुक्त की जा चुकी है। शेष क्रमांक-2 एवं क्रमांक-3 की परियोजना पर कार्यदायी संस्था लघु उद्योग निगम लि0, प्रयागराज नामित है। इन परियोजनाओं पर आगणन की माँग की गई है। कार्य के पूर्व का स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। अभी

तक आगणन अप्राप्त है, प्राप्त होते ही तद्नुसार धनराशि अंतरण करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

साथ ही, अवगत कराना है कि उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, प्रयागराज के पास सांसद निधि एवं विधायक निधि के कार्य काफी मात्रा में लम्बित हैं। उनका कोई भी कार्यालय जनपद जौनपुर में अवस्थित नहीं है। इसलिए यू0पी0 नेडा, जौनपुर को राज्यानुदान अन्तर्गत सोलर लाइट अधिष्ठापन हेतु सुझाव दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-2305/38-03-2001- 500(9)/98टी0सी0, दिनांक 05 जुलाई, 2001 के बिन्दु सं0-3 में स्पष्ट व्यवस्था है कि कार्यदायी संस्था के चयन का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का है।

डॉ0 रागिनी-

उनके प्रस्ताव को अधिकारियों द्वारा लम्बित किया गया। एक प्रस्ताव था जिसे वर्ष 2022 नवम्बर में तीन स्कूलों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए शौचालय बनाने के लिए दिया गया, उस प्रस्ताव की धनराशि को एक साल बाद जो है, उसे रिलीज किया गया, अगर इस तरीके से अधिकारियों के द्वारा प्रस्तावों को रोका जाएगा तो किस तरीके से हम क्षेत्र में काम कर पाएंगे तो मैं मंत्री जी से संरक्षण चाहूंगी और साथ ही चाहूंगी कि इस प्रकार की अगर चीजें होती हैं तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि यह भविष्य में न हो।

विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के पालिका क्षेत्र में कच्चे नाले का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 मंजू शिवाच द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[57-मोदीनगर के नगर पालिका क्षेत्र में सिकैड़ा रोड से कपड़ा मिल तक का नाला कच्चा है तथा खुला हुआ है इसमें कई बार बच्चे व पशु गिर जाते हैं तथा डूब भी जाते है तथा इसका निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की माँग करती हूँ।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद में सिकैड़ा रोड से कपड़ा मिल तक का कच्चा नाला सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। अतः उक्त नाले के पक्के निर्माण व नाले को ढकने की कार्यवाही सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाना सम्भव है।]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर (लखनऊ) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरसण्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय हेतु भूमि हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[लखनऊ के पत्र दिनांक 30-11-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि कृषि संकाय को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में समावेशित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 22-10-2022 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तद्नुसार परिनियमावली में यथास्थान समावेशित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-वी0सी0/194/2023, दिनांक 11-08-2023 द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में कृषि संकाय स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर आने वाला समस्त व्ययभार विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोतों से वहन किया जाएगा।

3-विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरसण्ड, विकास खण्ड सरोजनीनगर में कृषि विभाग की भूमि में लखनऊ विश्वविद्यालय की नई शाखा (कृषि संकाय) स्थापित किये जाने का कोई भी प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग में विचाराधीन नहीं है।]

सदन के सुचारु रूप से संचालन हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं अन्य के प्रति आभार

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा अपने पूरे दल की ओर से, मा0 नेता सदन भी हैं आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक सदन का संचालन किया। हम दूसरे विधान सभाओं के लिए पढ़ते हैं कि कहीं दो घण्टे का स्थगित कहीं पूरे दिन का स्थगित होता है, लेकिन यहां पर जिस कुशलता के साथ चार दिन सदन के लिए आहूत किया गया था, आपने विशेष रूप से चारों दिन बिना किसी रुकावट के सदन का संचालन किया, जिसके लिए हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं। हम मा0 नेता सदन को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि यह अपनी तमाम व्यस्तताओं के बाद भी वह हाउस में पूरी रुचि के साथ और पूरे मनोयोग से और पूरी तन्मयता के साथ कुछ समय भी देते हैं और यहां की प्रोसीडिंग में भी काफी रुचि लेते हैं और जिस प्रकार से आज इन्होंने अपनी सरकार के सभी विषयों पर जो भी मा0 सदस्यों की जिज्ञासा थी उस पर अपनी बात रखकर मा0 नेता सदन को सभी विषयों पर अवगत कराया है, इसलिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं और आज भी हमारे मा0 नेता सदन गोरखपुर से दोपहर में आए और सीधे यहां सदन में आए और यह लगातार उस समय से यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनको विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन की कार्यवाही में रुचि लेकर हम सबका मार्ग दर्शन और प्रोत्साहन किया। मैं नेता विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि वह भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बाद भी सदन की कार्यवाही में पूरी रुचि लेते हैं और अपनी बात भी कहते हैं, उन्होंने आज खासतौर से हमें चिमनी देखने के लिए कहा कि आप चिमनी देखिए, लेकिन मैं बीच में बोला नहीं, लेकिन हमने चिमनी के साथ-साथ अंधेरा भी देखा है।

हमारे मा0 अवधेश प्रसाद जी जो प्रतिपक्ष के उप नेता हैं, उनका भी बहुत आभार। साथ ही मा0 शिवपाल जी, मा0 मोना जी, मा0 राजा भैया जी, मा0 लालजी वर्मा जी,

डॉ0 संजय निषाद जी, मा0 आशीष पटेल जी एवं अन्य सभी सम्मानित मंत्रीगण को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यवाही में पूरी तरह से गम्भीरता एवं तन्मयता के साथ रुचि लेकर हर विषय के ऊपर अपनी-अपनी बात रखकर हमारी सरकार का पक्ष रखा। साथ ही हम अपने सभी मा0 सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार चार दिन की कार्यवाही में पूरे मनोयोग से हिस्सा लिया, क्योंकि इस बार सदन जब तक चला, तब तक उसकी हर प्रकार से सार्थकता बनी रही। साथ ही हम अपने सभी मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने सदन की कार्यवाही को समाचार-पत्रों एवं अपने अन्य माध्यमों में पूरा स्थान दिया। साथ ही मैं अपने प्रमुख सचिव सहित अन्य सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य सहयोगियों का भी धन्यवाद करते हैं कि चाहे सदन की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे विधान सभा की कार्यवाही लेखन का कार्य हो तो हमारी विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी लगातार इसको मॉनिटर भी करते हैं और समय-समय पर आवश्यक मार्ग-दर्शन भी देते हैं। इसके साथ-साथ हम अन्य बचे हुए लोगों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों को भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आए और जहाँ तक इस परिस्थिति में किसी शेर की बात है तो-

चिरागों को आँखों में महफूज़ रखना,
सफर में न जाने कहाँ रात होगी,
मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब सदन अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव रखा जाना है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अब राष्ट्र-गान होना है।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़ उत्कल बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 34 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 ई0

श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-72 पर)

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989
(CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES, 1989)

सा०का०नि० 590—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का प्ररूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 68 (ई) तारीख 31 जनवरी, 1989 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, तारीख 31 फरवरी, 1989 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालिस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव माँगे गए थे :

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को 3 मार्च, 1989 को उपलब्ध कर, दी गई थीं।

और उक्त प्ररूप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 211 के साथ पठित धारा 12, 27, 64 धारा 88 की उपधारा (14), धारा 110, 137, 164 और 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

अध्याय 1
प्रारम्भिक (Preliminary)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (Short, title and commencement)—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 है।

(2) उपनियम (3) [2][और नियम 103 के उपनियम (2)] में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये नियम 1 जुलाई, 1989 को प्रवृत्त होंगे।

(3) नियम 16 के उपनियम (3), [1][नियम 9] नियम 96 के उपनियम 4, [3][* * *] नियम 105 के उपनियम (3), नियम 113, नियम 115 के उपनियम (2), (3), (4) या (5), नियम 118, 122, 124, 125, 126 और 127 के उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषा (Definitions)—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "*अधिनियम*" से मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

[4][(ख) "*कृषि ट्रैक्टर*" (Agricultural tractor) का अर्थ है यांत्रिक शक्ति से चालित चार पहिया वाहन जो खेतों में बहुत से कार्य करने के लिये उपयुक्त यन्त्रों का उपयोग करने की दृष्टि से बनाया गया हो और/अथवा कृषि पदार्थों का परिवहन करने के लिए एक ट्रेलर से युक्त हो। कृषि ट्रैक्टर एक अपरिवहनीय वाहन है;

(ग) "*कृषि ट्रेलर*" (Agricultural trailer) से अभिप्रेत है सामान्यतः एक धुरी पर बनाया गया खुला ट्रेलर जो एक कृषि ट्रैक्टर के साथ दो हुकों द्वारा जोड़ दिया जाता है और प्रमुखतः कृषि पदार्थों, के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है];

[5][(गक) "संयुक्त हारवेस्टर" से निम्नलिखित कार्यों में से एक अधिक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई कोई मशीन अभिप्रेत है, (जो स्वतःनोदित या कृषि ट्रैक्टर, जो मुख्य संयुक्तों के लिए या मशीन के किसी अन्य संलग्नकों के लिए ट्रेलर से) या तो युग्मित या शक्तिशाली कृषि ट्रैक्टर;

---

1. देखें सा०का०नि० 590(ई०), दिनांक 2.6.1989, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, में दिनांक 2.6.1989 को प्रकाशित।
2. सा०का०नि० 933(ई०), दिनांक 28.10.1989 द्वारा 28.10.1989 से अन्तःस्थापित।
3. सा०का०नि० 221(ई०), दिनांक 28.3.2001 द्वारा 28.3.2001 से शब्दों और अंकों "नियम 103 का उपनियम (3)" को लोप किया गया।
4. सा०का०नि० 338(ई०), दिनांक 26.3.1993 द्वारा (26.3.1993 से) अन्तःस्थापित।
5. सा०का०नि० 212(अ), दिनांक 20.3.2015 द्वारा (1.4.2015 से) अन्तःस्थापित।

THE CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES, 1989[1]

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(2) Save as otherwise provided in sub-rule (3) [2][and sub-rule (2) of rule 103], these rules shall come into force on the 1st day of July, 1989.

(3) The provisions of [2][rule 9,] sub-rule (3) of rule 16, sub-rule (4) of rule 96, [3][***] sub-rule (3) of rule 105, rule 113, sub-rules (2), (3), (4) or (5) of rule 115, rules 118, 122, 124, 125, 126 and 127 shall come into force on such date* as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

[4][(b) "agricultural tractor" means any mechanically propelled 4-wheel vehicle designed to work with suitable implements for various field operations and/or trailers to transport agricultural materials. Agricultural tractor is a non-transport vehicle];

[4][(c) "agricultural trailer" means a trailer generally left uncovered with single/double axle construction which is coupled to an Agricultural Tractor by means of two hooks and predominantly used for transporting agricultural materials;]

[5][(ca) "Challan" means a document, in physical or electronic form issued by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf, to a person acting in violation of the provisions of the Act, in the form of a receipt comprising the details of the offence committed and the offender, the amount of penalty imposed and mode of collection of the same, if applicable, details of the officer issuing such document and other details as may be specified by the State Government;

Explanation: For the purposes of this clause, E-challan shall mean a challan issued in electronic form.

(cb) "Combine Harvester" means an agricultural equipment vehicle, self propelled or agricultural tractor powered type (either coupled to the trailer for header assemble or any other attachment of machine) designed to perform more than one of the following tasks, namely:—

(i) Picking, harvesting, threshing, separating, cleaning, chopping, collecting and unloading crop or agricultural produce, such as a grain, sugarcane,

---

1. *Vide* G.S.R. 590(E), dated 2nd June, 1989, published in the Gazette of India, Extra., Pt II, Sec. 3(i), dated 2nd June, 1989.
2. Ins. by G.S.R. 933(E), dated 28th October, 1989 (w.e.f. 28-10-1989).
3. The words and figures "sub-rule (3) of rule 103" omitted by G.S.R. 221(E), dated 28th March, 2001 (w.e.f. 28-3-2001).

* Rules 126 and 127 came into force on 1-4-1991, *vide* S.O. 941(E), dated 11th December 1990.

* Rule 118 came into force on 1-7-1993, *vide* S.O. 427(E), dated 27th June 1991.

4. Added by G.S.R. 338(E), dated 26th March, 1993 (w.e.f. 26-3-1993).
5. Subs. by G.S.R. 584(E), dated 25th September, 2020, for clause (ca) (w.e.f. 1-10-2020). Earlier clause (ca) was inserted by G.S.R. 212(E), dated 20th March, 2015 (w.e.f. 1-4-2015). Clause (ca) before substitution, stood as under:

"(ca) "combine harvester" means an agricultural equipment vehicle, self propelled or agricultural tractor powered type (either coupled to the trailer for header assembly or another attachment of the machine) designed to perform more than one of the following tasks namely:—

(i) picking, harvesting, threshing, separating, cleaning, chopping, collecting and unloading crop or agricultural produce, such as grain, sugarcane, cotton, fodder, straw or stalk, while moving through the standing crop or agricultural produce;

(ii) arrangement of bagging with a pick-up attachment to use it for handling crop that has been swathed.

Explanation.—For the purpose of this clause, a combine harvester shall be a non-transport motor vehicle, the driving on the road of which is incidental to the main intended use in the fields and for travelling from one field to another, for short durations, at a speed not exceeding thirty kilometre per hour;"

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-33 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-77-78 पर)

श्री तनवीर सिद्दीकी एवं अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित माँग पत्र दिनांक 14/11/2022 पर कृत कार्यवाही का विवरण

	माँग पत्र के बिन्दु	आख्या
1.	सूचना कानून अमल में आने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पूर्ववर्ती मुख्य सूचना आयुक्त मा. मो. असगर खान को तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री टी0वी0 राजेश्वर राव द्वारा 09 जुलाई, 2008 को निलंबित किया गया। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में पदस्थ मां0 सूचना आयुक्तगण की कार्यप्रणाली से व्यथित आरटीआई प्रयोगकर्ताओं द्वारा जब भी मां0 सूचना आयुक्तगण के द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों की शिकायत महामहिम राज्यपाल महोदया के समक्ष आरटीआई एक्ट की धारा 17 के तहत प्रस्तुत/प्रेषित की गई, अधिकतर प्रकरणों में उक्त शिकायतों को सरसरी तौर पर प्रशासनिक सुधार विभाग अथवा राज्य सूचना आयोग भेज दिया जाता है. जो अंतिमतः आरोपी सूचना आयुक्त को अंतरित करके प्रकरण को पत्रचालित कर दी जाती हैं तथा इसका दुष्परिणाम सम्बन्धित शिकायतकर्ता को सहन करने को विवश होना पड़ता है। सम्बन्धित मा0 आयुक्त महोदय द्वारा उक्त आरटीआई प्रयोगकर्ता का विभिन्न प्रकार से उत्पीडन आरम्भ कर दिया जाता है जिसे रोके जाने के लिए यह आवश्यक है कि शिकायत पर कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के स्तर पर जाँच प्रकोष्ठ/जाँच समिति गठित कर कराई जाए, जो जाँच करके जाँच आख्या महामहिम राज्यपाल महोदया को प्रेषित करें जिस पर गुण-दोष के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही कराकर पीड़ित आरटीआई प्रयोगकर्ताओं को न्याय प्रदान कराया जा सके एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना को संरक्षित किया जा सके।	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वांछित अनुतोष देय नहीं है।
2.	महामहिम राज्यपाल महोदया से संस्था की तरफ से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की भांति महामहिम द्वारा राज्य सूचना आयोग के कार्यों का भी निर्धारित समय अंतराल पर स्थलीय निरीक्षण और बैठकों के माध्यम से पर्यवेक्षण आरम्भ कराने के लिए कार्यवाही कराने की कृपा की जाए ताकि सूचना आयोग की कार्यप्रणाली को सही अर्थों में पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वांछित अनुतोष देय नहीं है।
3.	उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली धारा 18 की शिकायतों और धारा 19 (3) की अपीलों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से प्रकार वर्षों तक विचाराधीन रहते है, जबकि जिन मामलों में आरटीआई आवेदक माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेते हैं उनमें समयबद्ध रूप से निपटारे के आदेश किये जाते हैं अतः महामहिम राज्यपाल महोदया से संस्था के तरफ से विनम्र अनुरोध है कि आयोग में प्रचलित मामलों का समयबद्ध रूप से निपटारा करने के लिए नीति/नियमावली बनाई जाए तथा लम्बे समय से लंबित मामलों की राज्यपाल सचिवालय की समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाए। कराने के लिए कार्यवाही कराने की कृपा की जाए।	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वांछित अनुतोष देय नहीं है।
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कार्य का समय पूर्वाहन 09:30 से सायंकाल 06:00 बजे तक निर्धारित है किन्तु मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण की उपस्थिति अंकित करने की बायोमेट्रिक व्यवस्था नहीं होने के कारण मां0 सूचना आयुक्त महोदय मनमाने रूप से आयोग आते-जाते हैं तथा मां0 सूचना आयुक्तगण महोदय द्वारा सुनवाई आरम्भ और समाप्त करने की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन नहीं किये जाने का खामियाजा पूरे प्रदेश के सभी जिलों से आये आरटीआई आवेदकों को भुगतने को विवश होना पड़ता हैं जिसे दृष्टिगत रखते हुए सूचना आयोग में सभी मां0 सूचना आयुक्त महोदय की बायोमेट्रिक उपस्थिति आरम्भ कराने के लिए कार्यवाही कराने की कृपा की जाए।	उ0प्र0 सूचना आयोग संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक स्वायत्ता निकाय है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त का पद सांविधानिक पद है। सांविधानिक पद पर नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त की बायोमैट्रिक पद्धति से उपस्थिति का प्राविधान समीचीन नहीं है।

5.	सूचना आयोग में कार्य आवंटन में बदलाव के चलते किसी मामले की पत्रावली एक आयुक्त से दूसरे आयुक्त को अंतरित किये जाने पर अधिकांशतः प्रकरणों में पहले आयुक्त के आदेश को पूरी तरह से पलट कर विरोधाभाषी आदेश पारित किया जा रहा है। अतः ऐसे मामलों में सूचना आयुक्तों की बड़ी बेंच बनाकर मामले का निर्धारण कराने की व्यवस्था कराने के लिए कार्यवाही कराने की कृपा की जाए।	उ0प्र0 सूचना आयोग संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है वांछित अनुतोष उ0प्र0 सूचना आयोग की आंतरिक कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है। राज्य सूचना आयुक्तगण की बड़ी बेंच गठित कर मामले के निस्तारण की कोई व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अथवा उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 में प्राविधानित नहीं है।
	सूचना आयोग में किसी सूचना आयुक्त के अवकाश पर जाने पर सम्बन्धित मा0 आयुक्त के समक्ष सूचीबद्ध मामलों में कई महीने आगे की जनरल डेट दिए जाने की व्यवस्था प्रचलित है जिसके कारण से सूचना आयोग आये आरटीआई आवेदकों के ससमय सूचना पाने के अधिकार का हनन होता है अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उपभोक्ता आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य सेवा अधिकरण में प्रचलित व्यवस्था की तरह ही किसी सूचना आयुक्त के अवकाश पर होने पर सम्बंधित सूचीबद्ध मामलों को उस दिन उपस्थित मा0 सूचना आयुक्तों के सुनवाई कक्षों में अन्तरित करके उसी दिन सुनवाई कराने की व्यवस्था कराने के लिए कार्यवाही कराने की कृपा की जाए।	उ0प्र0 सूचना आयोग संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है वांछित अनुतोष उ0प्र0 सूचना आयोग की आंतरिक कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है। आवेदनकर्ताओं की माँग के अनुसार सूचना आयुक्त के अवकाश पर होने पर सम्बन्धित सूचीबद्ध मामलों को उस दिन उपस्थित मा0 सूचना आयुक्तों के सुनवाई कक्षों में अन्तरित करके उसी दिन सुनवाई कराने की व्यवस्था करना, उ0प्र0 सूचना आयोग की आन्तरिक कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है, जिसके निर्धारण का अधिकार एक स्वायत्त सांविधानिक संस्था के रूप में उ0प्र0 सूचना आयोग में निहित है। इसमें किसी अन्य स्तर से निर्देश दिया जाना विधिसंगत नहीं है।
7.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Anjali Bhardwaj and others Vs. Union of India and others मामले में दिनांक 15.02.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए देश के सभी सूचना आयोगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य निर्देश जारी किये थे : Para-67 of Anjali Bhardwaj (Supra) is reproduced as under :- "67-(i) Insofar as transparency in appointment of Information Commissioners is concerned, pursuant to the directions given by this Court, the Central Government is now placing all necessary information including issuance of the advertisement, receipt and applications] particulars of the applicants] composition of Selection Commitee etc. on the website. All States shall also follow this system-.	मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।
	(ii) Insofar as terms and conditions of appointment are concerned, no doubt, Section 13 (5) of RTI Act states that the CIC and Information Commissioners shall be appointed on the same terms and conditions as applicable to the Chief Election Commissioner @ Election Commissioner- At the same time, it would also be appropriate if the said terms and conditions on which such appointments are to be made are specifically stipulated in the advertisement and put on website as well.	

	(iii) Likewise, it would also be appropiate for the Search Committee to make the criteria for shortlisting the candidates, public so that it is ensured that shortlisting is done on the basis of objective and rational criteria. (iv) We also expect that information commissioners are appointed from other streams, as mentioned in the Act and selection is not limited only to the Government employee/ex-government employee. In this behalf, the Respondents shall also take into consideraion and follow the bellow directions given by this Court in Union of India V. Namit Sharma (2013) 10 SCC 359. (iii) We direct that only persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in the fields mentioned in Sections 12(5) and 15(5) of the Act be considered for appointment as information and Chief Information Commissioner. (iv) We further direct that persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in all the fields. mentioned is Sections 12(5) and 15(5) of the Act, namely, law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance, be considered by the Committees Under Sections 12(3) and 15(3) of the Act for appointment as Chief Information Commissioner or Information Commissioners. (v) We further direct that the Committees Under Sections 12(3) and 15(3) of the Act while making recommendations to the President or to the Governor, as the case may be, for appointment of Chief Information Commissioner and Information Commissioners must mention against the name of each cadidate recommended, the facts to indicate his eminence in public life, his knowledge in the particular field and his experience in the particular field and these facts must be accessible to the citizens as part of their right to information under the Act after the appointment is made." (vi) We would also like to impress upon the Respondents to fill up vacancies, in future, without any delay. For this purpose, it would be apposite that the process for filling up of a particular vacancy is initiated 1 to 2 months before the date on which the vacancy is likely to occur so that there is not much time lag between the occurrence of vacancy and filling up of the said vacancy." भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना प्रदेश सरकार के लिए बाध्यकारी है किन्तु प्रदेश में सूचना आयुक्तों के पद वर्षों तक रिक्त रहते हैं जिसके कारण आयोग में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है और आरटीआई आवेदकों को ससमय सूचना पाने के अधिकार से वंचित रहना पड़ता है। महामहिम राज्यपाल महोदया से संस्था की विनती है कि`पया भविष्य में सूचना आयोग में रिक्त होने वाले सूचना आयुक्तों के पदों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ससमय भरा जाए तथा वर्तमान में रिक्त चल रहे सूचना आयुक्तों के दो पदों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से भरने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाएँ ।	

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-58 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-90 पर)

विगत 05 वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस की जिलेवार संख्या का विवरण

S.No		Name Of The RTO Office	Numbers of DL
1	UP11	RTO,SAHARANPUR	150690
2	UP12	ASST.RTO,MUZAFFARNAGAR	106696
3	UP13	ASST.RTO, BULANDSHAHAR	91520
4	UP14	RTO, GHAZIABAD	258336
5	UP15	RTO, MEERUT	191963
6	UP16	ASST.RTO, GAUTAMBUDHNAGAR	175950
7	UP17	ASST.RTO, BAGHPAT	56345
8	UP19	ARTO OFFICE,SHAMLI	54580
9	UP20	ASST.RTO, BIJNOR	125243
10	UP21	RTO, MORADABAD	135114
11	UP22	ASST.RTO, RAMPUR	70877
12	UP23	ASST.RTO, JYOTIBAPHULE NAGAR	65708
13	UP24	ASST.RTO, BADAUN	75323
14	UP25	RTO, BAREILLY	143016
15	UP26	ASST.RTO, PILIBHIT	70976
16	UP27	ASST.RTO, SHAHJAHANPUR	83264
17	UP30	ASST.RTO, HARDOI	94845
18	UP31	ASST.RTO, LAKHIMPUR KHERI	79959
19	UP32	RTO, LUCKNOW	243067
20	UP32A	TRANS GOMTI OFFICE, LUCKNOW	81547
21	UP33	ASST.RTO, RAEBARELI	78849
22	UP34	ASST.RTO, SITAPUR	93798
23	UP35	ASST.RTO, UNNAO	92244
24	UP36	ARTO OFFICE, AMETHI	72958
25	UP37	ARTO OFFICE,HAPUR	58183
26	UP38	ARTO OFFICE,SAMBHAL	47834
27	UP40	ASST.RTO, BAHRAICH	58562
28	UP41	ASST.RTO, BARABANKI	84229
29	UP42	RTO, AYODHYA	93517
30	UP43	RTO, GONDA	63160
31	UP44	ASST.RTO, SULTANPUR	90537
32	UP45	ASST.RTO, AMBEDKAR NAGAR	66091
33	UP46	ASST.RTO, SHRAVASTI	14547
34	UP47	ASST.RTO, BALRAMPUR	39407
35	UP50	RTO, AZAMGARH	135470
36	UP51	RTO, BASTI	72747
37	UP52	ASST.RTO, DEORIA	87542
38	UP53	RTO, GORAKHPUR	153768
39	UP54	ASST.RTO, MAU	71691
40	UP55	ASST.RTO, SIDDHARTHNAGAR	54629
41	UP56	ASST.RTO, MAHARAJGANJ	77874
42	UP57	ASST.RTO, PADRAUNA (KUSHINAGAR)	77219
43	UP58	ASST.RTO, SANT KABIR NAGAR	44944
44	UP60	ASST.RTO, BALLIA	90673

45	UP61	ASST.RTO, GHAZIPUR	89629
46	UP62	ASST.RTO, JAUNPUR	132394
47	UP63	RTO, MIRZAPUR	74353
48	UP64	ASST.RTO, SONBHADRA	56370
49	UP65	RTO, VARANASI	109620
50	UP65A	RTO EXTENTION COUNTER OFFICE, VARANASI	60573
51	UP66	ASST.RTO, BHADOHI	54059
52	UP67	ASST.RTO, CHANDAULI	49891
53	UP70	RTO, PRAYAGRAJ	199306
54	UP71	ASST.RTO, FATEHPUR	55603
55	UP72	ASST.RTO, PRATAPGARH	122209
56	UP73	ASST.RTO, KAUSHAMBI	39811
57	UP74	ASST.RTO, KANNAUJ	49614
58	UP75	ASST.RTO, ETAWAH	53206
59	UP76	ASST.RTO, FARRUKHABAD	74153
60	UP77	ASST.RTO, KANPUR DEHAT	43311
61	UP78	RTO, KANPUR NAGAR	168140
62	UP79	ASST.RTO, AURAIYA	46435
63	UP80	RTO, AGRA	181051
64	UP81	RTO, ALIGARH	125435
65	UP82	ASST.RTO, ETAH	55494
66	UP83	ASST.RTO, FIROZABAD	67092
67	UP84	ASST.RTO, MAINPURI	68922
68	UP85	ASST.RTO, MATHURA	91731
69	UP86	ASST.RTO, HATRAS (MAHAMAYA NAGAR)	47744
70	UP87	ASST.RTO, KASGANJ	46695
71	UP90	RTO, BANDA	38755
72	UP91	ASST.RTO, HAMIRPUR	25824
73	UP92	ASST.RTO, JALAUN	38635
74	UP93	RTO, JHANSI	66434
75	UP94	ASST.RTO, LALITPUR	24424
76	UP95	ASST.RTO, MAHOBA	19194
77	UP96	ASST.RTO, CHITRAKOOT DHAM	16809
		Grand Total	**6568408**

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-66 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-96 पर)

जनपदों में निर्माणाधीन कारागारों के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बंदी क्षमता में सृजन

क0	कारागार का नाम	कार्यदायी संस्था	क्षमता सृजन	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	जि0का0 प्रयागराज	राजकीय निर्माण निगम	2688	98 प्रतिशत	जिला कारागार प्रयागराज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण। जिलाधिकारी कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है कारागार को हस्तगत एवं अधिसूचित कर अतिशीघ्र कियाशील की कार्यवाही की जानी है।
2	जि0का0 श्रावस्ती	राजकीय निर्माण निगम	502	97 प्रतिशत	जिला कारागार प्रयागराज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण। जिलाधिकारी कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है कारागार को हस्तगत एवं अधिसूचित कर अतिशीघ्र कियाशील की कार्यवाही की जानी है।
3	जि0का0 अमेठी	लोक निर्माण विभाग (ई0पी0सी0 मोड पर)	990	14 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर। कार्यदायी संस्था लो0नि0वि0 द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य 20.10.2024 रखा गया है।
4	जि0का0 महोबा	लोक निर्माण विभाग	990	18 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर। कार्यदायी संस्था लो0नि0वि0 द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य 15.11.2024 रखा गया है।
5	पुरानी जि0का0 बस्ती को पुनः चालू किये जाने हेतु मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य	लोक निर्माण विभाग	2579	25 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर। कार्यदायी संस्था लो0नि0वि0 द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य 19.11.2024 रखा गया है।
6	जि0का0 हाथरस	लोक निर्माण विभाग	1026		आगणन रू0 184.94 करोड़ मा0 मंत्रि परिषद से अनुमोदन प्राप्त। वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव दिनांक 28.07.2023 को शासन प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	कुल बन्दी क्षमता		8775		

(ए0 के0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्माणाधीन बैरकों को पूर्ण कराये जाने की निर्धारित तिथि एवं क्षमता सृजन

क्र0	कार्य का नाम	क्षमता सृजन	कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य
1	के0का0 वाराणसी में 30 क्षमता की 06 नग बैरक का निर्माण	180	कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण है। प्रकरण एस0आई0टी0 जॉच से आच्छादित है। अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु ई0 निविदा की कार्यवाही प्रचलित। ई0 निविदा के अनुसार अनुबन्ध गठित करने के 06 माह में कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन कार्यदायी संस्था द्वारा दिया गया है।
2	जि0का0 फतेहगढ़ 30 बन्दी क्षमता की 02 नग बैरक का निर्माण	60	कार्य प्रगति पर। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य 31 मार्च 2024 रखा गया है।
3	जि0का0 इटावा मे 30 बन्दी क्षमता की 01 नग बैरक का निर्माण	30	
4	जि0का0 रायबरेली मे 12 बन्दी क्षमता की उच्च सुरक्षा बैरक इन्क्लोजर वॉल सहित	12	
5	जि0का0 महाराजगंज में 12 बन्दी क्षमता की उच्च सुरक्षा बैरक इन्क्लोजर वॉल सहित	12	
6	जि0का0 बिजनौर में 12 बन्दी क्षमता की उच्च सुरक्षा बैरक इन्क्लोजर वॉल सहित	12	
7	जि0का0 फतेहगढ़ 30 बन्दी क्षमता की 04 नग बैरक का निर्माण	120	कार्य प्रगति पर। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य 31 अक्टूबर 2024 रखा गया है।
8	जि0का0 रायबरेली मे 30 बन्दी क्षमता की 04 नग बैरक का निर्माण	120	
9	जि0का0 मथुरा मे 30 बन्दी क्षमता की 04 नग बैरक सर्किलवॉल सहित	120	
10	जि0का0 गोरखपुर मे 30 बन्दी क्षमता की 04 नग बैरक इन्क्लोजर वॉल सहित	120	
	कुल योग	786	

(ए0 के0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Over crowding

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित बैरकों के निर्माण से अतिरिक्त बंदी क्षमता का सृजन

क0	कार्य का नाम	बन्दी क्षमता सृजन	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
1	जि0का0 मैनपुरी उच्च सुरक्षा बैरक 12 बंदी क्षमता मय इन्क्लोजर वॉल सहित	12	कार्ययोजना स्वीकृत। आगणन स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
2	जि0का0 बुलन्दशहर उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता) इनक्लोजर वॉल सहित	12	
3	जि0का0 गाजियाबाद उच्च सुरक्षा बैरक (24 क्षमता)	24	
4	जि0का0 वाराणसी उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता)	12	
5	जि0का0 मेरठ उच्च सुरक्षा बैरक (24 क्षमता)	24	
6	जि0का0 बस्ती उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता) इनक्लोजर वॉल सहित	12	
7	जि0का0 गाजीपुर उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता)	12	
8	जि0का0 बांदा उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता) इनक्लोजर वॉल सहित	12	
9	जि0का0 सोनभद्र उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता) इनक्लोजर वॉल सहित	12	
10	जि0का0 अलीगढ़ 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल)	60	
11	जि0का0 अयोध्या 30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता	120	
12	जि0का0 सुल्तानपुर 30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता	120	
13	जि0का0 बुलन्दशहर 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
14	के0का0 वाराणसी 30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता	120	
15	जि0का0 भदोही 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
16	जि0का0 फतेहपुर 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
17	जि0का0 कौशाम्बी 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
18	के0का0 फतेहगढ़ 30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता	120	
19	जि0का0 उरई 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
20	के0का0 बरेली में 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
21	जि0का0 बस्ती पुरानी बैरक संख्या–2 के स्थान पर 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
22	जि0का0 मऊ 30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता	120	
23	जि0का0 आगरा 30 क्षमता की 04 नग बैरक डबल स्टोरी (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता इन्क्लोजरवॉल सहित	120	

Over crwding

(ए० के० सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु०)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

24	जि0का0 सीतापुर मेनवॉल का विस्तारीकरण कर 30 क्षमता की 04 नग (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता बैरकों का इन्क्लोजरवॉल सहित निर्माण	120	
25	जि0का0 रायबरेली मेनवॉल का विस्तारीकरण कर 30 क्षमता की 04 नग (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता बैरकों का इन्क्लोजरवॉल सहित निर्माण	120	
26	जि0का0 मैनपुरी 30 क्षमता की 02 नग बैरक बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता	60	
27	जि0का0 मेरठ 30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) कुल 120 क्षमता	120	
	30 क्षमता की 54 नग बैरक (कुल क्षमता– 1620) एवं 12 क्षमता की 07 नग तथा 24 क्षमता की 02 नग उच्च सुरक्षा बैरकों (कुल क्षमता 132)के निर्माण से अतिरिक्त बन्दी क्षमता का सृजन	1752	

D.K. Tripathi

(ए0 के0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नव सृजित/कारागार विहीन जनपदों में कारागारों के निर्माण से बंदी क्षमता में सृजन

क0	जनपद का नाम	क्षमता सृजन	अद्यतन स्थिति	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
1	कुशीनगर	1026	आगणन रू0 22831.52 लाख पर मा0 मन्त्रि परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।	उक्त समस्त कार्यो को 02 से 05 वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए 02 से 05 वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2	हापुड़	1000	आगणन रू0–20177.93 लाख को मु0 के पत्र दिनांक–10.11.2023 द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।	
3	भदोही	1000	भूमि क्रय किये जाने हेतु रू0 24.19 करोड़ की धनराशि शासनादेश दि0 26.08.2022 के द्वारा जिलाधिकारी भदोही को उपलब्ध करायी जा चुकी है। रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रगति पर।	
4	अमरोहा	1000	पूर्व में चयनित भूमि टॉउन एरिया में आ जाने के कारण किसानों द्वारा भूमि क्रय हेतु सहमति प्रदान न किये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमरोहा द्वारा नवीन भूमि चयनित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
5	संभल	1000	भूमि चयनित कर ली गयी है। शासन द्वारा दिनांक 14.07.2023 को कृषकों की भूमि के सम्बन्ध में 26.349 हे0 भूमि क्रय हेतु रू0 24.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।	
6	शामली	2000	भूमि चयनित। शासनादेश दि0– 27.09.2023 द्वारा रू0–50.00 करोड़ की भूमि क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी शामली को उपलब्ध करायी जा चुकी है। कारागार (मु0) के पत्र दिनांक 19.10.2023 के द्वारा वांछित कुल धनराश 96,50,20,327/– के सापेक्ष भूमि क्रय हेतु अवशेष धनराशि रू0 46,20,50,237/– की मांग शासन से की गयी है।	
7	औरैया	1000	भूमि प्राप्त। आगणन गठित किये जाने हेतु लो0नि0वि0 से अनुरोध किया गया है।	
8	चन्दौली	1000	पूर्व में चयनित भूमि विवादित होने के कारण नयी भूमि को चयनित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित।	
	कुल योग	9026		

D. Kripalu

(ए0 के0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिफ्टिंग के आधार पर कारागारों के निर्माण से बंदी क्षमता में सृजन

क0	कारागार का नाम	क्षमता सृजन	अद्यतन स्थिति	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
1	जि0का0 मुरादाबाद (3000–652)	2348	कारागार के निर्माण हेतु लो0नि0वि0 से संशोधित आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।	उक्त समस्त कार्यो को 02 से 05 वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए 02 से 05 वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2	जि0का0 शाहजहांपुर (2120–511)	1609	आगणन रू0 351.94 करोड़ पर मा0 मन्त्रि परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।	
3	जि0का0 जौनपुर (1026–320)	706	आगणन रू0 179.79 करोड़ कारागार (मु0) के पत्र दिनांक 06.07.2023 द्वारा शासन प्रेषित। धनराशि स्वीकृति के उपरान्त लो0नि0वि0 द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर 02 वर्ष में नवीन जि0का0 का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।	
4	जि0का0 कानपुर नगर (5000–1245)	3755	भूमि प्राप्त। कारागार के निर्माण हेतु लो0नि0वि0 को आगणन तैयार कराये जाने हेतु शासन के पत्र दि0–12.10.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है। लो0नि0वि0 से अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित।	
5	जि0का0 बदायूँ (2000–529)	1471	भूमि चयनित। 05 कृषकों की भूमि का प्रकरण न्यायालय से निस्तारित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित।	
6	जि0का0 मुजफ्फरनगर (2000–870)	1130	पूर्व में चयनित भूमि के डी नोटिफकेशन की कार्यवाही प्रचलित। नवीन भूमि चयनित।	
7	जि0का0 वाराणसी (2000–747)	1253	भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलित।	
8	जि0का0 रामपुर (1000–450)	550	भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलित।	
9	जि0का0 सहारनपुर (2000–533)	1467	भूमि चयनित। शासन से धनराशि रू0–508701816/– की मॉग की गयी है।	
10	जि0का0 बलिया (2000–339)	1661	भूमि चयनित। पुरानी जि0का0 बलिया की भूमि जी0आई0सी0 बलिया को दिये जाने तथा नवीन जि0का0 के निर्माण हेतु चयनित भूमि की धनराशि की स्वीकृति पर निर्णय हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित।	
	योग–	**15950**		

Over crwding

(ए0 के0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जनपद ललितपुर में कारागार के निर्माण से बन्दी क्षमता में सृजन

	जनपद ललितपुर में जि0का0 एवं के0का0 का निर्माण	क्षमता सृजन	अभियुक्ति	कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य
	जनपद ललितपुर में 1000 क्षमता की जि0का0 एवं 2000 क्षमता की के0का0 का निर्माण	3000	भूमि प्राप्त। ली0नि0वि0 के स्तर से ले0 आउट व आगणन गठन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित।	उक्त समस्त कार्यो को 02 से 05 वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए 02 से 05 वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
	कुल योग	3000		

D.K.Tripathi

(ए0 के0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उ0प्र0 प्रदेश, लखनऊ।

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-103-104 पर)

श्री राम अवतार सिंह सैनी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र, 2023 प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–75 का

अनुपूरक सूचना

प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों में एक अटल आवासीय विद्यालय का ई0पी0सी0 मोड पर निर्माण कार्य स्वीकृत है। वर्तमान में बरेली में मुरादाबाद को छोड़कर शेष सभी 16 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय नवनिर्मित भवनों में संचालित हैं।

अटल आवासीय विद्यालयों का सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम एवं सत्यापन की तिथि का विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	अटल आवासीय विद्यालय का नाम	मानकों का सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम	सत्यापन की तिथि
1	अटल आवासीय विद्यालय, गोण्डा	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	25.08.2023
2.	अटल आवासीय विद्यालय, ललितपुर (झाँसी)	डॉ0 दिपेश सिंह, एसोसियेट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर	23.08.2023
3.	अटल आवासीय विद्यालय, आजमगढ़	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	12.08.2023
4.	अटल आवासीय विद्यालय, लखनऊ	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	16.10.2023
5.	अटल आवासीय विद्यालय, अयोध्या	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	13.08.2023
6.	अटल आवासीय विद्यालय, गोरखपुर	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	30.10.2023
7.	अटल आवासीय विद्यालय, अलीगढ़	प्रोफेसर श्री अमजद मसूद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	04.09.2023
8.	अटल आवासीय विद्यालय, प्रयागराज	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	27.08.2023
9.	अटल आवासीय विद्यालय, सोनभद्र (मिर्जापुर)	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	04.07.2023
10.	अटल आवासीय विद्यालय, बस्ती	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	13.08.2023

क्रमशः पृ0–2

क्रम सं0	अटल आवासीय विद्यालय का नाम	मानकों का सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम	सत्यापन की तिथि
11.	अटल आवासीय विद्यालय, आगरा	प्रोफेसर डॉ0 प्रदीप कुमार, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर	09.09.2023
12.	अटल आवासीय विद्यालय, बुलन्दशहर (मेरठ)	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	03.09.2023
13.	अटल आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरनगर (सहारनपुर)	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	04.09.2023
14.	अटल आवासीय विद्यालय, बाँदा	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	29.08.2023
15.	अटल आवासीय विद्यालय, कानपुर नगर	प्रोफेसर श्री के0के0 पाठक, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	06.09.2023
16.	अटल आवासीय विद्यालय, वाराणसी	प्रोफेसर श्री राजेश कुमार, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इन्जीनियरिंग, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी	10.09.2023

24/11/2023

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता, तकनीकी सेल,
ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग,
लखनऊ

24.11.23

(जितेन्द्र कुमार बांगा)
मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल,
ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग,
लखनऊ

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-77 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-104-105 पर)

दिनांक 01.04.2022 से 01.10.2023 तक लाभार्थियों का विवरण (हितलाभ वितरित)

क्र.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लाभार्थी का पूरे पता	पंजी० संख्या	पंजी० तिथि	आवेदन तिथि	स्थिति	राशि
1	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	जरेस शाह	मन्नू शाह	VILLAGE UDAYPUR KATAIYA, POST GHUSGAWAN, SHAHJAHANPUR	9235297646205	24-Jul-21	02-Aug-22	स्वीकृत	25000
2	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	जावेद अली	सादिक अली	मो० मामूडी तिलहर ज़ई, तह० सदर, शहर व जिला शाहजहाँपुर	9231100021341	11-Jun-14	31-Jul-22	स्वीकृत	25000
3	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	झब्बू सिंह	गन्धर्व सिंह	माधवामई पोस्ट घोसगवा	9235297437779	21-Mar-21	02-Jul-22	स्वीकृत	25000
4	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	वेदराम	मंगली	Mauzaampur	9235297163315	06-Jan-21	21-Jul-22	स्वीकृत	25000
5	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	सुरेश शर्मा	गाजोधर लाल शर्मा	बीबीजई हदूदफ़	9231197018366	23-Oct-20	05-May-22	स्वीकृत	25000
6	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	नल्लन	कल्लन	Moh NisarZal Jalalnagar Shahjahanpur	9231198092969	06-Mar-22	13-Jul-22	स्वीकृत	25000
7	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राम कुमार गुप्ता	प्यारेलाल	मो० हुसैनपुरा, तह० सदर, शहर व ज़िला शाहजहाँपुर	9231100021512	11-Jun-14	02-Aug-22	स्वीकृत	25000
8	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	लल्लू राम	विश्राम	ग्राम बुढानपुर	9236497204973	04-Feb-21	05-May-22	स्वीकृत	25000
9	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	सज्जाद	मुश्ताक	डभौरा	9230597083653	25-Dec-20	15-Aug-22	स्वीकृत	25000
10	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	अशोक कुमार	रामपाल	ग्राम अटसलिया ब्लॉक भावलखेड़ा तह० सदर जिला शाह०	9235100071839	17-Mar-20	09-Sep-23	स्वीकृत	25000
11	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	प्रमोद कुमार	बड़कईलाल	ग्राम नहिलोरा खुर्द ब्लॉक पुवायां तह० पुवायां जिला शाह०	9236297159878	04-Jan-21	25-Aug-22	स्वीकृत	25000
12	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	मुंशी लाल	बिहारी लाल	जमुनिया नवादिया	9236197037130	09-Nov-20	21-Jun-23	स्वीकृत	25000
13	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	मोहन लाल	राम प्रसाद	रसूलपुर गढ़िया	9236197587838	21-Jun-21	23-Dec-22	स्वीकृत	25000
14	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राजीव कुमार	नन्हे लाल	ग्राम भोजिमपुर ब्लॉक ददरौल शाहजहांपुर	9235200049282	16-Aug-17	27-Dec-22	स्वीकृत	25000
15	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राम बहादुर	छोटे लाल	ग्राम भटरा मइया भिजापुर शाहजहांपुर	9235600047316	16-May-17	23-Nov-22	स्वीकृत	25000
16	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सचिन	सुखपाल	ग्राम झेवामुकुन्दपुर पोस्ट विक्रमपुर चकोरा	9236400045771	10-Jan-17	09-Aug-23	स्वीकृत	25000
17	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सतीश चंद्र	हुलासी	ग्राम दिउरिया पो० व ब्लाक भावलखेड़ा तह० सदर ज़िला शहजहांपुर	9235100015302	06-Mar-14	28-Jun-23	स्वीकृत	25000
18	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सुरेन्द्र	सुमेर चंद्र	Meerpur Nahil	9236298052483	05-Feb-21	16-Mar-23	स्वीकृत	25000
19	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सोनू	सुरेश	ग्राम दाउदपुर	9235397273052	17-Feb-21	03-Dec-22	स्वीकृत	25000

20	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	अब्दुल नसीम खां	अब्दुल हमीद	मो० सिजई तह० सदर शाहजहांपुर	9231100050867	24-Dec-17	21-Aug-23	स्वीकृत	25000
21	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	अवधेश कुमार	झब्बू लाल	रेलवे कालोनी ढाका तालाब सुभाष नगर कालोनी तह० सदर जिला शाह०	9231100068851	11-Aug-19	03-Jun-23	स्वीकृत	25000
22	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	अहिवरनलाल	खेमकरण	ग्राम पथरा कचछ पोस्ट खिरियाहीर शाहजहांपुर	9235297160861	06-Jan-21	13-Sep-23	स्वीकृत	25000
23	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	कमलेश	राम प्रकाश	मो० नई बस्ती दलेल गंज तह० सदर जिला शाहजहांपुर	9231100188727	25-Jul-20	03-Nov-22	स्वीकृत	25000
24	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	कृष्ण पाल	बालकराम	ग्राम आमखेड़ा ब्लॉक मदनापुर शाहजहापुर	9235400044136	23-Sep-16	02-Aug-23	स्वीकृत	25000
25	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	कालीचरण	चिरोंजी लाल	ग्राम कवलेया पोस्ट ब्लाकवलेया कहर तिल तहसील शाहजहांपर	9235800016236	11-Mar-14	17-Aug-22	स्वीकृत	25000
26	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	जगत पाल	छोटे लाल	ग्राम पोसिल पोस्ट उखली	9236097926835	10-Jan-22	05-Feb-23	स्वीकृत	25000
27	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	तेजपाल	रामेश्वर	ग्राम दबुरी	9235300006540	17-Jan-14	24-Jul-23	स्वीकृत	25000
28	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	दोध राम	बेचे लाल	सोनक कालोनी गदियाना शाहजहांपुर	9231100046391	16-Jan-17	28-Aug-23	स्वीकृत	25000
29	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	नूर जहान	इदद्	ग्राम अजमाबाद ब्लॉक व तह० तिलहर शाह०	9235897085281	28-Dec-20	30-Sep-22	स्वीकृत	25000
30	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	बाबूराम	जंगी	Village Dateli	9236097889065	15-Sep-21	31-May-23	स्वीकृत	25000
31	निर्माण कानगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	महावीर	श्री कृष्ण	सहतेपुर	9236497054507	18-Nov-20	30-Dec-22	स्वीकृत	25000
32	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राकेश	लालता प्रसाद	ग्राम रोशननगर ब्लॉक ददरौल शाहजहापुर	9235200048242	04-Jan-17	01-Apr-23	स्वीकृत	25000
33	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राजपाल	बलदेव	ग्राम चक्रनलो पो० परसोना खलीलपुर ब्लॉक निगोही शाहजहांपर	9236400024121	30-Jul-14	17-Jan-23	स्वीकृत	25000
34	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राम नरेश	सीता राम	पथरा कच्छ	9235297055229	21-Nov-20	13-Sep-23	स्वीकृत	25000
35	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	रामलड़ैते	नत्थू लाल	ग्राम व पोस्ट बरेडा	9230700048664	06-Jul-17	11-Jun-23	स्वीकृत	25000
36	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सज्जाद	मुश्ताक	डमोरा	9230597083653	25-Dec-20	20-Aug-22	स्वीकृत	25000
37	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सतेन्द्र कुमार	रामलखन	Babakkarpur	9235297036550	07-Nov-20	29-Mar-23	स्वीकृत	25000
								कुल योग	925000

सहायक श्रम आयुक्त

दिनांक 01.04.2022 से 01.10.2023 तक लाभार्थियों का विवरण (हितलाभ स्वीकृत, भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन)

क्र.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लाभार्थी का पूर्ण पता	पंजी० संख्या	पंजी० तिथि	आवेदन तिथि	स्थिति	राशि
1	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राम नरेश	गयादीन	मो० काशीराम कालोनी तह० सदर शाह०	9231100047496	22-May-17	05-May-22	स्वीकृत, भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन	0
2	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	नवी हसन	वली हसन	इमली तिलहर	9230597069757	19-Dec-20	16-Mar-23	स्वीकृत, भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन	0
3	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सत्यपाल	आशाराम	ग्राम लालपुर	9235297163603	17-Jan-21	01-Sep-22	स्वीकृत, भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन	0
4	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सूरज	राम कुनार	ग्राम चतुरपुर ब्लाक खुटार तह० पुवायां शाह०	9231100191046	16-Sep-20	21-Aug-23	स्वीकृत, भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन	0

दिनांक 01.04.2022 से 01.10.2023 तक का विवरण (अस्वीकृत)

क्र.	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लाभार्थी का पूर्ण पता	पंजी० संख्या	पंजी० तिथि	आवेदन तिथि	स्थिति	राशि
1	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	अशर्फीलाल	बिहारी	VILL VAIVAHA	9236097491180	25-Mar-21	12-Apr-22	निरस्त	0
2	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	अशोक कुमार	मगने	सैंजना ब्लॉक मदनापुर	9235400059258	08-May-18	01-Apr-22	निरस्त	0
3	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	कुपाल	आदिराम	रहदवा	9236297342285	03-Mar-21	09-May-22	निरस्त	0
4	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	कमलेश	राम प्रकाश	मो० नई बस्ती दलेल गंज तह० सदर जिला शाहजहांपर	9231100188727	25-Jul-20	27-Jun-22	निरस्त	0
5	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	खूबलाल	दीना	ग्राम जानकीनगर, हथौड़ा बुजुर्ग, ब्लॉक भावलखेड़ा, तह० सदर, जिला शाहजहाँपुर	9235100020384	11-Jun-14	13-May-22	निरस्त	0
6	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	छैलु	परगुलाल	ग्राम -पचपेड़ा ब्लॉक सिधौली ,शाहजहांपुर	9235300050575	27-Nov-17	29-May-22	निरस्त	0
7	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	जेतराम	राम दयाल	ग्राम गगसरा ब्लॉक पुवायां जिला शाह०	9230200069636	09-Oct-19	04-Apr-22	निरस्त	0
8	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	तौहीद	अमजद खान	ग्राम कटिया कम्मू	9235100010156	09-Jan-14	21-May-22	निरस्त	0
9	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	परवेश	राम दयाल	रामपुर नवदिया	9235897492647	24-Mar-21	15-May-22	निरस्त	0
10	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	दब्बन शाह	हशमत शाह	ग्राम शाहबाज़नगर ब्लाक ददरौल तहसील सदर जिला शाहजहांपर	9235297562056	24-Mar-21	05-Aug-22	निरस्त	0
11	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	बबलू सिंह	आशाराम	Dilawarpur,post dilawarpur shahjahanpur	9230797274194	11-Feb-21	23-May-22	निरस्त	0
12	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	बसंत कुमार शर्मा	मूलचन्द्र शर्मा	पिपरौली एलाना ददरौल	9235200067239	27-Mar-19	18-Apr-22	निरस्त	0
13	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	नुकेश	रघुवीर	GRAM-SHAHBAJPUR POST-RAUSAR KOTHI	9235197163363	07-Jan-21	27-Jul-22	निरस्त	0
14	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	नगल सिंह	पूरन लाल	ग्राम मोहिया बीरान ब्लाक खुटार तह० पवायां जिला शाहजहाँपर	9236300018453	06-Mar-14	14-May-22	निरस्त	0
15	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	रमेश कुमार	राकेश कुमार	ग्राम मढ़ैया कम्मूपुर पोस्ट धौकली	9236100049851	13-Oct-17	13-Jul-22	निरस्त	0
16	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राकेश कुमार	रामेश्वर दयाल	अछत्यापुर धोकल पोस्ट भावो	9236197666853	20-Sep-21	04-May-22	निरस्त	0
17	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राजू	कृष्ण पाल	KORIYAN	9230424074409	14-Oct-20	02-Aug-22	निरस्त	0
18	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राजेश कुमार	मुन्ना लाल	सरेली	9235824080669	22-Oct-20	18-May-22	निरस्त	0
19	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राम दयाल	पूरन	ग्राम महमूदापुर, सिधौली शाहजहांपुर	9235300026986	29-Aug-14	01-Jun-22	निरस्त	0

20	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राम प्रकाश	भैयू लाल	SAIDAR NAGAR 19 JALALABAD	9230197423277	06-Mar-21	18-Apr-22	निरस्त	0
21	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	राम लड़ैते	लीला	ग्राम सातवाँ खुर्द पोस्ट शाहबाज़नगर	9235197561694	24-Apr-21	04-May-22	निरस्त	0
22	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	रामनरेश	बाबूराम	ग्राम-चौढेरा चौहरी	9235897163144	27-Dec-20	21-Jul-22	निरस्त	0
23	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	बिटोआ	लौले	ग्राम नवदिया नवाजपुर ब्लॉक खुटार शाहजहाँपर	9236300040046	19-Jan-16	21-Apr-22	निरस्त	0
24	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	बिपिन कुमार शक्ला	राजेन्द्र बाबू	मोहल्ला खलील शर्की तहसील सदर जिला शाहजहांपर	9235100043573	14-Jun-16	22-Apr-22	निरस्त	0
25	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	वीरेश	रामऔतार	बस्आ	9235403605407	25-Sep-20	09-May-22	निरस्त	0
26	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	शिव कुमार	बिल्लू	ग्राम पो महासिर थाना सिधौली पुवायां	9235300002994	19-Jan-12	18-Apr-22	निरस्त	0
27	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	शिशुपाल सिंह	राम औतार	ग्राम महासिर ब्लॉक सिंधौली तह० पुवायां जिला शाह०	9235397164450	18-Jan-21	28-Apr-22	निरस्त	0
28	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	सुनील	राजेंद्र प्रसाद	ग्राम नाहिल ख़ास ब्लॉक पुवायां तह० पुवायां जिला शाह०	9236297274735	18-Feb-21	09-May-22	निरस्त	0
29	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	सुरेश पाल	बाबूराम	कनधरपुर अलहदादपुर	9236197505224	26-Mar-21	23-Apr-22	निरस्त	0
30	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	हरिपाल	पुत्तू	ग्राम आमखेड़ा ब्लॉक मदनापुर शाहजहापुर	9235400044121	23-Sep-15	05-Aug-22	निरस्त	0
31	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	कालीचरण	चिरोजी लाल	ग्राम कपसेया पोस्ट ब्लाकबसेया सदर तिल तहसील शाहजहांपुर	9235800016230	11-Mar-14	10-Aug-22	0234701607 का सापेक्ष 0234701607 ka bhugtan kar diya gya hai	
32	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	अशोक कुमार	मथुरी	ग्राम कपसेडा पोस्ट तिलहर	9235200048785	21-Jul-17	08-Nov-22	निरस्त	0
33	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	कालीचरण	चेत राम	ग्राम व पोस्ट अजीजपुर थाना सिधौली जिला शाहजहांपुर	9236400016201	11-Mar-14	11-Jan-23	निरस्त	0
34	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	नगाराम	रामचंद्र	Mohaddinpur	9235597833563	30-Oct-21	03-Nov-22	निरस्त	0
35	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	जगदेश्वर	कमल	ग्राम [illegible] पोस्ट कटौरा	[illegible]	[illegible]	[illegible]-23	निरस्त	0
36	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	[illegible]	[illegible]	VILLAGE [illegible] DIST JALALABAD [illegible] SHAHJAHANPUR	[illegible]	[illegible]	[illegible]-22	निरस्त	0
37	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	दिनेश कुमार	विजेन्द्र कुमार	Parsauna Khalilpur	9236497077450	28-Dec-20	27-Sep-23	निरस्त	0
38	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	दिनेश शर्मा	दाता राम	मो० अहमदपुर रेती, तह० सदर, शहर व जिला शाहजहाँपर	9231100027652	29-Nov-14	24-Jan-23	निरस्त	0
39	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	नत्थू	कस्तूरी	ग्राम कप्सेडा पोस्ट तिलहर	9235200049178	24-Jul-17	22-Dec-22	निरस्त	0

अधिक

[illegible]	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	नोखे	नोकिल	पतराजपुर ब्लॉक निगोही	9236400054729	04-Apr-18	30-Aug-22	निरस्त	0
1	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	प्रदीप	बाबूराम	shivpuri	9230997058167	30-Nov-20	11-Jul-23	निरस्त	0
42	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	प्रेम चाँद	लल्लू राम	ग्राम विल्हा पोस्ट नबीची	9236100007166	20-Jan-14	14-Oct-22	निरस्त	0
43	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	बबलू	प्रेमराज	ग्राम पतराजपुर पोस्ट निगोही तहसील तिलहर जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश	9236498094110	08-Mar-22	24-Aug-22	निरस्त	0
44	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	ब्रज किशोर	कुंदन लाल	ग्राम जठियापुर बुजुर्ग ब्लॉक पुवायां शाहजहांपुर	9236200068036	13-Jun-19	06-Nov-22	निरस्त	0
45	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	बलराम	बसंत	कासिमगंज चांदापुर ब्लाक भावलखेडा	9235100056382	19-Apr-18	09-Jan-23	निरस्त	0
46	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	मुकेश चन्द्र	राम कृष्णा	निगोही	9236400052983	12-Mar-18	12-Jun-23	निरस्त	0
47	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	मुन्ने खां	मुख़्तार	अकबरी	9236097646187	14-Mar-21	05-Sep-22	निरस्त	0
48	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	मीरा देवी	बालक राम	ऐंठापुर पोस्ट सेहरामऊ	9235100066712	13-Mar-19	06-Dec-22	निरस्त	0
49	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राकेश	लालता प्रसाद	खजुरिया	9236397440099	17-Mar-21	14-Jan-23	निरस्त	0
50	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राजू	मोती लाल	मौ० अजीजगंज तह० शहर शाह०	9231100052091	21-Feb-18	03-Jun-23	निरस्त	0
51	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राजेश्वर दयाल	हरी लाल	साडाखास	9236400014502	12-Feb-14	24-Mar-21	निरस्त	0
52	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राजे मिश्रा	बाबू लाल	ग्राम बसुतरा	9235100196567	[illegible]	[illegible]	निरस्त	[illegible]
53	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राम शंकर	झब्बू लाल	VILLAGE DALELA PUR POST PIPROULI BAYA TILHAR	9230297795315	14-Aug-21	17-Sep-22	निरस्त	0
54	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	राम राकेश	गुन्नारी	[illegible] निगोही	9235400056081	28-Mar-18	15-Jul-23	निरस्त	0
[illegible]	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	रामचंद्र	कुन्दन लाल	[illegible]	9235400016769	[illegible]	15-Oct-21	निरस्त	[illegible]
[illegible]	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	रामनरेश	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	विकास कुमार	धनजीत	120	9235197582682	15-Jun-21	25-Aug-23	निरस्त	0
59	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	विजय	भगवान दास	ग्राम परमंगदपुर खुर्द पोस्ट पोवायाँ तहसील पोवायाँ शाहजहांपुर	9236297231912	11-Feb-21	15-Oct-22	निरस्त	0
60	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	विनोद कुमार	अवधेश सिंह	ग्राम बेलावाली ब्लॉक बंडा तह० पुवायां शाह०	9236103605443	23-Sep-20	03-Sep-22	निरस्त	0

61	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	विपिन वर्मा	रामलईते वर्मा	चक्रमली	9236400013631	12-Feb-14	21-Sep-22	निरस्त	0
62	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	वीरेश कुमार	कस्तूरी लाल	ग्राम कपसेड़ा ब्लॉक तिलहर शाहजहांपुर	9235800049176	24-Jul-17	15-Jun-23	निरस्त	0
63	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	शिव कुमार	नारायण	VILL BHAWAL KHERA	9235197235447	11-Feb-21	13-Jun-23	निरस्त	0
64	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सकील खां	बुलाकी खां	मो० दिलाजाक तह० सदर	9230800064251	27-Aug-18	12-Oct-22	निरस्त	0
65	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सतीराम	ठकुरी लाल	ग्राम कुड़याँ ज किरतपुर ब्लॉक सिंधौली तह० पुवाया जिला शाह०	9235398059499	05-Feb-22	22-Jul-23	निरस्त	0
66	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सन्तराम	लालजीत	ग्राम मऊ खालसा ब्लाक भावलखेड़ा तह० सदर ज़िला शाहजहांपुर	9235198243948	23-Dec-22	28-Jun-23	निरस्त	0
67	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सुनील कुमार	मेघनाथ	ग्रान हेतम नगला ब्लॉक बंडा तह० पुवायां ज़िला शाह०	9236197477072	23-Mar-21	29-Dec-22	निरस्त	0
68	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सुरेंद्र	गुर दयाल	ग्राम मौलागंज, ब्लॉक भावलखेड़ा, तह० सदर, जिला शाहजहाँपुर	9235100019902	24-Apr-14	15-Jul-23	निरस्त	0
69	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सुशिल	नन्हू	ग्राम बल्लिया रोज़ा	9235103618482	30-Sep-20	14-Jul-23	निरस्त	0
70	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	हनीफ	एवजशाह	Mamudi	9231198065353	10-Feb-22	07-Oct-22	निरस्त	0
71	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	नफ़ल	जानकी प्रसाद	VILLAGE DABHAURA	9235897348483	12-Mar-2[illegible]	[illegible]	निरस्त	0
72	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	सुखपाल		दरुआ पट्टी सनायक	9235400070731	31-Dec-19	28-Nov-22	निरस्त	0